राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का दसवां दिवस [संख्या : 5

बुधवार,

15 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोंक जिले के अन्दर भयंकर बरसात हुई है, एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है। मासी डैम पर चार फीट की चादर चल रही है। वहां के सैकड़ों गांव अस्त-व्यस्त हो गये हैं, लोग परेशान हैं, गरीब लोगों के मकान बह गये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक मिनट बैठिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य खेत सिंहजी, आपकी कोई

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कल जिस प्रकार से पांच बजते ही आपने हाउस एडजोर्न कर दिया इससे कई हमारे माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला। आप देखिये, आम तौर पर चार दिन डिबेट चलती है जनरल डिस्कशन पर और हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि एस टी. और एस. सी. के एक भी नहीं बोल पाये हैं, सिर्फ दो मेम्बर कल बोले। जिस प्रकार बिजनस एडवाइजरी में यह तय हुआ था कि हम मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह सारी विधान सभा की कार्यवाही चलाना चाहते हैं। यह कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बन रहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप विराज नहीं रहे थे।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हम तो विराज रहे थे ना कल। हम तो इंतजार कर रहे थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इस तरह से भागने की कोशिश करते हो, पांच बजते ही आपने एडजोर्न करवा दिया। मैंने आपसे कहा कि आपने एडजोर्न क्यों

(श्री खेतसिंह राठौड़)

करवाया ? तो आप कहते हैं आप मुझे मिले ही नहीं। मेरे मिलने से और नहीं मिलने से क्या होता है ? हमेशा डिबेट आठ बजे तक चलती है और इन तीन दिनों में तो 10-10, 11-11 बजे तक चली है। पूनमचन्दजी के वक्त में डेढ़-डेढ़ बजे हैं रात के और सबको बोलने का मौका मिला है। यही तो मौके होते हैं कि जिनके ऊपर हरेक माननीय एम. एल. ए. अपने क्षेत्र की बात कह सके और अपने सुझाव दे सकें। आप कोई भागने की कोशिश कर रहे हो तो वह बता दीजिये और वह नहीं है आपकी कोशिश तो मेहरबानी करके एक दिन और बढ़ाइये इसके अन्दर और सबको मौका दीजिये। अगर आप किसी हालत में आगे समय नहीं बढ़ा सकते तो आज कृपया 9 बजे तक हाउस को चलाइये और 9 बजे आप रिप्लाई दीजिये। आपके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 बजे भी आप रिप्लाई देंगे तो प्रेस वाले अपने आप बैठे रहेंगे, आपका जवाब लिख लेंगे। सवेरे मुख्य मंत्रीजी ने यह फरमाया सब आ जाएगा, फिर क्यों परेशान होते हैं ? दस-दस मिनट का समय दीजिये सबको, लोगों को बोलने का अवसर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्दर अतिवृष्टि हो गयी है। बहुत भयंकर बरसात हो गयी है, मासी डैम पर चार फीट की चादर चल रही है। सैकड़ों मकान गिर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, पहले प्रश्न हो जाने दें। प्रश्न-प्रश्न।

श्री बनवारी लाल बैरवा : तमाम.... (व्यवधान) तहस-नहस हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाएं। श्री मूलसिंह शेखावत।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान) डिस्कशन का चौथे दिन सरकार की तरफ से रिप्लाई आता है, यह परम्परा बनी हुई है। .... (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि वहां पर सैकड़ों मकान गिर गये हैं, लोग बाग तबाह हो गये हैं (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उसकी आप रक्षा कीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय बैरवा साहब, (व्यवधान) माननीय बैरवा साहब, आपको यह आसन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ? मैं समय दे दूंगा आपको, आप बिराज जाएं। इस समय प्रश्न होने दीजिये। श्री मूलसिंह शेखावत।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आ जाए। सचेतक

(श्री हरिसिंह)

प्रतिपक्ष ने आपसे एक अनुरोध किया है और सरकार अब तक इस पर मौन साधे बैठी है। उत्तर दिलाना चाहिये ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय खेतसिंह जी, सचेतक महोदय ने कहा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में विधान सभा चले, यह हमारा सबका प्रयत्न होना चाहिये। कोशिश यह की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा माननीय अपनी बात को कह सकें। अब सवाल यह है कि एस. सी. और एस. टी. के लोग बोलने चाहिये। इसमें भी किसी को ऐतराज नहीं, बल्कि बोलने ही वे चाहिये लेकिन अब उधर से उनका नाम देना तो हमारे हाथ में नहीं है। हमने तो एस. सी, एस. टी. के लोगों को दिया है...

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : आप टालने की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, टालने की बात कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और जहां तक समय का सवाल है, हमने कभी भी इसमें मना नहीं किया। हमने कभी भी मना नहीं किया कि समय हम नहीं बढ़ाना चाहते।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : बिलकुल आपने मना किया है। कल हमने आपसे कहा था, आपने नहीं बढ़ाया समय।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : फिर प्रस्ताव क्यों नहीं किया ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : और जब आपकी तरफ से रामस्वरूप जी ने कहा.... (व्यवधान) तो सारे....(व्यवधान) ने कहा कि नहीं-नहीं, पांच बजे बाद बढ़ाना नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने कहां प्रस्ताव किया था ? उपाध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप ने कोई प्रस्ताव नहीं किया।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्यों नहीं बढ़ाया आपने समय ? कल हमने आपसे निवेदन किया था, कल भी आपने समय नहीं बढ़ाया। आप सलाह करके समय क्यों नहीं बढ़ाते हो ? खुद तो बोल लेते हो बीच-बीच में कैसे भी और दूसरों को अवसर नहीं देना चाहते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज आप 9 बजे तक भी चलाएं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि आप 12 बजे तक भी चलाएं तो हम चलाने के लिये तैयार हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप चलाना चाहें तब तक यह सदन बैठेगा। इसमें दिक्कत की कहीं कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बिराजें। श्री मूल सिंह जी, आप पूछिये ना। मूलसिंह जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आप 80 से 85 तक की प्रोसीडिंग्स देख लीजिये, इस तरह के बजट के ऊपर डिस्कशन हुए हैं, कितने-कितने माननीय सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना जितना चलाना चाहें चला लीजिये आप । बिराजें ।

बिड़ला तकनीकी शिक्षण संस्था में राज्य के छात्रों हेतु विशेष आरक्षण

1. **डा. मूलसिंह शेखावत** (झुंझुनूं) एवं **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बी. आई. टी. एस., पिलानी में अन्य राज्यों की भांति राज्य के विद्यार्थियों के लिये आरक्षण सुविधा नहीं है ?

(2) क्या इस तरह का नियम अन्य प्रान्तों में है ? यदि हां, तो राज्य में उक्त नियम लागू क्यों नहीं है ?

(3) बी. आई. टी. एस., पिलानी (झुंझुनूं) में राज्य के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है ? क्या सरकार राज्य के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां । बी.आई.टी.एस., पिलानी में राज्य के विद्यार्थियों का आरक्षण नहीं है ।

(2) अन्य राज्यों में अखिल भारतीय प्रकृति के ऐसे संस्थानों में इस तरह का कोई नियम नहीं है ।

(3) वर्तमान में बी. आई. टी. एस., पिलानी में अध्ययनरत छात्रों में राजस्थान के छात्र 5 प्रतिशत हैं ।

उक्त संस्थान स्वायत्तशासी विश्वविद्यालयवत् संस्थान है, जो अपनी नीति स्वयं बनाता है । इसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं है ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री उपाध्यक्ष : मूल सिंहजी, आप कुछ पूछना चाहते हैं ? पहले मूल सिंहजी ।

श्री मूलसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में उन राज्यों के विद्यार्थियों की सीटे आरक्षित हैं लेकिन बी.आई.टी.एस., पिलानी जो कि बिड़ला का एक संस्थान है, शिक्षा के क्षेत्र में होते हुए भी ज्यादातर व्यापारिक संस्थान की तरह कार्य करता है । मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसमें इस राज्य के विद्यार्थियों का कोई आरक्षण हो । वर्तमान में वहां पर बहुत ही कम विद्यार्थी हैं इस स्टेट के, उनके लिये उच्च शिक्षा मंत्री इस तरह का कोई कार्य करें कि यहां के विद्यार्थियों को वहां पर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल सके ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मान्यवर, यह शिक्षा संस्थान राजस्थान की भूमि पर है और राजस्थान के जुरिस्डिक्शन में, आपके जुरिस्डिक्शन में आता है, आप इसमें इंटरवीन कीजिये । महाराष्ट्र और हर राज्य के अन्दर इस तरह के संस्थान हैं उनके अन्दर राज्य सरकार की तरफ से सीटें निश्चित तौर पर रिजर्व की जाती हैं । आप भी प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लड़कों को बोनस अंक दिये जाने चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक बोलिये, माननीय सदस्य ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार इन संस्थाओं को मान्यता देते वक्त यह शर्त क्यों नहीं लगाती, राजस्थान के विद्यार्थियों को संख्या के आधार पर आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा है ? दूसरा आपने कहा, नियम बने हुए हैं । नहीं हैं तो नियम बनाने के लिये यह विधान सभा, यह सदन मौजूद है । नम्बर तीन, राजस्थान के छात्रों के साथ अन्याय है । इस अन्याय को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है ? नम्बर चार, प्रत्येक विश्वविद्यालय में सरकार का हस्तक्षेप है, सरकार विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों के प्रति जिम्मेदार है । आज अगर विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की गलती होती है तो सरकार जिम्मेदार है । इसलिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की भूमि पर कोई विश्वविद्यालय चले और राजस्थान के विद्यार्थियों को वहां जगह नहीं मिले, यह हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ अन्याय है, उनको आरक्षण मिलना चाहिये और नहीं है तो सरकार इसकी व्यवस्था करे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने स्वायत्तशासी संस्था मानकर अपना पल्ला झाड़ लिया....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रश्न ही पूछ रहा हूं मैं । क्या राज्य सरकार की तरफ से इस संस्थान को ग्रांट-इन-एड दी जाती है ? अगर-ग्रांट-इन-एड दी जाती है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार का उसमें दखल होना चाहिए क्योंकि वह पैसा यहां इस माननीय सदन से पास किया जाता है । दूसरा....

श्री उपाध्यक्ष : आगे पूछिये ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दूसरा प्रश्न, क्या इस संस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों का कोटा रिजर्व है ? अगर है, तो क्या उस कोटे के अनुसार प्रवेश दिया जा रहा है ? नहीं दिया जा रहा है तो राज्य सरकार इस बात के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसको आटोनोमस बाडी बताया है यह बात सही है और इसका एफिलिएशन अमेरिका की यूनिवर्सिटी के साथ में है यह भी सही है लेकिन राजस्थान की भूमि पर आपके बिना सहयोग के यह आटोनोमस कॉलेज चल नहीं सकता । यह राजस्थान सरकार

(श्री रामनारायण चौधरी)

के सहयोग से चल रहा है, आपने कई सुविधाएं उसको दे रखी हैं। आप अपने विधि विभाग से राय-परामर्श कर सकते हैं, प्रवेश दिलाने के लिए राजस्थान के लड़कों के लिए बोनस अंक दिये जाने चाहिए। बोनस अंक देंगे तो हमारे लड़के वहां सलेक्ट होंगे। यदि सीटों का निर्धारण नहीं करवा सकते तो वहां राजस्थान के बच्चों को बोनस अंक मिलने चाहिये। बोनस अंकों के बगैर हम एडमीशन वहां पर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह आपकी बात सही है कि आटोनोमस है लेकिन बहुत सी चीजें हैं, विधि विभाग से राय लीजिये. सलाह-मशविरा कीजिये। किसी भी स्टेट के अंदर चलती है, किसी भी देश में ...

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। श्री जगदीप धनखड़। केवल प्रश्न।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार क्या ऐसे कदम उठाने को तैयार है जिसमें राजस्थान की भूमि पर किसी भी प्रकार की शैक्षणिक या तकनीकी संस्था है उसमें राजस्थान वासियों को रिजर्वेशन मिले? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालयों में ये मामले उठे थे। मुद्दा उठा कि क्या ज्योग्राफिकल एन्टाइटी के आधार पर रिजर्वेशन उचित है। निर्णय हुआ, यह उचित है। जब न्यायालयों ने इसको उचित माना है तो क्यों नहीं सरकार इस प्रकार का विधिवत् कदम उठाए? राजस्थान की भूमि पर जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, तकनीकी संस्थाएं हैं, चाहे उनको ग्रांट-इन-एड देते हैं या नहीं देते हैं, इसी वजह से कि वह यहां स्थापित हैं राजस्थान के लोगों को निश्चित रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा माननीय चौधरी साहब ने जो मुद्दा उठाया है यहां के विद्यार्थियों को बोनस अंक मिलने चाहिए ताकि काम्पीटीशन में थोड़ी-सी एडवांटेज उनको इस बात की मिल सके कि यह शैक्षणिक संस्था राजस्थान में स्थापित है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह संस्था डीम्ड यूनिवर्सिटी की तारीफ में आती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए राजस्थान सरकार यह कहे कि भारत सरकार का और किसी का कोई लेना-देना नहीं है यह सब बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन है उससे मान्यता इनको मिलती है और राजस्थान सरकार ने इस संस्था को बहुत सुविधाएं दे रखी हैं, जमीन अलाटमेंट में, दूसरे साधनों में और इसका एक अलग से नगरपालिका क्षेत्र भी उन्होंने बना रखा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह संस्था एक दिन भी राजस्थान सरकार के संरक्षण के बिना चल नहीं सकती। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय

(श्री शिवनाथ सिंह)

से जानना चाहूंगा कि क्या आप अपनी शक्ति का जो आपमें निहित है, प्रयोग करते हुए इस यूनिवर्सिटी का फायदा, इस संस्था का फायदा राजस्थान के बच्चों को मिले इस प्रकार के कदम उठाएंगे ? आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक। विराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : एक मिनट आज राजस्थान का एक भी बच्चा इस क्षेत्र में, इस यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा। वहां का कल्चर बिलकुल बदल गया है, वहां हमारे बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते। इस प्रकार का अन्याय हमारी धरती पर, राजस्थान की धरती पर हो रहा है जबकि राजस्थान सरकार से उनको लाभ मिला हुआ है जमीन मिली हुई है, संस्था के निर्माण में मिला हुआ है। माननीय मंत्री महोदय जो शक्ति उनमें निहित है उसका प्रयोग करते हुए क्या इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान के बच्चों को वहां एडमीशन मिले ?

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : सालों में ...

श्री उपाध्यक्ष : हरजीराम जी बुरडक को पुकारा है मैंने, माननीय सदस्य।

श्री किशनाराम नाई : के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम नाई।

श्री किशनाराम नाई : पिछले सालों में....

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम नाई, आप आसन से आज्ञा लेकर बोला करें भविष्य में।

श्री किशनाराम नाई : मैं तो, साहब आज्ञा का पालन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, विराजें।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला मेरा प्रश्न यह है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की परमीशन या उनका अनुमोदन तभी होता है जब राज्य सरकार उसकी सिफारिश करे। दूसरा मेरा सवाल यह है कि अगर कोई कानूनी अड़चन आपको कार्यवाही करने में आती हो तो उसको मिटाने के लिए क्या राज्य सरकार कानून बनाना चाहती है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री किशनाराम नाई : उपाध्यक्ष महोदय, यह संस्था काफी वर्षों से संचालित है। आज विपक्ष के लोग भी मांग कर रहे हैं और पक्ष के लोग भी बात कर रहे हैं कि इस संस्था में सरकार सुधार करे। यह संस्था खूब वर्षों से चल रही है कांग्रेस सरकार ने 45 साल तक इसमें क्या सुधार किया है ? क्या राज्य के प्रति किया है, क्या राजस्थान के छात्रों को प्रोत्साहन दिया है ? इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं।

श्रीमती कमला (बैराठ): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि न सिर्फ इस संस्था में बल्कि राजस्थान में जहां भी इस तरह की संस्थाएं स्थापित हैं उनमें सभी में एक प्रतिशत विशेष राजस्थान के बच्चों के लिए होना चाहिए। जो बोनस की बात कह रहे हैं वह भी होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस संस्था से संबंधित कोई प्रश्न है, तो वह पूछिये आप।

श्रीमती कमला : लेकिन मेरा यह कहना है कि....

श्री उपाध्यक्ष : संस्था से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो वह पूछिये आप।

श्रीमती कमला : हां, हां, तो आप.... इतनी देर मे तो मैं खतम ही कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, हां, हां नहीं, आप वही प्रश्न पूछिये जो इससे संबंधित हैं।

श्रीमती कमला : मेरा राज्य सरकार से यह कहना है कि आप जब यह रिजर्वेशन करें उसको जल्दी से जल्दी तो तय कर लें। लेकिन रिजर्वेशन के बाद में राज्य सरकार कोई नोमीनेशन न करे, राजस्थान के बच्चे मैरिट से ही उसके अन्दर भर्ती होने चाहिए यह भी हमें निश्चय करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने "बिट्स" को लेकर कई सवाल जो सदन में किये हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं अपनी तरफ से उनका पूरा उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा इसे विश्वविद्यालयवत्, यानि जैसे कहा गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया हुआ है। इस प्रकार के केसेज में राजस्थान में ...

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : लैट मी कम्प्लीट इट। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जैसा चर्चा में आया, जिस समय 1964 में यह स्थापित हुई थी, राज्य सरकार की कोई मान्यता इसको नहीं थी और मान्यता लेना आवश्यक भी नहीं था। मैं कोई एक्यूज नहीं कर रहा, लेकिन जो कहा गया कि मान्यता ली वह ठीक नहीं है।

महुवा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था ग्रान्ट-एन-एड का, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसे राज्य सरकार कोई अनुदान नहीं देती है और केन्द्र सरकार से भी कोई अनुदान यह नहीं लेती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 27 जून, 1964 को भारत के गजट द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। तब से यह इसी स्थिति में चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा की गई इस बात की कि आरक्षण होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अखिल भारतीय संस्थान देश में हैं,

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

उन सारे देश के अखिल भारतीय संस्थानों में कोई आरक्षण कहीं भी नहीं होता। दिल्ली, बोम्बे, बैंगलोर, चैन्नई, कानपुर, गोहाटी, खड़गपुर इनमें आई. आई. टीज. हैं जो सर्वोत्तम संस्थान हैं इंजीनियरिंग के, ये संस्थान ऑल इंडिया संस्थान हैं। उन ऑल इंडिया संस्थान में केवल मैरिट के हिसाब से ही सारे देश के विद्यार्थियों का, छात्रों का प्रवेश होता है और उसी नाते से एडमीशन मिलता है। इसी प्रकार मैनेजमेंट के अहमदाबाद में, बोम्बे में, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता में, लखनऊ में अखिल भारतीय प्रबन्ध संस्थान हैं। मेरा यह कहना है कि अखिल भारतीय संस्थान के नाम से इनको दर्जा दिया जाता है। 1968 में जो केन्द्रीय सरकार थी, उस समय किसकी सरकार वहां थी यहां थी, मैं चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन इसको यह अधिकार अखिल भारतीय संस्थान के समकक्ष, समस्तर पर दिया हुआ है, कि जिनमें, किसी प्रदेश का जहां कहीं भी हो, उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी इस बात का हिमायती हूं कि किसी प्रदेश में हो तो वहां हो, किन्तु जब मैंने इसके स्टेटिस्टिक्स देखे तो मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ। 1995 में मैरिट में आने के कारण जनरल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, कौंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सैन्ट्रल एग्जामिनेशन, आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, गोवा 16 प्रदेशों के टापर्स ने एडमिशन लिया। इसी प्रकार 1996 में 12 टापर्स जो प्रदेशों के थे उन्होंने एडमीशन लिया। इसी प्रकार 1997 में 20 टापर्स जो स्टूडेंट्स थे आल इण्डिया के, उन्होंने प्रवेश लिया। सचमुच कहना यह है कि आज भारत देश एक है। यह बात सच है कि धीरे-धीरे प्रांतवाद बढ़ रहा है, अपने प्रांत की चिंता भी हमको करनी चाहिये किन्तु मैरिट बनाने के नाते सारे देश को एक देश मानकर इस प्रकार के अखिल भारतीय संस्थान होने चाहिए निश्चित रूप से कि जहां इस प्रकार की क्वालिटी को मेनटेन किया जाए, मैरिट को मेनटेन किया जाए। उसी आधार पर 1968 में तत्कालीन सरकार ने जो राजस्थान में भी थी और जो केन्द्र में भी थी, अखिल भारतीय संस्थान मानकर इसको मैरिट के नाते देने की कोशिश की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूं सदन को, जो बड़ी इम्पोर्टेन्ट है। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता, यह सत्य नहीं है। पांच प्रतिशत आज विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं राजस्थान के और मैरिट की भी कैसी व्यवस्था है उनके यहां पर? उदाहरण के तौर पर राजस्थान में अगर 90 प्रतिशत मैक्सिमम मार्क्स आये किसी फर्स्ट टापर के और आन्ध्र में 98 आए तो 98 परसेन्ट को हन्ड्रेड परसेंट मानेंगे और 90 परसेंट को भी हण्ड्रेड परसेंट मानेंगे और जो-जो लड़के एप्लाई करेंगे राजस्थान के, आन्ध्र के, कर्नाटक के, उस हिसाब से उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। राजस्थान के 90 परसेंट इक्वल टू हण्ड्रेड परसेंट, कर्नाटक के 98 परसेंट इक्वल टू

(१०)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हण्ड्रेड परसेंट वह मैरिट बनाएंगे और उस मैरिट के आधार पर आप देखेंगे लेने की प्रक्रिया है।

गलती हमारी भी है, हमारे यहां के स्टूडेंट्स की भी गलती है। मैंने जब स्टेटिस्टिक्स देखी कि पिछले वर्षों में प्रवेश कितनों को मिला है तो यह बात सच है कि संख्या कम है किन्तु जितने विद्यार्थियों ने एप्लाई किया है उसमें बहुत अच्छा परसेंट राजस्थान का है। एप्लाई करने के लिए खुला मैदान है, मैं स्टेटिस्टिक्स के बाते अगर बताने की कोशिश करूं जो मेरे पास है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा....

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : कानून बनाएंगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह बड़ा इम्पार्टेन्ट सवाल है, कानून नहीं... Let me complete. That is an honourable institute of whole of India इसलिए उसके बारे में विचार करने की बात तो होनी चाहिए। आप इसको देखेंगे कि 1995 में टोटल एप्लीकेशन आयीं 7537 जिसमें आल इण्डिया बोर्ड के आये 2568 प्रवेश मिला 111 को-4.3 प्रतिशत। जितनों ने एप्लाई किया उसका चार प्रतिशत पाया। कहा जाता है कि दक्षिण के लोग आते हैं। हां, आन्ध्र की 1173 एप्लीकेशन आयीं जिसमें 168 को प्रवेश मिला, 13.8 प्रतिशत किन्तु राजस्थान के 61 लोगों में प्रवेश मिला 11 को, and the percentage was 18. इसलिए मैं कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से विशेषकर आपसे कि जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं, मैरिटोरियस विद्यार्थी क्या समझते हैं कि हमारे यहां राजस्थान के और जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें आराम से प्रवेश मिल जाता है, क्यों जाएं प्राइवेट कॉलेज में। अच्छा होने के बावजूद भी थोड़ी फीस ज्यादा है इसीलिए टोपर्स लड़के नहीं जाते है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह देश एक है, निश्चित रूप से हमारे मन की इच्छा है कि हम प्रदेश की बहबूदी करें, प्रवेश दिलवाएं किन्तु आल इण्डिया स्तर के इस प्रकार के बने हुए संस्थान में इस प्रकार का आरक्षण नहीं करना चाहिए।

श्री जगदीप धनखड़ : ये तो भाषण दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उसके जवाब पर आ रहे हैं (व्यवधान)... माननीय सदस्य, जो सदन की चिंता का है उस सवाल के जवाब पर आ रहे हैं माननीय मंत्री महोदय, कृपया आप सुनें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : शिक्षा के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं और प्रश्न भी लगे हुए हैं, हमारे जो प्रश्न लगे हुए हैं, उनका क्या होगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नोमीनेशन करने का अधिकार है क्या बिड़लाजी को (व्यवधान).... ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं भी वहां गया था....(व्यवधान)....शर्म की बात है, असत्य बोल रहे हैं सदन के अंदर (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्रीजी के टाइम को क्वेश्चन ग्रावर में बढ़ा दिया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड : पूनमचन्दजी पूछ रहे हैं कि बिरलाजी को नोमीनेट करने का अधिकार है क्या।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : यह तो आपको पता होगा या भीमरामजी गोला को पता होगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न तो बिरलाजी को, न बिरलाजी के पिताजी को, न किसी परिवार के सदस्य का आरक्षण का कोई अधिकार है, purely by merit, admission is being made.

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं कर रहा हूं उदाहरण पेश, मैं खुद गया था, एस सी के लड़के को एडमीशन नहीं दिया उन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल।

अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा जिला सवाईमाधोपुर को स्वीकृत राशि

2. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला सवाईमाधोपुर में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 1995 से 1997–98 तक अनुसूचित जाति के परिवारों को राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो किस किस परिवार को कितनी–कितनी राशि, किस प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हां यह सही है कि जिला सवाईमाधोपुर में निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति के गरीब व पात्र लाभार्थियों/परिवारों को अनुदान राशि का वितरण वर्ष 95-96 से 97–98 तक योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया गया है जिसकी परिवार/लाभार्थीवार सूचियां मय प्रयोजन के तैयार कर परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री हीरालाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, 145 पेज की आपने सूची दी, आप किसी एक आदमी को वेरीफाई कर सकते हैं क्या कि जिला सवाई माधोपुर के अंदर अमुक आदमी कौनसे गांव का है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह तथ्य क्यों छुपाया गया है ? एस.सी. निगम सवाईमाधोपुर द्वारा भारी घोटाले करने के कारण इस सूची के अंदर एक भी व्यक्ति के गांव का नाम नहीं है कि कौनसे गांव का है। आप

(श्री हीरालाल)

वैरीफाई कर सकते हैं इस 145 पृष्ठ की सूची के अंदर ? 145 पृष्ठ की सूची के अंदर एक आदमी आप मुझे बता दें कि फलां आदमी फलां गांव का है। यह बड़ा भारी तथ्य छुपाया गया है, भारी घोटालों को छुपाने के लिए उन आदमियों को छुपाया गया है जिनके माध्यम से डीलर के पम्पसैट उड़ जाते हैं। उनका पता नहीं है जो आपने सूची भेजी इसमें, कहाँ बताएंगे आप ? बता दीजिए, अभी एक आदमी को बता दीजिए कि कौनसे गाँव का आदमी है ? यहाँ अगर किसी व्यक्ति का वैरीफिकेशन करना चाहें तो इसको पूरे जिले में कहाँ ढूढें ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : यह जो सूची प्रस्तुत की है न तो इसके अन्दर पंचायत समिति का नाम है न कोई ग्राम पंचायत का नाम है। आप अगर सूची का अवलोकन करेंगे तो यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने ज्यादा इसके अन्दर घोटाले किये हैं। परचूनी के नाम पर छह हजार रुपये बैलगाड़ी के नाम पर छह हजार रुपए, ऊंट लड्ढे के नाम पर छह हजार रुपए, पम्पसैट के नाम पर छह हजार रुपए, ऊंट लड्ढा जिसके अन्दर ऊंट और लड्ढा दोनों हैं, ऊंट छह हजार रुपए में आता ही नहीं है, न बैल आते हैं छह हजार रुपए के अंदर। जो सूची प्रस्तुत की है उसमें कहीं भी किसी व्यक्ति की वल्दियत नहीं है, न गांव का नाम है और न ग्राम पंचायत का नाम है। डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में जब भी हम मामले को उठाते हैं तो गोलमोल जवाब दे दिया जाता है। मेरे हिसाब से निगम में यह जो फर्जीवाड़ा किया गया है उसकी तुरंत जांच करवाई जाए जिससे कि आपके सामने मालूम पड़ेगा कि कितना फर्जीवाड़ा हुआ है।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह चाहा है कि इसमें गांव का नाम नहीं है ....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : नाम नहीं, गांव का नाम नहीं है, ग्राम पचायत का नाम नहीं हैं, पंचायत समिति का नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सुनिए।

श्री मदन दिलावर : इसमें गांव का नाम नहीं है, पंचायत समिति का नाम नहीं है, ऐसा माननीय सदस्य ने कहा है। इन्होंने एक हजार से ज्यादा जानकारियां चाही हैं मैं चाहता हूं कि यदि किसी पंचायत समिति के किसी गांव का नाम लेकर कुछ पूछना चाहेंगे और उसके बारे में शिकायत करना चाहेंगे कि अमुक-अमुक गड़बड़ है तो उसकी जांच करवाएंगे और जिसने गड़बड़ की है उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा।

दूसरा, माननीय सदस्य ने कहा है कि हर व्यक्ति को छह हजार का अनुदान दिया गया है, यह ऋण दिया गया है, यह ऋण मान रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : हम ऋण नहीं मान रहे हैं, अनुदान मान रहे हैं। क्या यह प्रावधान है कि सिर्फ छह हजार रुपए ही

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

दिए जाएं? इसके अन्दर छह हजार से ज्यादा का प्रावधान नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर तो सुनिए पूरा।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों के कल्याण में माननीय सदस्य गम्भीर नहीं है वर्षों से डी. आर.डी.ए. की गवर्निंग कौंसिल की मीटिंगों में बैठने के बाद भी। हम छह हजार रुपए तक की सब्सिडी देते हैं, लोन कितना भी कहीं से लिया हो, मैक्सिमम सब्सिडी हमारी छह हजार रुपए की है। अब माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है कि हर में छह हजार रुपए कैसे दे रहे है। चालीस हजार का लोन लेंगे तब भी हम छह हजार देंगे, पचास हजार का लोन लेंगे तब भी छह हजार सब्सिडी देंगे बारह हजार का लोन लेंगे तब भी छह हजार देंगे। हां, यह सच है कि बारह हजार से कम लिया तो पचास प्रतिशत सब्सिडी देंगे। इसलिए माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याणार्थ यदि गम्भीर हैं तो पूरा अध्ययन करके सदन में आएं, मेरा भी ज्ञानवर्द्धन होगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : ज्ञानवर्द्धन तो आपका इतना हो गया कि आपने जो सूची प्रस्तुत की है, उस सूची के अंदर किसी का भी ग्राम पंचायत का नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि इस विषय पर गम्भीरता नहीं है, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि इनके मंत्रिकाल में....

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न मेरा यह है कि जो पूरा धन है वह सभी जिलों में जाना चाहिए आपने 6,70,00,000 रुपए इस निगम के आर.एस.ई.बी. को क्यों दिलाए? सी.ए.जी. की रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि आपने 70 करोड़ से ज्यादा रुपये अपने मंत्रीकाल के दौरान एक दिन से लेकर 300 दिन तक की देरी में दिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, कृपया विराज जाएं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कहते हैं गंभीर नहीं हैं। मंत्री महोदय इस विकास में किसी भी तरीके से गंभीर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह संबंधित नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : इस पैसे का जितना दुरुपयोग हुआ है और हो रहा है आपके ही कार्यकाल में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। श्री भवानी जोशी। (व्यवधान) कृपया विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : इस वर्ग के आदमी होकर इतना अन्याय करते हो।.. (व्यवधान) हेराफेरी करके कुछ नहीं कर पा रहे हो। (व्यवधान)

(14)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : इस बारे में मंत्री महोदय पर जांच होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : एक सवाल और पूछ लो । सुन लीजिए उनका सवाल ।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया, 1997-98 में 194 लोगों को पम्पसैट दिये गये हैं । इसमें गांव वगैरह का नाम नहीं है । आप मेहरबानी करके इनकी जांच करा लो आपके विभाग के अधिकारी से । एक भी व्यक्ति का पम्पसैट कहीं से भी खरीदा गया, अगर मौजूद हो तो आप इसकी जांच करा लो ।

श्री उपाध्यक्ष : विराज जाएं । श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाईमाधोपुर का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, यह आपका सवाल नहीं है ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं जांच कराऊंगा और बड़े दमखम से कह रहे हैं । पिछले तीन वर्ष से मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्रों द्वारा, समाज कल्याण के द्वारा बार-बार सम्पर्क किया कि हमारे शिवगंज में एस. सी. होस्टल के लिए ...

श्री उपाध्यक्ष : यह सवाईमाधोपुर का सवाल है, यहां का नहीं है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : सवाईमाधोपुर का क्या हुआ, एस. सी. के कल्याण का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, गलत ।.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सारे राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है । (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : इनको जवाब देना चाहिए, तीन-तीन साल हो गए । तीन साल हो गए एस. सी. का होस्टल नहीं बना, पैसा कहां गया ? यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरे राजस्थान के अंदर एस. सी., एस. टी. के नाम पर भयंकर घोटाले हो रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाईमाधोपुर का मामला है । माननीय मंत्रीजी मामले को दबाना चाहते हैं ।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष हो गए एस. सी. का होस्टल नहीं बना । बच्चे डर रहे हैं, कभी भी होस्टल गिर सकता है । कितनी बार जांच कराएंगे ? उनको स्वयं को मैं लेकर गई हूं । बच्चों को रोटी नहीं मिलती, जली हुई रोटी मिलती है ।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से सवाल है । माननीय मंत्री महोदय, कृपया विराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : सी. ए. जी. की रिपोर्ट भी है । (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : टोंक में समाज कल्याण में बहुत बुरा हाल है।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोंक जिले के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : बैरवा साहब, आसन पैरों पर है आप विराज जाएं।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्डेला में समाज कल्याण का जो होस्टल है वह अपनी स्वजाति के किसी आदमी विशेष के मकान में चला रखा है। वहां बैठने के लिए एक लड़के की जगह नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : महादेव सिंह जी, बिराजें आप। कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : अपने किसी आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने वहां होस्टल खोल रखा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मूल प्रश्न किया था उसमें पूरे जिले की सूची मांगी थी। माननीय सदस्य को पूरे जिले की सूची उपलब्ध करायी है। इन्होंने न तो उसमें गांववाइज मांगा न पंचायत समितिवार मांगा, इस लिए यह सूची उपलब्ध करायी है। फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं ....(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : वह तो अण्डरस्टूड है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : सूची का क्या अर्थ होता है फिर ?

श्री परसादीलाल मीणा : सूची का मतलब क्या होता है ?

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य चाहते हैं तो ....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुवा) : लेकिन वे परिवार भी तो कहीं न कहीं रहते तो होंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : निगम का पैसा आपने कृषि विभाग को दे दिया।

श्री मोहनलाल मोदी : अगर गांववार व्यक्ति को देते तो पोल खुल जाती।.... (व्यवधान).... सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाता।

श्री मदन दिलावर : ये एस.सी. के कल्याण की बात सुनना नहीं चाहते।

श्री जगदीप धनखड़ : भ्रष्टाचार तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट में है। आपके पूरे काल का लिख रखा है उन्होंने।....(व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1990 में इसका गठन हुआ था। 1990 से ....(व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछें तो सुनें।

(16)

श्री परसादीलाल मीणा : सी.ए.जी. की रिपोर्ट है । अगर आपमें थोड़ी सी नैतिकता है तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट पढ़ कर इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कितना गंभीर मामला है । गरीबों का पैसा 6 करोड़ 70 लाख बिजली विभाग को दे दिया । 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ ।

श्री परसादीलाल मीणा : चतुर्वेदी जी, आपका भी नम्बर है इसमें । यह रिपोर्ट देख लो, अपने विभाग के अधिकारियों को देख लो । (व्यवधान) सी.ए.जी. की रिपोर्ट में सब कुछ है ।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के कल्याण की बात सुनना नहीं चाहते । मैं एक-एक बात का जवाब देना चाहता हूं ।

श्री परसादीलाल मीणा : बहुत कल्याण किया आपने । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक-एक बात का जवाब दूंगा । (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : जो बात हुई उसके लिए आपके पास क्या जवाब है ?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, ये उत्तर सुनना नही चाहते ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था दो ताकि मंत्री जी अपना जवाब दे सकें । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सी.ए.जी. की रिपोर्ट में है । (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : इसमें बड़े घोटाले हुए हैं आप इसकी जांच कराइए ।

श्री मदन दिलावर : वर्ष 1990 तक कांग्रेस ने केवल 70 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और 1990 से (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सदन की समिति बनाइए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष उत्तर के लिए गम्भीर नहीं है । वे उत्तर के लिए भी गम्भीर हों ऐसी व्यवस्था दें ।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की जांच करा लें कि कहां-कहां पम्पिंग सैट लगे । (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, टौंक के अन्दर अशक्त गृह के अंदर भूख से लोगों की मौत हुई, उसकी जांच करा लीजिए । चाहे आप सदन के सदस्य भेज दें । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं अनुसूचित जाति वालों....(व्यवधान).... 800 रुपये महीना उनको भोजन के लिए देते हैं और हजार रुपया स्टेशनरी का देते हैं । हम बी.एड. और एस.टी.सी. ....(व्यवधान) वह भी अनुसूचित जाति निगम के खर्चे पर करवाते हैं । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप दे तो रहे हैं लेकिन उनके पास पहुंच नहीं रहा है।

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) .. हम व्यवस्था कर रहे हैं कि... (व्यवधान)... वह प्रशिक्षण भी अनुसूचित जाति निगम के खर्चे पर हो ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आरोप लगा रहे हैं.... (व्यवधान) ....

श्री हरिसिंह (महुवा) : निगम का पूरा पैसा पहुंच ही नहीं रहा है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : टोंक के अन्दर मौत हो गई, क्या जवाब है आपके पास ? भूख से मर गए, कोई व्यवस्था नहीं थी आपके पास।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार के समय बालकों के छात्रावास में वे भूखे रहते थे और केवल .. (व्यवधान) ... मैं आपकी जानकारी के लिए कहता हूं कि हमने 350 रुपये किया और 350 रुपये से बढ़ाकर इस बार 450 किया।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, एक कमेटी हाउस मेम्बर्स की बनाकर इस मामले की जांच कराइए।

श्री मदन दिलावर : इसमें रिजल्ट की बात कर रहे हैं। यह और कह रहे थे कि अव्यवस्थाएं हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जांच की घोषणा करवा दो। विधायकों की एक समिति बैठा दो और उसकी जांच करवा लो आप। आप अगर ईमानदार हैं तो एक जांच समिति बैठा दो, उसमें विधायकों को रखो आप।

श्री मदन दिलावर :....(व्यवधान).... आज छात्रावासों में पढ़ने वालों का राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों में चयन होने लगा है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय स्वयं जांच कराने को तैयार हैं, आप जांच कराने के आदेश दिलवा दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको कुछ पता है वह लिखकर तो दो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मंत्रीजी, आप जांच कराओ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अगर आप ईमानदार हैं तो जांच करवा लो। आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है ? कराओ जांच ईमानदार हो तो। अगर आप जांच नहीं कराते तो आप + + + हैं। जांच करवा दीजिए। भ्रष्टाचार है इसलिए जांच नहीं करा सकते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जांच करवाइए।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसमें जांच कराओ और इस सदन के द्वारा जांच करवाइए। एक समिति बनवाइये। उसके अन्दर हमको दो पावर समिति के। हम करते हैं जांच इसकी।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मदन दिलावर : यही नहीं, हमने अनुसूचित जाति बहुल गांवों में सामुदायिक केन्द्र बनाना प्रारम्भ किया है, हम चाहते थे अनुसूचित जाति बहुल गांवों का सर्वांगीण विकास। जो कांग्रेस ने पैसा खर्च नहीं किया था दबाने की नीयत से डाल रखा था उसको हमने खर्च करके पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था की। दो साल तक हमने किया....

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप प्रश्न का जवाब दे रहे हैं या भाषण कर रहे हैं ?

श्री मदन दिलावर : लेकिन हुआ क्या ? कांग्रेस की सरकार (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुवा) : कांग्रेस के राज में पढ़ाया-लिखाया, बड़ा किया आपको इसलिए कांग्रेस की जय बोलो। नहीं तो मेरे और + + + दादाजी के आगे टोकरी रहती थी और पीछे झाड़ू रहती थी। यह कांग्रेस की जय बोलो।

श्री मदन दिलावर : भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, श्री अटलबिहारी वाजपेयी साहब के प्रधान मंत्री बनने के बाद अनुसूचित जाति निगम के लिए, अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ पैसा आने लगा है और कल्याणकारी सरकार की प्रशंसा होने लगी है। तो इनका + + + कि आखिर अनुसूचित जाति के लोगों का कल्याण हो रहा है। ये तो अनुसूचित जाति के विरोधी हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है या और कुछ है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह एस. सी./एस. टी. के पैसे का प्रश्न है। (व्यवधान) एस.सी, एस.टी. के लोगों के .... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह तो जांच का विषय है। इनकी खुद की जांच करवानी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भाषण दे रहे हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : जांच कराओ, जांच की घोषणा करो। (व्यवधान) आप तो जांच की घोषणा करो, भाषण मत दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। अगला प्रश्न, श्री भवानी जोशी।

श्री मोहनलाल मोदी : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी जांच करवाने के आदेश कराइये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसकी जांच तो जनलेखा समिति करती ही है। उसमें एम. एल. ए. ही करते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जांच होनी आवश्यक है। मंत्री महोदय ने स्वयं ने कहा है कि जांच करवा लूंगा तो

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

फिर ये पीछे क्यों हट रहे हैं ? जांच करवा दीजिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बताओ कि किससे जांच करवाना चाहते हो ? पहले लिखकर दो कि किससे जांच करवाना चाहते हो, अभी जांच करवाते हैं । (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : तारा भण्डारी जी से जांच करवा लो ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें । माननीय मुख्य सचेतक जी, बिराजें ।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपको मेरी वकालत करने की जरूरत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी । कृपया आपस में बात न करें ।

जिला बांसवाड़ा में दर्ज चोरी के प्रकरण

3. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्ष 1996-97 व 1997-98 में बांसवाड़ा जिले में कुल कितनी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई और उसमें से कितनी चोरियों की बरामदगी हुई तथा कितने प्रकरणों में अन्तिम रिपोर्ट पेश की गई ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : वर्ष 1996-97 में बांसवाड़ा जिले में 210 चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई । इनमें से 137 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट (एफ. आर.) पेश की गई । एक अभियोग जेर तफतीश पेण्डिंग है व 72 अभियोगों में न्यायालय में चालान पेश किया गया । 163 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल चोरी गयी सम्पत्ति 23,77,747 रुपये में से 12,82,177 रुपये की सम्पत्ति बरामद की गयी । परिशिष्ट "क" पर विवरण संलग्न है ।

वर्ष 1997-98 में बांसवाड़ा जिले में 148 चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई । इनमें से 86 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट (एफ.आर.) पेश की गई । 2 अभियोग जेर तफतीश पेंडिंग हैं व 60 अभियोगों में न्यायालय में चालान पेश किया गया । 91 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल चोरी गई सम्पत्ति 20,58,621 रुपये में से 20,02,063 रुपये की सम्पत्ति बरामद की गयी । विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

इस प्रकार वर्ष 1996-97 व वर्ष 1997-98 में कुल 358 चोरी के अभियोग दर्ज हुए जिनमें से 223 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट (एफ.आर.) पेश की गयी । 3 अभियोग जेर तफतीश पेंडिंग हैं व 132 अभियोगों में न्यायालय में चालान पेश किया गया । कुल 254 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कुल चोरी गयी 53,36,368 रुपये की सम्पत्ति में से 32,84,240 रुपये की सम्पत्ति बरामद की गयी । विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री भवानी जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जनजातीय

(श्री भवानी जोशी)

क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पिछले वर्षों में जो चोरियों में बढ़ोतरी हुई है इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कोई अभियान चलाया है कि पूर्ण रूप से उन गिरोह को साफ किया जाए ?

दूसरा निवेदन यह था कि आज तक उस क्षेत्र में जो भी मूर्तियों की चोरी हुई है उनकी पूर्ण रूप से बरामदगी नहीं हुई। क्या कारण है कि आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी चोरी की पूर्ण बरामदगी नहीं हुई ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में जो चोरियां हुई हैं और जो अपराधी पकड़े गये हैं ये ज्यादा मध्यप्रदेश और गुजरात की तरफ से आते हैं। इनमें जितनी एफ.आर. दे रखी हैं ये भी जब कभी गिरोह पकड़े जाएं तो वापस खोल दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस को यह सवाल आने के बाद भी और उसके पहले भी इस बात के निर्देश हैं कि वह पूरी चौकसी रखे, निगरानी रखे। यह जो बांसवाड़ा जिले की सीमा है मध्य प्रदेश से मिलती हुई इस पर विशेष चौकसी रखने के निर्देश दिये गये हैं। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस अपनी क्षमता से पूरी मुस्तैदी से कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुवा।

श्री फतेह सिंह (कुम्भलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले के सदस्य ने जो बात उठायी है कि उस इलाके में अधिक डकैतियां होती हैं, मेरा इस मौके पर यह पूछना है कि मध्यप्रदेश और गुजरात से गिरोह आता है और बांसवाड़ा में आकर मोटे रूप में डकैतियां करता है, इसलिए क्या राज्य सरकार सीमावर्ती इलाके में चौकियों की स्थापना करेगी ? पूर्व में इस तरह की चौकियां स्थापित थीं लेकिन बाद में सरकार ने उन चौकियों को हटा लिया। हटाने के बाद में जो बदमाशान पहले उस इलाके में नहीं आ रहे थे उनको जगह मिल गयी और उन्होंने वहां आना शुरू कर दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि सीमावर्ती इलाके में पहले जो चौकियां थीं वे चौकियां वापस कायम की जाएं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। पुलिस की जो पुनर्गठन की योजना है उस योजना के अन्तर्गत जो सीमावर्ती इलाके हैं, अन्तरराष्ट्रीय सीमा के भी और हमारी प्रांतीय सीमाओं के भी, उन पर विशेष चौकसी रखने की दृष्टि से हम कदम उठा रहे हैं।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधा मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है, माननीय सदस्य।

श्री भीमराज भाटी : यह मूर्ति चोरी के प्रकरण में ही है।

श्री उपाध्यक्ष : कहां का मामला है ? किस जगह का मामला है ? पाली का नहीं है यह।

श्री भीमराज भाटी : मैं पाली की बात नहीं करूंगा, मैं मूर्ति चोरी की ही बात करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह धर्म प्रेमी सरकार है, राजस्थान के सिर्फ बांसवाड़ा में ही नहीं, और जिलों में मंदिरों में जो मूर्तियों की चोरी के प्रकरण हो रहे हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है, माननीय गृह मंत्रीजी, कि कोई अन्तरराष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा हो ? उस अन्तरराष्ट्रीय गिरोह की छानबीन करने के लिए क्यों नहीं यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट में एक स्पेशल सैल का गठन कर दें जो मूर्ति चोरी के प्रकरणों की जांच गहनता से कर सके ? एंटिक वैल्यू होती है, हजार–हजार साल पुरानी मूर्तियां होती हैं। तो क्या गृह मंत्रीजी ऐसा विचार रखते हैं कि एक स्पेशल सैल बना दें ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुवा। कृपया विराजें, उन्होंने ध्यान से सुन लिया। कारगर कदम उठाएंगे, विराजें।

प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य की जांच प्रकरण

4. श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार की प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच/चिकित्सा की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस योजना पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जा रही है ? गत पांच वर्षों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना का क्रियान्वयन सरकार कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करवाती है ? यदि हां, तो वर्ष 1993-94 से 1997–98 तक किस-किस स्वयंसेवी संस्था को कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गयी। सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी हां, प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण की योजना है। गत 5 वर्षों में केवल 1996–97 सत्र में 22 जुलाई से 27 जुलाई तक प्राथमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण का विशेष अभियान चलाया गया जिसके लिए भारत सरकार द्वारा रुपये 2,20,24,900/= की राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से राशि रुपये 59,44,569/= का व्यय हुआ है। शेष राशि व्यय करने हेतु भारत सरकार को स्वीकृति हेतु पत्र लिखा गया है।

(2) जी नहीं। योजना का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से नहीं कराया गया है अतः स्वयंसेवी संस्थाओं को गत 5 वर्षों में कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि वर्ष 1996–97 में केन्द्र सरकार से रुपये 2,20,24,900 रुपये की राशि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आपको

(श्री हरिसिंह)

उपलब्ध हुई और आपने उसमें से खर्च किये मात्र रुपये 59,44,569/–, यह जो आपका बजट अनुपयोजित रहा इसके लिए आपने किसी अधिकारी/कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी फिक्स की है ? अगर की है तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

नम्बर दो, क्या आपने पाँच दिन के लिए 22 जुलाई से 27 जुलाई तक स्वास्थ्य परीक्षण चलाया ? ऐसा क्यों ? 27 जुलाई के बाद में जिन बच्चों ने प्रवेश लिया उनके स्वास्थ्य परीक्षण की आपके द्वारा क्या कोई व्यवस्था की गयी जबकि आपके पास बजट था ? पाँच दिन में जो आपने यह स्वास्थ्य परीक्षण करवाया वह किस एजेन्सी के माध्यम से करवाया ? कौनसी एजेन्सी थी जिसने यह स्वास्थ्य परीक्षण किया ? आपके नतीजों में आपने क्या पैरामीटर्स इसके स्थापित किये कि एक स्वस्थ बच्चे के पैरामीटर्स ये हैं और अस्वस्थ बच्चे के पैरामीटर्स ये हैं ? उन पैरामीटर्स के मुताबिक कितने बच्चे राजस्थान में अस्वस्थ पाये गये ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्वास्थ्य अभियान चलाया गया था, यह पूरे देश में एक साथ चलाया गया था। इस स्वास्थ्य अभियान के तहत एक निर्देशिका सारे राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गई थी, उसमें कुछ मापदण्ड तय हैं। प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में जिनमें खून की कमी है या जिनके विटामिन "ए" की कमी है या जिनके रतौंधी का रोग है या जिनके खुजली है, चर्म रोग है, या जिसके कान बह रहा है, आंख कमजोर है, इस तरह से यह एक मापदण्ड बना था। एक तालिका बनी थी जिसके तहत हमें स्वास्थ्य परीक्षण करवाना था। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस दौरान 96,98,076 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और उसमें से 11,47,920 विद्यार्थियों में किसी के खून की कमी निकली, कइयों के उस वक्त मौसमी बुखार या बुखार भी निकला। उपाध्यक्ष महोदय, सारे विद्यार्थियों के हमने रैफरल कार्ड बनाये। उस कार्ड के दो हिस्से थे, एक हिस्सा हमने विद्यार्थी को दिया और उसका एक हिस्सा हमने स्वास्थ्य विभाग को भेजा। उन सारे विद्यार्थियों को हमने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नजदीक में थे, एक माह का समय देकर वहां उनका इलाज कराने की व्यवस्था की।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि राशि का उपयोग पूरा नहीं किया गया। एक निश्चित मोड्युल बनाकर इस राशि को भेजा गया था। उसके साथ ही भारत सरकार ने एक पत्र 8-7-96 को लिख दिया कि जितनी राशि का उपयोग हुआ, उस राशि के अलावा शेष राशि का उपयोग आप दुबारा किसी परीक्षण या स्वास्थ्य परीक्षण में नहीं करेंगे। इसके पश्चात् भी, उपाध्यक्ष महोदय, यूं लगा कि यह कार्यक्रम चूंकि भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो और यह एक पहले परम्परा चली आ रही थी कि बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण होता था परन्तु बीच में बन्द हो गई, मेरी तरफ से भी और

(श्री राजेन्द्र राठौड)

हमारे विभाग की तरफ से भी लगातार चिट्ठी लिखी जा रही है कि जो पैसा अनस्पेंट पड़ा है, इस पैसे से हमें दुबारा अभियान चलाने की अनुमति दें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् भी विभाग ने तय किया है कि आगामी 16 अगस्त से लेकर हम एक 15 दिन का अभियान चलायेंगे। प्रयास तो यह करेंगे कि इस पूरे अभियान के अन्दर भारत सरकार की जो राशि हमारे पास अनुपयोगी पड़ी है, उस राशि को वे हमें दे दे, अगर वह राशि नहीं भी देंगे तो भी राज्य सरकार यह मंशा रखती है कि राज्य सरकार एक तरह से अभियान चलाकर बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा कि कौनसी नोडल एजेंसी थी, तो शिक्षा विभाग इन दोनों ने मिलकर इस अभियान को चलाया था, स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें बिलकुल भी नहीं थी। इसमें जितनी भी राशि खर्च हुई, बाकायदा उसका आडिट हुआ है। आडिट होने के बाद में किस जिले में कितनी राशि किस गतिविधि में दी गई थी, उस राशि का उपयोग क्या-क्या हुआ, इन सारी चीजों की व्यवस्था की गई है इसलिए इसमें जांच का कोई विषय बनता नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त है, माननीय सदस्य। कितना सुन्दर उत्तर आया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सिर्फ एक प्रश्न, एक बहुत बड़ा मसला है। स्वास्थ्य परीक्षण में 11 लाख से अधिक बच्चे अस्वस्थ्य पाये गये, क्या उनके स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार चिंतित है? बाद में उनका पुनः परीक्षण करवाकर कितने बच्चे पुनः स्वस्थ्य होने की आपके पास रिपोर्ट आई है?

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया नाकि दुबारा अभियान चला रहे हैं। दुबारा अभियान चला रहे हैं, कह दिया ना इन्होंने।

श्री शांतीकुमार धारीवाल।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

5. श्री शांतीकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति माह वर्तमान में कितनी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारम्भिक स्तर पर अव्यावहारिक एवं गरीबों के प्रतिकूल सिद्ध हो रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसे व्यावहारिक बनाने जाने की दृष्टि से सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाये गये तथा अब आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप) : (1) राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रति परिवार प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सामान्य व चयनित क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह क्रमशः 10 व 15 किलोग्राम खाद्यान्न सामान्य दर पर भी उक्त परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सुनें। अब कुछ नहीं रखा है, वह तो गया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको दो बार बोली थी उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय । मेरा सवाल बहुत आवश्यक है। मेरा बहुत जरूरी सवाल है, पूछे बिना काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजिये। अब सवाल ही पैदा नहीं होता अब प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उससे सम्बन्धित सवाल ही पूछ रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न नहीं होगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : क्योंकि मंत्री महोदय ने....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अनुमति नहीं दे पाऊंगा, आप विराज जाएं कृपया। कृपया विराज जाइये। गलत परम्पराएं नहीं डाले,

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत सुन्दर प्रश्न कर रही हैं, बहुत सुन्दर प्रश्न है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे इस मामले में बाद में अवसर दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी।

डा. रामप्रताप : (2) जी हां। योजना को गरीबों के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए रियायती दर पर उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा कम होने के कारण चयनित परिवारों की रुचि उक्त योजना के प्रति नहीं हो पाई है। राज्य सरकार ने मात्रा 40 से 50 किलोग्राम प्रति माह प्रति चयनित परिवार करने हेतु भारत सरकार को लिखा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : केवल स्पेसिफिक ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्पेसिफिक, कोई भाषण नहीं। (व्यवधान) फेयर प्राइस शाप होलर्स जिस वक्त डी. एस.ओ. से पर्ची कटवाकर वेयरहाउस में जाता है माल लेने के लिए, खाद्य सामग्री लेने के लिए, उसको तोलकर माल नहीं

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

दिया जाता है। वह जिद करता है इस बात की कि तोलकर माल दीजिये तो उसको 15-20 दिन बाद में बुलाया जाता है कि अभी फुर्सत नहीं है और तुलाई नहीं होगी। नतीजा यह होता है कि माल कम मिलता है, एक क्विंटल की बजाय 90 किलो या 95 किलोग्राम ही मिलता है, तो भ्रष्टाचार तो यहां से शुरू होता है। फेयर प्राइस शाप डीलर करेगा क्या अगर कम माल लेगा तो ? इस बाबत सरकार क्या कर रही है ?

नम्बर दो क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए बारिश में माल भीग जाता है। भीगी हुई चीनी उठानी पड़ती है, भीगा हुआ गेहूं उठाना पड़ता है उसे तो। क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए आपने आज तक क्या क्या किया ?

नम्बर तीन, ये जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया के इंस्ट्रक्शन्स है कि परिवार में यदि 10 आदमी हों तो भी 10 किलो-ग्राम और परिवार में 5 आदमी हों तो भी 10 किलोग्राम, तो क्या राजस्थान सरकार ने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को रिप्रजेन्टेशन दिया है कि प्रति व्यक्ति कितना गेहू दिया जाएगा या कितनी खाद्य सामग्री दी जाएगी ? अगर इस तरीके से दिया है तो क्या दिया है और नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया ?

और आखिर में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि 1992 की चयनित लिस्ट के अनुसार आज हम काम कर रहे हैं कि और दूसरी चयनित लिस्ट करीब-करीब तैयार है, तो कब से आप उस चयनित लिस्ट से काम करना शुरू करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने माल कम तोलने की बात कही, निश्चित रूप से एफ.सी.आई के जो क्रिया-कलाप हैं उससे हम हमेशा दुःखी रहते हैं और बराबर केन्द्र सरकार को हम लिखते भी हैं इसके बारे में चाहे माल कम तोलने की बात हो चाहे क्वालिटी की बात हो। हर समय जहां भी हमें मौका मिलता है, केन्द्रीय सरकार की मीटिंग हो या पत्र के माध्यम से बराबर हम सम्पर्क में रहते हैं। इसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए और दूसरी खामियों को दूर करने के लिए दुबारा, फिर पत्र लिखूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

तीसरा, 10 किलोग्राम प्रति परिवार के लिए कहा गया, यह शायद हमने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। एक गरीब आदमी के परिवार में चाहे 10 सदस्य हों चाहे 12 सदस्य हों, उसको 10 किलोग्राम गेहूं मिलेगा और वह भी 3.15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कुल 31-32 रुपये में मिलेगा। सारे दिन की दिहाड़ी जाएगी उसकी। मेरे ख्याल से अनस्किल्ड लेबर भी आज 60-70 रुपये से कम नहीं मिलती है। इसी वजह से जो

(डा. रामप्रताप)

बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं उनका इसके प्रति रूझान कतई नहीं रहा और हमारे लिए यह एक बिलकुल ही मजाक का विषय बन गया। इसलिए पिछली दफा जब तत्कालीन प्रधान मंत्रीजी ने पूरे हिन्दुस्तान के मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबसे जोरदार शब्दों में इस बात के लिए कहा था कि यह जो 10 किलोग्राम देते हो इससे तो अच्छा है, इसको बन्द ही कर दिया जाए। हमने उसमें बार-बार लिखा भी है। जितने भी हमारे मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं उन महानुभावों को मैंने व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखे कि पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया जाए। इसके साथ ही साथ हमने हमारे स्तर पर भी एक व्यवस्था की है। 10 किलोग्राम एक महीने में न तो कोई डीलर लेकर जाता है और न ही उसका ट्रक लोड पूरा होता है तो वह अनइकोनोमिकल है, वे भी नहीं उठाते हैं तो हमने व्यवस्था यह की है कि दो महीने का एक साथ उठा ले जिससे कम से कम 20 किलोग्राम तो हो। दूसरी व्यवस्था यह की है कि एबव पावर्टी लाइन का जो गेहूं है वह उपलब्धता के हिसाब से प्रति यूनिट, प्रति राशनकार्ड नहीं कह रहा हूं, प्रति यूनिट 10 से 15 किलोग्राम एबव पावर्टी लाइन वाले चयनित परिवार को दिया जाएगा।

एक आपने चयनित परिवार की सूची 1992 के बारे में कहा है, निश्चित रूप से उसको अपग्रेड करने की कार्यवाही चल रही है और जल्दी ही शायद वह पूरी हो जाएगी और उसको हम लागू करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा।

(12.00 बजे)

प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को सहायता

6. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) एवं श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राकृतिक आपदा, आगजनी आदि से व्यक्तिगत नुकसान होने पर सरकार सहायता देती है? यदि हां, तो किस आपदा में कितनी-कितनी सहायता दी जाती है? मानदण्ड की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निर्वाचन क्षेत्र थानागाजी (अलवर) में हृदय विदारक आग लगने की घटनाएं हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनमें उचित साहयता देगी?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरणों में न्यायसंगत नीति अपनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सहायता (श्री सांवरलाल जाट) : (1) जी हां। सहायता मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। मानदण्डों के अनुरूप

(श्री सांवरलाल जाट)

प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता स्वीकृत कर दी है।

(3) जी हां। नियमानुसार सहायता उपलब्ध करवा दी गयी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं बहुत संक्षेप में ही पूछ रहा हूं। प्रश्न संख्या जो तीन है उसमें मैंने आगजनी के मामले में यह पूछा था कि क्या सरकार उक्त प्रकरणों में न्यायसंगत नीति अपनाने का विचार रखती है। आपने जवाब दिया है कि नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूछ कुछ रहे हैं, जवाब कुछ दे रहे हैं। मैंने कहा कि क्या यह न्यायसंगत है कि आप सिर्फ 625 रुपये दे देते हैं आगजनी के लिए, जबकि छप्पर बांधने के अन्दर पांच हजार रुपये खर्चा होता है और एक आदमी के तीन–तीन, चार–चार छप्पर जल जाते हैं, बीस हजार रुपये का खर्चा होता है। आप उसको एक हजार रुपये तो उसमें और 625 रुपये सामान जलने में दे देते हो, क्या यह न्यायसंगत है?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सहायता उपलब्ध करवाई जाती है प्राकृतिक आपदा कोष से उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार इसके मानदण्ड बनाकर हमारे पास भेजती है, उसमें बहुत कम परिवर्तन हम कर सकते हैं। जितना अधिकार हमारे को है, 20 परसेंट परिवर्तन करने का घटाने या बढ़ाने का, तो हम हमेशा बढ़ा कर ही यह सहायता उपलब्ध करवाते हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : अधिकार ही तो आपने जो दिये हुए हैं वह 625 रुपये दिये हुए है, 625 में क्या होता है आज जो आप देना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट--3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ज्ञानगढ़-कटार (भीलवाड़ा) सड़क निर्माण

1. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले में ज्ञानगढ़ से कटार सड़क स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो यह सड़क कब स्वीकृत हुई और इस पर कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क का कार्य अधूरा है? यदि हां, तो कितना और कब से?

(3) क्या उक्त अधूरी सड़क को पूरा

(श्री कालूलाल गूजर)

करने हेतु जन प्रतिनिधियों ने व सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खनिज विभाग को शेष अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार इस अपूर्ण सड़क को पूर्ण करने हेतु स्वीकृति जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ज्ञानगढ़ से कटार सड़क सरकार द्वारा दिनांक 18-5-91 को स्वीकृत की गई थी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र दि. 26-9-95 के अनुसार इस सड़क पर मार्च 95 तक रु. 36,43,213/–व्यय हुए हैं।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क को पूर्ण बताया गया है सड़क की कुल लम्बाई 10.4 कि.मी. में से 6 कि.मी. सड़क पर डामरीकरण किया जा चुका है, एवं 4.4 कि.मी. सड़क पर डामरीकरण का कार्य शेष है। इस प्रकार सड़क का कार्य तो पूर्ण है किन्तु डामरीकरण का का कार्य 4.4 किमी. अधूरा है।

(3) यह सही है कि खनि. अभियन्ता, भीलवाड़ा एवं जन प्रतिनिधियों ने क्रमशः पत्र दिनांक 14-9-95 एवं 6-9-95 द्वारा इस सड़क पर कार्य पूर्ण कराने हेतु प्रस्ताव भेजे थे, और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस अधुरी सड़क के लिए रु. 30.09 लाख के प्रस्ताव अधिशाषी अभियन्ता, भीलवाड़ा ने अपने पत्र दि. 9-8-95 द्वारा 4.4 कि मी. सड़क के डामरीकरण हेतु प्रस्ताव भेजे। तथा इन प्रस्ताव पर ख. अ. भीलवाड़ा से टिप्पणी चाही गई। ख. अ. भीलवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 22–3–97 द्वारा यह सूचित किया कि इस क्षेत्र में ग्रेनाईट के कुछ खननपट्टों में ही कार्य हो रहा है अतः लाभान्वित होने वाले खनन पट्टेधारियों की संख्या बहुत ही कम है।

(4) इस सड़क के निर्माण से लाभान्वित होने वाले खनन पटटेधारियों एवं गुजरने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि होने व राजस्व आय में वृद्धि होने पर इस सड़क का कार्य पूर्ण करवाया जाना संभव हो सकेगा।

भीलवाड़ा जिले में खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण

2. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में खनिज सम्पदा की खोज, अन्वेषण सर्वे आदि हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में कहां-कहां और क्या-क्या सम्पदा चिन्हित की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रामपुरा आंगुचा जिला भीलवाड़ा में खनन कार्य के विस्तार हेतु एक जिंक स्मेल्टर अतिरिक्त

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लगाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां-कहां और किन स्थानों पर ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार भीलवाड़ा जिले में विपुल खनिज सम्पदा के आधार पर स्मेल्टर सहित अन्य प्रतिष्ठान/खनिज उद्योग लगाने में पहल कर रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा जिले में खनिज बेसमेटल हेतु आगुचा क्षेत्र में, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन हेतु माण्डलगढ़ क्षेत्र में, खनिज मारबल के लिए मुखरास, कांटी–घाटा क्षेत्रों में तथा खनिज ग्रेनाइट हेतु रामपुरिया, कोड़ीमाल, चारनों का बाड़िया, फाकोलिया क्षेत्रों में विभाग द्वारा पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण किया गया है। वर्तमान में गुरला क्षेत्र में बेसमेटल के लिए तथा जीपिया, धुलियाखेड़ा व गोपालपुरा क्षेत्रों में बेराइटीज हेतु सर्वेक्षण व पूर्वेक्षण कार्य जारी है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भी पुर-बनेड़ा क्षेत्र में बेसमेटल की खोज हेतु कार्य किया गया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भी बेसमेटल की खोज का कार्य हवाई सर्वेक्षण से जिले के कुछ क्षेत्रों में किया जा रहा है।

(2) जी हां। मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा रामपुरा-आगूचा क्षेत्र में खनन कार्य का विस्तार प्रस्तावित है एवं खनन कार्य के विस्तार के साथ ही एक नया जिंक स्मेल्टर भी लगाया जाना प्रस्तावित है। इस जिंक स्मेल्टर की स्थापना हेतु तकनीकी/आर्थिक अध्ययन हिन्दुस्तान जिंक द्वारा किया जा रहा है एवं इसी के आधार पर जिंक स्मेल्टर की स्थापना की जा सकेगी।

(3) यह सही है कि राज्य सरकार भीलवाड़ा जिले में उपलब्ध खनिज सम्पदा की खोज के कार्य में लगी हुई है राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा भी विभिन्न उद्यमियों को खनिज आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रेनाइट आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। क्षेत्र में धात्विक खनिज खोज का कार्य जारी है जिसके आधार पर आशा है कि राजस्थान में परिद्रवण संयंत्र (स्मेल्टर प्लांट) लग सकेंगे। लेड जिंक आधारित उद्योग (स्मेल्टर प्लांट) स्थापित करने हेतु स्थान का चयन करने के लिए सर्वश्री हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा भीलवाड़ा, चित्तौड़ व उदयपुर जिलों में सर्वे कार्य करवाया जा रहा है।

प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे

3. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पाँच वर्षों में प्रदेश में कहां-कहां साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिनमें कितने व्यक्तियों की हत्या हुई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त साम्प्रदायिक दंगों के दौरान कितने व्यक्ति घायल हुए ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(30)

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(3) उक्त दंगों में किन–किन दंगा पीड़ितों को सरकार द्वारा कितनी-कितनी सहायता राशि कब प्रदान की गई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1993 से जून 98 तक राज्य में चार साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं । जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	वर्ष/दिनांक	स्थान व जिला	मृतक	घायल
1.	20–12–96	कस्बा पकलेरा जि. झालावाड़	1	2
2.	8–11–97	कस्बा बकानी जि- झालावाड़	—	1
3.	17–2–98	अजमेर शहर	—	36
4.	4–4–98	नोगांवा जि. चित्तोड़गढ़	3	11

(2) कुल 50 व्यक्ति घायल हुए । जिलेवार विवरण बिन्दु सं. 1 के उत्तर में अंकित है ।

(3) जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जिला नागौर के पुलिस थाने

5. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले में कौन–कौन से थानों में जीप व टेलीफोन व्यवस्था है ?

(2) ऐसे कौन–कौन से थाने हैं जिनमें जीप व टेलीफोन दोनों की व्यवस्था नहीं है और उनको अब कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

(3) क्या ऐसे थाने भी हैं जिनमें दोनों में से एक भी सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो कौन–कौन से और क्यों ?

(4) उक्त जिले में ऐसे कौन-कौन से थाने हैं, जिनमें इंचार्ज का पद इन्सपेक्टर का है ? चालू वर्ष में कौन–कौन से थानों में इन्सपेक्टर का पद सृजित किया जायेगा ?

(5) उक्त जिले में कुल पुलिस फोर्स कितनी है ? आबादी व क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य के अन्य जिलों के पुलिस फोर्स के तुलनात्मक चार्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या आबादी व क्षेत्रफल के हिसाब से जिले में तैनात पुलिस फोर्स पर्याप्त है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं तो उसमें पद वृद्धि के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(7) पुलिस कल्याण कोष से जिले में किस–किस कार्य के लिये कितनी–कितनी राशि खर्च की जा रही है ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के समस्त थानों में जीप की व्यवस्था है । थाना मावण्डा के लिए नकारा वाहन जो स्टेट गैरेज में जमा है का रिप्लेसमेन्ट होना है । थाना पांचोड़ी सुरपालिया, चितावा, मावण्डा, पिलवा-5 थानों को छोड़कर समस्त थानों में टेलीफोन की व्यवस्था है ।

(2) पुलिस थाना मावण्डा में नाकारा कर दिए जाने के कारण जीप नहीं हैं तथा टेलीफोन विभाग में डिमाण्ड नोट से टेलीफोन के लिए राशि जमा करा दी गई है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जिला नागौर में पुलिस थाना नागौर, मेड़ता सिटी, परबतसर, मकराना व डीडवाना में इंचार्ज का पद इन्सपेक्टर का है । चालू वर्ष में किसी थाने में निरीक्षक पद सृजित करना विचाराधीन नहीं है ।

(5) नागौर जिले में कुल पुलिस फोर्स 1432 है । तुलनात्मक चार्ट परिशिष्ट 'अ' संलग्न है ।

(6) आबादी, क्षेत्रफल, भौतिक स्थिति तथा अपराध संख्या के अनुसार नागौर में पुलिस बल पर्याप्त है और उसमें वृद्धि के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(गृह मंत्री)

पुलिस बल निर्धारण हेतु आबादी, क्षेत्रफल भौतिक स्थिति तथा अपराध संख्या को आधार बनाया जाता है।

(7) जिला नागौर से चालू वित्तीय वर्ष 1998–99 में पुलिस कल्याण कोष से राशि स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(चार्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

प्रश्न संख्या–6

(स्थगित)

चिकली (सागवाड़ा) थाने में दर्ज प्रकरण

7. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निर्वाचन क्षेत्र सागवाड़ा के चिकली थानान्तर्गत वर्तमान थानाध्यक्ष के कार्यभार सम्भालने के पश्चात् हत्या, चोरी एवं नकबजनी के कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई हत्याओं के हत्यारों, चोरों एवं डकैतियों का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र सागवाड़ा में चिकली नाम का कोई थाना नहीं है थाना चितरी है जिसमें दिनांक 26-3-98 से श्री लाल सिंह भाटी थाना अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। इनके पदस्थापन काल में 4 अभियोग हत्या के एवं 1 अभियोग चोरी का दर्ज हुआ है। हत्या के चारों अभियोग अनुसंधानाधीन हैं एवं चोरी के अभियोग में बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकुआ में दिया जा चुका है। अभियोगवार विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) थाना चितरी में दिनांक 1-1-97 से 20–6–98 तक 6 अभियोग हत्या के व 9 अभियोग चोरी के 4 अभियोग नकबजनी के दर्ज हुए हैं। जिनमें से हत्या के 2 अभियोगों में चालान शेष 4 अनुसंधानाधीन चोरी के 9 अभियोगों में से 7 में चालान और 2 अभियोगों में अंतिम प्रतिवेदन दिया गया। नकबजनी के 4 अभियोगो में से 2 में चालान एव 2 में अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिमान में दिया गया। अभियोगवार विवरण परिशिष्ट 'अ' एव 'ब' में संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर शहर में आपराधिक प्रकरणों से वृद्धि

8. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) गत दो वर्षों में उदयपुर शहर में कुल कितनी हत्याएं, अपहरण और लूट की घटनाए हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में उदयपुर में पुलिस द्वारा चोरी, हत्या, अपहरण और बलात्कार के कितने चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये और अदालत द्वारा कितने मामलों में मुल्जिमों को सबूत के अभाव में छोड़ा गया ?

(3) गत एक वर्ष में पुलिस ने कितने मामलों में मुल्जिमों को अदालत में प्रस्तुत किया और अदालत ने कितने व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(4) हिरण मगरी सेक्टर 3,4,5,6 क्षेत्र में गत एक वर्ष में तलवारबाजी, चाकूबाजी, लूट, अपहरण, गुण्डागर्दी आदि की घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण रहे और पुलिस ने इसे रोकने के क्या प्रयत्न किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उदयपुर में गत तीन वर्षों में अपराधों की वृद्धि के क्या कारण हैं और इसे रोकने हेतु क्या कोई कार्य योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में दिनांक 1-1-96 से 31-5-98 तक कुल 38 हत्यायें, 124 अपहरण व 98 लूट की घटनायें घटित हुई हैं।

(2) उक्त अवधि में उदयपुर में चोरी के 165, हत्या के 26, अपहरण के 28 व बलात्कार के 14 चालान न्यायालय में पेश किये गये। चोरी के 107, अपहरण के 52, बलात्कार के 23 व हत्या के 32 मामलों में मुल्जिमों को सबूत के अभाव में छोड़ा गया।

(3) गत एक वर्ष मे पुलिस द्वारा 3088 मामलों में अभियुक्तों को अदालत में पेश किया व अदालत ने 2679 अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ा।

(4) गत वर्ष में इन अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है।

(5) अपराधों में वृद्धि के कारण वर्तमान में सिनेमा, दूरदर्शन व मनोरंजन के साधनों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा हिंसात्मक प्रदर्शन है जिसकी वजह से युवा पीढी में आपराधिक वातावरण पनपा है।

(6) जिला उदयपुर में वर्ष 1996, 1997 व 1998 में अपराधों की रोकथाम हेतु निम्न कार्ययोजना अमल में लाई गई है :–

1. हिस्ट्रीशीटर्स- वर्ष 1996, 1997 व 1998 में क्रमश: 16, 11 व 3 कुल 30 व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोल कर उन पर निगरानी रखी जा रही है।

2. विगत तीन वर्षों में रासुका के

(34)

(गृह मंत्री)

तहत कुल 4 संगीन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

3. इस अवधि में जिले में कुल 9 व्यक्तियों का गुण्डा एक्ट के तहत चालान किया जा कर गुण्डों के निष्कासन की कार्यवाही की गई है।

4. जिले में वाहन चोरी के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की गई है जिसके तहत वाहन चोरी गैंग के मुखिया शंकर लाल व खेमराज डांगी को पकड़कर उनसे 18 दुपहिया वाहन बरामद किये गये हैं।

5. फिरोती के लिए अपहरण करने वाले गिरोह के सदस्यों को गत वर्ष दिनांक 23-11-97 को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की गई जिससे दुबारा ऐसी घटना नहीं हुई हैं।

नशीले पदार्थों के तहत वर्ष 1996, 1997 व 1998 में कुल 6 मुकदमें दर्ज कर प्रभावी कार्यवाही की गई, जिससे नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगी है।

जिला उदयपुर में मार्बल खानियों में सीमेन्ट की हो रही लूट व चोरी पर रोक हेतु दिनांक 9-7-97 को मुलजिम हीरालाल, वरदी चन्द, जयसिंह, डालचन्द वगैराह को गिरफ्तार कर उनसे 4,00,000/- रुपये मूल्य के सीमेन्ट बरामद कर प्रभावी कार्यवाही की गई जिससे दुबारा ऐसा अपराध घटित नहीं हुआ।

अश्लील साहित्य व ब्लू प्रिन्ट कैसिट्स पर भी रोक लगा कर सैक्स संबंधी हिंसात्मक अपराधों पर रोक लगाई है।

जिले में राह चलती महिलाओं की चैन खींचने व लूटने की हो रही वारदातों पर रोक थाम हेतु पुलिस ने ऐसी गैंग के अपराधी हाजी मोहम्मद व दिनेश को गिरफ्तार कर उनसे 10 वारदातें खुलवाई व प्रभावी कार्यवाही की जिससे दुबारा ऐसी घटनाओं में कमी आई है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर का विसरा जांच प्रकरण

9 श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर की मृत्यु फांसी लगाने से हुई है या हत्या की गई थी? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं दर्ज हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान जो विसरा लिया गया, उसे रासायनिक परीक्षण हेतु नहीं भेजने के क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार उक्त विसरा का

(श्री रामस्वरूप मीणा)

परीक्षण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार को उक्त प्रकरण की जांच के लिए कोई प्रावेदन–पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच अब तक क्यों नहीं कराई गई ?

(5) उक्त प्रकरण की जांच किस अधिकारी के द्वारा की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर द्वारा की गई आत्महत्या के संबंध में पंजीबद्ध मर्ग सं. 6/98 धारा 174 जा. फो. थाना कोतवाली डूंगरपुर में अब तक की जांच से मामला आत्महत्या का ही पाया गया है तथापि अभी कुछ बिन्दुओं पर जांच शेष है जिसके पूर्ण होने के उपरान्त ही अन्तिम निष्कर्ष ज्ञात हो पायेगा। इस प्रकरण में नाथूलाल वर्मा द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर की न्यायालय में पेश इस्तगासे पर माननीय न्यायालय के आदेश धारा 156 (3) जा.फो के अन्तर्गत अभियोग सं. 131/98 धारा 302, 201, 120, 466, 218, 109 भादसं के अन्तर्गत थाना कोतवाली डूंगरपुर पर दिनांक 3-6-98 को पजीबद्ध किया गया है जिसका अनुसंधान राज्य अपराध शाखा के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

(2) मृतक का पोस्टमार्टम के वक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा लिये गये विसराज को रासायनिक परीक्षण हेतु दिनांक 30-4-98 को पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर द्वारा क्षेत्रीय पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर को भिजवाये गये हैं। विसराज की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को दिनांक 16-5-98 को पुनः अ. शा. पत्र जारी किया गया है।

(3) जी हां। विसराज का रासायनिक परीक्षण करवाया जा रहा है तथा परीक्षण रिपोर्ट शीघ्र भिजवाये जाने हेतु निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को पुनः लिखा जा रहा है।

(4) जी हां, प्रकरण की जांच हेतु अनुसंधान जारी है।

(5) इस प्रकरण की जांच अति. पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (सी.बी.) रेंज सेल उदयपुर द्वारा की जा रही है।

थाना श्रीमाधोपुर (सीकर) में दर्ज हत्या प्रकरण

10. श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) व श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मुकेश कुमार पुत्र श्री मुरलीधर शर्मा, निवासी कंचनपुर पुलिस थाना श्रीमाधोपुर (जिला सीकर) की हत्या की गई है ? यदि हां, तो कब ? प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा एम.एल. सी. रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(36)

(श्री जितेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा जाँच चल रही है ? यदि हां, तो अब तक की गई जांच एवं काटी गई डायरी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में अब तक पुलिस को हत्यारों की जानकारी प्राप्त हुई है ?

(4) उक्त हत्या प्रकरण का जाँच अधिकारी कौन है ? उसके द्वारा कब-कब क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) श्री मुकेश कुमार की लाश दि. 3-6-98 को श्री माधोपुर रींगस रेल्वे लाईन पर 140/4-5 कि.मी. रेल्वे लाईन की रेक के बीच क्षत विक्षत विकृत अवस्था में मिली इस पर मर्ग सं. 4/98 अन्तर्गत धारा 174 जा फो. एफ. आई. आर. कायम की गई तत्पश्चात श्री जगदीश प्रसाद पुत्र शिवप्रसाद जाति ब्रहमण उम्र 54 वर्ष ने लाश को देखकर मृतक को अपने भाई मुरलीधर के लड़के मुकेश की होने की शिनाख्तगी की तथा श्री सांवरमल पुत्र मुरलीधर शर्मा ने अपने छोटे भाई मुकेश की हत्या के बारे में शक किया गया कि उसकी हत्या हुई है। इस पर पुलिस थाना श्री माधोपुर में अभियोग संख्या 172/98 अन्तर्गत धारा 302, 201 भादस. दिनांक 3-6-98 को 4.05 पी.एम. पर पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। मर्ग संख्या 4/98 174 जा.फो. परिशिष्ट "क" तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोग सं. 172/98 धारा 302, 201 भा.दं सं. थाना श्री माधोपुर परिशिष्ट "ख" एवं एम.एल.सी. रिपोर्ट परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अब तक के अनुसंधान से यह जाहिर हुआ कि श्री परमानन्द सोनी निवासी श्री माधोपुर की दुकान पर मृतक श्री मुकेश पिछले चार वर्षों से काम कर रहा था तथा सदैव की भांति दिनांक 2-6-98 को 12 दोपहर पर परमानन्द सोनी की दुकान से 12 कि ग्रा. चान्दी रिफाइन्ड करवाने के लिए श्री चिरंजीलाल सोनी निवासी सीकर की दुकान पर आया। तथा सीकर में श्री चिरंजीलाल के लड़के से चान्दी शुद्ध करवाकर वजनी 10 कि.ग्रा. 331 ग्राम का हिसाब करवाकर वाउचर कटवाकर चान्दी लेकर मुकेश सीकर से करीब 4.15 पी.एम. पर श्री माधोपुर के लिए रवाना हुआ मगर वह श्री माधोपुर नहीं पहुंचा तथा उसकी लाश 145/4-5 किलोमीटर रींगस श्रीमाधोपुर लाईन की रेल में मृतक श्री मुकेश की लाश क्षत विक्षत हालत में मिली। इस पर इस अभियोग में धारा 392 भादस और जोड़ दी गई और गहन अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के दौरान काटी गई डायरियां सदन के पटल पर रखा जाना लोक हित में नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीकर के नेतृत्व में सी.ओ.रींगस, थानाधिकारी रींगस, थानाधिकारी लक्ष्मणगढ़ व एस.एच.

(गृह मंत्री)

पो. श्री माधोपुर का जाँच दल जाँच अधिकारी है।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चौमूं (जयपुर) पुलिस गोलीकांड के प्रभावितों को सहायता

11. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील चौमू जिला जयपुर स्थित राधा स्वामी बाग स्कूल के सामने पुलिस गोलीकाण्ड में कितने राउंड अश्रु गैस का उपयोग किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गोलीकाण्ड में मृत रतनाराम के परिजनों को सरकार द्वारा कोई सहायता राशि प्रदान की गई यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त गोलीकाण्ड के दोषी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) तहसील चौमूं जिला जयपुर ग्रामीण स्थित राधास्वामी बाग स्कूल के सामने हुये गोली काण्ड में अश्रु गैस का प्रयोग नहीं किया गया।

(2) जी नहीं, सहायता राशि प्रदत्त करने का औचित्य नहीं पाया गया।

(3) इस सम्बन्ध में दर्ज अभियोग संख्या 613/97 धारा 302,166,212, 217 भारतीय दण्ड संहिता थाना चौमू का अनुसंधान किये जाने पर मामला अदमवकू गलत फहमी का पाये जाने पर अंतिम प्रतिवेदन क्र. 15/98 दिनांक 2-3-98 अदमवकू गलत फहमी वाका में मुंतिब कर अभियोग का निस्तारण किया गया।

कुचामन तथा मोलासर (नागौर) थानों का मृत्यु प्रकरण

12. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर के पुलिस थाना कुचामन एवं मोलासर में पुलिसकर्मियों की पिटाई से कुछ व्यक्तियों की मौत थानों में हुई है ? यदि हां, तो इनके कितने मुलजिम अभी फरार हैं ?

(2) सरकार की ओर से मृतकों के परिवारजनों को अब तक क्या सहायता दी गई है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां, (अ)–पुलिस थाना कुचामन में पुलिस हिरासत में श्री उस्मान पुत्र श्री मोहम्मद शफी की मृत्यु के संबंध में दिनांक 17-6-97 को मृतक के भाई मोहम्मद उमर की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या–90/97 धारा-302, 342, 323,

(38)

(गृह मंत्री)

34 भा.द.स. के अन्तर्गत थाना कुचामन में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान (1)-श्री गिरधारी लाल, पुलिस उप निरीक्षक, (2) श्री रणजीतसिंह, सहायक उप निरीक्षक, (3)-श्री रिछपाल सिंह, कानि0 नं.-78, (4)-श्री रामसिंह कानि0 575, को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरुद्ध चार्जशीट नं. 122/97 दिनांक-22-10-97 को पेश न्यायालय किये जा चुके हैं। इस अभियोग में कोई भी अभियुक्त फरार नहीं हैं।

(ब)-पुलिस थाना मोलासर में श्री रामेश्वर जाट पुत्र श्री हनुमान राम जाट की मृत्यु के संबंध में मृतक के पिता श्री हनुमान राम जाट के बयान पर दिनांक 19-7-97 को अभियोग संख्या-93/97 धारा-302, 323, 330, 342, 34 भा.द.स. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त श्री भागीरथ कानि0-297 को दिनांक-5-8-97 एवं श्री मोहनसिंह हैड कानि0-484 को दिनांक-1-8-97 को गिरफ्तार किया जाकर चार्टशीट नं. 69/97 दिनांक-7-10-97 को चालान धारा 173(8) जा0फो0 के अन्तर्गत अनुसंधान जारी रखते हुये न्यायालय में पेश किये गये है, शेष अभियुक्त श्री लक्ष्मीनारायण पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक-13-1-98 को ए.सी.एम. कोर्ट नागौर की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया गया जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है तथा श्री डूंगरसिंह कानि0-918 को दिनांक 16-1-98 को गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 26-2-98 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है। इसमें कोई अभियुक्त फरार नहीं है।

(2) (अ)-पुलिस थाना कुचामन सिटी जिला नागौर में श्री उस्मान पुत्र मोहम्मद शफी की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु पर मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारियों को रुपये 50,000/-(पचास हजार रुपये) की आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु स्वीकृति दिनांक-27-5-98 को जारी की जा चुकी है।

(ब)-पुलिस थाना मोलासर जिला नागौर में श्री रामेश्वर जाट पुत्र हनुमान राम जाट की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु पर मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारियों को रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये) की आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु स्वीकृति दिनांक-27-5-98 को जारी की जा चुकी है।

चीनी के खुले व्यापार हेतु जारी अनुज्ञा-पत्र

13. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) निजी व्यापारियों को चीनी के व्यापार हेतु अनुज्ञा-पत्र दिये जाने बाबत राज्य सरकार की क्या नीति है?

(2) 1 जनवरी, 1997 से अब तक

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुर जिले में कितने व्यापारियों को चीनी के खुले व्यापार हेतु अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या चीनी व्यापार हेतु सभी लाईसेंस खाद्य विभाग की नीति निर्देशानुसार दिये गये हैं ?

(4) क्या लाईसेंस जारी करते समय वरिष्ठता सूची का पालन किया गया ? यह लाईसेंस किस आधार एवं किस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चीनी के नवीन लाईसेंस जारी करने हेतु नीतिगत निर्णय लेने में राज्य सरकार स्वतन्त्र नहीं है। राज्य में चीनी के नवीन लाईसेंस जारी करने पर केन्द्र सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। जिसके तहत दिनांक 1-8-90 को जारी लाईसेंस की कुल संख्या के 60 प्रतिशत तक ही अनुज्ञापत्र जारी करने की बाध्यता है।

(2) कुल 22 अनुज्ञापत्र जारी किए गए जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। व्यापारियों की मांग के आधार पर उनके प्रार्थना पत्रों पर संबंधित प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी किये गये हैं। विवरण उत्तर के भाग (2) में दिया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में स्वास्थ्य सुविधाएं

14. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं जिला नागौर में किस-किस स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल आदि कब-कब से खुले हुए हैं ?

(2) उक्त स्थानों में कहां-कहां पर कौन-कौन से पद कब-कब से क्यों रिक्त हैं?

(3) क्या यह सही है कि इसी क्षेत्र के ग्राम ठाकसस में जब से अस्पताल खोला है तब से एक दिन भी डाक्टर नहीं रहा और ना ही यहां पर अब तक दवाई, आवश्यक उपकरण व फर्नीचर आदि उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि जितने भी पद रिक्त हैं वह गांवों में है और शहरों के नजदीक पद रिक्त नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश प्रसारित किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं जिला-नागौर में खोले गये स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र

(४०)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

अस्पतालों की सूची, खोले जाने की अवधि सहित विवरण संलग्न है।

(2) निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं जिला-नागौर में स्थित विभिन्न संस्थानों में रिक्त पदों का विवरण मय अवधि के संस्थावार संलग्न है। उक्त पद योग्यता धारी/प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता/नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण रिक्त है।

(3) जी नहीं, ग्राम ठाकरीयास में वर्तमान में चिकित्सक पदस्थापित हैं। प्रा. स्वा. केन्द्र, ठाकरीयास में जून, 1996 से अब तक 22,242 की औषधियां व 46,100 रुपये के उपकरण व फर्नीचर उपलब्ध करवाया गया है।

(4) जी नहीं, शहरी क्षेत्रों में अथवा शहरी क्षेत्रों के निकट संस्थानो मे भी पद रिक्त पाये जाते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

प्रश्न संख्या-15

(स्थगित)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई का क्रमोन्नयन

16. श्री बनवारी लाल (निवाई) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-देवली मार्ग पर निवाई में प्रमुख सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र है? यदि हां, तो उसमें कितने विशेषज्ञ व अन्य चिकित्सक हैं? उक्त चिकित्सक उक्त केन्द्र पर कब से सेवारत हैं?

(2) वर्ष 1997-98 में उक्त चिकित्सालय में कितने आऊटडोर व इनडोर मरीज आये उनकी संख्या क्या है?

(3) क्या सरकार इस स्थान के महत्व को देखते हुए उक्त चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने का विचार कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां, विशेषज्ञ व चिकित्सकों की सूची मय पदस्थापन दिनांक के संलग्न है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाई में वर्ष 1997-98 (1-4-97 से 31-3-98) में उपचार हेतु आये रोगियों का विवरण निम्नांकित है :--

वर्ष 1997-98 (1-4-97 से 31-3-98)	
आउटडोर	40754
इनडोर	2600

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जिला टोंक में स्वास्थ्य सुविधाएं

17. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) टोंक जिले के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में जनता को चिकित्सा के लिए कौन-कौन सी सुविधा किस स्थान पर उपलब्ध करा रखी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सुविधाओं का विस्तार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक उसका क्रियान्वयन कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) टोंक जिले के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्रों में जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये स्वीकृत चिकित्सा संस्थाओं के स्थानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अन्य जिलों की सुविधाओं के विस्तार के साथ टोंक जिले में भी सुविधाओं का विस्तार किया जाना संभव होगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

व्याख्याता, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रकरण

18. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को व्याख्याता, पैथोलोजी पर चयन हेतु पदों की अर्थना भेजी गई थी? यदि हां, तो कब-कब एवं कितने पदों के लिए ?

(2) चयनित व्याख्याताओं में से कितनों को नियुक्ति दी गई थी ?

(3) क्या चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त आरक्षित सूची में से भी किसी व्याख्याता, पैथोलोजी को नियुक्ति दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ? आदेशों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग को व्याख्याता पैथोलोजी के पदों पर चयन हेतु अर्थना निम्न तिथियों को प्रेषित की गई हैं:—

1. दि0 21-10-93 4 पद हेतु

2. दि0 28-6-96 1 पद हेतु

(2) दिनांक 21-10-93 को भेजी गई अर्थना के अनुक्रम में चार अभ्यर्थियों के नाम आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये गये थे। इन चार अभ्यर्थियों में से एक चिकित्सक जो पूर्व में ही विभाग में सेवारत थे, ने विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दी गई पदोन्नति हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत किया, अतः शेष तीन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई। दिनांक 28-6-96 को प्रेषित अर्थना के अनुक्रम में आयोग द्वारा एक चिकित्सक का नाम अभिस्तावित किया गया, जिसे नियुक्ति दी गई।

(42)

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

(3) जी हां। चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त आरक्षित सूची में से व्याख्याता, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति दी गई थी। नियमानुसार रिक्त पदों को भरने हेतु ऐसा किया गया। आदेशों की प्रतियां संलग्न है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

ग्राम निम्बी जोधां (लाडनूं) का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रकरण

19. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम निम्बी जोधां तहसील लाडनूं जिला नागौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दोनों एक ही जगह एक ही भवन में चल रहे हैं? यदि हां, तो इनमें अलग-अलग से कितने-कितने पद डाक्टरों व अन्य स्टाफ के हैं?

(2) क्या यह दोनों संस्थान एक ही जगह पर रखना आवश्यक है? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्या इनमें से एक को ग्राम रताऊ जहां भवन उपलब्ध है, वहां पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं, निम्बी जोधां, तहसील लाडनूं, जिला-नागौर में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को वर्ष 1995-96 में क्रमोन्नत कर 30 रोगी शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर स्थापित किया गया। पदों का विवरण संलग्न है।

(2) जी हां, भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर, उस संस्थान में पूर्व से कार्यरत स्टाफ के अलावा अतिरिक्त पद सृजित करवाकर कार्यरत संस्थान को 30 रोगी शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकृत किया जाता है। अतः उक्त उच्चीकृत संस्थान को एक ही स्थान पर रखा जाना आवश्यक है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सामान्य अस्पताल, करौली में पदस्थापित चिकित्सक

20. श्री हंसराम गुर्जर (करौली): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार की नीति के अनुसार लम्बे समय तक एक ही चिकित्सालय में चिकित्सक को पदस्थापित नहीं रहने दिया जाता है? यदि हां, तो जिला करौली के सामान्य चिकित्सालय में कितने चिकित्सक किस-किस श्रेणी के किस-किस पद पर, कितने-कितने वर्षों से पदस्थापित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि लम्बी अवधि से कार्यरत चिकित्सकों के विरुद्ध आम जनता द्वारा कई बार शिकायतें करने

(श्री हंसराम गुर्जर)

के बावजूद भी उन चिकित्सकों के स्थानान्तरण को निरस्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में लम्बी अवधि से पद स्थापित चिकित्सकों का सरकारी नीति के अनुसार स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सालय में चिकित्सकों का पदस्थापन आवश्कतानुसार एवं गुण-अवगुण के आधार पर ही किया जाता है। स्थानान्तरण नीति का भी ऐसे निर्णय के समय ध्यान में रखा जाता है।

सामान्य चिकित्सालय करौली में पदस्थापित विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सकों का कार्यग्रहण करने की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) शिकायतों पर किये गये चिकित्सा अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश निरस्त नहीं किये गये हैं।

(3) उक्त चिकित्सालय में लम्बी अवधि से पदस्थापित चिकित्सकों का स्थानान्तरण प्रकरणवार एवं आवश्यकता-अनुसार गुण-अवगुण के आधार पर ही किया जाएगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जयपुर-सीकर मार्ग पर रींगस बाई पास का निर्माण

21. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-सीकर सड़क पर रींगस कस्बे के बाई पास का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या इस बाई पास निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति की कितनी-कितनी भूमि कब अवाप्त की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त बाई पास निर्माण में अवाप्त हुई भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित की गई ? यदि हां, तो कब एवं कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रकरण में किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि कब दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त बाई पास निर्माण से सम्बन्धित अवाप्त भूमि के बदले किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी राशि देना शेष है ?

(6) उक्त बकाया राशि का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया ? क्या इसके लिये किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(7) अब उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) रींगस बाईपास एवं रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है जो कि वर्ष 1990 में प्रारम्भ किया गया था एवं कार्य करीब-करीब पूर्ण हो चुका है।

(2) जी हां, अवाप्त भूमि का व्यक्तिवार एवं खसरावार विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (अनुसूची-क)

(3) जी हां, व्यक्तिवार मुआवजा राशि का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (अनुसूची-ख)

(4) व्यक्तिवार मुआवजा राशि के भुगतान का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (अनुसूची-ग)

(5) अवाप्त भूमि के बदले जिन जिन लोगों ने मुआवजा नहीं लिया उनका एवं देय राशि का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (अनुसूची-घ)

(6) उक्त बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु किसी भी खातेदार की बकाया राशि रु. 537353.37 न्यायालय, सीकर (अनुसूची-ङ) में जमा कराये गये और वहां से उक्त राशि का भुगतान लेना था। परन्तु वहां से भुगतान प्राप्त नहीं करने के कारण रु. 391672.67 को माननीय न्यायालय द्वारा लौटा दिया गया। खातेदारों द्वारा अपना क्लेम प्राप्त करते ही भुगतान कर दिया जायेगा। इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है।

(7) शेष बचे हुए 28 हितधारी द्वारा न्यायालय के माध्यम से अवार्ड को अवैध करार दिलवा दिये जाने के कारण अब नये सिरे से कार्यवाही की जा रही है। जिसका नया अवार्ड बनाकर जारी होने पर भुगतान सम्भव होगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान-सभा क्षेत्र लूणकरणसर की क्षतिग्रस्त सड़कें

22. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि लूणकरणसर मनाफरसर व छतरगढ़-महादेववाली, लूणकरणसर, बडेरन, मलसीसर-शेखसर-मनाफरसर सड़कों की हालत बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों की मरम्मत के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

उत्तर

जी नहीं। इन सड़कों के वह भाग जो ठीक हालत में नहीं है उसकी सूचना एवं उन भागों को ठीक करने हेतु स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

राष्ट्रीय राजमार्ग पर कायरत श्रमिक का मृत्यु प्रकरण

23. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय मार्ग नं. 15 पर कार्यरत बेलदार श्री मघाराम पुत्र रूपाराम मेघवाल की दुर्घटना में मृत्यु दिनांक 6 दिसम्बर, 1997 को हुई थी ? क्या इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मृतक के परिवारजनों को न तो कोई तत्कालीन सहायता मुख्य मंत्री सहायता कोष से दी गई, न ही जीवन बीमा निगम से झोंपड़ी जलने पर बीमा राशि का भुगतान कराया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि सेवा के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को सरकारी सेवा में नियुक्ति का प्रावधान है ? यदि हां, तो उपरोक्त मृतक बेलदार के बेटे के आवेदन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) श्री मघाराम पुत्र श्री रूपाराम अर्द्धस्थाई बेलदार जो रा. उ. मा. 15 पर कार्यरत था की दुर्घटना में मृत्यु दिनांक 6-12-97 को न होकर दिनांक 5-12-97 को हुई थी। ड्यूटी के दौरान मृत्यु नहीं होने के कारण विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है लेकिन उनके परिवारजनों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ।

(2) जी नहीं । जिलाधीश, बीकानेर द्वारा तत्काल सहायता "प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत" सहायता कोष में से अपने पत्र क्रमांक सी. बी./सहायता म. नी/97–98/6256–63 दिनांक 26-12-97 द्वारा रुपये 10,000/- की स्वीकृति जारी कर दी गई थी जिसका भुगतान मृतक के परिवारजनों को जिलाधीश, बीकानेर द्वारा दिनांक 2-1-98 को किया जा चुका है । जिलाधीश, बीकानेर द्वारा उपरोक्त सहायता कोष में दिनांक 1-6-98 को रुपये 30,000/- की सहायता और स्वीकृत की जा चुकी है । जिसका भुगतान जिलाधीश, बीकानेर द्वारा शीघ्र कर दिया जायेगा । इस प्रकार कुल 40,000/- रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा जिलाधीश के माध्यम से स्वीकृत की जा चुकी है । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मृतक के आश्रितों को प्रोविडेन्ट फण्ड व सामान्य प्रावधायी निधि का भुगतान किया जा चुका है ।

मृतक द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के अन्तर्गत स्वयं का रुपये 1,00,000/- (एक लाख) का बीमा करवाया गया था जिसके भुगतान की कार्यवाही मृतक के वारिस द्वारा भारतीय जीवन बीमा एजेन्ट के माध्यम से की जा रही है ।

(3) जी हां । राज्य सरकार में सेवा के दौरान कार्यरत कर्मचारी के आश्रितों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

को नियुक्ति देने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र माण्डल (भीलवाड़ा) के सड़क विहीन पंचायत मुख्यालय

24. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार राज्य के सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ने की योजना रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र माण्डल की पंचायत मोटा का खेला, सेहूनून्दा, गोरधनपुरा, धालमास, रामपुरीया, संतोषपुरा एवं रामपुरीया तहसील भीलवाड़ा के मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की सड़क विकास नीति के अन्तर्गत सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से नवीं पंचवर्षीय योजना (मार्च 2002 तक) में जोड़ना प्रस्तावित है।

(2) सेनूंदा (1102/91) पंचायत मुख्यालय को डामर से जोड़ने की स्वीकृति राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी की जा चुकी है। शेष पंचायत मुख्यालय मोटा का खेड़ा (614/91), गोरधनपुरा (743/91), धालमास (733/91), रामपुरीया (635/91), संतोकपुरा एवं रामपुरीया तहसील भीलवाड़ा (537/91) को डामर से जोड़ने की वर्तमान में कोई स्वीकृति नहीं है। इन सभी पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता से जोड़ने के प्रयास किये जायेगें।

राजसमन्द जिले की सडकों की मरम्मत पर व्यय

25. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक राजसमन्द जिले की पंचायत समिति भीम व देवगढ़ की किस–किस सड़क पर कितनी-कितनी राशि रख-रखाव व मरम्मत पर व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1998-99 में राजसमन्द जिले की सड़कों के मरम्मत व रख-रखाव के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? उक्त राशि में से किस-किस तहसील की किस–किस सड़क पर कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान है?

(47)

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की पंचायत समिति भीम व देवगढ़ में वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक सड़कों की रख-रखाव व मरम्मत हेतु व्यय रुपये 303.07 लाख किया गया। विवरण सूची "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 98-99 में राजसमन्द जिले की सड़कों के लिए मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु विवरण सूची "ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला करौली के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण

26. श्री हंसराम गुर्जर (करौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार जिला करौली के निम्नांकित गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

1. अपूर्ण सड़क सिलोती से ताली
2. लखनीपुर चमरोला से ग्राम पंचायत डांडा तक
3. मकनपुर से मोहनपुर सड़क का डामरीकरण।

उत्तर

1. जी हां। ताली (632/1991) पंचायत मुख्यालय है। अतः इसे डामर की सड़क से जोड़ना सड़क नीति के अन्तर्गत आता है। अतः नवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता से जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे।

2. जी नहीं। लखमीपुर चमरोला से ग्राम पंचायत डांडा तक के सड़क एलाइनमेंट में लाभान्वित होने वाले गांव सड़क विकास नीति के अन्तर्गत नहीं आते हैं क्योंकि लाभान्वित होने वाले गांवों की आबादी 1991 की जनगणना पर 1000 से कम है एवं पंचायत मुख्यालय भी नहीं है। लेकिन ग्राम पंचायत डांडा (1514/1991) को मामलपुर-जगनेर सड़क से वाया जमूरा होकर जोड़ने की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा कार्य प्रगति पर है।

3. जी हां। ग्राम मोहनपुर की जनसंख्या 1991 की गणना के आधार पर 1464 है। अतः सड़क नीति के अन्तर्गत आने के कारण नवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधनों की उपलब्धता पर प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे।

ईन्टाली से चायलाखेड़ा (उदयपुर) सड़क का निर्माण

27. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ईन्टाली से

(श्री रामस्वरूप मीणा)

चायलाखेड़ा (तहसील मावली जिला उदयपुर) (1.5 किमी) सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि स्वीकृति को दो-तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी उक्त सड़क का डामरीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

बण्हेडा से फतहनगर (उदयपुर) सड़क की मरम्मत

28. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बण्हेडा से फतहनगर जिला उदयपुर की सड़क 20 किलोमीटर लम्बी है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कौन से वर्ष में किया गया ? उक्त सड़क की मरम्मत किस-किस वर्ष में की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त सड़क मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है और यातायात में आम जनता को काफी बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क मार्ग का पुनः डामरीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इसका निर्माण वर्ष 1974-75 से 1990-91 तक विभिन्न चरणों में किया गया है । सड़क की साधारण मरम्मत का कार्य हर वर्ष किया जाता है । विशेष मरम्मत कार्य वर्ष 1987-88, 1989-90, 1990-91 एवं वर्ष 1991-92 में किया गया है ।

(2) जी नहीं । उक्त सड़क ग्रामीण सड़क है एवं इस पर 20 कि.मी. लम्बी सड़क में से करीब 4 कि. मी. लम्बाई में पोट होल्स हुए । पोट होल्स की आवश्यकतानुसार मरम्मत की जाती है । डामर द्वारा वर्षा पश्चात् ठीक करवाये जाते है । ईन्टाली गांव में जल निकासी के अभाव में सड़क का ग्रामीण भाग क्षतिग्रस्त है फिर भी यातायात सुगमता से चल रहा है । इस सड़क का पुनः डामरीकरण नवीनीकरण चक्र पर निर्भर करेगा ।

विधान सभा क्षेत्र धोद की अपूर्ण सड़कें

29. श्री अमराराम (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र धोद की स्वीकृत निम्न सड़कों का कार्य कब तक पूर्ण कर

(श्री अमराराम)

दिया जायेगा तथा इसमें देरी के लिए कौन जिम्मेदार है :—

1. बानुड़ा से गोठड़ा तगलोन
2. लोसल से छोटी लोसल एवं नागौर सीमा तक
3. सीगरावट से मोरडुगा
4. शाहपुरा से नागौर जिले की सीमा तक
5. खूड से सीगरावट रोड वाइडनिंग का कार्य
6. खूड से सामी
7. पैंवा से राजपुरा
8. बढाडर से सावलोदा पुरोहितान वाया सावलोदा धायलान
9. दीपपुरा से अनोखू
10. हर्ष मोड से देवगढ़
11. मण्डावरा से खोरी
12. खोरी से माण्डोला
13. कंवरपुरा से फकीरपुरा
15. सेवा से किकराला बालाजी

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र धोद में प्रश्न में वर्णित स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने एव उसमें हुई देरी के कारणों का विवरण सड़कवार निम्न प्रकार है :-

1. यह कार्य दिनांक 31-1-99 तक पूर्ण कर दिया जायेगा । कार्य में देरी वर्ष 96-97 में राज्य को उपयुक्त मात्रा में डामर का उपलब्ध नहीं होना एवं तत्पश्चात् संवेदक द्वारा कार्य पुनः प्रारम्भ न करने के कारण ।

2. "लोसल से छोटी लोसल एवं नागौर सीमा तक" नाम से कोई सड़क कार्य स्वीकृत नहीं है । अपितु लोसल से धनकोली जिला सीमा तक एम.एन.पी. में स्वीकृत है यह कार्य वर्ष 97-98 में सीमित बजट आवंटन के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया । यह कार्य वर्ष 98-99 में प्रारम्भ कर शीघ्रातिशीघ्र जून 99 तक पूर्ण करवाने का प्रयास किया जायेगा ।

3. यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर दिया जायेगा । कार्य में देरी सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत ग्रेवल सड़क के सामग्री मद की निविदाओं में उचित दर प्राप्त न होने के कारण निविदाओं को दो बार आमंत्रित करना पड़ा । अब यह ग्रेवल सड़क 31-8-98 तक पूर्ण करली जायेगी । तत्पश्चात् एम.एन.पी. में स्वीकृत डामरीकृत सड़क पूर्ण कर ली जायेगी ।

4. यह कार्य मई 1999 तक पूर्ण कर दिया जायेगा कार्य में देरी वर्ष 96-97 में राज्य को उपयुक्त मात्रा में डामर

(50)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

का उपलब्ध न होना एवं तत्पश्चात् वर्ष 97-98 में सीमित बजट प्रावंटन के कारण हुई है।

5. खुड लोसल सीगरावट 21 कि.मी. लम्बाई में से कि.मी. 15/0 से कि.मी. 21/0 तक वाइडनिंग का कार्य रख-रखाव के मद. में स्वीकृत है जिसे 31-3-99 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। शेष भाग में कोई स्वीकृति नहीं है, कार्य में देरी रख-रखाव में सीमित बजट आवंटन के कारण रही। इस वर्ष इसको रख-रखाव के मद में पुन: ले लिया गया है।

6. यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। वर्ष 96-97 में संवेदक की विफलता एवं 97-98 में सीमित बजट प्रावंटन के कारण हुई है, अब कार्य प्रगति पर है।

7. पंवा से राजपुरा सड़क कार्य की स्वीकृति इस विभाग के पास किसी भी मद में उपलब्ध नहीं है।

8. राष्ट्रीय उच्च मार्ग 11 से साव–लोदा पुरोहीतान तक सुनिश्चित रोजगार योजना में 8 कि.मी. लम्बाई की सड़क स्वीकृत है जिसे पूर्ण कर लिया गया है (मेटल स्तर तक) एक अन्य स्वीकृति राष्ट्रीय उच्च मार्ग 11 से सावलोदा पुरोहीतान तक वाया सावलोदा लाड–खानी एम. एन. पी. में है जिसके तहत सावलोदा धायलान से सावलोदा पुरोहीतान तक डामरीकरण का कार्य दिसम्बर 98 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

9. यह कार्य जून 99 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। कार्य में देरी सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृत कार्य के सामग्री मद में उचित दर प्राप्त न होने के कारण बार-बार निविदाऐं आमंत्रित करना था। अब यह कार्य प्रगति पर है। इस ग्रेवल कार्य के ऊपर डामर सड़क निर्माण एम. एन.पी. के तहत स्वीकृत है।

10. यह कार्य फरवरी, 99 तक पूर्ण कर लिया जायेगा कार्य में देरी 2 किमी. से आगे सुनिश्चित रोजगार योजना में रास्ता विवाद के कारण रही जिसे अब दूर कर लिया गया है।

11. यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य में देरी वर्ष 97-98 में सीमित बजट प्रावंटन के कारण रही। अब इस कार्य की निविदायें 29-7-98 को प्राप्त कर ली जायेगी।

12. यह कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृत है जिसके तहत खान पर श्रमिकों द्वारा सामग्री का कलेक्शन का आधा कार्य कर लिया परन्तु वन विभाग द्वारा यह पहाड़ी वन क्षेत्र में घोषित होने के कारण पहाड़ी पर इकट्ठा किया हुआ माल सड़क पर लाना सम्भव न होने के कारण।

13. यह कार्य दिसम्बर 98 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। देरी का कारण रास्ता विवाद रहा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

14. यह कार्य मार्च 99 तक पूर्ण कर लिया जायेगा । देरी का कारण संवेदक द्वारा की विफलता के कारण कार्य को संवेदक से पैनेल्टी लगाकर विड्रा कर अब पुन: निविदायें आमंत्रित कर ली गई है ।

चारा घोटाले के प्रकरणों की जांच

30. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत दो वर्षों में अकालग्रस्त क्षेत्रों में चारा घोटाले प्रकरण प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो कौन कौनसे, कब-कब, कहां-कहा से, किस-किस के द्वारा ? दो लाख से ऊपर के मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त घोटालों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही न करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? अब सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) आवश्यकता नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र करौली की मतदाता सूची

31. श्री हंसराम गुर्जर (करौली): क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996 में विधान सभा क्षेत्र करौली में कितने मतदाता थे ? प्रत्येक मतदान केन्द्र की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ? लोक सभा वर्ष 1998 के लिए तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर जो मतदाता मत लोक सभा में पात्रता रखते थे उन्हें वर्ष 1998 की मतदाता सूची में से किन कारणों से हटाया गया है ?

(2) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996 में करौली विधान सभा क्षेत्र में 1,34,494 मतदाता थे । मतदान केन्द्रवार कुल मतदाताओं की सूची संलग्न है । 1997-98 में जो मर गये, बोगस अथवा अपना निवास स्थान परिवर्तन कर दिया हो, इन्हीं कारणों से पूर्ण जांच करने के उपरान्त नियमानुसार मतदाताओं के नाम हटाये गये ।

(2) 1997-98 में जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में से हटाये गये हैं, वे वैधानिक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् नियमानुसार हटाये गये हैं । अत: जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

(52)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य कर्मचारियों की भांति राजकीय उपक्रम विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने में विसंगति होने के संबंध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(2) श्री भीमसेन चौधरी एवं अन्य 3 सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के कृषि महाविद्यालयों में महिलाओं को उनके इच्छित स्थानों में प्रवेश देने का नीतिगत फैसला करने के संबंध में ।

(3) श्री रामस्वरूप मीणा एवं 2 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनुसूचित जनजाति के सहायक अभियन्ताओं को पदोन्नत करने के संबंध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं । मुख्य प्रस्तावक को प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति देता हूं ।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेतर यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जालोर की तहसील भीनमाल के ग्राम पुनासा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा खोदे गये नलकूपों के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है कि जिला जालोर की भीनमाल तहसील के ग्राम पुनासा के आस-पास कुछ खुले कुओं एवं नलकूपों से कृषि होने की विभाग को जानकारी है । पुनासा ग्राम स्थित 2 नलकूपों में से प्रथम नलकूप का निर्माण वित्तीय वर्ष 1992-93 में किया गया था एव तभी से यह नलकूप पेयजल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है । दूसरे नलकूप का निर्माण जून, 1997 में किया गया था एवं इसे दिनांक 14-5-98 को वितरण व्यवस्था से जोड़ा गया है । इन दोनों नलकूपों के अतिरिक्त ग्राम पुनासा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का अन्य कोई नलकूप कार्यरत नहीं है । प्रथम नलकूप का निर्माण लगभग 6 वर्ष पूर्व हुआ था तथा उसके पश्चात् द्वितीय नलकूप के निर्माण के समय वर्ष 1997 में भू-जल स्तर 35 मीटर गहराई पर था जो वर्तमान में 38.50 मीटर है । इस प्रकार नलकूप संख्या-2 के भू-जल स्तर में लगभग एक वर्ष की अवधि में 3.50 मीटर की गिरावट पाई गई है ।

ग्राम पुनासा एवं फागोतरा में स्थित 2 नलकूप एवं पूर्व में स्थित खुले कुओं से 14 ग्रामों की एक क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना वर्तमान में संधारण में है। सामान्यत: स्रोतों के स्थान का चयन उपलब्ध भू-जल की मात्रा, दोहन, पुनर्भरण की मात्रा एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को पेयजल की मांगों पर चर्चा के समय भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर उपलब्ध है।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमरा राम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर के कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय अमोर से अजान तक की अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपलदा के राजकीय चिकित्सालय, ढीपरी चम्बल में चिकित्सक का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री भवानी जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा से प्रकाशित कथित फर्जी समाचार पत्रों को सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा राजकीय विज्ञापन के पेटे करोड़ों रुपयों का भुगतान करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शंकर लाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में सड़कों की हालत अत्यन्त दयनीय होने के सम्बन्ध में।

(7) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जयपुर के प्रबन्धन में सुधार लाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से भवानीमण्डी से इन्दौर वाया सुमेल, पिड़ावा रात्रिकालीन बस सेवा शुरू करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों की उपरोक्त सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

(सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

(54)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : यह तो + + + मत करो, इतना + + + तो मत करो, हम जल्दी कर देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अन्याय नहीं है। आज, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बजट पर काफी सदस्य बोलना चाहते हैं और सरकार की ओर से उत्तर भी आयेगा इसलिए अगर आप समय बचा सकें तो यह ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : अखबारों में तो आ जायेगा।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, दो-दो मिनट का काम है। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में....(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार में महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत होने नहीं दिया। कुछ राजनीतिक दल ऐसे लोग हैं जो दो मुंहे हैं और मेल डोमिनेटेड प्रवृत्ति को रखते हुए महिला आरक्षण को पेश नहीं होने दिया और महिला आरक्षण विधेयक को धर्म और जाति में बांटने का जो प्रयास किया है, उपाध्यक्ष महोदय, हम उनकी निंदा करते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अच्छा किया है। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप केन्द्र सरकार को लिखिये, महिला आरक्षण जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए और जो भी लोग इसमें अड़चन डालते हैं उनको हिन्दुस्तान में उजागर करना चाहिए....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने महिला विधेयक का कोई विरोध नहीं किया। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं के साथ यह खिलवाड़ मंजूर नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजें कि महिला आरक्षण विधेयक जल्दी से जल्दी पास हो। इसको धर्म और जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। महिला आरक्षण जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती बीना अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, महिला आरक्षण बिल पेश होना चाहिए, महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस प्रस्ताव को लाना नहीं चाहती। ....

श्री परसादीलाल मीणा : भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर इसको नहीं लाना चाहते। (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : और रुकावट डालने वाले जो हैं उनकी निंदा करते हैं। ....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास :....नारी जाति का अपमान हो रहा है ... (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की आधी आबादी महिलाएं हैं और देश की महिलाएं यह बर्दाश्त नहीं करेंगी कि यह मेल डोमिनेटेड लोग हमारा विधेयक पास नहीं होने देंगे, यह देश की आधी आबादी महिला वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, उपाध्यक्ष महोदय, और हमारा आपको निवेदन है कि आप केन्द्र सरकार को हमारी तरफ से प्रस्ताव भेजें कि महिला आरक्षण विधेयक जल्दी से जल्दी पास किया जाय। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने .... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक :....अटल बिहारी बाजपेयीजी आज तक कुंआरे ही नहीं रहते (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : आप क्यों बोलते हो, आप सब छुपे-छुपे (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : भारतीय जनता पार्टी का षड़यंत्र है ... (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : मुंह से बोलते हो कि विधेयक पास करना है और अन्दर से मना करते हो ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : भाजपा का सुनियोजित षड़यंत्र है।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप तो दो मुंहे हो, दोहरी नीति अपनाते हो, दोहरी नीति (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिला बिल पेश होना चाहिए, महिला बिल आना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आरक्षण बिल आना चाहिए.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं आरक्षण का। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सोनिया गांधी कुछ बोलती हैं, आप कुछ बोलते हो, आप अपने अध्यक्ष के कहने में नहीं हो। [व्यवधान]

श्री परसादीलाल मीणा : भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है, अगर आपकी नीयत साफ होती तो... (व्यवधान)

(56)

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निवेदन करना है.... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आरक्षण पास होना चाहिए....

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : महिला आरक्षण बिल लाने का सुझाव किस का था ?

श्री रामस्वरूप मीणा : भारतीय जनता पार्टी वाले इस विधेयक को पास नहीं करना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : + + + (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपकी पार्टी की नीयत साफ नहीं है, कांग्रेस तो चाहती है लेकिन आप नहीं चाहते ।....(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : महिला आरक्षण बिल लाने का सुझाव किसका था ?

श्रीमती तारा भण्डारी : एक मिनट । इस सदन से एकमत होकर आवाज जाए । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : खुद की पार्टी को कहो । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा महिला विरोधी है ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : भाजपा महिला विरोधी है ।

एक माननीय सदस्य : महिला विरोधी + + + (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : आप लोग एक मत हो जाएं (व्यवधान) .... और महिला आरक्षण में आपको एकमत होना पड़ेगा । (व्यवधान) नहीं तो हिन्दुस्तान की महिलाएं आपको दिखा देंगी ।(व्यवधान)....

श्री राधेश्याम गंगानगर : भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है । भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : (व्यवधान) दोहरी नीति न अपनाएं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कह क्या रही हो....(व्यवधान) समझ लो । (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : महिला विरोधी है ।

श्री परसादीलाल मीणा : बी.जे.पी. महिला विरोधी है । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : महिला विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(57)

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान)…. अटल बिहारी वाजपेयी…..(व्यवधान)….

श्रीमती तारा भण्डारी : + + +

श्री राधेश्याम गंगानगर : महिलाओं का शोषण करना चाहती है ।

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार ने….

श्री मदन मोहन (खैरथल) उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : भारतीय जनता पार्टी हाय-हाय । . (व्यवधान)….

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : क्यों विरोध किया ? (व्यवधान) ….

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप घरों में जाना ….(व्यवधान)…..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । अंकित नहीं होगा ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्रीमती बीना काक : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री मदन मोहन : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय श्री परसादी लाल जी, श्री पारीक साहब, आप माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ।

माननीय मंत्री महोदया, आसन पैरों पर है । मंत्री महोदया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है मंत्री महोदया । कृपया बिराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(58)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री मदन मोहन : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं। कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्रीमती बीना काक : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें माननीय सदस्य।

श्री मदन मोहन : ×××

श्रीमती बीना काक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप विराजें। एक मिनट, कृपया विराजें। अंकित नहीं हो रहा है। आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है, आप बोल रही हैं, आपका बोला अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती बीना काक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें। कृपया विराज तो जाएं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर का समय नहीं है यह। यह जीरो आवर है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : तो आसन पैरों पर है अभी तो।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री मदन मोहन : ×××

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धनखड़ जी (व्यवधान) मेरी तो आपको एक अर्ज है कि मंत्रियों को सही आचरण सिखाइये।

श्री मदन मोहन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर मैंने रेज किया है पहले।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कोई गलत आचरण नहीं है, मैंने महिलाओं के पक्ष में बात कही है और मैं भी आचरण जानती हूं। मैं जानती हूं कि आपने हमेशा गलत बात कही है। आप हमेशा गलत बात कहते हैं। माननीय सदस्य, आपको इस तरह के रिमार्क्स नहीं करने चाहिए।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप असेम्बली का (व्यवधान).... करना सीखिये।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : अब मजा आया।

एक माननीय सदस्य : आप बीच में खड़ी हो जाती हैं ....(व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप खड़ी होकर बोल जाती हैं, क्या शपथ लो फिर आयने ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरी गवर्नमेंट के डिवीजन के पक्ष में बोल रही हूं, आप उसमें दखल नहीं कर सकते।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप रिजाइन करिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दखल करने का सबको हक है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार तो महिला विरोधी है। आपकी सरकार हो, मंत्री महोदय, महिला विरोधी है।

श्रीमती बीना काक : आपकी सरकार महिला विरोधी है। पास नहीं करवाना चाहती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम तो महिला आरक्षण विधेयक....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार स्वयं नहीं चाहती है कि बिल पास हो। आपकी सरकार महिला विरोधी है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर आपका ऐसा आचरण रहा, महिला विरोधी रहा, तो आपकी घरवाली आपको पीटेगी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया स्वयं महिला विरोधी है।

श्रीमती बीना काक : ओ बी.सी. और महिलाओं की विरोधी सरकार है आपकी।

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार महिला विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में और यहां पर महिला विरोधी है और मंत्री जी भी महिला विरोधी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री धनखड़ बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : महिला विरोधी है ...(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा....

श्री मदन मोहन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर मैंने पहले रेज किया था।

श्री जगदीप धनखड़ : दी गई व्यवस्था को इस सदन में चुनौती देने का जो प्रयास किया गया है वह इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी अब आत्म निरीक्षण कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ...

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह आरोप-प्रत्यारोप इस सदन में हुए हैं, जिस तरह महिला

60

(एक माननीय सदस्य)

विधेयक को लेकर आरोप-प्रत्यारोप हुए हैं दोनों पक्षों के, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी दल की तरफ से जब विधेयक पेश किया गया....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये। माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ :...ने जयपुर में घोषणा की थी कि हम महिलाओं के रिज-र्वेशन का समर्थन करते हैं और इस सदन में यदि लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था को किसी भी तरीके से चुनौती देते हैं तो मैं समझता हूं कि गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य, आप बिराजिये। माननीय सदस्य, ये कोई पार्टियों का दंगल नहीं है, यह सदन है, कृपया आप बिराजें।

श्री भीमसेन चौधरी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक मिनट उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाएं माननीय सदस्य, मैंने नाम पुकार लिया श्री भीमसेन चौधरी का।

श्री मदन मोहन : एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय ....(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आप खड़े—बैठे इकसार दिखायी देते हैं। आप बिराजें। क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री मदन मोहन : एक मिनट का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : हां।

श्री मदन मोहन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की संसद में कल जो विधेयक पेश होने जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर उस पर आम सहमति बना कर उसको पेश करने की ठानी थी और पेश करने जा रहे थे। इस देश के संविधान में सबसे बड़ा संशोधन होने जा रहा था लेकिन ऐन मौके पर, जब उसका समय आया जो छोटे-छोटे दल थे वे कहने को छोटे हो सकते हैं लेकिन उन के लोग छोटे नहीं थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल कांग्रेस उसमें पीछे हटी है। यह कांग्रेस जो हटी तो महिला विरोधी कांग्रेस होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उसमें षड़यंत्र के रूप में ....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : वाजपेयी जी रख नहीं पाए उसको। प्रस्ताव को बी.जे. पी. नहीं रख पाई। ये गलत कह रहे हैं। केन्द्र की सरकार पीछे हटी है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। कृपया बिराज जाएं माननीय सदस्य। श्री भीमसेन चौधरी बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान)... कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जब जयपुर पधारी थीं तो महिला बिल का समर्थन किया था। श्रीमती सोनिया गांधी ने भी महिला बिल का समर्थन किया था। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बी.जे.पी. पीछे हटी है और दो दिन का टाइम बी.जे.पी. ने लिया है। कांग्रेस पीछे नहीं हटी है।

एक माननीय सदस्य : भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार पीछे हटी है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। कृपया बिराज जाएं माननीय सदस्य। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के संबंध में मुझे निवेदन करना है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं श्री रामस्वरूप जी। आप बोल लिये न ?

श्री भीमसेन चौधरी : मैं बोल रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद बोल लेना। रामस्वरूप जी, बोलिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष जी (व्यवधान).... आपने मुझे भी ....(व्यवधान).... मेरे क्षेत्र मे बहुत विकट स्थिति पैदा हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं। बैरवा साहब, आप बिराजें। नहीं, आप बिराजें। आप, कभी-कभी आसन की आज्ञा का पालन करें माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ हैं।

श्री भीमसेन चौधरी : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, विभिन्न कृषि महाविद्यालयों में एडमीशन के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं हर वर्ष आयोजित करता है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रामीण छात्राएं....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : एक मिनट, यह रिकार्ड में (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाएं, आप बैठिये।

श्री भीमसेन चौधरी : ... सलेक्ट होकर आती हैं लेकिन इन छात्राओं के लिए एडमीशन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होने के कारण, ये अभिभावक यह चाहते हैं कि जो छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा में पास होकर आती हैं जहां ऐच्छिक विश्वविद्यालय में वह एडमीशन चाहती हैं जहां उनके पेरेन्टस रहते हैं ऐसी जगह उनको एडमीशन दिया जाए, ऐसी सुविधा दी जाय तो ऐसी छात्राएं कृषि विश्वविद्यालय में अपना प्रशिक्षण ग्रहण कर सकती हैं। कई छात्राएं सलेक्ट होने के बावजूद भी उनको ऐसी सुविधाएं न होने के कारण शिक्षा से वंचित रह रही हैं। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए राज्य सरकार को यह नीतिगत निर्णय लेना चाहिये कि कृषि विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो छात्राएं ऐच्छिक स्थानों पर एडमीशन लेना चाहती हैं उनको प्रतियोगी परीक्षा के बाद ऐच्छिक स्थानों पर एडमीशन दिया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

62

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटों में मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती एवं टोडाभीम में भयंकर मूसलाधार वर्षा हुई है। इस मूसलाधार वर्षा के कारण वहां पर बाढ़ आई, बाढ़ के कारण नादौती तहसील में ग्राम केमला, रोंसी, पूंजेला इस प्रकार के हमारे 24 गांवों में तालाब टूट गये और तालाब टूटने के कारण केमला गांव में 4 आदमी बह गये, जिनका आज तक अता-पता नहीं चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये। आपने क्या मामला दिया और क्या बोल रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : बाढ़ का दिया है साहब मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पढ़ा, उसको आपने ध्यान से सुना नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : अतिवृष्टि जो हुई है मेरे क्षेत्र में, उससे लोग मर गये।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये। आप सुने तो सही, आपने दिया है सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनुसूचित जन जाति के सहायक अभियंताओं को पदावनत का।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, वह तो शून्य काल का है। आपने बताया शून्य काल चल रहा है। मैंने शून्य काल में दिया था वह।

श्री उपाध्यक्ष : हां, चल रहा है तो इस पर बोलिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज जो अति-वृष्टि हुई है मेरे क्षेत्र में....

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिये मैं आपको बाद में समय दूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : ठीक है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर), आप बोलना चाहते हैं क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा जो शून्य काल में है वह इसी में सुन लिया जाये। मैं उसको बाद में बोल दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब यह समय निकल गया है आपका।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे क्षेत्र की ऐसी भयंकर समस्या है जिससे 4 मौत हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको पुकारूंगा, आप बिराजिए।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था, आपने कहा था कि मैं आपको समय दूंगा। मेरे क्षेत्र में बहुत भयकर वर्षा हुई है, उससे सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने पर्ची दे दी है ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : आपने फरमाया था, मैं आपको टाइम दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बुलवाऊंगा, आप विराजें, दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आपने फरमाया था, मैं आपको टाइम दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने हरिसिंह जी को पुकार लिया है, कृपया विराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : हरिसिंह जी के बाद दे दीजिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का, आपका और सरकार का ध्यान राजस्थान के उन शहीदों की, जो ग्रामीण क्षेत्र से नौजवान गये थे और सीमा पर जिन्होंने देश की रक्षा के लिये अपने जीवन की कुर्बानी दी, उन शहीदों की विधवाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका आज राजस्थान में कोई सहारा नहीं रहा है। सरकार का कर्त्तव्य है कि उन महिलाओं को जो पेंशन केन्द्र सरकार से मिलती है, उस पेंशन को इस प्रकार से उनको दिया जाये ताकि उन्हें उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन यह देखा जाता है कि वे महिलाएं दूर ग्रामीण अंचलों से, 30-40 किलो मीटर दूर से आती हैं तहसील पर, वे सब ट्रेजरी आती हैं। उनके साथ जो आदमी आते हैं उनके ठहरने की वहां व्यवस्था नहीं होती है। उनके बच्चे भी साथ आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था नहीं होती है। धूप में बैठी रहती हैं। खाने-पीने की व्यवस्था नहीं होती है और पूरे एक-एक दो-दो दिन तक बैठी रहती हैं वहां पर। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से जो भी छोटी-मोटी पेंशन इनको मिलती है उस पेंशन को उनके घर पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाये। इसके अलावा उन शहीदों की विधवाओं के लिये जो सरकार की पुनर्वास की नीतियां हैं, पुनर्वास की जो योजनाएं हैं उनके अन्तर्गत उन्हें पुनर्वास का पूरा लाभ दिया जाये। श्रीमान्, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में, जो इस विधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है और सारे सरकारी विभाग यहां पर मौजूद हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जो सड़क का कार्य वहां पर करवाया गया है आज वहां पर, इस महत्वपूर्ण कस्बे में, एक-एक फीट पानी भरा हुआ है और गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जो मोटर साईकिल और स्कूटर या निजी वाहन लेकर इधर से उधर जाता है उसको उस साइड जाने के बाद, या तो कई वहां पर इस तरह से एक्सीडेंट हो गए हैं या उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके लिये सभी राजनीतिक दलों के जन-प्रतिनिधियों के द्वारा समय-समय पर माननीय मंत्री जी और विभाग के समस्त अधिकारियों को

(श्री रामगोपाल बैरवा)

अवगत करवाया गया है लेकिन एक साल के अन्तराल के बाद भी, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी उस संभाग के होते हुए भी, इस तरह की उपेक्षाएं उस क्षेत्र के प्रति की जा रही हैं। ऐक महत्वपूर्ण कस्बा है यह सरकार जो आज घोषणाएं करती हैं कि दूर-दराज के गांव जो एक हजार की जनसंख्या वाले थे उनको रोड से जोड़ दिया गया है, लेकिन कस्बों की स्थिति को आप जाकर देखें तो हमें लगता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पूरी तरह से नींद में सोया हुआ है और मंत्री जी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कस्बे के जो पेचवर्क के कार्य हैं उनको ठीक करवा कर लोगों को राहत दिलाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। श्री बनवारी लाल बैरवा। बैठिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र निवाई में तथा मेरे जिला टोंक में पिछले 24 घंटों में अतिवृष्टि हुई है और अतिवृष्टि इस सीमा तक हुई है कि 13 इंच बरसात सिर्फ मासी डेम पर हो गई है। ऐसा लगा कि जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गया है, बादल फट गये हैं और इतने भारी प्रवाह से पानी आया है कि कई तो तालाब टूट गये हैं, हजारों की तादाद में मकान गिर गये हैं, जन-धन की काफी हानि हुई है। वहां पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सड़कें सब अस्त-व्यस्त हो गई हैं। सब सड़कें टूट गई हैं। राउली की सड़क टूट गई है, ललवाड़ी की सड़क टूट गई है, बोंली की सड़क टूट गई है, मडावर की सड़क टूट गई है। इन तमाम सड़कों के बारे में मैंने मंत्री जी को पहले भी निवेदन किया था कि इनको ठीक करवायें। वे पहले तो टूटी हुई थी ही और अब बिल्कुल तबाह और बरबाद हो गई हैं। आज उनके ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह तत्काल हमारे यहां व्यवस्था जुटाये। जो तालाब टूट गये हैं उन तालाबों को तत्काल दुरुस्त करवाये और जो हानि हुई है उस हानि का कुछ भी भुगतान उन लोगों को करवाये। बहुत लोगों के पास तो रोटी खाने के लिये नहीं है। सब सामान उनका उसमें दब गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि निवाई में मासी डेम पर 13 इंच बरसात हुई है और वहां 4 फीट की चादर भी चल रही है। लेकिन जहां तक नुकसान और मकान बहने का सवाल है, कोई एक मकान भी वहां नहीं है और न किसी की जान गई है।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अभी लोग पहुंचे ही नहीं, आपका प्रशासन पहुंचा ही नहीं। रास्ते टूट गये सब, रास्ते टूट गये, प्रशासन वहां पर पहुंचा ही नहीं है। मैं यह बात कह रहा हूं, मुझे और लोगों के

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

जरिए मालूम हुआ है कि वहां पर मकानात टूट गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सुनिए, मैं यह चाहता हूं कि आप भी वहां पर मौके पर जायं और उस बांध को भी देखें और उस मासी बांध के अलावा दूसरे बांध जो हैं, फूटा नहीं है, कोई भी बांध फूटा नहीं है। वहां पर चादर चल रही है। व्यवस्थाएं होनी चाहिए इसमें। मैं आपके साथ वहां चलने के लिये तैयार हूं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : वो भी टूटे हैं। खण्डेला के तालाब टूट गये, बावली का तालाब टूट गया, जुगलपुरा का टूट गया, बोरोली का टूट गया, अनेक तालाब टूट गये। यह मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। वहां पर तबाही मची हुई है, और आप उसको सहज ले रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य है, माननीय मुख्य सचेतक जी, आप निवाई के निवासी होकर उसको लाइट ले रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान दिला रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं चाहता हूं कि आप भी जाओ वहां पर।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आपको तो बल्कि तुरन्त कहना चाहिये सरकार को कि तत्काल व्यवस्था करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कहो जो मदद करने के लिये सरकार तैयार है। आप बताओ तो सही।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आप उनसे कहो कि व्यवस्था को जुटाये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां जा ही आओ, मैं यह चाहता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने नर्सरी योजना की स्कीम के अन्तर्गत लोगों से प्रति पोल 9 हजार के हिसाब से आवेदन मांगे। मांग-पत्र जारी कर दिये और बिजली बोर्ड ने, जो सरकार अपने आपको यह कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, 9 हजार की रेट को बढ़ा कर 12 हजार रुपये प्रति पोल कर दिया। "विनाशः काले विपरीत बुद्धि"। जो सरकार किसानों की हितैषी बनने का अपने आप में दावा कर रही है, राजस्थान के किसानों को आशा थी कि आने वाले बजट में प्रति पोल का पैसा कम होगा। उसके बजाय इन्होंने 9 से 12 किया। सारे राजस्थान के किसानों में आज भारी जन आक्रोश है। जिनके 40-40, 50-50 हजार मांग पत्र के जमा हो गये उनको अतिरिक्त डिमांड नोटिस जारी किये जा रहे हैं और यह कह रहे हैं 3 हजार रुपये प्रति पोल का अगर और जमा नहीं कराया तो आपको कनेक्शन नहीं देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का धोखा देकर इन्होने नर्सरी में आवेदन लेकर 9 हजार से 12 हजार किया, ऊर्जा मंत्री जी यहां पर हैं नहीं, उनसे मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो 9 हजार के 12 हजार किये हैं, उनको तत्काल कम करें और कम करके किसानों के जो मांग पत्र आपने रोके हुए हैं, अगर इन किसानों के अतिरिक्त मांग

(66)

(श्री परसादीलाल मीणा)

बत्र आपने दिये तो कोई भी किसान कनेक्शन नहीं लेगा। हमने उनसे कह दिया कि तीन महिने का इन्तजार करें, नर्सरी योजना बनाने वालों का भी इंतजाम कर देंगे और नर्सरी योजना को भी बंद कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा : तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रति पोल की जो रेट बढ़ायी है, अगर आप किसान-हितैषी हैं तो आप दो हजार के चार हजार कर दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : न तो काश्तकारों को तकलीफ होने देंगे और न आपको वह तकलीफ होने देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : आप दो हजार के चार हजार कर लीजिये, आप 12 हजार क्यों कर रहे हैं? किसानों का एक भी वोट आने वाले चुनाव में, महावीर जी, आपको नहीं मिलेगा। अगर वास्तव में किसान होगा तो बी.जे.पी. को वोट नहीं देगा। या तो आप कीमत को जल्दी कम करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो किसानों के नाम से धोखा हो।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, आपके वारंट जारी होने वाले हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम किसानों के सारे दर्द को दूर करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : बी.जे.पी. के वारंट जारी होने वाले हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको यह मौका नहीं आने देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : इसलिए आप ऊर्जा मंत्री जी को बुलाकर, किसानों की जो चिंता प्रकट की गयी है इसके लिए, आप तुरन्त इसकी रेट को कम करवायें। किसानों के कनेक्शन के हजारों केस मेरे भी क्षेत्र में पड़े हैं। क्या आपके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होंगे, उपाध्यक्ष महोदय। आपको भी, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का ध्यान रखना चाहिए और माननीय ऊर्जा मंत्री जी हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर उन्होंने यह रेट 9 हजार की कम नहीं की, 12 हजार ही रखी तो तिवाड़ी जी का भी मामला साफ होने वाला है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री कभी कोई चुनाव नहीं जीतता चाहे इस पक्ष का हो, चाहे उस पक्ष का हो।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर्ची सिस्टम में इतना बड़ा भाषण नहीं चलता है। पर्ची में इतना लम्बा नहीं चलता है, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, इसमें कोई कम तो करायें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, आप विराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : किसान विरोधी इस सरकार ने किसानों पर बोझ बढ़ाया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी। आपका समय निकल रहा है, रामस्वरूप जी। परसादीलाल जी आपका समय ले रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, आप कोई व्यवस्था तो करायें सरकार से। इस सम्बन्ध में कोई स्टेटमेंट दिलायें। बोलने से फायदा थोड़े ही है। आप इसमें इस सरकार से स्टेटमेंट कराइये या सरकार से कोई जवाब दिलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट ऐसे नहीं होता है।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या सरकार सीरियस नहीं है इस मामले में जो सरकार कुछ नहीं करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर स्टेटमेंट देने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : किसान विरोधी सरकार है इसलिए नहीं कह रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बाध्य नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : अगर सरकार आपकी हितैषी सरकार होती तो आज ही कहती कि हम कम कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है। 131 वाला है या शून्यकाल वाला है? मेरे दो प्रश्न थे आपके सामने, एक तो शून्यकाल में मैंने दिया था प्रतिवृष्टि वाला, यह शून्यकाल वाला बोलूं या यह बोलूं?

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवृष्टि वाला बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : 131 पर। प्रतिवृष्टि? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... माननीय महावीर जी, आप बैठ जाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज 131 का कोई मामला नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय महावीर जी, आप बैठ जाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 295 का..

श्री रामस्वरूप मीणा : + + +, दोनों ही चीजें नहीं हैं, बैठ जाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + +

श्री रामस्वरूप मीणा : आप विराज जाइये। आप व्यवधान कर रहे है साहब मेरे बार-बार...उपाध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(68)

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + +

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, + + + आप चुपचाप बैठ जाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ ?

श्री रामस्वरूप मीणा : दखल करते हो आप। +++ दखल है आपके पास।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रामस्वरूप जी, +++ 131 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय महावीर जी को कहना चाहता हूं वह मेरा अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++

श्री रामस्वरूप मीणा : सदन का अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मसला है। कल के 24 घंटे के अन्दर भयंकर वर्षा मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हुई जिसके कारण वहां पर मेरे आठ गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जिनमें अमला, केमला, कुंजेला, रौंसी और बागोरी, गढ़खेड़ा और बड़गोड़ा यह गांव हमारे प्रभावित हुए हैं। केमला में जो तालाब टूट गया उसके कारण चार आदमी बह गये थे और जानवर भूखे हैं जो वहां पर मौत के घाट उतर गये, वे डूब गये, पानी के अन्दर मर चुके हैं व आठ मकान गिर गये वहां पर। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, सरकार तुरन्त उनको सहायता दे और केमला गांव माननीय जिलाधीश महोदय आज तक नहीं पहुंचे, कोई सहायता किसी प्रकार की नहीं पहुंची, कोई नाव वहां पर नहीं पहुंची इसलिए इसकी तुरन्त व्यवस्था की जाय। जब तक सरकार इसकी व्यवस्था नहीं करेगी, लोगों पर जो कहर ढाया जा रहा है, जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उनकी रक्षा की जाय। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है इस सरकार से ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांति धारीवाल।

श्री रामस्वरूप मीणा : 131 वाला कब आयेगा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वह गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके माध्यम से, भीनमाल में जैन मुनि का प्रकरण हुआ और आयोग के सामने गवाही चल रही है। इसी प्रकरण के दौरान जब यह प्रकरण सदन में उठा था पिछले साल तो माननीय गृह मंत्री जी....

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला आयोग के सामने चल रहा है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उस प्रोसीडिंग से कुछ लेना-देना नहीं है। मेरी बात सुन लें आप।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सुनें ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय गृह मंत्री जी ने, मैं एक मिनट में कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात नहीं सुनी आपने, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आप मेरी बात न सुनें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो खुद ही कह रहा हूं। यह आपकी जानकारी में तो मैं लाया हूं कि प्रकरण आयोग के सामने चल रहा है सुनवाई में। आप मुझे ही क्या सुना रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने यहां पर स्टेटमेंट दिया था कि जिस वक्त उपासरे से पुलिस जैन मुनि को जीप में बिठा रही थी तो खड़े हुए कुछ लोगों ने एतराज किया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आपके विभाग के आला अफसर पुलिस के गवाहों पर जबरदस्ती जोर डालकर, दबाव डालकर झूंठी गवाहियां दिलवा रहे हैं और झूंठी गवाहियां दिलवाकर इस सारे प्रकरण में जो न्यायिक जांच चल रही है उस पर असर डाल रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आयोग के सामने यह कार्यवाही चल रही है। इस मामले पर आप इनको रोकें भी और रोकने के साथ जो इन्होंने यह टिप्पणी की है इस टिप्पणी को रेकार्ड से आप हटवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : यह मैंने पहले भी आपको आगाह किया था, माननीय सदस्य। आप तो कानून के ज्ञाता हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ज्ञाता ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब आप मुझे ज्ञाता ही मानते हैं तो फिर मेरी बात भी सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह जी रावत।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। आपके आला अफसर प्रेसराइज करके आपके ही गवाहों को झूठी गवाहियां दिलवाना, यह प्रकरण पहले भी काफी उत्तेजना का विषय बन चुका है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सच्ची-सच्ची गवाहियां होने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस मामले पर आप ज्यादा न बोलें, कृपया विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कतई हस्तक्षेप मत करिये।

70

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मामला आयोग के समक्ष है इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिए, यह वाजिब बात है लेकिन ..

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन क्या होता है ? आप बैठिये ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार प्रेसराइज करके झूठे बयान दिलवाना चाह रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद लेकिन कुछ नहीं होता है, कृपया विराजें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें तो कम से कम उनको बताया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, कल उदयपुर के कृषि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने वहां एक जोरदार प्रदर्शन किया और सभी समुदाय के उसमें लोग थे । उन्होंने उनकी जो न्यायोचित मांग थी उसको लेकर प्रदर्शन किया और उन्होंने ए डी.एम जो वहां के हैं उनसे अपेक्षा की कि वह बाहर आकर उनका ज्ञापन लेंगे लेकिन जब बाहर आकर उन्होंने उनका ज्ञापन नहीं लिया और पुलिस ने उनके साथ धक्का-मुक्की करी तो प्रदर्शनकारियों में, पांच व्यक्तियों ने अन्दर जाने का प्रयास किया कि वह ज्ञापन उनको जाकर दें लेकिन उनके ऊपर काफी निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया । बर्बरतापूर्वक उनके साथ में व्यवहार किया गया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी साहब से भी निवेदन करूंगा कि वह 22 तारीख को शायद जनवरी की या फरवरी की, आप उदयपुर पधारे थे, आपने वहां पर उदयपुर में वहां के जो आपसे मिले थे डेलीगेशंस, उनको आपने एश्योरेंस दिया था कि जब भी आप राजस्थान में यूनिवर्सिटी खोलेंगे उस वक्त वहां पर उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय की मांग को ध्यान में रखकर वहां पर कृषि विश्वविद्यालय खोलेंगे और इसके बाद राजस्थान में उनकी न्यायोचित मांग है । इस प्रकार के अहिंसक प्रदर्शन करने वाले लोगों पर अगर पुलिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करे और उसमें चुन-चुन कर कांग्रेस के लोगों को पीटे और उनके साथ में दुर्व्यवहार करे तो यह अत्यन्त शर्मनाक और निन्दनीय बात है इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से भी आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं और निवेदन करता हूं कि गृह मंत्री जी, कृपया इस विषय के ऊपर आप, डिटेल्स प्राप्त करें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई ? माननीय चन्दनमल जी वाला मसला बाद में आपने ले लिया, शुरू में आप यह डिस्कस करवाइये चन्दनमल जी वाला । उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका है क्या ? इतना इम्पोर्टेंट मसला है और उसको आप बाद में ले रहे हैं आज । यह बजट का भाषण तो कल भी हो सकता है, देर रात

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

को भी हो सकता है। पहले आप इस दृश्य को लीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पहले मेरी बात तो कह लूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनें तो सही।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस फोटो को देखिये आप। यह बर्बरता का देखिये नमूना। यह देखिये इनके क्रियाकलापों को।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मेरी बात को कम्पलीट करने के बाद में आप बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : जिन्होंने यह मामला दिया था, माननीय रावत साहब। जिन माननीय सदस्यों ने यह मामला दिया है उन्होंने ही टाइम निश्चित करवाया है पांच बजे बाद।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, नहीं करवाया है।

श्री उपाध्यक्ष : शैलेन्द्र जी जोशी ने कहा। नो, नो गलत, शैलेन्द्र जी जोशी ने कहा था।

श्री परसादीलाल मीणा : हमने किसी ने नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सिग्नेटरी में से किसी ने नहीं कहा।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला बहुत अहम मसला है इसलिए हम यह चाहते हैं कि इसको जीरो आवर में लिया जाय। हमने कभी यह नहीं कहा कि डिमाण्ड के बाद में लिया जाय।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बात तो कम्पलीट करने दो यहां। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर मांग करता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी अपनी डिटेल्स प्राप्त करें। मैं यह अपेक्षा नहीं करता कि आज ही आप इस पर वक्तव्य दें। लेकिन कल या मण्डे को, जब भी आपको उपयुक्त हो, आप इस विषय के ऊपर वक्तव्य देने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा माया-राम।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कृपया कमिट-मेंट तो कीजिए।

श्री रघुवीरसिंह (धराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट, मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दें। क्या उच्च शिक्षा मंत्री जी ने वास्तव में उदयपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने का आश्वासन दिया था ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मंत्रीजी एश्योर करें कि उदयपुर में लाठी चार्ज हो रहा है। सदन चल रहा है यहां पर और प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चार्ज किया जाता है।

72

श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि महाविद्यालय की मांग पूरी की जाए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : गृह मन्त्रीजी अगर ऐसा आश्वासन नहीं देते हैं तो हम यहां काहे के लिये बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी से इस मामले पर स्टेटमेंट दिलाया जाए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : और एक न्यायोचित मांग मांगने वालों के ऊपर आप लाठी-चार्ज करते हैं, बर्बरतापूर्वक व्यवहार करते हैं। इसलिए गृह मंत्रीजी, आपसे आग्रह है....(व्यवधान)....

श्री राधेश्याम गंगानगर : गृह मन्त्रीजी से आग्रह है कि आप इस मामले पर स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य, बिराजें, कृपया बिराज जाएं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, आपने कह दिया, ये स्टेटमेंट देंगे। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं ये कहा है कि मैं इसकी जानकारी मंगवा लूं। मंगवाकर के आपके सामने रख दूंगा, उसके बाद आप इस पर चर्चा करके कोई समय तय करेंगे तो मुझे स्टेटमेंट देने में कोई तकलीफ नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : गृह मंत्रीजी को जानकारी नहीं है... (व्यवधान)....

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : उच्च शिक्षा मंत्रीजी कुछ कहने जा रहे हैं, वहां आपने आश्वासन दिया था क्या ? (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : कोई आश्वासन नहीं दिया था। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्यों नहीं दिया .. (व्यवधान) आपने आश्वासन क्यों नहीं दिया। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने आश्वासन दिया है, साहब। (व्यवधान)

श्री [redacted]अहारी : राजस्थान की सरकार ने आश्वासन दिया है। (व्यवधान) आपने आश्वासन क्यों नहीं दिया। कुशासन करना चाहते हैं (व्यवधान) नहीं, आपकी सरकार ने वायदा किया था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपको सत्यवादी हरिश्चन्द्र.....(व्यवधान) .. ... आपने वायदा किया है। आपने एश्योरेंस दिया है। आप उदयपुर जाकर के यह नहीं कह सकेंगे। (व्यवधान) चतुर्वेदीजी, आप उदयपुर नहीं जा पाएंगे। उदयपुर में आपका घेराव किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : नहीं, जनता को गुमराह क्यों किया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : चतुर्वेदीजी, आपको हम सत्यप्रिय मानते हैं। (व्यवधान) आपको विवेकशील मानते हैं। आपको बुद्धिमान मानते हैं, इसलिए कृपा करके इस विषय के ऊपर गम्भीरता से विचार करें। (व्यवधान)

श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : आदिवासियों का विकास हो... (व्यवधान) मंत्री महोदय, आप आदिवासी विरोधी हैं। आपने वायदा.... (व्यवधान) ...

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में जो लाठी चार्ज हुआ है .. आपने (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : दक्षिणी राजस्थान के अन्दर होनी चाहिए एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : आपने विश्वविद्यालय का वायदा नहीं किया तो क्यों नहीं किया .. (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, अभी बताता हूं। (व्यवधान) अभी बताता हूं। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, विराजें।

चूरू जिले की जनता की पेयजल की मांग पर ...विरोधी दल के नेता महोदय.... (व्यवधान) ...सुनिये, एक मिनट विराजें आप। स्टेटमेंट....सर्किल पर हुए लाठीचार्ज पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु दिनांक 15-7-98 को सायंकाल 5 बजे का समय निश्चित किया जाए। मान्यवर, मैं सुबह बांदीकुई जाकर दोपहर तक आ पाऊंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह उनके अकेले का है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अकेले का नहीं है। मूल उन्हीं का है, नाम उन्हीं का था पहले उस में ...(व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : यह एक ने कहा है, हमने नहीं कहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह उनका व्यक्तिगत दिया हुआ है . (व्यवधान)....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : यह एक ने कहा है, यह हमने नहीं कहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उनको ...(व्यवधान) अलग से समय दिया है। उनको अलग से समय दीजिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य के साथ जिस प्रकार से, बर्बरता से व्यवहार किया गया।....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरे यहां लोग मर रहे हैं ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य, विरोधी दल के नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : इनका तो थोड़ा ध्यान रखो। इनका तो सम्मान करो, आप लोग। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप भी जरा शान्त रहें, मंत्री महोदय। आप बैठे-बैठे न बोला करें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्षजी, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य किसी काम से बाहर आ रहे होंगे। लेकिन एडजोर्नमेंट मोशन को दिया था उसके बाद में आपने निर्देश दिये हैं गृह मंत्रीजी को वक्तव्य देने के लिये। उस एडजोर्नमेंट मोशन पर कई और भी कांग्रेस के माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और मैं आपसे बहुत विनम्रता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि अकेले ने, न तो माननीय सदस्यों को विश्वास में लिया, वे अपनी सुविधा के हिसाब से आपको लिख-कर चले गये। सभी माननीय सदस्यों ने एडजोर्नमेंट मोशन दिया था। उसके ऊपर इस मसले की अहमियत और घटना की गम्भीरता को समझते हुए आपने गृह मंत्री को निर्देश दिया है कि वे आज वक्तव्य दें।

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि चूंकि यह बहुत ही गम्भीर मामला है और इतने महत्व के मामले को 5 बजे का जो समय दिया है, वे स्वयं मेरी पार्टी के हैं, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि उनके आवेदन पर गौर नहीं किया जाए। मेरे दल के दूसरे जो माननीय सदस्यों का अभिमत है और मेरा स्वयं का यह अभिमत है कि अभी गृह मंत्रीजी का वक्तव्य दिलाने के आप आदेश दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मेरी व्यवस्था में संशोधन कर रहा हूं। गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे वक्तव्य देने के लिये तैयार रहें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कई लोग बेघर हैं। टूटे पड़े हैं, लोग घर से बाहर पड़े हैं। मुझे बोलने का दो मिनट समय दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप मुझे बोलने दीजिए, बैठ जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उन्होंने विश्वास में नहीं लिया शैलेन्द्रजी जोशी को।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कृपया आप बिराज जाएं, मुझे बोलने दीजिए।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर-पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, कल आसन पर मैंने व्यवस्था की थी कि माननीय मुख्य सचेतक जब भी बोलें उनका अंकित नहीं किया जाए। यह आचरण वही का वही है, बार बार, हर बात बोलेंगे।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर की जगतपुरा पंचायत में मनोहरपुरी कच्ची बस्ती में परसों रात से इतना पानी भर गया, डेढ़ सौ घरों के लोग बाहर पड़े हैं। कल सुबह से मैं यहां के जिला प्रशासन को कहती रही, कोई वहां पर गया नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें निकाला, बड़ी

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

मुश्किल में शाम को प्रशासन सी. एम. के यहां फोन करने के बाद थोड़ा सक्रिय हुआ और उनको निकालकर के स्कूल में रखा। लेकिन आज तक वे डेढ़ सौ आदमी वहां बाहर पड़े हैं। उनके लिये तत्काल सहायता मंत्री से कहें कि व्यवस्था करें, कहां रहेंगे वे, जिनके मकान टूट गये। डेढ़ सौ मकान हैं। मतलब 5 सौ आदमी बेघरवार पड़े हैं। उसके अलावा शिकारपुरा का अनाज, पानी सब कुछ बह गया, उनके घर में कुछ भी नहीं है। बर्तन, खाना-पीना कुछ भी नहीं है, उन घरों के अन्दर से मेरे कार्यकर्ताओं ने दिन भर पानी तोड़-तोड़ कर निकाला। क्योंकि प्रशासन बिलकुल नहीं गया वहां पर तो वहां पर यह हालत है। इसके अलावा प्रताप नगर जो नयी बस्ती बसी है शिकारपुर रोड पर उस पर दो मंजिल का एक मकान, तीन दूसरे मकान गिर गये। उनके लोगों को चोटें भी आयीं और वह मकान बिलकुल तहस-नहस हो गये। वहां पर हालत खराब है। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि इस अकाल राहत कार्य में कब मदद करेंगे।

दूसरा यह कि चक्रवाती तूफान के लिये हमारी 10–10 मीटिंगें की गयीं। जिला स्तर पर हमें बड़ी भारी तैयारी करके बताया गया। आज से 15 दिन पहले जो तैयारी थी वह आज बारिश होते ही तैयारी कहां चली गयी कि हमारे यहां लोग डेढ़-डेढ़ सौ घर-परिवार टूट जाते हैं और वहां कोई सम्भालने वाला नहीं जाए। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें, श्री मोहन मोदी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरी दो बस्तियां और हैं जो पानी में भरी हुई हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : बाढ़ मिनिस्टर कुछ जवाब दें... (व्यवधान)... क्या बात है कि कुछ जवाब नहीं दें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि जो 5 सौ लोग पड़े हुए हैं उनका इंतजाम खाने–पीने का किया जाए, नहीं तो वे बेघर-बार पड़े हुए हैं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे नीमकाथाना निर्वाचन क्षेत्र में नानकवास ग्राम में 10-12 लोगों के घरों के कनेक्शन हैं और उन कनेक्शनों को विद्युत विभाग ने विच्छेद कर दिया, काट दिया उन कनेक्शनों को। कारण यह बताया गया कि सारे लोगों के पैसे जमा होंगे तब हम बिजली दे पाएंगे। जो लोग पैसे जमा करा रहे हैं उनसे पैसे नहीं लिये जाते हैं। यह तो कोई न्यायोचित बात नहीं है, जो लोग पैसे जमा कराना चाहते हैं उनसे पैसे लेकर के उनके कनेक्शनों को वापस जोड़ा जाए। यह मेरी रिक्वेस्ट है। एक तो यह गांव जो है वह अपनी उस लिस्ट में है और सरकार का दायित्व है कि हर गांव के अन्दर हम बिजली सप्लाई करें। यह लगी हुई कनेक्शनों की डी. पी. हटा लें, कनेक्शन काट लें, आखिर क्या चाहते हैं, लोगों से क्या चाहते हैं। ऊर्जा मंत्रीजी यह बात तो कहें कि जिनके बिल बाकी

(श्री मोहनलाल मोदी)

हो उनको कनेक्शन नहीं दें, यह तो बात समझ में आती है। लेकिन उनका यह है कि सारे गांव का ठेका उनको दिया जाए कि जो जमा कराना चाहते हैं, सबके पैसे वे जमा कराएं। यह कौनसी न्यायोचित बात है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों को कनेक्शन दिलाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस राज्य सरकार के भू-जल मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर जिले में पिछले करीब बीस वर्षों से भू-जल विभाग का सर्वे हुआ होगा, आज तब से डार्क-जोन चल रहा है और हो सकता है कि उस वक्त परिस्थितियां इस प्रकार की रही हों, जिसकी वजह से डार्क-जोन लगाना पड़ा। किन्तु, आज जिस प्रकार वर्षा का औसत बढ़ा है, जिस प्रकार से कुओं का पानी ऊपर आया है, मैं यह मानता हूं कि डार्क-जोन हटाया जाना चाहिये। पिछले दिनों, बीस वर्षों से किसान अपने खेतों में कुआ नहीं बनवा पा रहा है क्योंकि उसको किसी प्रकार की ऋण की सुविधा सीकर जिले में उपलब्ध नहीं है। कुछ जगह किसान ऋण लेकर कुआ होते हुए भी बिजली के कनेक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि डार्क-जोन की वजह से उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमने बार-बार जिले की बैठकों में जिला प्रशासन के माध्यम से राजस्थान सरकार को भी इस बात के लिये सूचित करने का प्रयास किया कि दुबारा से सर्वे करवा लिया जाए और दुबारा सर्वे करवा कर के यदि पूरे तहसील में या पूरे पंचायत समिति क्षेत्र में जहां पर आप महसूस करते हैं कि यहां वास्तव में डार्क-जोन आवश्यक है, किन्हीं गांवों में, उन गांवों को आप आइडेन्टिफाई भले ही कर दें, मेरा मानना यह है कि करीब-करीब सभी गांवों में जल स्तर बढ़ा है और कुओं के अन्दर पानी के जल स्तर को बढ़ने के बाद दूसरे लोग पड़ौस में कुओं से नये साधन उपलब्ध कर सकें, इस बात का ऋण प्राप्त कर सकें। जिले में बहुत सी बंजर भूमि पड़ी है, जिसमें कि खेती हो सके इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितना शीघ्र सम्भव हो, आपकी औपचारिकता को पूरी करते हुए—

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। कृपया बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पुनः डार्क जोन का सर्वे करवा कर के डार्क-जोन समाप्त करवाने की कृपा करें, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री मोहनलाल मोदी : आप तो इसका सर्वे करवा लें कि अब डार्क-जोन नहीं रहेगा वह।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित हूं, उस क्षेत्र के अन्दर तालाब और कुएं, कुएं तो बहुत ही हैं लेकिन कुछ ऐसे तालाब हैं, जिसके अन्दर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सबसे पहला गंगलाव तालाब, बाइजी का तालाब, रानीसर, पदमसर, फतेह सागर, और गुलाब सागर, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे क्षीण व्यवस्था गंगलाव तालाब की ऐसी है कि उसके अन्दर लोग मकान बनाकर के बैठ गये हैं, मगर उसको कोई देखने वाला नहीं है और मैं यह चाहती हूं कि इस बरसात के मौसम में, अगर भारी बरसात आ गयी तो न मालूम कितनी जान माल का खतरा हो जाएगा और फिर वह सरकार से मुआवजा मांगने के लिये तैयार होंगे और मैंने जिला प्रशासन को बार-बार कहा, किन्तु कहने के बावजूद भी अभी तक कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की गयी है। न वहां से कोई कचरा हटाया गया है और कचरा डालने से वहां पानी की आवक कम होने से पूरे उधर के क्षेत्र के अन्दर अगर जोरदार बरसात आ गयी तो सारे, न मालूम कितने मकान धंस जाएंगे। पिछले साल भी बरसात आयी थी, यही दशा हुई थी और आज भी अगर बरसात आ गयी तो यह दशा होने वाली है। इसी तरीके से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाइजी का तालाब है, उसको कचरे से भर दिया गया है। इसी तरह से रानीसर और पदमसर तो सुरक्षित है, मगर गुलाब सागर और फतेह सागर के अन्दर गटर का पानी अन्दर आ रहा है जबकि पानी का कितना मूल्य होता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ज्यादा नहीं कहूंगी, मगर मैं एक बात मंत्रीजी से कहूंगी कि इसके अन्दर आप विधान सभा की एक कमेटी बना लें और वहां पर गंगलाव तालाब के ऊपर जो एनक्राचमेंट हो रहे हैं, उसको रोका जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां सड़क के...

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल। कृपया, बैठिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : इससे अधिक और आप क्या बोलेंगी? काफी बोल लिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष बात कहना चाहती हूं कि सड़क के ऊपर पीपल के वृक्ष होते हैं, उन तक को भी कवर कर–करके लोग मकान बना रहे हैं और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से यह सदन से निवेदन करना चाहूंगी कि आप एक कमेटी बना दें और वहां की सारी जानकारी लें।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हजारों तेल की मिलें हैं और राजस्थान में सरसों, मूंगफली और तिल्ली भी काफी पैदा होती है जबकि अलवर में तो सरसों काफी मात्रा में पैदा होती है, जो राजस्थान से बाहर और प्रांतों में यह कच्चा माल जाता है, उसके कारण से यहां की छोटी फैक्ट्रियां बन्द हो गयी हैं और कुछ बड़ी फैक्ट्रियो के भी बन्द होने का अन्देशा है। अगर यह तेल मिलें नहीं चलीं

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तेल मिल में जो पैसा लगाया है, उसका सारा लोस अपन जनता को भोगना है। दूसरी बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह और कहना चाहूंगी कि यह जो कच्चा माल है, यह कृषि मण्डी में किसान लेकर आते हैं। उसमें टैक्स लगता है और बिचौलिये अपना खर्चा जोड़कर के कच्चा माल बेचते हैं। तो माल तेल मिल को बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसलिए वह तेल काफी महंगा हो जाता है। तो मेरा आपसे व सरकार से निवेदन है कि इस तेल मिल को चलाने के लिये उनको कृषि मण्डी में दुकान दी जाए, जिससे ये दुकान पर सीधी खरीद करें और तेल मिल चलायें, जिससे जनता को सस्ता तेल मिले। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीचन्द गुर्जर।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वाणिज्य संकाय के सीनियर हायर सैकण्डरी के रिजल्ट्स, करीब सैकड़ों की तादाद में छात्रों के रोके हुए हैं और उनके एडमीशन की लास्ट डेट 17 थी, हो सकता है एकाध रोज और बढ़ जाए, यदि समय से रिजल्ट नहीं आ पाये तो वह छात्र फर्स्ट ईयर में एडमीशन नहीं ले पाएंगे इसलिए अतिशीघ्र इनके रिजल्ट्स डिक्लेयर कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी। (अनुपस्थित) श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी यहां पर नहीं है. मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों को काफी प्रोत्साहित किया है कि उन्नत किस्म के बीजों का वह रोपण करें। लेकिन अफसोस है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जितनी मांग है, उसका केवल दस परसेंट भी सरकार उन्नत किस्म के बीज नहीं दे पा रही है। किसान इन्तजार कर रहे हैं। आपके पास भी आये होंगे, मेरे पास भी आये हैं। अखबार में भी आये हैं, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और उसकी वजह से अब यह बोने के समय, ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हुई है, लोग बोना चाहते हैं लेकिन चूंकि वह सुविधा उपलब्ध नहीं है, बीज उपलब्ध नहीं है तो या तो सरकार यह कह दे कि हम नहीं दे सकते। उपाध्यक्ष महोदय, नतीजा यह हो रहा है कि लोग अन-सर्टिफाइड बीज, उस उन्नत किस्म के बीज के नाम से जो लोग बेच रहे हैं, उसको मजबूरी में महंगे भाव पर खरीद कर उसको बो रहे हैं, इससे फसल भी खराब होगी और जो एक प्रोत्साहन का वातावरण बना है, उन्नत किस्म के बीजों का, उसको भी आघात लगेगा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बारे में जल्दी से जल्दी उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती शशीदत्ता।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का भी स्टेटमेंट था कि हम इस बात को एन्श्योर करेंगे कि उन्नत बीज नहीं होते हुए भी जो लोग उन्नत बीज की थैलियां बनाकर के जहां कहीं भी कर रहे है, उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे क्योंकि यह अहम् मसला है और इस मसले के ऊपर किसान उन्नत बीज समझकर के बोएगा तो उसकी फसल होने वाली नहीं है और वह अपनी आमदनी से महरुम रह जाएगा। जैसा कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसके अनुसार कोई कार्यवाही, स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिये हैं क्या ? और नहीं लिये हैं तो गवर्नमेंट को इमीजिएटली ड्रास्टिक स्टेप्स लेने चाहिये और सब जगह इस तरह का जो बीज है, उसका सैम्पल लेकर के आपको पहले टैस्ट करवाना चाहिये और उसके बाद में उनको अनुमति देनी चाहिये, फिर दूसरे लोग उसको बेच सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती शशीदत्ता।

श्रीमती शशीदत्ता (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अबकि बार पहली दफा इन्होंने आठवीं की बोर्ड की परीक्षा ली और जो रिजल्ट इस बार आया वह बहुत ही शर्मनाक रिजल्ट रहा। उसके बावजूद भी इन लोगों ने यह घोषणा की थी दो-चार रोज पहले कि, पहले तो इन्होंने यह गलती की कि जिनके 15 परसेंट नम्बर हैं, उनको सप्लीमेंट्री दी जाएगी। उसमें भी जो बच्चे प्राइवेट एग्जाम्स में बैठे थे, मिडल की परीक्षा में, उनको इन्होंने अनुमति दी या नहीं दी, यह इनकी घोषणा में कुछ स्पष्ट नहीं है। आज मैं अति-महत्व का प्रश्न इनके सामने रख रही हूं कि शायद कल या परसों सप्लीमेंट्री की परीक्षा होने जा रही है, इन्होंने ऐसे निर्देश तो दे दिये, यहाँ सदन में कि जिन बच्चों के 15 परसेंट मार्क्स हैं, उनको सप्लीमेंट्री में बैठने की इजाजत देंगे लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आज तक आपके आदेश आपके जो मुख्यालय है, बीकानेर या यहाँ-वहाँ सर्कुलेट नहीं हुए हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप तुरन्त इनको सदन से फैक्स के जरिए भिजवायें, लाखों बच्चों का भविष्य इसके ऊपर अटका हुआ है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तुरन्त व्यवस्था करावें।

(13.00 बजे)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही अहम् प्रश्न है लेकिन सदन को यह कहते हुए मुझे सन्तोष है कि इस मिडल बोर्ड के रिजल्ट को आप बहुत ही घटिया कह रहे हैं। राजस्थान का मिडल बोर्ड का टोटल रिजल्ट 57.37 परसेंट बना है। उसमें सप्लीमेंट्री नहीं है। यह बात जरूर है कि कई बच्चे सप्लीमेंट्री की स्थिति में हैं। 25 परसेंट सरकार का नियम जो अब तक था कि कम से कम वार्षिक परीक्षा में 25 परसेंट नम्बर आएंगे तो ही उसे सप्लीमेंट्री मिल पाएगी अन्यथा नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी बच्चों का यह पहला-पहला अनुभव है, इतना कठोर, इसलिए हमने थोड़ी-सी इसमें छूट देकर, जिन बच्चों के एक ही विषय में 15 परसेंट तक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

भी नम्बर आए, वार्षिक परीक्षा में उसको सप्लीमेंट्री का एक चांस दिया। उसकी हमने घोषणा भी की। लेकिन चूंकि कानून में अब तक यह है कि जो बच्चा सीधा आठवीं की बोर्ड परीक्षा में बिना स्कूल के बैठता है उसके लिए नियम में सप्लीमेंट्री का कोई प्रावधान नहीं है। वह संशोधन नहीं होने के कारण उन बच्चों तक वह बात नहीं पहुंच पायी पर हमने आदेश दे दिये हैं कि अगर 16 तारीख को वह बच्चे परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो उनके लिए 10 दिन बाद एक अलग से परीक्षा जो 27 हजार बच्चे, जो प्राइवेट बैठे हैं, उन 27 हजार में से हो सकते हैं कि हजार-दो हजार बच्चे इस श्रेणी में शायद सप्लीमेंट्री में आ जाएं। मैं एग्जेक्ट संख्या नहीं बता सकता हूं, हो सकता है दो हजार से कम भी हों लेकिन उनको भी एक चांस हम 10 दिन बाद और परीक्षा का देकर के उनको अवसर देंगे ताकि वह पास हो सकें।

श्रीमती भशोदत्ता : आदेश तो भिजवाए।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ. जितेन्द्र सिंह जी।

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के बोनाफाइड स्टेण्डर्ड के बारे में बताना चाहूंगा कि कितना+++ किया जा रहा है। महोदय, और तो और मेरे पुत्र को ही राजस्थान का बोनाफाइड रेजीडेंट नहीं माना गया। महोदय, यह हंसने की बात है। महोदय, मैं राजस्थान के हजारों लोगों की बात कह रहा हूं उनमें एक मेरा पुत्र भी है। महोदय, राजस्थान में पचास सालों से या जितने लम्बे समय से जो लोग हैं और वह पी एम टी. में एपीयर होते चले आये, उनकी अपनी प्रापर्टी है। उनके वोटर लिस्ट में नाम हैं, उनके अपने राशन कार्ड पर नाम हैं लेकिन जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा गत दो वर्षों से कंडक्टेड पी.एम.टी. में उन्होंने मानदण्ड बना रखे हैं कि जो गत आठ वर्षों से राजस्थान में पढ़ेंगे वह ही इस पी एम टी. में एपीयर होने के लिए एनटाइटल हैं। महोदय, इस तरह से हजारों लोग हैं जिनके बच्चे मजबूरी में बाहर पढ़ रहे हैं।

हम सीमा पर रहते हैं। मेरी कांस्टीट्एंसी हरियाणा बोर्डर के ऊपर है। जरूरी नहीं कि मैं मेरे बच्चों को राजस्थान में पढ़ाऊं। मुझे पढ़ाने के लिए अपना बच्चा बाहर भेजना पड़ रहा है। मेरे जैसे हजारों लोग, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के कम से कम दस हजार एम्पलाई हैं, जो+++ बाहर के हैं। कोई बंगाल से हैं, उन सबको वंचित कर दिया। गृह मंत्री महोदय, इसमें नितांत संशोधन की आवश्यकता है। राजस्थान के हजारों बच्चों का भविष्य इसलिए बेकार हो गया कि किसी का बच्चा दिल्ली पढ़ रहा था, किसी का नारनौल में पढ़ रहा था। उन सबको राजस्थान का बोनाफाइड नहीं माना गया जबकि वह लोग पचासों सालों

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डॉ जितेन्द्र सिंह)

से राजस्थान में हैं।

महोदय, इसमें तुरन्त कार्यवाही की जाय। हजारों बच्चे जो राजस्थान के निवासी हैं, वह उनका लाभ नहीं उठा पाये। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूं कि अतिशीघ्र जोधपुर विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिये जाएं क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है पी.एम.टी. और पी.ई.टी. जो भी एग्जाम, उसमें यह जो मानदण्ड हैं, उनमें संशोधन करने की नितांत आवश्यकता है। धन्यवाद।

शासकीय वक्तव्य

चूरू जिले में पानी की मांग को लेकर जयपुर में किए गए प्रदर्शन में पुलिस द्वारा कथित बर्बरतापूर्ण व्यवहार

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री, चूरू जिले में पानी की मांग को लेकर जयपुर में किए गए प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन द्वारा कथित बर्बरतापूर्ण व्यवहार एवं कतिपय विधायकों के घायल होने के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 3-6-98 को श्री चन्दन मल बैद के नेतृत्व में प्रदर्शन करने पर स्टेच्यू सर्किल, पृथ्वीराज रोड पर हुई घटना का वक्तव्य है :-

श्री चन्दनमल बैद, विधायक, तारानगर जिला चूरू ने चूरू जिले में पेयजल की समस्या के बारे में दिनांक 3-6-98 को प्रातः मुख्य सचिव निवास का घेराव व प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। इस प्रस्तावित प्रदर्शन एवं घेराव को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा कानून और व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सभी तैयारियां की गयीं। जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा मुख्य सचिव निवास के आस-पास के क्षेत्र में धारा 144 सीआर.पी.सी. लागू करने के आदेश जारी किए गए जिसके अन्तर्गत किसी प्रकार का पुलिस प्रदर्शन, धरना, पिकेटिंग व मार्ग अवरुद्ध करना आदि को निषेध किया गया था।

धारा 144 सीआर पी. सी. दिनांक 3-6-98 को प्रातः पांच बजे से सायं आठ बजे तक लागू की गयी थी। दिनांक 2-6-98 को रात्रि में स्टेच्यू सर्किल, पृथ्वीराज रोड, महावीर मार्ग, एस.एम.एस. अस्पताल के पास तथा नारायण सिंह तिराहे के पास मजबूत लकड़ी के बेरिकेटिंग लगाए गए। पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (दक्षिण) द्वारा इस अवसर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक पानी पुलिस बन्दोबस्त किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगायी गयी थी। दिनांक 3-6-98 को प्रात. 6 बजे श्री चन्दनमल बैद के निवास पर कांग्रेस के लगभग 1500 कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। जहां पर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें यह अवगत करा दिया था कि स्टेच्यू सर्किल से आगे धारा 144 सीआर.पी.सी. लागू है, आप उल्लंघन नहीं करें। इस पर उन्होंने धारा

(82)

(श्री कैलाश मेघवाल)

144 सीग्रार.पी.सी. की पालना करने का ग्राश्वासन दिया था ।

एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्ता श्री चन्दनमल बैद के निवास से जुलूस के रूप में रवाना होकर स्टेच्यू सर्किल पर पहुंचे जहां उनके द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया । सभा में श्री चन्दनमल बैद व श्री इन्द्रसिंह पूनिया ग्रादि ने भाषण दिए । श्री चन्दन मल बैद व ग्रन्य नेताग्रों से प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने पुन: सम्पर्क कर ग्रवगत कराया कि स्टेच्यू सर्किल से मुख्य सचिव के निवास तक धारा 144 सीग्रार. पी. सी. लागू है, ग्रत: ग्राप उसका उल्लंघन नहीं करें । जिस पर वे सभी सहमत हो गए तथा स्टेच्यू सर्किल मोड़ के पास में ही गिरफ्तारी देने की इच्छा जाहिर की । साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने का ग्राश्वासन दिया था । किन्तु सभा समाप्त होते ही श्री चन्दनमल बैद एवं श्री इन्द्रसिंह पूनिया के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए रवाना हुए, जिन्हें नियुक्त पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया परन्तु भीड़ द्वारा पुलिस का घेरा तोड़कर धारा 144 सीग्रार.पी.सी. का उल्लंघन किया गया । भीड़ उग्र होकर ग्रागे बढ़ने लगी । इस पर ग्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जयपुर के ग्रादेशानुसार उग्र एवं ग्रनियंत्रित भीड़ पर बाद चेतावनी फायर बिग्रेड की गाड़ियों से पानी की बौछार की गयी । इसके फलस्वरूप भीड़ में भगदड़ मच गयी । परन्तु नेताग्रों के बहकाने पर भीड़ पुन: एकत्रित होकर ग्रागे बढ़ने लगी ग्रौर पृथ्वीराज रोड पर लगभग 300 गज प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश कर गयी । उग्र भीड़ द्वारा पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की गयी तथा कुछ शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए व बैनरों के डण्डों से भी प्रहार किया गया । इस पर ग्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के ग्रादेशानुसार उग्र भीड़ पर पुन: बाद चेतावनी लाठी बल प्रयोग किया गया । धारा 129 सीग्रार.पी.सी. के ग्रन्तर्गत 352 व्यक्तियों को बसों में बिठाकर ग्रलग-ग्रलग थानों में ले जाकर तितर-बितर कर दिया गया । भीड़ के शेष व्यक्ति स्वत: ही बिखर गए । दोनों ही ग्रवसरों पर न्यूनतम बल प्रयोग किया गया । इस घटना के दौरान दो पुलिसकर्मियों एवं नौ प्रदर्शनकारियों के चोटें ग्रायीं जिनका मेडिकल मुग्रायना कराया गया ।

इस घटना के सम्बन्ध में प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध मुकदमा नम्बर 131/98 धारा 147, 149, 332, 353, 188, 336 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 3-6-98 को थाना ग्रशोक नगर में दर्ज किया गया जिसका ग्रन्वेषण सी.ग्राई.डी. की ग्रपराध शाखा द्वारा किया जा रहा है ।

इससे पूर्व दिनांक 2-6-98 को श्री चन्दनमल बैद, विधायक से उनके घर पर ग्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त पुलिस ग्रधीक्षक द्वारा सम्पर्क कर धारा 144 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन नहीं करने एवं स्टेच्यू सर्किल पर ही गिरफ्तारी देने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी । दिनांक 2-6-98 को जिला कलेक्टर

(श्री कैलाश मेघवाल)

जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (दक्षिण) ने भी श्री चन्दनमल बैंद से इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया। परन्तु कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। देर रात्रि को श्री बैंद स्टेच्यू सर्किल पर गिरफ्तारी हेतु सहमत हो गए थे किन्तु दिनांक 3-6-98 को स्टेच्यू सर्किल पर श्री चन्दनमल बैंद एवं श्री इन्द्रसिंह पूनिया, विधायक आदि ने जोशीले व भड़काने वाले भाषण दिए तथा भाषण में कहा कि "लाठी-गोली खाएंगे फिर भी मुख्य सचिव के निवास में प्रवेश करेंगे।" जिसके कारण उपरोक्त घटना घटित हुई। श्री चन्दनमलजी बैंद को लाठीचार्ज के समय स्वयं पुलिस अधिकारियों ने भीड़ में से निकाला। ऐसा उनकी वृद्धावस्था, स्वास्थ्य व वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसके फलस्वरूप श्री बैंद को किसी प्रकार की जाहिरा चोट नहीं आयी। तितर-बितर किये गये लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनको चूरू तक पहुंचाने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विशेष बसों का प्रबन्ध किया गया था।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी का यह कहना कि वरिष्ठता का लिहाज करते हुए और इनको पुलिस के प्रोटेक्शन में ले जाया गया, वह फोटो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस की स्वयं की मौजूदगी में इतने बुजुर्ग नेता को, जो इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं जमीन पर डालकर इन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। उसके लिए, माननीय गृह मंत्रीजी, आपको खेद व्यक्त करना चाहिये था इसके बारे में कि पुलिस बल ने इस तरह का अन्यायपूर्ण और बर्बरतापूर्ण आचरण किया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बता रहे हैं कि इनको बताया गया था, मैं आपके सामने यह फोटो पेश करता हूं जिसमे साफ जाहिर है कि....(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, हर जन प्रतिनिधि का एक नैतिक दायित्व होता है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति जागरूक हो कर के सरकार के समक्ष अपना ध्यान आकर्षित करें और इसी के तहत.. (व्यवधान)....

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : और उसका फोटो आपके सामने है और आप कह रहे हो ..(व्यवधान) ..

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए बताने वाली बात बिलकुल गलत है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन तारीख को राजस्थान के वरिष्ठतम राजनेता माननीय श्री चन्दनमल जी बैंद के नेतृत्व में पानी की मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया गया और उस पर जिस प्रकार से अमानवीय प्रहार किया गया और उस प्रहार के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी ने जो यहां अपना अभिभाषण पढ़ा है...(व्यवधान)....

(८५)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मामला श्री चन्दनमल बैद का नहीं है बल्कि इस सदन की अवमानना है। +++ हो ....(व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : हत्यारा शब्द निकाला जाए।

एक माननीय सदस्य : ऐसा प्रहार किया जो चोट ही नहीं लगी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं आसन से इस सदन के हितों की सुरक्षा की गुजारिश कर रहा हूं। राज्य के वरिष्ठतम शब्द का प्रयोग किया है मैंने। राजनेता के साथ हुए लाठीचार्ज के सम्बन्ध में यहां कोई चर्चा हो और सत्तापक्ष उसको बहुत हल्के-फुल्के तरीके से ले, वह सदन के लिए ही अशोभनीय नहीं है बल्कि यह राजस्थान की समूची पांच करोड़ जनता का अपमान है। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन :....बूढ़े हो गये, बीस-बीस बार हमने लट्ठ खाये हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : किन्होंने ?....(व्यवधान)... +++ आन्दोलन करने में लट्ठ नहीं खाये। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : काहे के राजनेता, एक शर्म की बात है। ...(व्यवधान).... राजनीति में डनलप के गद्दों पर सोना चाहते हो ....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, 40 साल तक राज किया कांग्रेस ने ....(व्यवधान) ...

श्री अनंग कुमार जैन : फाइव स्टार होटल में ठहरना चाहते हैं.. (व्यवधान) ... उससे मन नहीं भरा अभी। राजनीति में डनलप के गद्दों पर सोने से और फाइव स्टार होटल में ठहरने से मन नहीं भरा। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मंत्रिमण्डल के सदस्य यहां जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं ... (व्यवधान) ....क्या आप बोलने नहीं देंगे ? हम मुख्य मंत्रीजी को भी नहीं बोलने देंगे यहां, यह ध्यान रख लेना।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : कांग्रेस के राज में हम लोगों ने भी प्रदर्शन किये और प्रदर्शन करने के बाद....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुवा) : हम किसी मंत्री को नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जैसा करम करेगा इन्सान वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कमाल हो गया। क्या प्रजातन्त्र के मूल्यों को उठा कर ताक पर रख दिया ? कमाल हो गया।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यही आपने किया है 40 साल।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हमने 40 साल प्रजातन्त्र की जड़ें गहरी की हैं। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : न्याय मांगने के लिए प्रदर्शन किया...(व्यवधान)...हाथ-पैर तोड़े।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमने तो 40 साल में यह आचरण किया, आप तो चार साल में ही यह आचरण करने लग गये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सुन लो, लो।

श्री किशन गोपाल कोगटा : 40 साल तक बर्बरतापूर्वक, राजस्थान की जनता ने अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांग के लिए प्रदर्शन किये, उन पर बर्बरतापूर्वक लट्ठ चलाये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण कोगटाजी का हो रहा है या आपने मुझे पुकारा है ? कमाल हो गया।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? रोकिये उनको।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें। (व्यवधान)... कृपया आप भी शांत रहें। (व्यवधान) ... आप बैठे-बैठे नहीं बोलें; मुझे खड़ा होकर बोलना पड़ता है, माननीय सदस्य। श्री पारीकजी, एक तो आप बार-बार नहीं उठें। आप फिर उठ गये।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट, एक बात कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको उठना याद दिला दिया तो फिर उठ गये।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, न तो बार–बार खड़ा होकर बोलने की मुझे कोई इच्छा है, मुझे तब बोलना पड़ता है जब सरकार में बैठे हुए वरिष्ठतम माननीय सदस्य इतने गम्भीर विषय को जिस तरह से हल्का-फुल्का लेकर उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तब बार-बार बोलने के लिए खड़ा होना पड़ता है और मन में बड़ी पीड़ा होती है इस बात की। (व्यवधान

श्री किशन गोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य समय जाया नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, श्री रामस्वरूप जी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन से प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। इतने गम्भीर विषय को जिस ढंग से मन्त्रिमण्डल के सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये । आप समय खराब कर रहे हैं, पूछिये आप ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : समय तो मेरे यह खराब कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक ऐसी योजना से जुड़ा हुआ है "नर्मदा माहुवा योजना" से, जो शायद एशिया की सबसे बड़ी रोजगल स्कीम है, जिसमें अब तक करीब 350 गांवों को पानी उपलब्ध कराया जा चुका है ...

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य विषय ला एण्ड आर्डर पर आ जाइये ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं इसी पर आ रहा हूं । जिसमे 500 गांवों को और पानी उपलब्ध कराये जाने की योजना है । जर्मन सरकार से एड मिल रही है । यह जो रनिंग पंचवर्षीय योजना है इसमें 235 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य आपका है, 250 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुका है । अगर ऐसी महती योजना भी, मंत्रीजी, आपके शासन में विफल हो जाय... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, अलग से प्रश्न नहीं है, इसी से है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है आप उस पर ही प्रश्न करिये ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इसी वक्तव्य से सम्बन्धित है । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप उन विषयों पर जो आन्दोलन से सम्बन्धित हैं, जहां लाठीचार्ज हुआ है उस विषय पर आइये । यह जो योजना है उस पर अलग से विचार करना ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप मैं जो बोल रहा हूं इससे भयभीत हैं क्योंकि मैं सच्चाई उजागर कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई भयभीत नहीं है ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप इसलिए इन्टरफियरेंस कर रहे हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि विषय गम्भीर है तो उस पर गम्भीरता से चर्चा करिये । मेरा इतना ही निवेदन है ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मतलब क्या है ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपके पास बोलने को है कहां ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : है । कोगटाजी, आप बैठिये । है, जो मैं कह रहा हूं वह आप सुन नहीं रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वैदजी को आन्दोलन करने की आवश्यकता क्यों हुई,

(87)

(श्री हरिसिंह)

मैं यह बात कहना चाह रहा हूं। 300 गांवों में से 70-80 गांवों को पानी नहीं मिल रहा था। मैं इस सदन के सामने यह स्वीकार कर रहा हूं कि इस योजना में माननीय चन्दनमलजी का खून-पसीना नहीं, इनकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई थीं। क्योंकि चन्दन मलजी बैद के अथक प्रयासों से यह योजना बनी, इनके प्रयासो से योजना का उद्घाटन हुआ, इनके प्रयासो से योजना का शिलान्यास हुआ और अगर वह योजना विफल हो, पी.एच., ई.डी. की लापरवाही से लोगों को पानी नहीं मिले तो इनका दुखी होना वाजिब था।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : कोई विफल नहीं हुई है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि माननीय बैदजी ने प्रदर्शन से पूर्व 6 तारीख को मुख्य सचिव को पत्र लिखा और पत्र आन्दोलन की पूर्व सूचना थी। सब में डेटस थी कि 15 मई तक इसका समाधान नहीं हुआ तो एक्स. ईएन. का घेराव करूंगा और तब भी नहीं हुआ तो उसके बाद....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सक्रेटेरिएट का घेराव करूंगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं मुख्य सचिव का घेराव करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं, आपने बहुत समय ले लिया। विराजें आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य बहुत समय ले लिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मतलब यह तो + + + उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक्स. ईएन., एस. ई. और एडीशनल चीफ के स्तर पर जब पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो आन्दोलनकारी जयपुर में मुख्य सचिव के घेराव के लिए निर्धारित तिथि पर आये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य सचिव क्या हैं ? मुख्य सचिव का क्यों ? अफसरों का किस लिये ? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मुख्य मंत्रीजी का घेराव करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मुख्य मंत्रीजी का हम कर चुके थे। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, टाइम तो मेरा यह ले रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फिर घबरा क्यों गये ?(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(88)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में इन्टरविन कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। आपके माध्यम से श्री हरिसिंहजी पूछ रहे हैं तो वे बीच में क्यों बोल रहे है, आप उनको रोकिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि गृह मंत्रीजी ने कहा कि घर से जुलूस चला। यह बिलकुल सही है कि जुलूस ने स्टेच्यू सर्किल पर भाषण दिया। यह भी बिलकुल सही है कि लाठी-गोली खायेंगे और चीफ सैक्रेटरी का घेराव करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, प्रजातंत्र में ... (व्यवधान)....

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपका प्रश्न क्या है, यह बताइये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कोगटाजी, मैं अनुरोध करूंगा ... (व्यवधान) ...

श्री किशन गोपाल कोगटा : आप केवल वक्तव्य पर प्रश्न कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : हम बिलकुल नहीं बोलने देंगे इनको।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया उस पर प्रश्न पूछिये आप। आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप मुझे पढ़ाने वाले कौन हैं? (व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनकी इस सदन में जगह नहीं है + + + आप वहां चले जाइये, कोगटाजी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कोगटाजी, हूं आर यू? आप कौन होते हो कहने वाले? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको जगह ही नहीं है यहां। क्या + + + लगा रखा है? समय बतायेगा आपको। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से प्रश्न पूछना चाह रहा हूं सीधा-सीधा। गृहमंत्रीजी, जब आन्दोलनकारी वहां पहुंचे जहां जुलूस हो रहा था, क्या माननीय बैदजी वहां जुलूस में भाषण कर रहे थे और पूनियाजी भाषण कर रहे थे? उसके बाद वहां से 144 धारा को तोड़ने के लिए जब आगे बढ़े तो क्या आन्दोलनकारियों के हाथ में लट्ठ थे? कोई हथियार थे? डंडे थे? बिलकुल नहीं थे। शांतिपूर्ण आन्दोलन था। एक व्यक्ति जिसकी राजस्थान में पहचान है, जो मनसा, वाचा, करना और गांधीवादी हैं, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे गांधीवादी तौर-तरीकों से इतर हटकर के किसी प्रकार का खून खराबा या आन्दोलन में हिंसा पैदा करेंगे। पहले तो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

आचार्य तुलसी के पट शिष्य और महात्मा गांधी के राजनीतिक शिष्य । आप ऐसे लोगों से उम्मीद करते हो कि वे हिंसा का वातावरण बनायेंगे । हकीकत यह है कि आपको क्या हो गया है ? (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : क्या बात है, अबकी बार बैंदजी टिकट दिलवायेंगे क्या ?

एक माननीय सदस्य । प्रशंसा कर रहे हो, क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस ने ज्यादती की । पुलिस ने ज्यादती ही नहीं की, प्रजातंत्र के जो नियम हैं, उनको ही उठाकर ताक पर रख दिया है । सिटी मजिस्ट्रेट वहां था, जिला मजिस्ट्रेट वहां था, एस.पी. वहां था और टाइगर बार–बार निर्देश ले रहे थे । वह कौन व्यक्ति था जिससे निर्देश ले रहे थे कि अब यहां यह हो रहा है- Tiger speaking, Tiger requesting. Either he meant Chief Minister or Chief Secretary from whom he was getting the order कि चन्दनमलजी के हाथ पैर तोड़ दो । कौन वह सर्वोच्च सत्ता है जिससे उन्होंने यह आदेश प्राप्त किये ? कौन वह सर्वोच्च अधिकारी है जिससे उन्होंने यह आदेश प्राप्त किये ? जिले का कलक्टर वहां घूम रहा है ।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इनको दंगल में भेज दिया जाए । अच्छा मनोरंजन कर लेते हो आप । कोटा में दशहरे का मेला होता है । वहां अच्छा दंगल है । कमाल है ?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, गांधीवाद कमजोर पड़ गया आपके बयानों में । मनसा, वाचा, करणा गांधीवादी थे ....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान पत्रिका के एडिटोरियल की सिर्फ एक लाइन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । एडिटोरियल वैसे सबने पढ़ लिया होगा । यह पांच जून का है । एक और प्रश्न इन घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है । यह लोकतांत्रिक व्यवहार का है । चन्दनमलजी बैद तथा उनके कांग्रेसी साथियों ने कई दिन पहले यह घोषणा की थी कि चूरू जिले में पेयजल संकट को लेकर मुख्य सचिव का घेराव करेंगे और जयपुर में एक प्रदर्शन करेंगे । क्या मुख्य मंत्री और उनके मंत्रिमण्डलीय सहयोगी चन्दनमल बैद से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आज भी विधायक हैं उनको सचिवालय में बुलाकर के समस्या के निदान के लिए बातचीत नहीं कर सकते थे ? मीडिया इसको महसूस करता है । प्रबुद्ध नागरिक इसको महसूस करते हैं लेकिन सरकार इसको महसूस नहीं करती है । चन्दनमलजी बैद आगे बढ़े । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि चन्दनमल बैद के ऊपर इस उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में जो घातक प्रहार हुए, पुलिस की लाठियां टूट गयीं । वह भी प्रेस में आया है । मैं आपसे निवेदन

(90)

(श्री हरिसिंह)

कर रहा हूं कि जो स्थिति चन्दनमलजी की बनी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीना देकर बुदों ने लट्ठ झेले और चन्दनमल जी का जीवन सुरक्षित किया। आपकी पुलिस ने बर्बरतापूर्ण प्रहार किया। चन्दनमलजी के साथ ही नहीं, भूतपूर्व विधायक....

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्लीज, नो पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जो नियमों में व्यवस्था है, यदि मंत्री वक्तव्य देता है उस पर केवल एकाध सवाल ही पूछे जा सकते हैं। उस पर चर्चा...

श्री मोहनलाल मोदी : किसने कह दिया ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : यहां बैठते हैं आप लोग हजारों साल, घनश्यामजी, आप पूछते थे कि एक सैकण्ड में एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है ? अब आपके पेट में क्यों खलबली मची हुई है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : यह एडजोर्नमेन्ट मोशन है। आपको ध्यान है कुछ ? यह मंत्रीजी का वक्तव्य भी एडजोर्नमेन्ट मोशन के बाद आया है। एडजोर्नमेन्ट मोशन पढ़कर बताइये आप। यह क्या है ? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : एक ही सवाल है। मंत्रीजी का वक्तव्य है....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : धारीवालजी, आप बैठ जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पढ़ लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपसे ज्यादा पढ़ा-लिखा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पढ़े-लिखे ज्यादा हो सकते हैं पर गुणवान नहीं हैं और आप शक्ल से भी बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन शक्ल से बहुत सारे एक्टर भी होते हैं। आप मेकअप भी करके आते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत समझदार हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, महावीर जी को +++

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप मेरा पाइन्ट आफ आर्डर सुन लें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझे प्रश्न तो पूछ लेने दो। मेरे प्रश्न थोड़े लम्बे हैं। मैं पूछ रहा हूं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अवलोपित की गयी।

(91)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : हमें ऐसा लग रहा है कि बी.जे.पी. वाले इस एडजोर्नमेंट मोशन से चिन्तित ज्यादा हैं इसलिए हर कोई बीच-बीच में इन्टरप्ट कर रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप अहिंसा पर विश्वास रखने वाले हो, आपको क्या हो रहा है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अहिंसा पर विश्वास रखने वाले लोग आन्दोलन करके उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, अहिंसा पर विश्वास रखने वाले लोग सचिवालय पर धावा नहीं बोल सकते, अहिंसा पर विश्वास रखने वाले चीफ सेक्रेटरी के यहां धावा बोलने नहीं जा सकते... (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : ... (व्यवधान) सैक्रेटरिएट की इनकी जो सोच थी.... (व्यवधान) पानी मांगने आये लोगों पर डंडे बरसाये....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....अहिंसा पर विश्वास रखने वाले लोग कभी ऐसी शिकायतें लेकर नहीं आ सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इमरजेंसी में हमने जब-जब भी आन्दोलन किये, तब-तब हम पर लाठी चार्ज किया गया, गोलियां भी चलायी गयीं....

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप लोग राजकोष को ही खाली नहीं कर रहे बल्कि प्रजातंत्र को भी नष्ट करते जा रहे हो ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : . नाखून निकाल लिये गये। बाल उखाड़ लिये गये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह पाइन्ट आफ आर्डर है या भाषण है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : .. और इतना ही नहीं ....(व्यवधान) हमने कभी यहां आकर शिकायत नहीं की। लेकिन आपने जरा-सा प्रदर्शन क्या किया .. (व्यवधान) और एक प्रदर्शन को लेकर.. .

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पाइन्ट आफ आर्डर है क्या ?

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : यह पाइन्ट आफ आर्डर है या भाषण है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए मेरा निवेदन है कि नियम 290 के अन्तर्गत....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सुन लिया आपका पूरा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 290 का सुन लिया आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, सुन लिया।

माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है उसके पीछे भावना तो ठीक है लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस भावना का आप सभी आदर करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह पूछना चाह रहा था, मंत्रीजी, बल प्रयोग तब होता है जब भीड़ काबू से बाहर, अनियंत्रित और अहिंसक हो जाती है।

श्री कालीचरण सराफ : सचिवालय पर आपने बहुत अच्छा किया।(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा): यह पूरा मीडिया ने संदेश दिया है। माना है। राजस्थान से, जयपुर से, राजधानी से प्रकाशित होने वाले हर पत्र की रिपोर्टिंग आप पढ़ लें। दिल्ली की रिपोर्टिंग मंगवाकर पढ़ लें। सबने यह एक ही स्वर से माना है कि भीड़ अहिंसक नहीं थी, अनियंत्रित नहीं थी। धारा 144 का उल्लंघन किया है तो बिना लाठी चार्ज किये पुलिस इस भीड़ को गिरफ्तार कर सकती थी, गिने चुने कार्यकर्ता थे। माननीय मालूमां जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, इसी सदन के सदस्य रहे हैं, पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए हैं। पुलिस ने बेरहमी से पीटा। उनकी दाईं तरफ की तीन पसलियां टूट गयीं। चन्दनमलजी घायल हो गये, माननीय पूनियाजी घायल हो गये जो कि इस सदन के माननीय सदस्य हैं। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूं कि आप मुझे इजाजत दें....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, अब आप समाप्त करें। आपने प्रश्न पूछने के बजाय लम्बा–चौड़ा भाषण दे दिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बस आधा मिनट में। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कहां पूछ रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : प्रश्न ही पूछ रहा हू। माननीय, भीड़ कितनी हिंसक हो गयी थी जो आपने इतना जबरदस्त लाठी प्रहार करवाया कि Shri Kamal Kishor Ghiya president, Sardarshahar three fractures in both the hands.

Shri Bhalu Khan Ex M.L.A. ; Churu-fracture in three ribs of the right side . श्री पतराम जाखड़, fracture in the right hand श्री नन्दलाल गुसाईं, fracture in the right hand.

श्री उपाध्यक्ष : यह रिपोर्ट किसकी पढ़ रहे हैं आप ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह मेडिकल की रिपोर्ट है। मैंने नहीं बनायी है Shri Harji Ram- fracture in hand. Shri Amar chand- fracture in hand. Shri Gulam Rasool Gouri- severe injury on the head मरते मरते बचा। Shri Rampratap Devra-a big Wound on the head. Shri Mohan Singh fracture in right hand and Shri Govind Maheshwari- fracture in the right hand.

यह पुलिस की बर्बरता का नमूना पेश किया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कि पुलिस ने किस बेरहमी से, बर्बरतापूर्वक चन्दनमल जी को सबक सिखाने के लिये हिंसा का प्रयोग किया। मैं आपसे निवेदन करूं कि पुलिस की बर्बरता का अन्त यहीं नहीं हुआ।

(श्री हरिसिंह)

मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि क्या यह सही है कि चन्दनमल जी की गिरफ्तारी के बाद और 400 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद शाम को पुलिस चन्दनमल जी के घर पर गयी। घर पर औरतों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। लेडीज को, दोनों पुत्र वधुओं और पोतियों को घर से बाहर निकाल लाये और उनको प्रेसराइज किया, उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। महिलाओं ने कहा आप कुछ भी कर सकते हो, हमें गिरफ्तार कर सकते हो, आप हमारी जान ले सकते हो लेकिन पोती रो रही थी। मेरे दादाजी के मुझे दर्शन करवा दो। पुलिस के किसी व्यक्ति ने हास्पीटल ले जाकर उस बच्ची को दादाजी से मिलाने तक की हिमाकत नहीं की। यह अन्याय, यह बर्बरता, यह जुल्म की इन्तहा है और राजस्थान की पांच करोड़ जनता देख रही है। आप अब भी इसको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

एक माननीय सदस्य : इमरजेंसी में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय को जवाब देने दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको धन्यवाद तो दे लूं। आपको धन्यवाद देना बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : कितना बोलेंगे आप ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, सिर्फ आपको धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अकेले ही आधा घंटे बोल गये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने मुझे मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ शासन का धन्यवाद पेश करता हूं। माननीय कोगटा जी ने यह कहा कि हमने प्रजातंत्र में क्या किया। हिन्दुस्तान के इर्द–गिर्द के जो देश हैं, पाकिस्तान, लंका, बर्मा और हमारे पहले और पीछे आजाद हुए देश, सब जगह डिक्टेटरशिप आ गयी। वह कांग्रेस के नेता थे जो इस देश में प्रजातंत्र की जड़ को गहरा गाड़ गये और आज भी प्रजातंत्र कायम है। धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, 19 महीने लोगों को जेल में रखकर ... (व्यवधान).....

एक माननीय सदस्य : भारत का प्रजातंत्र भारत की जनता की देन है, किसी पार्टी की नहीं। (व्यवधान)

94

श्री मदन दिलावर : सैंकड़ों लोगों को जेलों में +++ यह वही लोग हैं। (व्यवधान)... मोरारजी देसाई जैसे लोगों को जेल में डाला, राजस्थान के सी.एम., बड़े-बड़े नेताओं को जेल में रखा। यह तो सैंकड़ों लोगों के +++ जिन्होंने इमरजेंसी में लोगों को +++ दस-दस साल के बच्चों को मारा।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्रीजी से, माननीय चन्दनमल जी बैद अपने क्षेत्र में जाते नहीं, अलोकप्रिय हो गये इसलिये लोकप्रियता के लिये इन्होंने इस प्रकार से यह किया कांग्रेस वालों ने। यह कह रहे हैं, सही है ?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं और गृह मंत्री जी ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि जब भीड़ अनियन्त्रित होने लगी तो फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार करके उनको रोकने की चेष्टा की गयी। मैं, माननीय गृह मंत्री जी, आपसे पूछना चाहता हू कि जब भी फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार की जाती है तो प्लेन वाटर से बौछार की जाती है। यह आपने जिस तरह से मोबिल आइल मिक्स करके वहां पर पानी की बौछार करवायी जिससे वहां भागते हुए लोग फिसल-फिसल कर गिरे। उससे लोग चोटिल हुए और उसी की वजह से लाठी चार्ज का इतना बड़ा आदेश आपको देना पड़ा। आप अपने बयान में यह स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे दो-तीन सवाल उठकर सामने आते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब चन्दनमल जी ने पहले कह दिया था कि हम मुख्य सचिव को अपनी बात कहेंगे। ऐसी बात को, आन्दोलन नहीं था, प्रदर्शन था और....

श्री कालीचरण सराफ : घेराव करने के लिए कहा था।

श्री शिवनाथ सिंह : सुन तो लो। क्या हो रहा है आपको ? मंत्री बन गये इससे कोई आफत नहीं आ गयी। आपको समय मिलेगा अपनी बात कहने का। उपाध्यक्ष जी, जब यह बात हो गयी तो यह आन्दोलन नहीं था, प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन के लिये जैसा अखबारों में आया है, चन्दनमल जी से जानकारी मिली है आप इस बात तक तैयार थे कि हम या तो मुख्य सचिव के पास जाकर अपनी बात कह लें, रूबरू ही जायं। यदि रूबरू नहीं होना चाहते हैं मुख्य सचिव जी तो हम माइक द्वारा वार्तालाप कर सकते हैं। जब इस प्रकार की बातें सामने आती हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या 144 लगाना वहां आवश्यक था ? 144

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शिवनाथ सिंह)

इतनी दूरी में जहां कि पूरे शहर के आवागमन को अवरुद्ध कर दिया। इतना प्रदर्शन, इतनी फौज वहां तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि चन्दनमल जी ने भड़काऊ भाषण दिया। ऐसे अवसरों पर आप हमेशा टेप करते हैं। क्या आपके प्रशासन ने चन्दनमल जी का भाषण टेप किया है? तो, उसमें से कौनसा अंश है जो भड़काऊ है, चन्दनमल जी के मुख से भड़काऊ बात कहलाने की बात आप कहते हो, वह असंभव है चन्दनमल जी से।

एक आखिरी सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जब आप कहते हो कि अनियंत्रित भीड़ हो गयी थी, चन्दनमल जी वरिष्ठतम नेता हैं, यहां सदन में भी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: इसमें कोई दो-राय है?

श्री शिवनाथ सिंह : दो राय आपको है। तो, क्या आपकी पुलिस फोर्स ने इस प्रकार की चेष्टा की कि चन्दनमल जी को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षित रखा जाय? या यह उचित समझा आपने कि लाठी मार कर इनको डाल दिया जाय? यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं आखिर यह घटना क्यों घटी? चूरू जिले की पेयजल की व्यवस्था के लिये लोग, यहां आये और यह घटना घटी। उसके पीछे बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। जैसा कि अभी माननीय हरिसिंह जी ने कहा, मुख्य सचिव को एक पत्र 6 मई को लिखा है, 6 मई को लिखा हुआ पत्र, 27 मई को वहां पर तारानगर में घेराव किया। सरकार की आंखें फिर भी नहीं खुली। पी एच.ई.डी. मिनिस्टर स्टेटमेंट देते रहे कि चन्दनमल जी चूरू में पानी की राजनीति करते हैं। पानी की राजनीति करते हैं, वहां चूरू जिले को पानी दिया है चन्दनमल जी ने और आपने उसमें अवरोध डाला है। उससे आक्रोशित होकर चूरू जिले के दो हजार कार्यकर्ता वहां से जयपुर आये। उन्होंने मुख्य सचिव को बड़े विनम्र शब्दों में 6 मई को पत्र लिखा और आखिर में उन्होंने लिखा कि अगर इसकी व्यवस्था नहीं की गयी, 6 मई से 3 जून तक, तो यह सारी अव्यवस्था, जो भी अराजकता होगी, उसकी जिम्मेदारी मुख्य सचिव की या राज्य सरकार की होगी। उसके बाद भी राज्य सरकार की आंखें क्यों नहीं खुली? पानी की व्यवस्था भयंकर गर्मी में क्यों नहीं की? क्या कर रही थी राज्य सरकार? लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ने से पहले आप कहीं भी चले जाओ गर्मी में सारे राजस्थान में, दिल्ली-जयपुर मार्ग भी दस बार बंद हुआ है पानी के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह गृह मंत्री का विषय नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : घटना क्यों घटी है उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह तो होगी। इस पर आधा घंटे चर्चा हो चुकी पहले।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि धारा 144 लगायी। क्या लाठीचार्ज पहले से अनाउन्स किया? लाठीचार्ज की घोषणा की? क्या उनको चेतावनी दी? अगर धारा 144 थी तो पहले चन्दनमल जी को और इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सारे लोगों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गयीं? लाठी चलाने की नौबत, किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में एक लकड़ी क्या, एक इंच का कोई गुटका भी नहीं था। फिर लाठीचार्ज क्यों किया? आप कह रहे हैं पत्थर बरसाये हैं असामाजिक तत्वों ने। अगर आप यह साबित कर दें, आपके पास वीडियो कैसेट है और हमारे पास भी वीडियो कैसेट है। अगर आप यह साबित कर दें, एक भी पत्थर भीड़ में से किसी आदमी ने फेंका तो आप कहो तो विधान सभा से मैं त्याग-पत्र दे सकता हूं पर आप यह गलत स्टेटमेंट मत दीजिये। चन्दनमल जी को बदनाम करने के लिये आप पत्थर की और इसकी बात, पुलिस अधिकारियों की गलती को छिपाने के लिये आप इस तरह की बात मत करिये। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं गृह मंत्री जी, कि जब चन्दनमल जी ने वहां भाषण में यह कहा कि मुख्य सचिव हमारे पांच प्रतिनिधियों से भी मिल लेंगे तो हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या यह बात सही है? तो फिर मुख्य सचिव ने प्रतिनिधि मण्डल के पांच लोगों को मिलने की इजाजत क्यों नहीं दी? क्यों ऐसी स्थितियां पैदा हुईं? आपका कलक्टर आपका एस पी, आपका डी.आई.जी. सब वहां मौजूद थे तो आपने पांच लोगों को मुख्य सचिव से क्यों नहीं मिलाया? क्या गृह मंत्री जी यह सही है कि 1 जून की घटना का बदला आप लेना चाह रहे थे इसलिये यह घटना घटी। एक जून की घटना से आपका प्रशासन, जब मुख्यमंत्री का घेराव हो, एक जनप्रतिनिधि का घेराव हो, वहां एक भी लाठी चार्ज नहीं हो, सचिवालय के दरवाजे तक वहां चले गये, मुख्यमंत्री सचिवालय छोड़कर चले गये और मुख्य सचिव का घेराव हो इससे आपके शासन का पता चलता है कि मुख्य सचिव के घेराव में कितने वरिष्ठतम जो 80 वर्ष के, भैरोंसिंह जी एक बार भी कह दें कि कांग्रेस के राज में कभी भैरोंसिंहजी के खिलाफ अंगुली भी उठायी हो, कभी लाठी चार्ज तो क्या उनको कभी बेइज्जत भी किया हो, कभी असम्मानित भी किया हो, ऐसा कभी कांग्रेस ने किया? और जिस तरह की घटना घटी—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 19 महीने तो जेल में रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : परसादी लालजी, आप आते ना। आप साथ तो आते। इतने वरिष्ठ नेता को, परसादी लालजी, आपने अकेला ही भेज दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : चूरू जिले का मामला था। हम आए तब तो आपको

(श्री परसादीलाल मीणा)

हिम्मत नहीं पड़ी। अगर हम आते तो आपकी हिम्मत नहीं होती। हम तो सचिवालय तक जाकर आए थे, आपकी हिम्मत होती तो उस दिन लाठी चलाते। आपने चन्दनमलजी को अकेला देख लिया और अब चलाकर देखो लाठी चार्ज। सचिवालय छोड़कर भाग गये, हम आए जब तो सचिवालय में भी नहीं मिले, सचिवालय खाली करके भाग गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इतने वरिष्ठतम नेता महोदय को आपने अकेले भेज दिया। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी।

श्री परसादीलाल मीणा : हम आए थे सचिवालय में। सचिवालय जिस दिन आए उस दिन आप... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, यह चीफ व्हिप साहब का रोल तो देखिये आप। बीच-बीच में हर बार खड़े हो जाते हो आप....

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, सही रोल है...

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या रोल है आपका। डिस्टर्बेंस पैदा करते रहते हो, कुछ नहीं जानते हो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपसे नहीं कह रहा हूं। परसादीलाल जी से कह रहा हूं, वरिष्ठतम नेता को अकेला भेज दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें कि लाठी चार्ज करने का आर्डर कितने बजे किस अधिकारी के द्वारा दिया गया। कौनसे अधिकारी ने, कौनसे मजिस्ट्रेट ने लाठी चार्ज का आर्डर दिया और कितने बजे आर्डर दिया? जिस तरह की आदत बनायी गयी है, क्यों दिया? क्या ऐसे हालात थे जिसमें लाठीचार्ज का आर्डर देना जरूरी था? यह सब एक तारीख को जो पुलिस अधिकारियों को डांट पड़ी उसकी खाना पूर्ति यह तीन तारीख को कर रहे थे। गृह मंत्रीजी, सिर्फ इसलिये लाठी चार्ज हुआ। आपको ध्यान होना चाहिये इतने वरिष्ठतम 80 वर्ष के नेता....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। आप बार-बार दोहरा रहे हैं। हर बात को दोहरा रहे हैं आप। काफी बोल लिये, अब समाप्त करें। समाप्त करें। गृह मंत्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे बोलना है, मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलिये। आप बोलिये।

श्री चन्दनमल बैद : मैं बोलूंगा अभी तो नहीं, नेता महोदय बोलेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा पहले..

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट....

(98)

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलिये-बोलिये ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : आइ एम आन पाइन्ट आफ आर्डर सर । पाइन्ट आफ आर्डर । पाइन्ट आफ आर्डर । आई एम आन पाइन्ट आफ आर्डर सर ।

यह जो एडजोर्नमेंट मोशन में जिन लोगों ने दस्तखत किये हैं उनका डिस्कशन का अधिकार है और मावलंकर ने एडजोर्नमेंट मोशन में जो डिफाइन किया है, तो मावलंकर साहब ने कहा है कि "... Successive Speakers of the Central Legislative Assembly, including myself, had considerably relaxed the rule of admission as it prevailed in the House of Commons, for the obvious reason that private members, who were in opposition, had few opportunities of discussing matters of public importance.... The Government then was not responsible to the legislature, nor were they amenable to its control. Thare was, therefore, good ground for the presiding officers to relax the rule and allow opportunities for discussion of all important questions...." by all members.

श्री उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कितना-कितना ? कितना रिलेक्स किया जाए कि एक माननीय सदस्य को आधा-आधा घंटा दे दिया जाए । प्रश्न पूछे गये । प्रश्न पूछ लिये गये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 10-10 मिनट । इनको तो रोकिये, वक्त तो यह खराब कर रहे हैं ।

श्री रतनलाल ताम्बी : आधे घण्टे में दस मिनट तो चीफ व्हिप लेते हैं । महावीर प्रसाद जी ले रहे हैं ।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि एडजोर्नमेंट मोशन जिस सदस्य ने दिया है उसको उस पर डिस्कशन करने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिये । माननीय, विराजें आप ।

श्री विष्णु मोदी : जिन्होंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उनको पूरा अधिकार है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव तो स्वीकार हुआ नहीं है । यह आप अलग से आदेश दे रहे हैं । स्थगन प्रस्ताव तो नहीं है, ... (व्यवधान) वक्तव्य में चर्चा नहीं हो सकती है । वक्तव्य में, इस प्रकार एडजोर्नमेंट मोशन नहीं दिया जा सकता... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होने स्थगन प्रस्ताव दिया है उनको बैस

(श्री विष्णु मोदी)

पर डिस्कस करने का अधिकार है। आप क्या +++ चीफ व्हिप हैं ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, नहीं है....

श्री विष्णु मोदी : कौन है, किस किताब में है, उसको एडमिट किया गया है। कौन कह रहा है कि एडमिट हो गया है ..

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, तो वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। एक-दो सवाल पूछे जा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यह किताब है, यह किताब....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किताब पढ़ो इसको....

श्री विष्णु मोदी : मावलंकर ने ... (व्यवधान) पढ़ लो एडजोर्नमेंट मोशन को...

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, एडजोर्नमेंट मोशन को पढ़ लो....

श्री विष्णु मोदी : हां, यह पढ़ लो प्रक्रिया और नियम को....

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो पढ़ लीजिये ...

श्री विष्णु मोदी : और यह सब इस किताब से निकली है। इसमें है यह प्रेक्टिस आफ रूल्स .. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले स्थगन प्रस्ताव को किस प्रकार लिया जाएगा ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : किताब तो आपको मालूम ही नहीं है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पढ़िये..

श्री विष्णु मोदी : आप पढ़ ही नहीं सकते....

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, पढ़िये आप स्थगन प्रस्ताव....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : इसमें 60 दिन विधान सभा चलाने का है। आज तक चलायी है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, चलायी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह किताब देखी है आज तक खोलकर, खड़े हो जाते हो। इस किताब को +++। क्या बात करते हो ?

श्री विष्णु मोदी : इस किताब की बात करते हैं आप।+++

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम चलाना चाहते हैं, इसमें विपक्ष का सहयोग नहीं है (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आपकी मंशा ही नहीं है। आपकी मंशा ही नहीं है। फिर आप क्या किताब की बात करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यहाँ उपस्थित ही नहीं रहते हैं। अपने धंधों में लिप्त रहते हैं। आप सदन के प्रति गंभीर ही नहीं हैं। 60 दिन विधान सभा चले उसके लिये विधान सभा में आना पड़ता है, माननीय सदस्य। वहां धंधे में लिप्त रहने से काम नहीं चलता... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चीफ व्हिप साहब को बता दूं कि सीधी बात नहीं होती है हाउस में जो माननीय सदस्य को बात कर रहे हैं। आपके माध्यम से बात होती है। आपको यही पता नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप क्यों सीधी बात कर रहे हैं? आप सीधी बात क्यों कर रहे हैं? मैं उपाध्यक्षजी के मार्फत ही बात कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गवर्नमेंट चीफ व्हिप आप किसकी ब्वाइस हैं.... (व्यवधान) आपको फुर्सत है? धंधे से ही फुर्सत नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री परसादीलाल मीणा : आप उधर से आंख उठाकर क्या कहते हैं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह स्टेटमेंट पढा है, मैं इसके बारे मे आपको दो लाइनों से यह बताना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि भीड़ ने पत्थर फैंके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भीड़ को पत्थर ही फैंकने होते तो जयपुर में तो इतना अमला-जमला पुलिस का लगा हुआ था, 27 तारीख को हमने तारानगर में अधिशासी अभियंता का घेराव किया, मात्र थोड़े से आदमियों से। इसीलिये कि हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे राजगढ, तारानगर, सरदारशहर की जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हम हमारा विरोध प्रदर्शित करना चाहते थे। अगर हमें इस प्रकार की कार्यवाही करनी होती तो राजगढ, तारानगर में हम दस हजार लोग लाकर वहीं अधिशासी अभियंता के साथ अभद्र व्यवहार कर सकते थे। जिस प्रकार से पिछले सैशन में सरदारशहर में एक्स.ईएन. के साथ घटा था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, न हमारा इरादा था, न यहां था, न अब है, न रहेगा। लेकिन माननीय मेघवाल साहब, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं की आप गलत रिपोर्ट सदन में पेश कर रहे हैं, यह आपके लिये बड़े शर्म की बात है। मैं दावे से कह सकता हूं, आप सदन की कमेटी गठित कर दीजिये। मीडिया वहां सब, पूरे हिन्दुस्तान का मीडिया था। हमारे पास भी कैसेट है, आपके पास भी कैसेट होगी। मैं उस समय वहां उपस्थित था। लाठियों से पीटा गया हूं। अगर हमारे कार्यकर्ताओं में किसी के हाथ में एक कंकड़ भी हो तो मैं इस पवित्र सदन के

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

इस्तीफा देने को तैयार हूं, वरना आप मेघवाल साहब, आप यहां से इस्तीफा दे दीजिये। यह असत्य है। असत्य बोलकर सदन को गुमराह किया जा रहा है। मुझे मांग करने की आवश्यकता नहीं थी। समय आएगा जांच हम करेंगे। लेकिन मेघवाल साहब का यह कथन है कि वहां पत्थर फेंके गये, मैं आपसे यह मांग करना चाहूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय कमेटी से जाच करवाइये। अगर इस प्रकार चूरू जिले की हमारी जनता के हाथ से एक पत्थर भी आए तो इस पवित्र सदन में जिन्दगी भर आने के लिये मैं अपने आपसे मना करूंगा। ऐसा असत्य भाषण दिया। स्पीच दिया, अधिकारियों ने दिया है, वह दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि यहां के पुलिस अधिकारी माननीय श्री चन्दन मलजी बैद के घर पर लेडिज पुलिस किसके आदेश से उनकी पुत्र वधु, उनकी पोतियों को बाहर निकालने के लिये मजबूर कर रही थी ? इतना पुलिस बल माननीय बैदजी के घर पर क्यों तैनात किया गया ? मैं इस मामले को ज्यादा तूल भी नहीं देना चाहता लेकिन, माननीय मेघवाल साहब, मैं आपको चेलेंज करता हूं, आपने जो यह स्टेटमेंट दिया है कि वहां अनियंत्रित भीड़ ने पत्थर फेंके। अगर यह आप साबित करते हैं तो मैं पुन यह निवेदन करना चाहता हूं मैं इस सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इनका यह प्रि-प्लान था कि चन्दन मलजी बैद को लाठियों से पीट–पीट कर मार दिया जाए। मैं यह जानना चाहूंगा स्टेच्यू सर्किल से जब हम चले तो क्या वहां अधिकारियों ने यह घोषणा की थी कि यू आर अंडर अरेस्ट। अगर यह घोषणा की हो तो हमारा कोई आदमी आगे बढ़ा भी नहीं। न इन्होंने कोई घोषणा की, न हमारे साथ जन समुदाय था। चन्दन मलजी अकेले आगे पुलिस घेरे में घिरे हुए थे और लाठियों से पीटे जा रहे थे। अगर रामप्रताप सेवदा, कटारिया जी हसिये मत, हमारे पास फोटोज है, आप फोटोज देख लीजिये, अरविन्द जैन आई.पी.एस ने यहां तक भी कहा है कि मारो साले के डंडे, यह मैंने मेरे कानों से सुना है कटारिया जी। कभी समय आयेगा और आप पर होगा तो आप भी बोलेंगे। यह अरविन्द जैन ने कहा है....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : .खाये हैं, हमारी बराबरी करने में तो दो जन्म लेने पड़ेंगे, दो।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : हां, तो खाये होंगे। इसका यह कोई मापदंड नहीं है....

श्री चन्दनमल बैद : इस बात का बदला लिया है कि हमसे, आपने लट्ठ खाये हैं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे लक्षण करोगे तो....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : नहीं, आपने लट्ठ खाये इसका बदला मुझसे लिया है ...(व्यवधान)....और क्या बदले की बात कर रहे हैं आप।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मुझे तो इस अंश में एक ही

(102)

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

बार में यह पूछना है कि क्या यह पत्थर-बाजी में आप बयानबाजी दे रहे हैं इसे सदन की कमेटी से साफ करवायेंगे। बस इतना ही पूछना चाहता हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी : करंट लगाये थे करंट। लट्ठ तो क्या है, करंट लगाये थे महिलाओं के।+++तो+++करनी चाहिये कि क्या-क्या जुल्म ढा कर आये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : हमने कोई लड़की नहीं छीनी है। भई, लड़की लेकर के भागें तो बात समझ में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान् खेतसिंह जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक छोटी-सी जानकारी....

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : आप कह रहे हैं कि लट्ठ पड़ गये। दूसरे दिन तो कमेटी में आ गये आप। दूसरे दिन तो आप कमेटी में आ गये हमारी में और लट्ठ कहां से पड़ गये ?

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आप ये चाहते थे। आपकी यह कांस्पिरेसी थी कि लाठियों से चन्दनमल जी मर जायें, कमेटी में नहीं आयें। आप और आपकी सरकार यही चाहती थी।

श्रीमती तारा भण्डारी : पुलिस वालों को आपने ही सिखाया है लट्ठ चलाना.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जानकारी देना चाहती हूं। चंदनमल जी के चोटें लगी या क्या हुआ यह मुझे अनुमान नहीं है। अगर इनके लगी हो तो मुझे खेद है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इनकी उम्र और मेरी उम्र में थोड़ा ही अंतर होगा। यहां बड़ी चौपड़ पर सब्जी वाले का सामान उठाकर भागा जा रहा था। मैंने ट्रक पकड़ लिया, उसके बाद में मैंने मना किया, रसीद देने की मांग करी, मैंने कोई बात गलत नहीं करी थी। मेरे हाथ पर डंडा मारकर, ऐसा नहीं मेरे सिर में लाठी मारी....

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इनको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। यह यूं ही कन्ट्रोल....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

एक माननीय सदस्य : हमको तो बोलने नहीं दे रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्रियों का आचरण है कि आपका ?

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : मोहनलाल जी मोदी, आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एम.एल.ए.थी मैं भी, मैं भी विधायक थी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराज जायें, माननीय मंत्री महोदया। आजकल आप मंत्री हैं। आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कभी भी अच्छा नहीं हुआ। तब भी अच्छा नहीं हुआ, अब भी अच्छा नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें ...(व्यवधान) खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से, गृह मंत्रीजी और इनकी पार्टी के मेम्बर्स कह रहे हैं कि हमने बहुत लाठियां खायी हैं और हमारी कमर देखिये। आपने लाठी जरूर खायी होंगी लेकिन इस तरह से फेक्चर्स नहीं हुए होंगे। इस बार चन्दनमल जी और इनके साथियों पर जो जुल्म आपने ढाया है इसमें 10 आदमियों के फेक्चर हुआ है। किसी के दोनों हाथ टूटे हैं, किसी के तीन-तीन रिब्स टूटी हैं, किन्हीं के कई वो.... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : जेल में मर गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मरे हैं तो वह अपनी मौत से मरे होंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मौत से नहीं, आपकी जेलों में मरे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी सरकार में ऐसा 35 वर्ष में या 40 वर्ष में नहीं हुआ जो आपने ....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें कोपरेट करिये और इनको कन्ट्रोल में कीजिये, नहीं तो अभी यहां कोई न कोई अप्रिय घटना घटेगी। ऐसा+++

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक बात और बताइये गृह मंत्री जी कि ये आपके इंस्ट्रक्शन से हुआ या इनके इंस्ट्रक्शन से हुआ ....(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय खेतसिंह जी चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग मरे हैं आपकी जेलों में, आपके अत्याचारों से (व्यवधान) करेन्ट लगाये हैं हमारी आंखों के सामने। मैं भुक्तभोगी हूं मैं जेलों में रहा हूं आपके राज में।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है। आप व्यवस्था दे रहे हैं कि जिन सदस्यों ने

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरजीराम बुरडक)

यहां रखा है वही इस पर प्रश्न पूछेगें। इनका इसमें कोई है क्या? आप इनको रोक नहीं रहे हो। इतना टाइम हो गया। आधे से ज्यादा टाइम खराब कर दिया और आप इनको रोक नहीं रहे हो। फिर यह चलेगा कैसे हाऊस।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, आप कुछ पूछेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा नहीं थी कि इस प्रकरण में बोलूं। क्योंकि मैं इसमें खुद शामिल था लेकिन कई प्रश्न गृहमंत्री जी से पूछने हैं। इन्होंने कहा कि 6 बजे मुझे कुछ पुलिस अफसर समझाने के लिये आये। मैं उन पुलिस अफसरों के नाम जानना चाहता हूं जो मुझे समझाने के लिए आये। क्योंकि यह सर्वथा गलत है। तीसरी बात आपने यह कही है कि स्टैच्यू सर्किल पर बड़े पुलिस अफसरों ने मुझे समझाया। यह भी सर्वथा गलत है। नाम बताइये उनका जिन्होंने मुझे समझाया? तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमने 144 धारा तोड़ी तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या एडीशनल मजिस्ट्रेट ने या किसी पुलिस अफसर ने हमको यह बताया कि आप लोगों ने निषेधाज्ञा तोड़ दी और इस बात से आपको गिरफ्तार किया जाता है? अगर बताया तो किसने बताया और बताया तो क्या उनके पास लाउड स्पीकर था? और लाठी चलाने के पहले क्या उन्होंने हमको यह वार्निंग दी थी कि आप पर लाठी चार्ज किया जा रहा है और वार्निंग दी थी तो क्या उनके पास लाउड स्पीकर था?

उपाध्यक्ष महोदय, यह खुद वहां मौजूद नहीं थे। मैं मौजूद था। बार-बार एस.पी. अपने वायरलैस पर पूछ रहा था "टाइगर रिपोर्टिंग सर" वह किसको रिपोर्ट कर रहा था? वहां आई.जी.पी. मौजूद थे चीफ सेक्रेट्री के मकान के सामने, हरिनारायण मीणा, डी. आई.जी. वहां मौजूद थे, मिस्टर जैन, कलक्टर वहां मौजूद थे। एस.पी. वहां मौजूद थे, किसको रिपोर्ट हो रही थी? या तो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट हो रही थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उस दिन जयपुर में ही थे या होम मिनिस्टर को रिपोर्ट हो रही थी या आई.जी.पी., डी.जी.पी. या चीफ सैक्रेट्री को रिपोर्ट हो रही थी। दोनों एक जगह बैठे थे। चीफ सैक्रेट्री के मकान पर कमरे में डी.जी और चीफ सैक्रेट्री दोनों बैठे हुए थे। इनको रिपोर्ट हो रही थी? रिपोर्ट होकर के बार-बार इनसे आदेश लिये जा रहे थे और आप कह रहे हैं कि चन्दनमल बैद को बचाने के लिए पुलिस ने अपने घेरे में लिया। यह फोटो मेरे पास है। पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी। चन्दनमल बैद को चन्दनमल के साथियों ने घेरे में ले रखा है। कई साथियों ने उसको पकड़ रखा है। उसको बचाने के लिए उसके चारों तरफ आये हैं। मुझे कोई डर नहीं है इस बात का आपको अफसोस इस बात का है कि चन्दन मल की हड्डी नहीं टूटी, मुझे भी अफसोस है। क्योंकि मेरे 10 साथियों की हड्डी टूटी है। अगर मेरी भी टूटती तो कम से कम मुझे खुशी होती इस बात की कि मेरे साथियों के साथ मेरी भी हड्डी टूटी है। आपको अफसोस है तो मुझे भी अफसोस है।

(श्री चन्दनमल बैद)

माननीय गृहमंत्री जी एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि मेरे उन कार्यकर्ताओं की भीड़ में कुल तीन महिलाएं थी। तीनों महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी थीं। उनको 9 बजे रात्रि के पहले छोड़ा नहीं गया था। फिर मेरे घर पर लेडीज पुलिस की एक प्लाटून 5 बजे क्यों भेजी गयी? इस वास्ते भेजी गयी कि मेरे पुत्र बधुओं को और मेरी पोतियों को धमकाया जाये कि तुम्हारे घर में यह जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं इनको निकालो नहीं तो तुमको गिरफ्तार किया जायेगा। लेकिन वह डरपोक महिलाएं नहीं थीं, मेरे घर में बैठी हुई, उन्होंने घर में ताला बन्द किया। और कहा कि चलो, हम तैयार हैं, ले चलो कहां ले चलते हो? मेरे घर के सामने आप फायर ब्रिगेड लाये, आप फोन लाये, लेडीज पुलिस की प्लाटून लाये। मेरे घर को पुलिस ने घेर लिया। वहां क्या कुछ आतंकवादी बैठे हुए थे? शांत कार्यकर्ता बैठे हुए थे। वह क्या कोई स्कीम बना रहे थे। वह बैठे हुए थे। उनको रास्ता नहीं मालूम था जयपुर का, कहां जाते, चन्दनमल के घर का रास्ता मालूम था, वहीं आ गये। आप वहां मौजूद तो थे नहीं, पुलिस अफसर अपनी जान बचाने के लिए आपको झूठा बयान लिखकर देते हैं, गलत बयान लिखकर देते हैं। आपको +++ आनी चाहिए, आप उस गलत बयान को यहां पढ़कर सुनाते हैं। मैं आपसे जांच की मांग नहीं कर रहा हूं, करूंगा भी नहीं। कभी मौका आयेगा, प्रजातंत्र है, यह आज आप वहां बैठे हैं, कल कांग्रेस के लोग भी वहां बैठ सकते हैं (व्यवधान) हम 35 साल तक वहां बैठे हैं,। फिर बैठ सकते हैं इसमें कोई असम्भव बात नहीं है। कालीचरण जी, आपने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी, जागीरदारी नहीं ले रखी है, सामंती नहीं है यह आपकी। हम भी बैठ सकते हैं।

(14.00 बजे)

आपने जो बर्बरतापूर्वक अत्याचार किये हैं, मेरे जिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर लाठियां मारी है, जिन 10 कार्यकर्ताओं की हड्डियां-पसलियां तोड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी उस चीज को भूलेगी नहीं, याद रखेगी और मौका आने पर उसकी जांच भी होगी, निश्चित होगी। उप सचेतक महोदय, कितना ही हाथ हिला लो आप और उन पुलिस अफसरों को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किशनगढ़ के हाफ ट्रेण्ड, एक जाति विशेष के रंगरूटों को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया था; नहीं बुलाया गया?

श्री उपाध्यक्ष : देंगे, जबाब देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : एक-एक बात का जवाब देंगे, एक-एक बात का जवाब दिया जाएगा, आप बोलिए।

श्री चन्दनमल बैद : जिन लोगों को लाठीचार्ज करने की पूरी ट्रेनिंग नहीं थी,

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(106)

(श्री चन्दनमल बैद)

उन रंगरूटों को बुलाया गया और एक जाति-विशेष के रंगरूटों को बुलाया गया और पूछिए कि डी.आई.जी. से उसने कहा कि नहीं कहा, कि मारो साले को। मुझे कोई खतरा नहीं है, 80 के करीब पहुंच रहा हूं, मर जाऊंगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपने जो बर्बरतापूर्वक और निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया है, शांतिपूर्वक जुलूस पर, वह आपके लिए एक काला इतिहास होगा। इसको मत भूलिए.... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने किया है ...।

श्रीमती उजला अरोड़ा (राज्य मंत्री संस्कृत शिक्षा) : मुझे 19 महीने के लिए जेल में उठा कर डाल दिया गया, मैंने किसको गाली दी थी, जवाब दें जरा। 19 महीने जेल में रखा, कोई कसूर नहीं, न पकड़ते वक्त बताया, न छोड़ते वक्त बताया, सरकार आपकी थी, आपने लोगों को घरों से निकाल-निकाल कर जेलों में बंद कर दिया। उस बात को याद करो, यह तो जेल नहीं गये हो, जब जेल जाओगे तब पता चलेगा.... (व्यवधान).... ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं पूछना चाहता हूं..(व्यवधान).... जो सिटी केबल में भी है और प्रसारित की गई है, उन्होंने कहा कि चन्दनमलजी पड़े हुए हैं। मैं गांधीवादी परम्परा का नेता हूं ... (व्यवधान).. यह लिखा हुआ है इसमें कोई देखना चाहे तो देख सकता है और अगर आप यह कहते हैं कि लाठियां हमने चलाई, पत्थर फेंके तो मैं यह फोटो लेकर आया हूं, आप भी कोई फोटो दिखा दीजिए और आपके पुलिस वाले वीडियो कैसेट जो मेरे आदमी बना रहे थे उससे छीन कर ले गये और मेरी जिप्सी पर जो लाउडस्पीकर लगा हुआ था उसका माउथपीस निकाल कर ले गये.... (व्यवधान). .. अब पूछेंगे कि नाम बताओ उनका, मैं किसका नाम बताऊंगा उन्हें ...।

एक माननीय सदस्य : इसकी वीडियो कैसेट चुनाव में दिखाना।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो सब झूठी है, यह झूठी है कैसेट। यह फोटोज भी झूठी है और सब झूठे हैं और सच्चे कौन हैं? आपके वे पुलिस अफसर जो अपनी जान बचाना चाहते हैं..(व्यवधान)....।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल बलिराम भगत साहब ने दो वर्ष पहले यह कहा था कि राजभवन का पानी इतना दूषित है कि मैं जब से जयपुर आया हूं बिसलेरी का पानी पी रहा हूं। उन्होंने यह बताया, चार लाईन बता रहा हूं, उनकी कही हुई। उन्होंने यह बताया कि "पूरा राजभवन मल मूत्र जहां पर संग्रह होता है शाकपिट्स पर बना हुआ है और मुख्य मंत्री निवास और राजभवन, ये दोनों ही सीवरेज लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं।" उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि....

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : यह आपका बनाया हुआ है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजभवन में खुदे हुए ट्यूबवैल का पानी अगर राज्यपाल नहीं पी सकता तो इस प्रदेश की जनता का तो क्या हाल हुआ होगा। बात इतनी सी थी कि जब डेपुटेशन चीफ सेक्रेटरी से मिलना चाहता था और अपनी व्यथा सुनाना चाहता था। संवेदनशील सरकार के प्रशासन के एक आला अफसर की बात सुनिए, जैसे कोई छुई-मुई का पौधा होता है, पांच आदमियों से भी मिलने से मना.....

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : धारीवालजी, प्रश्न करिए, प्रश्न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + मदनजी दिलावर, + + +

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + बाद में और भी ले आना कोई।

श्री मदन दिलावर : + + + कपूर, पत्ता वगैरह, सब है मेरे पास।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रशासन को आपने क्या स्वरूप दे रखा है, क्या स्वरूप बना रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एडजोर्नमेंट मोशन है, प्रश्न भी पूछूंगा, अपनी बात भी कहूंगा। प्रश्न पर अभी आ रहा हूं। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि प्रशासन का क्या स्वरूप है ? अगर मुख्य सचिव से मिलने के लिए, कोई व्यथा सुनाने के लिए आता है तो मुख्य सचिव मिलना भी पसंद नहीं करेंगे ? क्या प्रशासन में बैठे हुए सारे ही लोग 52 गज के हो रहे हैं ? जनता के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि की बात सुने नहीं, हालत तो यह हो रही है कि + + + और कभी कोई समस्या कोई अफसर सुन भी ले तो समस्या तो वह बताएगा खेत की और समाधान करेंगे खलिहान का। हालत यह है आपके प्रशासन की... (व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि अपने 76 साल के जीवन में क्या चन्दनमलजी बैद ने कभी कोई ला एण्ड आर्डर की प्रोब्लम क्रिएट की ? कभी ला को डिफाइन किया ? और ऐसा भी नहीं कि जो लोग आपने उस रोज स्टेच्यू

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सर्कल पर पाबन्द किये थे, तैनात किये थे, वे चन्दनमलजी बैद को जानते न हों, हर आदमी जानता था और किस तरह का व्यवहार उनके द्वारा, उनके नियंत्रण में प्रदर्शनकारियों पर हो रहा था, यह सब कुछ आप जानकारी रखते हैं।

मेरा आरोप है कि यह सब जो कुछ हुआ, वह डेलीब्रेट हुआ है, क्योंकि इनके आंदोलन की जब रूपरेखा चूरू में बन रही थी तो एक अखबार ने छापा था कि +++ यह कहते फिर रहे है कि पानी मांगने अगर चन्दनमलजी बैद के साथ जो भी जयपुर की धरती पर आएगा, वहां पानी के छींटें भी उसको नसीब नहीं होंगे बल्कि खून के छींटें उसको नसीब होंगे। यह सब कुछ डेलीब्रेट था। मेरा निश्चित तौर पर आरोप है कि चन्दनमलजी की पर्सनेलिटी को, व्यक्तित्व को गिराने का आपका षड्यंत्र था। गलती हमसे हुई और गलती चन्दनमलजी से हुई....(व्यवधान)...।

श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ) : यह चूरू के नाम से और पानी के नाम से जो आरोप लगाया गया है वह राई का पहाड़ है, नहीं तो वहां पानी की समस्या थी नहीं। चन्दनमलजी ने वहां, चर्चा का कारण था केवल राई का पहाड़ बनाया गया था और राई के पहाड़ से यह सब अपनी नैया पार करवाना चाहते हैं। आप चन्दनमलजी से पूछिए कि पानी की समस्या चूरू में कितने वर्षों से है और उन्होंने चूरू के पानी के लिए क्या किया है? यह एक उदाहरण देकर अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। पिछली डी.आर.डी.ए. की मीटिंग में माननीय चन्दनमलजी से उनके विधायक कोटे से केवल पांच लाख रुपए चूरू की जनता के लिए पानी के लिए मांगे गए और वे मना कर चुके थे। जो विधायक पांच लाख रुपए पानी की समस्या के लिए मना कर दे और वह पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार का हंगामा पैदा कर दे, मेरा यह आरोप है....।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : मेरा यह आरोप है कि वह केवल फोटो खिचवाना चाहते थे, वह वीडियो कैसेट बनवाना चाहते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था।

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

(14.10 बजे)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चन्दनमल जी का जीवन एक आदर्श जीवन रहा है

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

और न केवल आदर्श जीवन रहा है बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि राजस्थान (व्यवधान).. जीवन शैली से उन पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। आपको ध्यान होगा गृह मंत्रीजी, बम्बई में जब पानी की समस्या पैदा हुई और जबर्दस्त किल्लत थी तो मृणाल गोरे जगह-जगह घूमती फिरती थी और लोगों को पानी उपलब्ध करवाती थी और वह पानी वाली बाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी तरह से आज उस आंदोलन का यह नतीजा निकला है कि राजस्थान के गांव-गांव में चन्दनमल नहीं "पानी वाले बाबा" के नाम से पुकारा जाता है।

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, मेरा एक निवेदन है।

श्री सभापति : टीकमचन्द जी का पाइन्ट आफ आर्डर है। विराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म ही कर रहा हूं, पाइन्ट आफ आर्डर क्या करेगा ?

श्री सभापति : कुछ होगा। पाइन्ट आफ आर्डर बीच में भी आ सकता है।

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, यह इस प्रदेश का सर्वोच्च 'सदन है'। ये वकील होंगे, अच्छे अधिवक्ता हो सकते हैं।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर बोलिए।

श्री टीकम चन्द कान्त : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस सभा के अंदर+++ कहा है।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर बोलिए। आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री टीकम चन्द कान्त : +++ इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, ऐसे शब्द इस सदन में नहीं बोले जाने चाहिए। वे लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं।

श्री सभापति : विराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, मैं यह जो घटना घटी है उसकी बाबत आपको तथा सदन के सदस्यों को विस्तार से बताना चाहता हूं।

श्री टीकम चन्द कान्त : नाइयों का अपमान कर रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया विराजिए।

श्री टीकम चन्द कान्त : +++

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(110)

श्री सभापति : प्राडर प्लीज। (व्यवधान) उनको खत्म करने दीजिए। अब आप खत्म करिए। (व्यवधान) प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। सारी बात सामने आ चुकी। मैं तो आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि हम सब दुर्भाग्यशाली हैं। इस साल तो पता नहीं क्या हुआ है इस देश को। आप देखिए ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया बाधा न डालें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मुझे एक बात कहनी है। एक तो +++ वह कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : कार्यवाही से निकाल दिया जाए इसको।

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसा क्या कह दिया जिसको आप कार्यवाही से निकाल रहे हो +++ ये तो राजस्थान में कहावतें हैं।

श्री सभापति : यह संसदीय भाषा नहीं है इसलिए निकाल दिया गया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कोई नयी बात नहीं कही तिवाड़ी जी ने।

श्री हरिसिंह (महुवा) : किशनाराम जी नाई का क्या करेंगे ?

श्री सभापति : मैंने निर्देश दे दिया। अब आप बिराजिए।

श्री जगदीप धनखड़ : अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है।

श्री सभापति : इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं ? इसके अंदर क्या हो गया, यदि शब्द खराब हैं और निकाल दिए तो अच्छी बात है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, मैं तो इसको बड़ी लाइटली ले रहा हूं, कोई गंभीरता से नहीं ले रहा हूं।

श्री महावीर सिंह : किशनाराम जी नाई नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे ?

श्री सभापति : कार्यवाही से निकाल दिया गया है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं। कृपया बिराजिए। (व्यवधान)

श्री महावीर सिंह : किशनाराम जी नाई ही लगाएंगे। आप किशनाराम जी को निकाल दो। ... (व्यवधान) आप नाई को नाई नहीं कहने दोगे तो क्या कहने दोगे ?

श्री सभापति : आप बिराजिए माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तिवाड़ी जी साहब ने निकालने की बात की कि ठाकुर को निकाल दो। तो ठाकुर को निकालने के लिए आप तुले हुए हो। इसमें

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

नयी बात क्या कही आपने। खैर, मैं तो खत्म कर रहा हूं।

मैं यह कह रहा था कि वाकई यह साल इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा है। पता नहीं क्या हुआ कि फरवरी में जब यह सत्ता चेंज हुई तो इस तरीके का हुआ कि किसान को गेहूं और सरसों ....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बाधा नहीं डालें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किसान को न तो गेहूं की पैदावार हो पाई, न सरसों की पैदावार हो पाई। धनिये का उसको भाव नहीं मिला। आमों में बोर नहीं लगे, लिसोड़ी पर लिसोड़ा नहीं लगा, आंवली पर आंवला नहीं लगा।

श्री सभापति : आप विषय पर बोलें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यहां तक नींबू पर निबोली नहीं लगी। चार पर चमेली नहीं लगी। किसी भी पौधे पर कुछ भी नहीं हुआ।

श्री सभापति : माननीय धारीवाल जी, अब आप विराजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : +++

श्री सभापति : धन्यवाद, विराजिए आप। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, जब हमने भी दस्तखत किये हैं और आसन की व्यवस्था हो चुकी है।

श्री सभापति : समयाभाव है।

श्री जगदीप धनखड़ : हम भी कुछ पूछना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : एक मिनट का समय दे दो।....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बाधा न डालें।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सभापति महोदय, जब यह प्रदर्शन हो रहा था मैं उस दिन बीमार था और मैं आपके माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूं कि जब मुझे घटनाक्रम की जानकारी मिली तो रोना आ गया कि राजनीति क्षेत्र में कितने बढ़िया तरीके से सेवा करने वाला व्यक्ति आजादी के पचासवें वर्ष में पुलिस के डण्डों का जयपुर में इस तरीके से शिकार हो....

श्री सभापति : कोई नयी बात बोलिए। चूंकि आप तो वकील हैं टू–दी पाइन्ट बोलिए।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय आप थोड़ा धावस तो रखें। अगर राजनीति में इतनी लम्बी और शानदार पारी खेलने के बाद....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मुझे एक जरूरी बात कहनी है।

श्री सभापति : विराजिए। कोई बाधा न डालें, बाद में बोल दीजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, इसी से सम्बन्धित है। आधे मिनट की बात है।

श्री सभापति : आप विराजिए। जरूर समय दूंगा। आधा क्यों चार मिनट बोल लेना। लेकिन इन्हें बोल लेने दीजिए। आप विराजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : इनका+++ है, इसी के सम्बन्ध में तो बोल रहे हैं ये।

श्री सभापति : बाधा डालने का काम नहीं होना चाहिए।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, राजनीति में इतनी लम्बी और शानदार पारी खेलने के बाद चूरू क्षेत्र में यह कहलाने वाले कि हमारे सच्चे भागीरथ ये ही हैं। पानी के लिए यदि डण्डे बरसाये जाते हैं तो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं माननीय चन्दन मल जी बैद ने चौबीस घण्टे में ही प्रदर्शन नहीं किया बल्कि उन्होंने कई सप्ताहों का नोटिस सरकार को दिया है। यह कई स्टेजेज में हुआ है। ऐसी कौनसी समस्या थी गृह मंत्री जी, कि आप या मुख्य मंत्री जी या मुख्य सचिव इनसे वार्ता नहीं कर सकते थे। क्या चन्दन मल जी का ऐसा स्तर नहीं है? आपने बड़ी सरलता से कह दिया कि अधिकारियों ने बात की। उन अधिकारियों की क्या हैसियत है कि ऐसे व्यक्तित्व से बात करें? मुख्य मंत्री को करनी चाहिए थी और कोई कारणवश यदि मुख्य मंत्री नहीं कर पाये तो सरकार के कई मंत्री जा सकते थे। माननीय चन्दन मल जी बैद से इस प्रकार का व्यवहार कर और राजनैतिक स्तर पर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और मुख्य मंत्री द्वारा बातचीत नहीं करने के कौनसे कारण थे?

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, पिछले चार-पांच साल से जब से गृह मंत्री जी आये हैं एक परम्परा कर दी, अंग्रेजी शासन की तर्ज पर कि कोई भी आंदोलन हो उसकी भावना नहीं समझते। आंदोलन क्यों हो रहा है उसकी पीड़ा नहीं समझते, उसके निराकरण का प्रयास नहीं करते। कहते हैं वीडियोग्राफी कराओ ताकि मुकदमा कर दें। यह संस्कृति आप त्यागने को तैयार हैं?

तीसरी बात, राजनीति में रहने वाले हर आदमी को इस बात की भारी पीड़ा है, वह अपमानित महसूस हो रहा है कि आजादी के पचासवें साल में यदि माननीय चन्दन मल जी जैसे व्यक्तित्व के साथ यह व्यवहार होता है तो हर जिले के अंदर, हर नीचे के स्तर पर आपने सरकारी तंत्र

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगदीप धनखड़)

के हाथ में वो डण्डा दे दिया जो किसी भी जनप्रतिनिधि के सर पर टिकेगा और इसके कारण आपकी उदासीनता है, आंदोलन की आप भावना को समझते नहीं। माननीय वरिष्ठ मंत्री ने कहा हमारे बहुत डण्डे लगे हैं। माननीय सभापति महोदय, जब भी मौका आया कांग्रेस शासन ने वरिष्ठतम स्तर पर वार्ता की है, समझाया गया है, विचार-विमर्श किया गया है, कंसेसस किए गए हैं और जब माननीय भैरोंसिंह शेखावत सदन के नेता न होकर प्रतिपक्ष में थे और बड़े से बड़ा आंदोलन हो रहा था तो अधिकारियों ने उनकी इज्जत की है। यदि डण्डे बरसाये हैं तो डण्डे तो कहीं भी बरसाये जा सकते हैं। माननीय चन्दनमल जी पर डण्डा वैसे ही लगा जैसे कोई चोर-डाकू पर लगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे कौनसे कारण थे कि चार सप्ताह तक मुख्य मंत्रीजी, माननीय गृह मंत्री और मुख्य सचिव अपने स्तर पर इनिसिएटिव लेकर माननीय चन्दनमल जी बैद से विचार विमर्श क्यों नहीं किया ?

श्री सभापति : माननीय तारा भण्डारी जी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, आज जिस बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहा जा रहा है मैं उसी के बारे में कहना चाहती हूं। माननीय प्रतिपक्ष के लोगों को तो बात बढ़ा-चढ़ाकर बोलने की आदत है। एक बार राजीव गांधी तारानगर में गये थे, वहां पानी की समस्या थी। उस समय नकली तालाबों को भरकर टेप लगा दिए। उस समय राजीव गांधी के सामने यह समस्या रखी होती तो आज यह नौबत नहीं आती। +++

श्री सभापति : बिराजिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : माननीय सभापति जी, ताराजी को यह मालूम होना चाहिए कि जो तालाबों में पानी था वह कहां से आया ?

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : टेप लगाते थे या टैप लगाते थे, यह तो बता दो?

श्रीमती तारा भण्डारी : नल-नल, हिन्दी में समझ लो। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उसको टेप नहीं टैप कहते हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : हिन्दी में ही समझ लो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय विपक्ष के नेता।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(114)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, 3 जून को जिले में पानी का संकट था और चूरू जिले में ही नहीं, इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ी और भीषण गर्मी के कारण पूरे देश के अन्दर लू की चपेट में सैंकड़ों आदमी मरे। राजस्थान में भी दो दर्जन आदमियों की मृत्यु हुई और राजस्थान के राज्यपाल की भी 20 मई को लू की चपेट में आने के बाद में हृदय की गति रुकी।

7 मई को बैदजी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ने चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा कि गंधेली साहबा योजना, जिसका जिक्र अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या कर रही थी कि 300 गांवों में पानी पहुंचा दिया गया है; शहरों में पानी था और पानी होने के बावजूद 100 गांवों में एक बूंद नहीं आ रही थी, उन्होंने एक्स.ईएन. के वहां पर प्रदर्शन किया और जब उसका कोई समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के सामने, जो राज्य के वरिष्ठतम ब्यूरोक्रेट हैं और जो फर्स्ट अमंग द ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनता की इस समस्या का एक प्रदर्शन के जरिये, एक ज्ञापन देने के जरिये कहने के लिए उनको सूचित किया। मेरा गृह मंत्री जी से पहला प्रश्न तो यह है कि जो व्यक्ति अणुव्रत का उपासक है और अहिंसा में विश्वास करता है, ऐसे धर्म को मानता है वह आदमी इस तरह का कोई व्यवहार करेगा जिससे आपकी लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम होती हो? आपने उनको किसी भी स्टेज पर, जैसा कि उन्होंने स्वयं ने अपने बयान में यह बात कही है कि किसी भी स्टेज के ऊपर आप बुलाकर इस समस्या के समाधान के सम्बन्ध में बातचीत करते तो शायद इस तरह के प्रदर्शन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। राजस्थान के अन्दर जगह–जगह जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है कि कई शहरों और गांवों में मार्ग रोके गये, लोगों ने प्रदर्शन किये। पानी की गम्भीर समस्या थी और पानी जीवन में हवा के बाद सबसे मूलभूत आधार है। जब पानी उपलब्ध नहीं है तो संसदीय लोकतंत्र में, लोकतंत्र की व्यवस्था के अन्दर लोग प्रदर्शन करके ही अपनी बात को नहीं कहेंगे तो उनके सामने दूसरा विकल्प ही क्या रह जाता है? आपने यहां पर अपने स्टेटमेंट में जो कुछ भी बयान दिया, उस बयान में एक बात तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने यह कहा कि पत्थर फेंके गये, क्या किसी भी पुलिस के कर्मचारी को कोई सर्टिफिकेट मिला है या कोई इंजर हुआ है? जबकि प्रदर्शनकारियों में 8 के फेक्चर हुए, दो के गम्भीर चोटें आयीं और इस सदन के माननीय सदस्य श्री चन्दन मल जी बैद और राजगढ़ (सादुलपुर) से आने वाले माननीय सदस्य को भी मेडिकल सर्टिफिकेट मिले हैं कि इनके 2–2, 3–3 चोटें आयीं। यह मैं मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर कह रहा हूं। जिस बर्बरतापूर्वक आपने इस शांत प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया उससे मुझे ऐसा दिखता है कि यह आपका प्री-डेलिबरेशन था और इस तरह का निर्णय किया था कि इनको सबक सिखाना है। सबक सिखाने का सबूत मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपने सबसे पहले वाटर केनन छोड़ी। वाटर केनन के अन्दर आपने आयल मिलाया और आयल मिलाने के बाद में लोग फिसल कर पड़े। चन्दन

(श्री परसराम मदेरणा)

मल जी खुद पड़े हुए हैं। उन्होंने जो फोटो दिखवाये वह तो अलग हैं लेकिन राजस्थान पत्रिका ने जो इनकी एक फोटो छापी है इसमें लोग इनको बचा रहे हैं और इनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। तो कहां प्रोटेक्शन किया आपने ? आपने कहा कि कुछ लोगों ने इनका प्रोटेक्शन कर दिया तथा पुलिस के अफसरों ने पकड़ कर एक तरफ कर दिया। यह बात असत्य है।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है, यह सभी अखबारों में आया था कि इस तरह से जो बर्बर लाठीचार्ज किया कि कुछ लाठियां टूट गयीं। एक शांत प्रदर्शन के ऊपर, अहिंसक प्रदर्शन के ऊपर जो इस तरह से निर्ममतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक प्रहार किया, क्या यह किसी भी लोकतंत्रीय सरकार के लिए शोभाजनक बात है ? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर आप किसी भी शांत आन्दोलन की बात भी नहीं सुनना चाहें और इस तरह से निरंकुश तरीके से सरकार अगर उसको कुचलना चाहती है तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा आघात पहुंचाएगी। अपन सब जनता के प्रतिनिधि हैं। अलग-अलग समस्याएं आपके भी निर्वाचन क्षेत्र में हैं और निर्वाचन क्षेत्र में जहां समस्याएं होती हैं तो लोग उस समस्या के निदान के लिए कई तरह से अपनी बात कहते हैं और यही कारण हुआ कि आपके लक्ष्मण खींची की समस्या का समाधान आप समय पर नहीं कर सके, आप उदासीन रहे जिसकी वजह से उनको आत्मदाह करना पड़ा। मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस लाठी चार्ज के अन्दर, बेरिकेडिंग तो आगे था, बिड़ला ऑडिटोरियम के पास में भी इनके ऊपर पानी की बौछार की और वहां पर डंडे मारे ? दूसरी बात मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आपने वहां पर धारा 144 लगा दी, धारा 144 लगाने के बाद में उस वक्त जब यह लोग बेरिकेड की तरफ जा रहे थे तो आपने इनको एनाउंस क्यों नहीं किया कि हम आपको अरैस्ट कर रहे हैं ? आपने अरैस्ट नहीं किया। आपने वाटर केनन छोड़ी ताकि लोग फिसल फिसल कर पड़ें और पड़े हुए लोगों के ऊपर आपने प्रहार किया और वह भी निर्ममतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक लाठियां मारी आपकी लाठियां तक टूट गयीं। यह इस बात का सबूत है कि आप जनतंत्र में ऐसे जो कोई भी अपनी उचित मांगों को, उचित समस्याओं को और वह भी पीने के पानी की, पानी का संकट सब को मालूम है, उस सम्बन्ध में बराबर लगातार अखबारों में आ रहा था कि इन्होंने एक्स.ईएन. के वहां पर प्रदर्शन किया है, जब एक्स ईएन. के वहां प्रदर्शन से समाधान नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को इन्होंने लिखा कि हम वहां जाकर के प्रदर्शन करेंगे। जब आप इतने बड़े अमले को जिसमें इतने बड़े अफसर और जयपुर के सवाई मानसिंह रोड पर, पृथ्वीराज रोड पर, उधर अस्पताल से आगे तक, पास वाली भगवानदास रोड, और सैक्रेटेरिएट के सामने वाली रोड, इन सब पर आपने धारा 144 लगायी, पूरी जनता को परेशानी हुई रात को 9 बजे तक। तो मै आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने पूरे जयपुर की जनता को परेशानी में डाला और जो प्रदर्शन था जो

(श्री परसराम मदेरणा)

कि सिर्फ पीने के पानी का, पेयजल का संकट था, उसके समाधान की बात थी, उसमें आपने ऐसा व्यवहार किया जैसा एक तानाशाही सरकार करती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने बिना एनाउंस किये हुए, बिना चेतावनी दिये हुए, इमीजिएटली उनको आप माइक्रोफोन पर कह सकते थे कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं हमारी धारा 144 आगे लगी हुई है और इसलिए हम आपको बेरिकेड से आगे नहीं जाने देंगे, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। आपने पहले ही यह लाठीचार्ज और पानी छोड़ना, लोगों को गिराना, पीटना शुरू कर दिया। और उसमें 10 या 12 लोग घायल हुए जिनमें दो इस सदन के माननीय सदस्य भी हुए। यह बहुत गम्भीर मामला है और मैं समझता हूं, आपके प्रशासन ने जो व्यवस्था की है कानून व्यवस्था के नाम के ऊपर और कानून व्यवस्था का आपने कोई सुप्रबन्ध नहीं किया है लेकिन आपने बर्बरतापूर्ण, निरंकुश तरीके से तानाशाही तरीके का इस्तेमाल किया है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाये, कम है। अंत में, मैं समझता हूं, जो मैंने पाइंट्स रेज किये हैं, आप उनका संतोषजनक उत्तर देंगे कि आपने 144 का अनाउंस करने में और अरेस्ट करने में लाउड-स्पीकर क्यों नहीं लगाया? आपने इनको टारगेट क्यों बनाया? उस फोटो में भी है, कई लोग हाथ खड़े किये हुए हैं और लाठियां पड़ रही है पुलिस वालों की, आप देख लीजिये। राजस्थान पत्रिका में भी यह वैदजी नीचे पड़े हुए हैं और सबने पढ़ा होगा, देखा होगा वैदजी को और इसमें ऊपर लोग बचाव कर रहे हैं या पुलिस वाले उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। इनके खुद के चोटें आई, उसमें मैं समझता हूं, यह बहुत निंदनीय बात है कि इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य, जो कि स्वतंत्रता के आंदोलन से लगाकर आज तक बराबर सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है, जो आपने उनकी पिटाई की है, यह बहुत दुःखद घटना है और जिन अधिकारियों ने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बल का प्रयोग किया। बल का प्रयोग नहीं किया है, आपने एक्सेस फोर्स यूज किया है, और एक्सेस फोर्स यूज करके 12 लोगों को घायल किया है और फ्रेक्चर तक आये हैं। तीन-तीन फ्रेक्चर एक-एक आदमी के आये हैं। इसका मतलब यह है कि आपने इंडिस्क्रिमनेटली, प्री-प्लान तरीके से डेलीब्रेटली इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन्स नीचे दिये थे और वह कौन व्यक्ति था जिससे बार-बार टाइगर आदेश ले रहा था? मुख्य मंत्रीजी से ले रहा था या आपसे ले रहा था या डी.जी. से ले रहा था (व्यवधान) टाइगर नहीं, एस पी. इज ए टाइगर, टाइगर ले रहा था और सिंह वाला तो मैंने पहले कह दिया था कि यह तो साबित हो गया है लोक सभा चुनावों में कि सिंह कौन है लेकिन मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि मैंने दो प्रश्न आपके सामने रखे हैं और दूसरे माननीय सदस्यों ने रखे हैं, आप उनका निश्चित रूप से उत्तर देंगे।

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : एक मिनट के लिए, यह बड़ा सिरीयस मामला है, एक मिनट के लिए मेरा निवेदन है। अखबारों में भी छपा था और यहां भी पाया है, जब चन्दन मल जी की पिटाई हो रही थी, कोई वरिष्ठ अधिकारी कह रहा था कि मारो, सालो को मारो। सवाल यह है कि लाठी से पिटाई करना या लाठी-चार्ज करना, यह तो प्रशासनिक मामला है और उसका औचित्य था या नहीं, उसकी सरकार जाच करे। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बाधा न डालें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : लेकिन अगर किसी जन प्रतिनिधि को, अगर वह घेराव तोड़ता है या कानून तोड़ता है तो पिटाई करना तो अपमानजनक नहीं है लेकिन जान-बूझकर इतने बड़े वरिष्ठ व्यक्ति को अगर वह व्यक्ति जानता हो, वह अधिकारी है और कह रहा है कि साले को पीटो, यह तो हमारी मर्यादा का हनन है, इस विधान सभा का हनन है। इंगलैण्ड में भी दोषी को कोई उनके पास अल्टीमेट इलाज, उनके पास भी डंडा है लेकिन उसको सर कहकर बतलायेंगे तो इससे गहरा सवाल यह है कि डंडा मारने को कह सकते हैं पर साले को मारो, अगर वह जानता है अधिकारी कि यह फलां व्यक्ति है तो यह बिहेवियर है, यह अपमानजनक है और....

श्री सभापति : यह बात आ चुकी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई :....एक वरिष्ठ व्यक्ति का अपमान करना इस सदन का अपमान है और उसको अपन स्वयं सजा दे सकते हैं। मानहानि का केस क्यों नहीं चलाया जाये इस सभा में उसके ऊपर।

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, तीन तारीख को चूरू में पानी की समस्या को लेकर एक प्रदर्शन किया गया। इसके बाद लगातार उस बारे में बयानबाजी भी की जाती रही और कई तरह के बयान छपे हैं। घटनाएं क्या घटीं, किस सिक्वेंस में घटी, कैसे घटी, प्रदर्शन से लेकर उसका सम-अप हुआ, वह सारा अपने आप में एक क्रम है। लेकिन आज यहां पर जिस तरह ये चर्चा हुई है और इस चर्चा में जिस तरह के तथ्य आये हैं, सभापति महोदय, सत्ता की ललक में इतनी गिरावट मैंने आज तक नहीं देखी है मेरे सार्वजनिक जीवन में (व्यवधान) इतनी गिरावट (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय .. (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये माननीय सदस्य। व्यवधान नहीं डालें। शान्ति से सुनिये। (व्यवधान) आप पीछे बोल लीजियेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट में बात कहूंगा, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : व्यवधान उन्होंने भी डाला है। (व्यवधान) उन्होंने व्यवधान नहीं डाला क्या? (व्यवधान) व्यवधान उन्होंने भी डाला है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये । आप विराजें, कृपया सुनें । गृह मंत्री जी । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : गृह मंत्रीजी यहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें सदन में, यह गृह मंत्रीजी के लिए शोभा नहीं देता है कि वे इस तरह का लांछन लगायें कि सत्ता की ललक है । (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको शोभा देता है ? गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं, एक मिनट भी बोल नहीं पाये, उसके बीच में उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं । कृपया विराजिये । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप उन गलत शब्दों को बाहर निकालें ।

श्री सभापति : कृपया विराजें । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, ऐसे बर्बरतापूर्ण व्यवहार के लिए कवि ने यहां दो पंक्तियां कही हैं । "रक्षक भक्षक जब बन जाये, राज रसातल में तब जाये ।" (व्यवधान)

श्री सभापति : तो सुनिये तो सही । सुनिये उनकी बात । माननीय गृह मंत्रीजी ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, पिछले डेढ़ घंटे से यहां पर यह चर्चा हो रही है....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उन्होंने सत्ता की ललक कहा है । इसमें क्या अनर्थ हो गया ? कोई अपमानजनक शब्द नहीं है । इसमें आप काहे को उत्तेजित हो रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ।

श्री सभापति : (व्यवधान) कृपया विराजें । बाधा नहीं डालें । (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, डरा रहे हो क्या ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बोलिये आप, बोलिये आप ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले डेढ़ घंटे से तीखे तेवर वाला भाषण भी सुन रहा हूं ...

श्री परसराम मदेरणा : नहीं–नहीं, माननीय सभापति महोदय ...

श्री कैलाश मेघवाल : ... सरकार को आरोपित करने वाले भाषण भी सुन रहा हूं, कई तरह के अनर्गल आरोप लगाये गये, मैं वह भी सुन रहा हू और मैंने आपसे निवेदन किया....

श्री परसराम मदेरणा : ... नहीं आप जो गिरावट की बात....

श्री कैलाश मेघवाल : ... कि एक-एक आरोप का भी जवाब दूंगा, एक-एक घटना के बारे में भी स्पष्टीकरण करूंगा और

(श्री कैलाश मेघवाल)

सत्य भाषा में दूंगा, सांस्कृतिक भाषा में दूंगा, अनुशासित भाषा में दूंगा और इस प्रांगण का दुरुपयोग जिस तरह कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने किया है, मैं उस तरह से नहीं करूंगा। और आप सुनने की तैयारी रखिये। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, आप सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा: .. गृह मंत्री जी, आप पूरे प्रतिपक्ष के ऊपर ..(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय सभापति महोदय, यहां पर प्रतिपक्ष के नेता से लगाकर जितने वक्ताओं ने भाषण दिये.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह क्या कर रहे हैं आप, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजिये। मैं देख रहा हूं। आप बिराजिये सब लोग। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप बैठिये।

श्री सभापति: तो आप तो बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह: जब प्रतिपक्ष के नेता खड़े हों, उनको सुनना चाहिए (व्यवधान) हां, कोई बात नहीं है।(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल: ... सत्य सुनने की तैयारी नहीं है। चन्दन मल जी बैद का डाक्टरी परीक्षण हुआ। यह चन्दनमल जी बैद की डाक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट है, डाक्टर कहता है कि कोई एक्सटर्नल इंजरी चन्दनमल जी बैद के नहीं आई है (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय गृह मंत्री, एक मिनट कृपया प्रतिपक्ष के नेताजी की सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल: आप बैठिये, मैं सुनाता हूं। मैं सुनाऊंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय गृह मंत्रीजी। माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी: प्रतिपक्ष के नेता की सुननी पड़ेगी। सुनना पड़ेगा।

श्री सभापति: अब आप सब बिराजें कृपया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा: नेता महोदय को सुनो। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा: माननीय सभापति महोदय, आप प्रथम बार, कई दफा इस सदन में उत्तेजना हुई है, दोनों तरफ से हुई है लेकिन गृह मंत्रीजी, आज आपने, मैंने आपके यहां कई वक्तव्य सुने लेकिन प्रथम बार आपने प्रतिपक्ष के ऊपर मान-मर्यादा का आरोप लगाया है, ऐसी मैंने गिरावट कभी भी इस सदन में नहीं देखी (व्यवधान)

(120)

श्री कैलाश मेघवाल : सही है। सही है, मैं साबित करूंगा। मैं इस गिरावट को यहां साबित करूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : थारी पार्टी को यों अनुशासन है? (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : ... ये सत्य, अहिंसा और तपश्चर्या के प्रतीक किस सीमा तक असत्य कथन कह सकते हैं, मैं यह यहां साबित करूंगा। केवल सुनने की ललक रखिये। आप आरोपित कर रहे थे, गृह मंत्रीजी पर जिस तरह से तीखे तेवर से आरोपित किया गया है। यह डाक्टरी सर्टिफिकेट है, एक लाठी आपके नहीं पड़ी है और आप कह रहे हैं, लाठियां, लाठियां, लाठियां। (व्यवधान) इतना असत्य कथन (व्यवधान) मैं करूंगा, इसका भी स्पष्टीकरण करूंगा। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप मीणा और परसादीलाल मीणा ने सदन के वेल में आकर गृह मंत्रीजी को कुछ फोटो दिखाये)

श्री कैलाश मेघवाल : एक लाठी नहीं पड़ी है, यह इनका डाक्टरी सर्टिफिकेट है।

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल जी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह +++ के सिवा कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय परसादी लाल जी मीणा, कृपया अपने स्थान पर जायें। माननीय मीणा जी, अपने स्थान पर जायें। कृपया अपने स्थान पर जायें। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : डाक्टरी सर्टिफिकेट है। ये इतनी देर से असत्य कथन किये जा रहे थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय परसादीलाल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने स्थान पर जायें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, ये एक +++ को रिकार्ड बनाना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, यह गृह मंत्री महोदय का +++ आपने देखा, +++ तो मंत्री करते हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल भाटी : इनका उद्देश्य है कि +++ को रिकार्ड में बदल दिया जाय। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आपने जो भी बात कही सब ने सुनी है. अब गृह मंत्रीजी का जो स्पष्टीकरण है वह सुन लीजिये आप, फिर उसके बाद में कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसादीलाल मीणा : यह लाठी है, आप देख लीजिये कि लाठी पड़ी या नहीं पड़ी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री परसादी लाल मीणा : देखिये, लाठी पड़ी कि नहीं पड़ी।

(श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य द्वारा सदन कूप में आकर आसन को फोटो दिखाया गया)

श्री सभापति : अच्छा, बिराजें। हां, देख लिया है मैंने। देख लिया, आप बिराजो तो सही। (व्यवधान) आप बिराजें, आप बिराजें। अपने स्थान पर बिराजें। मैं बता दूंगा, आप बिराजें अपने स्थान पर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जो राई को पहाड़ बनाकर +++ किया गया इसको (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया बिराजें। चर्चा को आगे बढ़ने दें। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, जो+++किया गया है...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं सुनेंगे ऐसे गृह मंत्री को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसे गृह मंत्री का वक्तव्य नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : हम कोई वक्तव्य नहीं सुनेंगे ऐसे गृह मंत्री का। ऐसे गृह मंत्री का वक्तव्य नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं प्रतिपक्ष के नेताजी से निवेदन करता हूं कि कृपया इन सब को बैठायें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गृह मंत्री अगर इस तरह के होंगे ... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं नेता महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया बैठायें इनको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे।

श्री सभापति : कृपया बिराजें। माननीय ओमप्रकाशजी, आप बिराजें। गृह मंत्रीजी का वक्तव्य हो जाने दीजियेगा। गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हम कोई वक्तव्य नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : हरेक को अपने-- अपने....

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : यह नहीं सुनेंगे तो हम किसी को भी नहीं बोलने देंगे, हम कमजोर नहीं हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं सुनेंगे इनकी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, इनके वक्तव्य को नहीं सुनना चाहते हम। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह याद रखो, यहाँ कमजोर कोई नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनका वक्तव्य +++ है।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : यह चीफ व्हिप खुद नहीं मानता।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापतिजी, गृहमंत्रीजी ... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बोलना बंद करें, माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बैठ जाइये आप... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : तब यह +++ जब माननीय गृह मंत्रीजी बोल रहे थे.. (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : अब हम किसी को नहीं बोलने देंगे।

श्री सभापति : माननीय नेता महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइन्ट आफ आर्डर सर। पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : आप बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, आप तो कम से कम बैठ जाइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता था.. (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठ जाइये, मैंने गृह मंत्री जी को बैठा दिया इनके लिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइन्ट आफ आर्डर के जरिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आप बिराजिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुनिये मेरी बात । पाइन्ट आप आर्डर है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, यह इस प्रकार सदन नहीं चलेगा और यदि इस प्रकार की व्यवस्था रही तो न तो यहां पर कोई चर्चा हो सकती है और न कोई बोल सकेगा । अगर इस प्रकार से धमका कर ....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह धमकी किसे दे रहे हैं आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...और मान्य नियमों को ...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह धमकी किसे दे रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, यह धमकी देने वाले कौन होते हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह नहीं चलेगा ।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, यह (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या यह सही है बीच में हर आदमी खड़ा होकर बोलने लग जायेगा, क्या इस पर चर्चा चलेगी इस तरह से आगे ? आप यहीं चर्चा समाप्त करना चाहते हैं तो....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, आप इधर ही इधर क्यों....

श्री सभापति : आप लोग दो घंटे तक बोले हो, माननीय गृह मंत्रीजी स्पष्टीकरण दे रहे हैं । यह कोई तरीका नहीं है । आप बिराजिये ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह डराना चाहते हैं क्या, यह तरीका है क्या ?

श्री जगदीप धनखड़ : इधर आप.... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आई एम ऑन पाइन्ट आफ आर्डर । (व्यवधान) पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह वक्तव्य नहीं सुनना चाहेंगे । यह वक्तव्य नहीं सुनना चाहते हैं ।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता । (व्यवधान) आपके नेता महोदय बोल रहे हैं, कृपया आप सुन तो लें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक सैकण्ड का पाइन्ट आफ आर्डर है, आपको सुनना पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये न, आपके नेताजी खड़े हुए हैं, कुछ तो सोचिये आप । आपके स्वयं के नेता बोल रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं बीच के अन्दर, यह कौन सा अनुशासन है ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह वक्तव्य सुनने की नीयत में नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनको कोई मतलब ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री सभापति : विराजिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, ऐसा प्रतीत होता है, उत्तेजना तो कई दफा सदन में आई है, गृह मंत्रीजी अपना उत्तर जो पुरजोर शब्दों में देते हैं लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने संतुलन खोकर प्रतिपक्ष के ऊपर यह आरोप लगाया है... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सब क्यों बोल रहे हैं ? उनकी बात सुन लीजिये, फिर गृह मंत्रीजी बोल देंगे। हां, बोलेंगे गृह मंत्रीजी, खूब बोलेंगे। सारी बात बोलेंगे, सुन लीजिये आप उनकी दो मिनट बात।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने अपने गृह मंत्रीकाल में इस तरह से इतनी बड़ी गिरावट प्रतिपक्ष की ओर कांग्रेस पार्टी की नहीं देखी, यह....

कुछ माननीय सदस्य : +++।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : क्या +++ है।

एक माननीय सदस्य : सुनने की क्षमता तो है ही नहीं आप में।

श्री परसराम मदेरणा : जो कुछ भी बात कही, आप उसका उत्तर दें, यह बात आई है लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो प्रश्न खड़े किये थे उनका उत्तर नहीं देकर आप प्रत्यारोप लगा रहे हैं....

श्री कैलाश मेघवाल : सब का उत्तर दूंगा। मैं, सभापति महोदय, एक-एक बिंदु का उत्तर दूंगा। लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाय। मैं उत्तेजना में भी नहीं आऊंगा, मैं विनम्र निवेदन करते हुए कहूंगा अपनी सारी बात, विनम्र निवेदन करते हुए, कभी उत्तेजित नहीं होऊंगा।

श्री सभापति : अब मैं निवेदन करूंगा कि गृह मंत्रीजी को सुन लें पहले।

श्री कैलाश मेघवाल : लेकिन यह हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है।

श्री सभापति : आपने बात फरमा दी।

श्री परसराम मदेरणा : आपने यह अभिव्यक्ति देकर कि बर्बरतापूर्वक निरंकुश तरीके से निर्ममतापूर्वक आपने जो पिटाई की, फ्रेक्चर हुए, एक पानी की समस्या को लेकर और उसके बाद में आप पूरे प्रतिपक्ष को अपमानित कर रहे हैं, उसकी मर्यादा भंग कर रहे हैं, यह असहनीय है और मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और मैं मेरे दल के साथ में....

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : कृपया शांत रहिये जिससे बात आगे चले। गृह मंत्रीजी जवाब दे सकें।

श्री परसराम मदेरणा : जो आप प्रत्यारोप झूठे लगा रहे हैं उस पर प्रतिपक्ष आज बहिर्गमन करता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं निर्दलीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन।)

अनेक माननीय सदस्य : भागो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई तथ्य नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बैठकर सुनो न दम हो तो। सुनने की क्षमता रखो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई तथ्य नहीं है।

(श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य द्वारा आसन को फोटो दी गई।)

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें, आर्डर। माननीय गृह मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। अब बिराजें आप, गृह मंत्री का वक्तव्य होने दें। बिराजें। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। कृपया शांत रहें। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, बात यह है कि मैं कुछ सत्य वर्णन करना चाहता हूं और उस सत्यता को सुनने की उनकी तैयारी नहीं है। इसका कारण यह है, यहाँ पर इस सदन में यह कहा गया कि बर्बर लाठीचार्ज, भयंकर लाठीचार्ज, लाठियां टूट गईं, यह असत्य कथन करने का जब मैंने उन पर आक्षेप किया तब भाग गये। माननीय सभापति महोदय, केवल दो आदमियों के फ्रैक्चर हुए हैं। यह नौ आदमियों की रिपोर्ट मेरे पास है, वह भी कहते हैं कि नौ-दस आदमी घायल हुए, मैं भी कहता हूं कि नौ–दस घायल हुए। यह नौ आदमी और दो पुलिस वाले, यह घायल हुए और इनके सारों के डाक्टरी प्रमाण–पत्र मेरे पास हैं और उसमें उस समय के प्रदर्शनकारियों में कमल किशोर, उसको एक फ्रैक्चर है फोर आर्म में। दूसरा श्री बाबू खान, उसके दो फ्रैक्चर हैं फोर आर्म में। यह तीन फ्रैक्चर कुल मिलाकर हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, बाकी साधारण चोटें हैं, जैसा विपक्ष के खेत सिंहजी राठौड़ कह रहे थे। वह कह रहे थे कि साधारण चोटें हैं। नौ आदमियों के चोटें आई हैं, लाठीचार्ज हुआ है, इससे मना नहीं करता, माननीय सभापति महोदय, लेकिन आज कांग्रेस ने जिस तरह की गिरावट का प्रमाण दिया है, यहाँ यह कहा गया है कि यह निर्देश ले रहे थे और निर्देश लेने के लिए संकेत किया गया कुछ, चाहे चीफ मिनिस्टर से ले रहे थे, गृह मंत्री से ले रहे थे और निर्देशों में यह कहा गया

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

126

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, कि चन्दन मल बैंद के हाथ-पांव तोड़ दो, इस तरह का असत्य कथन, मेरा ऐसा ख्याल है, आज तक नहीं किया। और इसलिए नहीं किया गया कि चन्दनमल जी बैंद वरिष्ठ हैं, चन्दनमल जी के भी नहीं साधारण से साधारण इस देश के राजस्थान के नागरिक के भी हाथ-पांव तोड़ दो ऐसा निर्देश जनतांत्रिक मर्यादाओं में नहीं दिया जा सकता है। हम एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं। हम जनतंत्र की मर्यादाओं को जानते हैं, हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जानते हैं। हम जानते हैं व्यवस्था रहेगी, पार्टियां भी रहेंगी लेकिन इस तरह की गिरावट भैरोंसिंहजी से उम्मीद करना, इस तरह की गिरावट मेरे से उम्मीद करना या मेरे किसी सहयोगी से उम्मीद करना यह उम्मीद सत्ता के पीछे पागल होने वाले कांग्रेस ही कर सकती है। हम इस तरह का आचरण नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि बहुत किस्से यहां उठाये गये। पानी की समस्या तारानगर के माननीय विधायक चन्दनमल जी बैंद उठा रहे हैं। 40 साल तक यह चूरू वही चूरू है जो राजस्थान के भूगोल पर सैंकड़ों सालों से स्थित है। चूरू का भूगोल हमने नहीं बदला है। चूरू का भूगोल लम्बे समय से चला आ रहा है। चूरू के भूगोल में 40 साल तक पानी नहीं देने का अगर कोई अपराधी है तो तारानगर का विधायक चन्दनमल बैंद है जो आज राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस पानी की राजनीति करने पर तुला हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, चार साल तक एक शब्द नहीं बोला.. (व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : यह +++ उनके बयान भी असत्य हैं। गृह मंत्री हाय-हाय (व्यवधान).

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ये गृह मंत्रीजी बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। गृह मंत्री हाय-हाय (व्यवधान) गृह मंत्री।

एक माननीय सदस्य : +++ है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया अनुशासन बनाये रखें और माननीय गृह मंत्री जी के स्पष्टीकरण को सुनें। मैं आप लोगों का नाम लूं उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा। करबद्ध निवेदन करूंगा कृपया शान्त हो करके माननीय गृह मंत्री जी को सुनें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप बोल चुके हैं। कृपया उनकी बात सुनें फिर उनके बाद में कोई बात हो तो बोलें।

श्री राजेन्द्र पारीक : गृह मंत्री का वक्तव्य नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)..

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर भी नहीं सुनेंगे ।

श्री सभापति : मेरा आपसे पुनः निवेदन है ।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय हम बात सुनने के लिए तैयार हैं लेकिन ...

श्रीमती बीना काक : माननीय कहलाने के लायक नहीं हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : ये फोटुएं असत्य हैं, विडियो कैसेट असत्य है ? (व्यवधान).. राजस्थान के सारे अखबार असत्य हैं ? (व्यवधान) सारे अखबार असत्य हैं ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : आप भी + + + (व्यवधान) ... यह केवल राजनीतिक चाल है (व्यवधान). वो आपकी + + +

श्री गुलाब चंद कटारिया : आप सवाल का जवाब सुनेंगे तो पता चलेगा । आप सुनना चाहते नहीं हैं । अगर आप में मादा है तो सुनो ।

श्रीमती बीना काक : असत्य को नहीं सुनेंगे ।

एक माननीय सदस्य : असत्य बयान नहीं सुनेंगे । (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : असत्य को नहीं सुनेंगे ।

एक माननीय सदस्य : असत्य बोलने वाले को नहीं सुनेंगे ।

श्रीमती बीना काक : गैरजिम्मेदाराना वक्तव्य है यह..(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय, कृपया बिराजें ।

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान).. ये मर्यादा तोड़ रहे हैं । ..(व्यवधान)..

श्री सभापति : माननीय, कृपया बिराजें ।

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान).. इसलिए गृह मंत्री को नहीं सुनना चाहते । गृह मंत्री को नहीं सुनेंगे ।

एक माननीय सदस्य : सुनना पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) ... मर्यादा से बाहर नहीं बोलेंगे अब आगे ।

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी, अब उनकी बात भी सुनिये । उनको भी मौका दीजिये । मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप (व्यवधान) गृह मंत्री जी को आराम से सुनें (व्यवधान) शांति से सुनेंगे ।

एक माननीय सदस्य : वे मर्यादा से बोलें । वे इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे कोई + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(128)

श्रीमती बीना काक : गलत बयानी नहीं सुनेंगे ।

(14.52 बजे)

(श्री समर्थ लाल मीणा, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा जो सारी बातें इस विषय को लेकर विधान सभा में रखी गई थीं..(व्यवधान) फिर खड़े हो गये..

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ का कोई वक्तव्य नहीं सुनेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस विषय में अपनी ओर से वक्तव्य के माध्यम से सारी स्थिति को स्पष्ट कर रहे थे । एक बार तो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की हिम्मत नहीं हुई और इसलिए वाकआउट करके चले गये । वहां से आने के बाद योजना बना कर केवल मात्र शोर करके..(व्यवधान).

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई योजना नहीं है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया उन्होंने जो वस्तुस्थिति बताई है उस विषय में गृह मंत्री महोदय को सुनें । उनको कहने दें । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं सुनेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : धैर्यपूर्वक उन बातों को सुनें, तर्करूप से सारी बहस में भाग लें ।

एक माननीय सदस्य : माननीय चतुर्वेदी साहब, ये शालीनता से बोलें । हम कोई विरोध नहीं करेंगे, शालीनता से बोलें । ये इस प्रकार से बोल रहे हैं जैसे धमका रहे हैं । शालीनता से बोलिये कौन मना करते हैं उनको ।

श्री जगदीप धनखड़ : चतुर्वेदी साहब, आप संसदीय प्रणाली में वाक आउट का अर्थ ही नहीं समझते । आपने कह दिया सुन नहीं सकते इसलिए वाक आउट कर गये । प्रतिपक्ष के नेता ने गम्भीर....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : आपत्ति की है गृह मंत्री के आचरण पर उसके बाद वाक आउट किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शालीनता तो होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे निवेदन करना चाहता हूं आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य श्री शांतिकुमार धारीवाल जी, कृपया आप बिराजिये ।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अवलोपित की गयी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य को किस प्रकार से सम्बोधित किया जाता है यह भी नहीं जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह प्रसंग चलते हुए करीब डेढ़-दो घंटे हो गये हैं। दो घंटे से आपकी बात सत्ता पक्ष ने सुनी है गृह मंत्री जी ने भी सुनी है ....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सत्ता पक्ष को+++जो हमने सुनी है वह।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें तो सही आप माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : सत्ता पक्ष का +++हमने भोगा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पारीक साहब आप बिराजें। शांत रहें माननीय सदस्य।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान् पूनिया साहब आपस में बात न करें। माननीय पूनिया साहब, आसन के माध्यम से कोई बात कही जाती है। बिराजिये। (व्यवधान) तो मैं आपसे (व्यवधान) कृपया आप इस सदन के नियमों से वाकिफ हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : .... (व्यवधान) ... से आचरण है ....(व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठें। मेरा गृह मंत्री जी से भी निवेदन है कि वे शांतिपूर्वक अपनी बात कहें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। गृह मंत्री महोदय।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : ×××

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तर्क से पराजित हो जाता है कोई व्यक्ति....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठे बैठे न बोलें।

श्री कैलाश मेघवाल : जब तथ्यों से पराजित हो जाता है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं गृह मंत्री जी को निवेदन कर दूं कि आप बैठ जाएं। आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : नहीं वे कैसे बैठेंगे अपनी बात कह कर बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उनको अपनी बात कहने का अधिकार है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

130

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : दो घंटे तक आपने वाद-विवाद किया है। कृपया बिराजिये आप। श्री परसादी लाल जी मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं। आप विराज जाएं माननीय सदस्य कृपया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी, श्री पूनिया साहब आसन पैरों पर है। मैंने गृह मंत्री महोदय से निवेदन कर दिया। माननीय गृह मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तर्क से हार जाए, जब तथ्यों से हार जाए तब विवेक नहीं रहता है। मैं अपनी बात....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथसिंह जी कोई सवाल नहीं पैदा होता। आप बिराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : बिना बोले तो क्या होगा ?....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये। बैठे-बैठे न बोलें।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं खड़े होकर बोल रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी बिराज जाएं। आसन पैरों पर है अब आप बिराज जाएं। पहले गृह मंत्री जी को सुनेंगे।

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने इधर के लोगों के नाम रट रखे हैं उधर के लोगों के नाम भी आपको याद हैं ? सब नाम इधर के ही लोगों के रट रखे हैं आपने उधर का एक भी नाम याद है आपको ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या महोदया, आसन पैरों पर है।

श्रीमती बीना काक : इधर के नाम आपने रट रखे हैं उधर का एक नाम भी याद है आपको माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : मैं उधर के सारे नामों को जानता हूं इधर भी सबको जानता हूं बिराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी अपनी बात शुरू करें उससे पहले खेद प्रकट करें।

श्री शिवनाथ सिंह : एक मिनट मेरा पाइन्ट आफ आर्डर सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंह जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। कृपया बिराज जाएं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं भी बहुत सम्मान करता हूं आसन का इसलिए बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं, बिराजें। मेरी आज्ञा नहीं है पाइन्ट आफ आर्डर किस बात का है, बिराजें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा, आप बिराजें, माननीय सदस्य। गृह मंत्री महोदय।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर के लिए कोई आज्ञा की दरकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर तो सुनना पड़ेगा आप उसको रूल आउट कर दीजिए ... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : हम गृह मंत्री जी को सुनना नहीं चाहते। पहले खेद प्रकट करें। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नई संसदीय प्रणाली मत डालिये। पाइन्ट आफ आर्डर आप रिजेक्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई आज्ञा की दरकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नई प्रणाली नहीं डाल रहा माननीय सदस्य। आप सरकार को सुनना नहीं चाहते, पहले सरकार को सुनिये माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, पहले गृह मंत्री जी खेद प्रकट करें, खेद प्रकट करने के बाद आप इनको आज्ञा दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस के मालिक हो, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पहले खेद प्रकट करें। (व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं, बिराज जायं, माननीय सदस्य। गृह मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि एक जून को ....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको खेद प्रकट करना होगा, आपको आचरण के लिए माफी मांगनी होगी। आपको माफी मांगनी होगी ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खेद तो कांग्रेस के लोगों को करना चाहिये। सच्चाई सुन नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इतनी बातें कह दीं लेकिन सुनने का माद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : पहले आपके लोगों ने कहा था कि कांग्रेस

(132)

(श्री राकेश मेघवाल)

पार्टी खेद प्रकट करे। आपने कहा था कि गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिये। पहले आप खेद प्रकट करें (व्यवधान) यदि खेद ही प्रकट करना है तो कांग्रेस के लोगों को करना चाहिये कि बिना बात का एक डूंगर बना दिया है। आप शांतिपूर्वक सुनने की क्षमता पैदा कीजिए, सच्चाई सुनिये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि एक जून को सचिवालय में जिस तरह के (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी को खेद तो प्रकट करना ही पड़ेगा।

श्री राकेश मेघवाल : पहले राधेश्याम जी को खेद प्रकट करना होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : ....प्रतिफल, सबक सिखाने की बात कही गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जून, 1998 का दिन राजस्थान के शासन के इतिहास में एक काला दिन सिद्ध होगा जिस रोज 40 साल तक उस सचिवालय में बैठने वाले लोग असामाजिक तत्वों की तरह एक के बाद एक बेरीकेड तोड़ते हुए उस सचिवालय में घुसे और वहां पर तोड़-फोड़ की, सचिवालय में तोड़-फोड़ की ....(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : गृह मंत्री जी, आज + + + आप नहीं बोल रहे हो ... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : सचिवालय की कुर्सियों पर बैठने वाले 4-4 मुख्य मंत्री ....(व्यवधान) उस सचिवालय की इमारत को अशांत करने का प्रयास किया (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सम्माननीय गृह मंत्री महोदय, अब असामाजिक तत्व हो गये। यह प्रजातंत्र है, यह असामाजिक तत्व हो गये। क्या आपके मुख से यह बात शोभा देती है ? अब ये सारे के सारे लोग इस तरह के हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय श्री राधेश्याम जी, मैं निवेदन कर रहा हूं। व्यवधान अंकित नहीं होगा। गृह मंत्री महोदय।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : यहां पर यह भी कहा गया है कि किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें, उप नेता महोदय बोल रहे हैं। विराजें, उप नेता महोदय।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (उप नेता, प्रतिपक्ष) : इन्होंने उदाहरण दिया है असामाजिक तत्व, यह शर्मनाक बात है अगर इस तरह की बात वह कहते हैं तो..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको आप बोलने दें, शायद आ जाये वह प्रसंग भी, बोलने दें उनको ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : असामाजिक तत्व कह कर के परिभाषित कर रहे हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : इन लोगों ने एक तारीख को बेरीकेड तोड़ा पुलिस का, उनके साथ धक्का-मुक्की की, मार-पीट की, सचिवालय का दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, पोर्च में जाकर जिन्होंने तोड़-फोड़ की, वे असामाजिक तत्व ही हो सकते हैं किसी सदन के माननीय सदस्य नहीं हो सकते । मैं फिर कहना चाहता हूं। कह दें कि यह कार्य ठीक किया ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किस रूल्स के अन्तर्गत ?

श्री जगदीप धनखड़ : +++ Why don't you take your seat ? My Munshi is a very well regarded gentleman. No comparison.

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट आफ आर्डर किस रूल के अन्तर्गत है यह तो बता दें ।

श्री विष्णु मोदी : 294, और सुनना है ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : Sir, I seek to raise a point of order. Our Assembly proceedings are very sacred (rule 294).... It is the prime responsibility of the Minister of a Government not to loose his balance. There is a +++ in the Home Minister at the moment. He has lost his balance. He needs some kind of a medical attention. The Home Minister is at large what can be expected of a police force which is headed by him ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह तो निकाले जा चुके हैं इसी व्यवहार से, इस सदन से निकाले जा चुके हैं इसी तरह के व्यवहार से, इनको ऐसी +++ बातें बोलने की आदत है (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।
+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनें। माननीय सदस्य, कृपया + + + न करें। माननीय श्री परसादीलाल जी, कृपया बिराजें। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री जगदीश जी धनखड़ ने....

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा नाम जगदीप है।

श्री उपाध्यक्ष : जगदीप। जगदीप जी धनखड़ ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको मैं रिजेक्ट करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि 3-4 महीने से प्रतिपक्ष के नेता यहां नहीं हैं। प्रतिपक्ष के नेता ने यह सवाल उठाया कि माननीय चन्दनमल जी बैद से किसी ने बात नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने अपने चैम्बर में अतिरिक्त मुख्य अभियंता और पी.एच.ई.डी. के सेक्रेटरी और उसके साथ में चन्दनमल जी से बात की। उनके साथ अपने मुख्य अभियंता को चूरू भेजा था और उसके बाद भी, आपके साथ बात की है ...(व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : यह गलत है, गलत है, गलत है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आज असत्य बोलने के लिए ही आये हैं। अंगुली कटा कर शहीद बनना चाहते हैं, ऐसी राजनीति करने के प्रतीक हो गये हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : ×××

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : कि चूरू जिले के मंत्री राजेन्द्रसिंह जी राठौड़ और पी.एच.ई.डी. विभाग के मंत्री भंवरजी शर्मा आपकी जानकारी में, आपकी मांग पर पानी की पूरी व्यवस्था देखने के लिए चूरू जिले में गये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आप आर्डर कहोगे, पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप, बिराजें आप, कृपया बिराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।
××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, सचेतक महोदय । हां, बोलिये, सुनाइये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर यह है, सर, आज आप भी एक विधायक हैं, मैं भी एक विधायक हूं । गृह मंत्रीजी ने जो विवरण सचिवालय का दिया वहां तीन-तीन पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं । यह कह सकते हैं कि मुख्य मंत्री ने....

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्रीमती बीना काक : XXX

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जायं। मैंने विनम्रतापूर्वक आपका पाइन्ट आफ आर्डर रिजेक्ट कर दिया । अब आप बिराज जायं, माननीय गृह मंत्री जी ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय चन्दन मल जी बैद ने जब से आन्दोलन करने का, प्रदर्शन करने का ऐलान किया है तब से इनसे हर स्तर के अधिकारी ने बात की है, मुख्य सचिव से भी इनकी बात हुई है और इनसे निवेदन किया गया कि आप आइये, मुख्य मंत्री जी ने चर्चा की, अतिरिक्त मुख्य अभियता को बुलाया, सचिव को बुलाया। ये थे, चर्चा की उसके बाद इनसे कहा कि मैं वरिष्ठ मंत्री भंवरलाल जी शर्मा जो पानी के मंत्री हैं इनको और राजेन्द्र जी राठौड़ को चूरू में भेज रहा हूं । ये चूरू गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यहां पर यह भी कहा गया, माइक से ऐलान किया कि नहीं ?

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस होता है....

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : मोदी साहब, बैठ जाइये आप ।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, बैठिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : तारीख की चर्चा तो ये कहते रहेंगे ।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : इस तरह हस्तक्षेप किया है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उस रोज भी एक दिन पहले भी शाम को जाकर निवेदन किया, बैद जी +++ वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, 144 लगा दी गयी है, इन्होंने कहा मैं स्टेच्यु सर्किल पर गिरफ्तारी दे दूंगा ।

श्री चन्दनमल बैद : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : यह असत्य कथन कर रहे हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : यह असत्य कथन कर रहे हैं, आप देखिये ।

श्री चन्दनमल बैद : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : आप बैठिये, आप असत्य कथन कर रहे हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कह रहा हूं; बताया गया था ।

श्री चन्दनमल बैद : XXX

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : XXX

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : सबको झुठलाना चाहते हो ? पानी के हीरो बनना चाहते हो ?

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : XXX

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : सबसे बड़ा अपराध है ।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन तारीख को सवेरे जब आपसे निवेदन किया।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : आपके लिए डाक्टर तैयार रखा, मालूम है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : बेरीकेड तोड़कर जब तीन सौ गज अन्दर घुस गये तब इनको..

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : जब इनको गिरफ्तार करने के लिए जीप में डालने की कोशिश की तब टांगाटोली की, एक पुलिस वाले का डंडा लेकर के ....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : और इन पुलिस अधिकारियों को धमकियां दीं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री चन्दनमल बैद : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : अफसोस है 40 साल की तपस्या.. (व्यवधान) और सृजन के प्रतीक, अणुव्रत का समर्थन....

श्री चन्दनमल बैद : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वह व्यक्ति हैं, 1977 के अक्टूबर....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, जल्दी ही समाप्त करें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : X X X

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1977 के ..(व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : X X X

श्री मोहनलाल मोदी : X X X

श्री कैलाश मेघवाल : दिखाने का चेहरा और हो, वास्तविक चेहरा और हो ... (व्यवधान).. बिठाकर साधुवृति लेना चाहते हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर कदम पर इनसे निवेदन किया। इन्होंने कहा कि गिरफ्तारी यहां दे दूंगा, गिरफ्तारी नहीं दी।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(138)

श्री कैलाश मेघवाल : यह मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत के स्पष्ट निर्देश थे कि हमको संयम से काम लेना है, हमको राजनीति नहीं करनी है।

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : X X X

श्री कैलाश मेघवाल : इसलिए जो कुछ उस रोज पुलिस का व्यवहार था, मजिस्ट्रेट के, सारा संयमित था, सीमा में था, जितना आवश्यक था कानून तोड़ने वालों के साथ निपटने के लिए उतना ही बल प्रयोग किया गया। यही मेरा निवेदन है।

श्री चन्दनमल बैद : X X X

श्री मोहनलाल मोदी : X X X

श्री कैलाश मेघवाल : मैं मंत्री हूं, यदि मैंने मर्यादा भंग की है तो प्रिविलेज का मोशन लाइये। आपमें साहस हो, मेरे खिलाफ मर्यादा भंग करने का मोशन लाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त, चर्चा समाप्त, कृपया बिराजें पूनिया साहब, चर्चा समाप्त। (व्यवधान) पानी का मामला है।

श्री मोहनलाल मोदी : यह किस कैपेसिटी से बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री हैं, मंत्री जी ने कह दिया। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : पूरी डिबेट ओपन होगी फिर। पूरी डिबेट ओपन हो जायेगी। (व्यवधान) आप क्या कर रहे हो?

श्री परसादीलाल मीणा : आपने पेयजल की समस्या पर बोलने से रोका है, आपने पेयजल की समस्या पर बोलने से रोका है इसलिए आप पेयजल मंत्रीजी को भी रोकिये। आपने तो ऐसा कमाल कर दिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नियमों के तहत सदन चलता है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने हमको तो कहा कि पानी की समस्या पर नहीं बोलेंगे। आप फिर गृह मंत्री जी का जवाब करेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : हम उस टाइम पानी के बारे में बोलना चाहते थे। (व्यवधान) यह किन नियमों से बोलेंगे? (व्यवधान)

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिए। बैठिये, रामस्वरूपजी।

राज्य के परिवर्तित वार्षिक वित्तीय

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

विवरण, आय-व्ययक, 1998-99 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद। मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) सुनिये, पूनिया साहब, आसन पैरों पर है। आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं, इसलिए स्तर गिर गया। विराजिए आप। जो आवंटित समय था। उसमें से भारतीय जनता पार्टी का 2 घण्टे 58 मिनट बाकी है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दो घण्टे 58 मिनट। टीकम चन्द कान्त अकेले डेढ़ घण्टे बोले।

श्री उपाध्यक्ष : यस। इसमें सरकार की तरफ से जवाब भी है। (व्यवधान) सुनिये, आप। जब आसन पैरों पर हो तो खड़े नहीं होते हैं।

कांग्रेस का एक घंटा 31 मिनट। (व्यवधान) पारीक साहब, आपकी निगाह कभी-कभी इधर भी हो जाए। आप इधर देखिये, इधर।

श्रीमती बीना काक : दो-दो चश्में बीच में आते हैं, निगाह कैसे मिले।

श्री उपाध्यक्ष : जनता दल का बीस मिनट। सी.पी.एम. का 5 मिनट था 30 मिनट बोल चुके। निर्दलीयों का एक घण्टे 15 मिनट था जिसमें से 7 मिनट बाकी हैं।

मुझे अभी जो विभिन्न दलों से बोलने वालों की लिस्ट मिली है उसमें करीब 50 माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य 10-10 मिनट में अपनी बात कह दें। श्री महादेव सिंह।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बजट किसान विरोधी है, मजदूरों का विरोधी है, गरीब और हरिजन विरोधी है। राजस्थान की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें आज गांव के अन्दर प्राइमरी स्कूलों में और मिडिल स्कूलों में लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन अध्यापकों की इतनी कमी है कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर किसानों के यहां बरसात होने के बावजूद भी कृषि फार्म जितने भी बड़े-बड़े थे, वहां आज भी काश्तकारों को ग्वार का, बाजरे का बीज उपलब्ध नहीं हुआ। इस प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने काश्तकारों के लिए बीज की व्यवस्था भी नहीं करवायी।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई के मामले में बहुत सी जगह हमारे राजस्थान के अन्दर कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है और कभी असामायिक वर्षा होती है? लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने बार-बार सदन में यह निवेदन किया कि हमारे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में, ऐसा इलाका है, पहाड़ी एरिया है और पठारी एरिया है। जमीन के अन्दर

(श्री महादेव सिंह)

पानी नहीं है । ट्यूबवैल से भी सिंचाई नहीं होती है । इसलिए मैंने निवेदन किया था कि बरसाती पानी को रोकने के लिए जगह-जगह छोटे-छोटे एनीकट, बांध और बड़े बांध बनाये जाएं जिससे पानी संचित हो सके और उससे सिंचाई भी हो तथा जमीन का जल स्तर ऊंचा हो । लेकिन आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 9 साल के अन्दर राजस्थान के अन्दर नयी सड़क बनी है या नहीं बनी है यह तो मेरे को पता नहीं है लेकिन विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में एक भी नयी सड़क का निर्माण तो हुआ ही नहीं, लेकिन जितनी भी पुरानी सड़कें थीं उन सबका अस्तित्व खत्म हो गया है और उनमें 2-2, 3-3, 4-4 फीट के गड्डे बने हुए हैं । नौ साल के बाद में, सड़क के ऊपर मिट्टी डालने वाले या जिनको बारहमासे बोलते हैं, वे आदमी भी ? हटा दिये गये हैं । वहां आदमी चल नहीं सकता । आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और सड़कें इतनी अस्त-व्यस्त हो रही हैं कि देखने से लोग यह कहते हैं कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं ।

इसी प्रकार से, किसानों के खेतों में पानी नहीं और किसानों के ट्यूब पम्प के अन्दर बिजली नहीं । किसानों की बिजली की बात जब आती है तो 1990 से पहले काश्तकार बिजली का फार्म भरता था केवल उसके दस रुपये फार्म के लगते थे । लेकिन आज 5 हजार रुपये जमा कराने के बावजूद भी उसका फार्म भरा जाता है और जब 9 हजार रुपये एक पोल के लिए जाते थे नर्सरी योजना के अन्तर्गत, तो उस योजना के अन्तर्गत लोगों के डिमाण्ड नोटिस निकालते थे और फिर दुबारा 3-3 हजार प्रति पोल के हिसाब से उनके डिमाण्ड नोटिस फिर आ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि अगर आप ये पैसा जमा नहीं कराओगे तो हम आपको बिजली नहीं देंगे । किसानों के डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख रुपये डेढ़-डेढ़, दो-दो साल से जमा हैं और बिजली के मामले में किसान से जो पैसा लिया जाता है उसका तो ब्याज का सवाल ही नहीं है । किसान के खेत के बिल जमा न होने की वजह से यदि काश्तकार का कनेक्शन काट लिया जाता है और उस काश्तकार का पैसा जमा होने के बावजूद वह दुबारा कनेक्शन मांगता है तो काश्तकार से कहा जाता है कि अगर आपको कनेक्शन लेना है तो नर्सरी योजना में लीजिए । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वह कनेक्शन दुबारा नर्सरी योजना में लेने से सौ गुना पानी फेंकेगा, क्या वही कनेक्शन नर्सरी योजना में लेने से वहां गेहूं और जौ की जगह कोई और प्रकार की किस्म पैदा होगी इस प्रकार से, किसानों के साथ लूट हो रही है और आये दिन इतनी चैकिंग चल रही है जिसकी कोई हद नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिजली के मामले में किसानों को बिलकुल भी टाइम पर बिजली नहीं दी जाती है ।

आज हमारे क्षेत्र के अन्दर तो 30-30 40-40 किलोमीटर दूर से बिजली आती

(श्री महादेव सिंह)

है और 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में 132 के.वी.ग्रिड सब स्टेशन कायम किया जाए जिससे किसानों को फायदा हो। इसमें ऐसा प्रावधान करे जल्दी ही वहां ग्रिड स्टेशन लगाने की व्यवस्था करें।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जितने भी बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए इस बजट के अन्दर कोई प्रावधान नहीं है, शिक्षा के मामले में कोई प्रावधान नहीं है। यह सारा का सारा बजट किसान, मजदूर और बेरोजगारों का विरोधी है। इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतेहसिंह।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट के ऊपर जो चर्चा चल रही है। मेरे पूर्व कई माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि जो बजट 98-99 का पेश किया गया है, कुल मिलाकर एक चुनावी बजट है, पूंजीपति बजट है। एक तरह से इसको देखा जाए तो गरीबों का विरोधी बजट है, किसान विरोधी बजट है। इसके अन्दर यह देखा गया कि किसानों के हित में, मजदूरों के हित में या और गरीब तबके के हित में होता तो कम से कम उनके बारे में कोई सोच होती।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो भी प्रावधान इस बजट में रखे हैं। कुछ तो यह लिमिटेड बजट है, जो प्रशासन के ऊपर खर्च होगा और कुछ बजट विकास से सम्बन्धित है। लेकिन यह देखने में आया है कि इस बजट के अन्दर शुरू से अब तक जितने निर्माण काम हुए हैं, चाहे सिंचाई के डैम हों, सार्वजनिक निर्माण के भवन हों, सड़कों का निर्माण हो, शुरू से अब तक जो काम हुए हैं उनके अन्दर रिपेयर का पैसा कितना खर्च होगा यह उसमें दर्शाया नहीं है। आप सभी जानते हैं एक बार एक निर्माण काम को करने के बाद में उसका 10 प्रतिशत पैसा मिलता है। उसके अन्दर कितना बिल्डिंग वर्क होगा, कितनी रोड होती हैं, कितने सिंचाई के तालाब होते हैं नहरें होती हैं। उसमें 10 प्रतिशत पैसा अगर दिया जाए तो उससे वह निर्माण काम पूरे नहीं होते हैं। तो मेरी इस मौके पर मांग है कि यह जो बजट उस मायने में रखा है, उसके अन्दर जितने सिंचाई के तालाब, आज लम्बे समय से जो नहरें बनी हुई हैं और हम यह मानते हैं कि इस नहर से, इस डेम से इतने हजार एकड़ में पीबत होगी, इतने किसानों को लाभ होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पुराने तालाब हैं उनकी नहरों में पानी सीपेज होता है। सीपेज होकर के पानी निकल जाता है। डैम तक पानी पहुंचता नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि जो हमारी नहरें टूटी-फूटी हुई हैं सिंचाई बांधों की, उन पर यह खर्च किया जाए।

दूसरी मेरी मांग यह है कि पी.डब्ल्यू.डी. के जो रोड्स हैं, वे बहुत पुराने रोड्स

(१४२)

(श्री फतेहसिंह)

है। कई माननीय सदस्य कह चुके हैं कि बड़े-बड़े खड्डे पड़ गये हैं। मेरी यह मांग है कि आप दूर-दराज के इलाके में जहां 60 परसेंट या 62 परसेंट जो खर्चा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन रोड्स को लिया जाए जिनकी टूट–फूट हो चुकी हैं, खड्डे पड़ चुके हैं और किसी गांव को जोड़ने में अभी भी कुछ काम अधूरा है। ऐसे रोड्स को अगर लिया जाय तो उस क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।

तीसरी बात, मेरी यह थी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से, पी.डब्ल्यू.डी. की तरफ से बिल्डिंग वर्क के काम होते हैं। उसके अन्दर जो पैसा आप नये सिरे से देंगे, उसका काम तो होगा ही होगा लेकिन जो पुराने काम हैं वे कई पुरानी बिल्डिंगें टूट-फूट हो रही हैं उनकी रिपेयर के लिए कोई पैसा नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उन बिल्डिंग्स की रिपेयर करने के लिए भी पैसा बजट में अगर रखा है तो ठीक है, नहीं रखा है तो उसका भी प्रावधान रखा जाए और डिपार्टमेंट को भी दिया जाए, पंचायती-राज को भी दिया जाए, अन्य विभागों को जो एनीकट वगैरह बनाते हैं, उनको भी दिया जाए, ताकि जो पुराने काम हैं, जो पैसा लगा है, उसका दुरुपयोग नहीं हो और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में एक कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर कल बहस होगी। कल बहस होगी उस पर।

श्री फतेहसिंह : नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि आज की स्थिति में कानून- व्यवस्था के बारे में बहुत बड़ी ऐसी परेशानी आ रही है कि उस इलाके में लोग सुरक्षित नहीं हैं। उसके ऊपर जब चर्चा होगी तब होगी। मैं यह कहना चाहता था कि हमारे यहां से मजदूर गुजरात में अभी फिलहाल पिछले समय गये थे। मजदूर हमेशा दूरदराज के इलाके में, खासकर के किसान मजदूर, आदिवासी, हरिजन और गरीब तबके के, ओ.बी.सी.के लोग बेरोजगार होने के कारण वे गुजरात में या अन्य प्रांतों में जाते हैं। मेरी इस मौके पर यह मांग है कि जो मजदूर हमारे यहां से जाए वे या तो ग्राम–पंचायत में या तहसील में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर के नाम दर्ज करवा कर जाएं, ताकि यह पता चले कि कितने मजदूर हमारे प्रदेश से बाहर गये हैं और वे कहां गये हैं। अभी यह हुआ है कि यहां से काफी मजदूर बाहर गये। अभी चक्रवाती तूफान में, हमारे राजस्थान में जो तूफान आया, उसके अन्दर तो लोग मरे हैं लेकिन बांसवाड़ा जिले के लोग भी गुजरात में थे। उसमें करीब 18 लोग बांसवाड़ा जिले के जो कि कुशलगढ़ क्षेत्र के ही मरे हैं और उनको अभी तक मुआवजा राजस्थान सरकार की तरफ से भी नहीं मिला है और न गुजरात से दिलाने की कोई पहल ही हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि राजस्थान सरकार, चाहे पिछले चालीस साल की कांग्रेस सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पांच साल से रही हो लेकिन आदिवासी, हरिजन, किसान और गरीब तबके के लोगों के बारे में आज तक कोई योजना नहीं बनायी, कोई सोच नहीं किया। उसी का यह नतीजा है कि आज लोग बाहर जाकर अपना जीवन भरण–पोषण करने के लिए पेट पालने के लिए अपनी जानें खो रहे हैं।

(श्री फतेहसिंह)

तो सरकार को समय रहते यह चाहिये था कि इस इलाके में बहुत सारे उद्योग, फैक्ट्रियां या अन्य धन्धे खुल सकते थे लेकिन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को उन्होंने कई रोजगार या उद्योग-धन्धों के परमिट दिये, लाइसेंस दिये और उन्होंने अपने क्षेत्र के व अन्य क्षेत्रों के लोगों को ले जाकर रोजगार पर लगाया और वहां के लोगों को रोजगार पर नहीं लगाया। इसलिए यहां के आदिवासी अपनी भूख को मिटाने के लिए गुजरात में गये और वे मारे गये। मेरी सरकार से मांग है कि आदिवासी इलाका, चाहे डूंगरपुर हो, चित्तौड़ हो या बांसवाड़ा हो, इस इलाके के अन्दर सरकार यह योजना बनाये, उस इलाके के किसानों का सर्वे कराये कि कितनी जमीन पर कितने किसान काबिज हैं और उसके अनुपात में कितने लोगों का उस जमीन से भरण-पोषण होगा और बाकी कितने लोग बचेंगे, जो बेरोजगार माने जाएंगे। उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार करे।

मैं चाहूंगा कि उस इलाके में एक तो कपास की खेती अच्छी होती है। कपास, धागा मिलें खुल सकती है। कपड़ा मिलें खुल सकती हैं। एक गेहू की पैदावार होती है जहां पर सिंचाई का एरिया है, वहां पर एक आटा मिल खुल सकती है। दालों की पैदावार उस इलाके में अधिक होती है तो दाल मिलें खुल सकती हैं। इस तरह के छोटे-छोटे उद्योग अगर उस इलाके में खोले जाएं तो हो सकता है कि वहां के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और इस तरह से अपनी जानों को नहीं गंवाना पड़े। यहां तक कि एक परिवार के छह लोग मारे गये और एक ही बच्चा घर पर रह गया और एक परिवार के दो सदस्य मरे, एक-एक के, एक-एक परिवार मरा, यूं करके 18 लोग मौत के घाट उतरे हैं और सरकार का कोई चिन्तन नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बजट के अन्दर प्रावधान रखे और यह सोचे कि उस इलाके के लोगों को जिन्दा रखने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए।

अब शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हम शिक्षा के बारे में ढिंढोरा पीट रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में या पूरे राजस्थान में उन्होंने एक साक्षरता अभियान चलाया, उत्तर साक्षरता अभियान चलाया और उसके बाद में अभी भी साक्षरता अभियान के रूप में करोड़ों रुपये वहां खर्च किये जा रहे हैं और पुराने जो बूढ़े लोग हैं, उनको पढ़ाने की योजना भारत सरकार की है, राजस्थान सरकार की है लेकिन मैं नहीं मानता कि यह पुराने बूढ़े लोग इस तरह से पढ़-लिखकर होशियार हो जाएंगे। मेरी मांग यह है कि बूढ़े लोगों को पढ़ाने में जितना खर्चा आज हम कर रहे हैं उसके बनिस्पत यह पैसा हमारा जो प्राइमरी से लगाकर के सीनियर और कालेज तक के जो लड़के पढ़ रहे हैं, उन लड़कों को कोई सुविधा दी जाए, होस्टलों में जो संख्या कम है, उसको बढ़ाया जाए, फैसिलिटी दी जाए और उनके खाने-पीने की और कोई सुविधा ऐसी मिले, उनका दिमाग सही रहे तो मैं समझता हूं कि दस साल के बाद

(144)

(श्री फतेहसिंह)

हमारे जिले में या हमारे प्रदेश में इस तरह की समस्या नहीं रहेगी। आज जो हम लाखों-करोड़ों रुपये उसमें खर्च करने जा रहे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ आदमी पूरे दिन काम करता है, ढुलाई का काम करता है, खुदाई का काम करता है, थक जाता है, उसके बाद में वह जाकर के उसको पढ़ाने की बात करेगा, उसको समय मिलेगा नहीं, पढाई कोई होती नहीं है। करोड़ों रुपये अधिक खर्चा हो रहा है तो मेरी मांग है कि इस तरह से फिजूलखर्चा नहीं करके प्राइमरी स्कूलों में जो अध्यापकों की कमी है, उसकी पूर्ति की जाए। मिडल स्कूल या सैकण्डरी स्कूल या सीनियर स्कूल या कालेजों में जिस तरह की पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरी जाएं और वहां के किसान, मजदूर, आदिवासी या ओ.बी.सी. के जितने लोग हैं, उनको राहत दी जाए। यह मेरी मांग है।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता था कि हरेक दल का सदस्य अपनी बात पूरे प्रदेश की ओर अपने क्षेत्र की करते आये हैं लेकिन हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर और यह चित्तौड़, प्रतापगढ़ एक आदिवासी बैल्ट है। उसी प्रकार मध्यप्रदेश का धार, झाबुआ और इन्दौर का यह बैल्ट आदिवासी है। उसी से सटा हुआ एरिया हमारा गुजरात का है, जो गोदरा, अहमदाबाद, बड़ोदा, दाहोद का एक बैल्ट आदिवासी है, कुल-मिलाकर के यह आदिवासी बाहुल्य है। गुजरात सरकार का वहां के आदिवासियों के बारे में वही सोच है, अनदेखी कर रही है। मध्यप्रदेश की सरकार आदिवासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रही है और राजस्थान के बैल्ट में जो दूसरे प्रांतों की सरकारें जो कर रही हैं, वही व्यवहार राजस्थान की सरकार यहां के आदिवासियों के साथ कर रही है। तो मैं सदन में यह मांग करना चाहूंगा कि आये दिन इस तरह से आदिवासी पीड़ित होकर के, इस पूरे इलाके को एक समूह बनाकर के एक आदिवासी सूबा बनाने की मांग करेगा और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि तीनों प्रांतों के लोगों को मिलाकर के हमारी यह सोच है, यह विचार है कि हम उस इलाके में दूसरी जगह जो सूबे की मांग कर रहे हैं, हमारी भी यह मांग रहेगी और मेरी मांग यह है कि अगर यही स्थिति सरकारों की रही तो हम इस पूरे बैल्ट को एक आदिवासी सूबा बनाने के लिए अपना आन्दोलन छेड़ेंगे, अपनी मांग को मंजूर करवाएंगे। सरकार को मजबूर करेंगे और इसके लिए जो कुछ हमको अलख जगाना पड़ेगा, आन्दोलन करना पड़ेगा, सत्याग्रह करना पड़ेगा, वह हम करके इस काम को पूरा करने की भरसक कोशिश करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आदमी सस्पैण्ड हो सकता है, एक्सेंट आसानी से नहीं होता। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री जगदीप धनखड़)

महोदय, वर्तमान चर्चा में सम्मिलित होने का जो सुअवसर आपने मुझे प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

(15.40 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, सर्वप्रथम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के दौरान मैं एक विशेष अनुरोध करूंगा कि स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान राशि जो एक हजार रुपए प्रति माह की गयी है, उसको बढ़ाया जाए। माननीय सभापति महोदया, स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या स्वाभाविक रूप से गिर रही है, उनकी उम्र बढ़ रही है और ऐसी परिस्थिति में यदि वास्तव में हम उनको सम्मान प्रस्तुत नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं देश के लिए अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अन्य प्रान्तों ने जो अच्छे कदम उठाये हैं, मैं समझता हूं राजस्थान एक ऐसा कदम उठाएगा कि स्वतन्त्रता सेनानी, जिनकी संख्या बहुत कम है और आने वाले कुछ वर्षों में उनकी संख्या बिलकुल खतम हो जाएगी, कोई आर्थिक भार नहीं बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में एक हजार रुपए देना, इससे तो एक मजदूर भी अपना काम नहीं चला सकता। स्वतन्त्रता सेनानी के साथ इस प्रकार का व्यवहार, मैं समझता हूं शोभनीय नहीं है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि स्वतन्त्रता सेनानियों को जो हम सम्मान दे रहे हैं वह वास्तव में आर्थिक रूप से तो कम से कम उचित सम्मान हो और स्वतन्त्रता सेनानियों को...

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले कितना था ?

श्री जगदीप धनखड़ : कई प्रान्तों में तीन हजार तक दे रहे हैं। राजस्थान के अन्दर आपने इतना अच्छा वित्तीय प्रबन्ध किया है कि पांच हजार रुपये महीने देने में भी क्या दिक्कत है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि स्वतन्त्रता सेनानियों को वर्तमान स्थिति में हम पश्चाताप कर एक अच्छा सम्मान आर्थिक दृष्टि से दें।

माननीय सभापति महोदया, जब से यह सरकार आयी है ग्रामीण क्षेत्र के तो बिलकुल खिलाफ रही है। बड़ा भेदभावपूर्ण रवैया आपने अपनाया है और अगर आप देखेंगे (व्यवधान) मान्यवर, भैरोंसिंह शेखावत जी, कैलाश मेघवाल जी टूरिंग टाकीज हो सकते हैं मैं तो एक जगह स्थापित हूं, आप चिन्ता मत करो। कभी उधर से जाना हो तो जरूर आइए। सोनगराजी आपको ज्यादा बता देंगे।

माननीय सभापति महोदया, कैसी विडम्बना है कि भारत के संविधान में संशोधन के बाद पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस दर्जे से यह उम्मीद की जाती है कि सत्ता नीचे के स्तर पर भी जाएगी। अब आप देखिए,

(श्री जगदीप धनखड़)

मैं पैरा 80 में पढ़ रहा हूं—"प्रमुख, प्रधान, सरपंच को प्रति माह आप एक सम्मान राशि देते हैं।" पंच को क्यों नहीं देते ? और अगर पंच को नहीं देते तो पार्षद को क्यों दी जाती है ? पच और पार्षद के अन्दर बराबरी क्यों नहीं की गयी ? जब भारत के संविधान में दोनों समकक्ष हैं, दोनों का काम एक जैसा है—(व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको पता नहीं है पार्षद को जो भत्ता मिलता है न, वह नगरपालिका अपनी इनकम से देती है, सरकार नहीं देती है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, मंत्री महोदय चूंकि पंचायत राज से सम्बन्धित नहीं हैं, इनका झुकाव उधर स्वाभाविक रूप से हो सकता है।

श्री सभापति : आपका ज्ञान दुरुस्त किया है।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा आपसे आग्रह है कि भारत के संविधान में पाठ 9 और 9 ए में जब एक जैसे प्रावधान हैं, एक प्रक्रिया है और यह उम्मीद की जाती है कि वह उसी तरीके से कार्य करेंगे तो उस +++ गरीब पंच को, जो इस पूरी व्यवस्था में सबसे नीचे स्तर पर है.. (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पंच को गरीब और +++ कहना ठीक नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : गरीब तो आपके राज में हर व्यक्ति है, मैं भी गरीब हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपकी गांव के प्रति मानसिकता को प्रकट करती है। आप पंच को गरीब और +++ न कहें, यह ठीक नहीं है।

श्री कालूलाल गूजर : वार्ड पंच को +++ कहना गलत है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार प्रमुख, प्रधान, सरपंच और पंच की स्थिति को किसी भी तरीके से नगर पालिका में जो समकक्ष कार्यरत व्यक्ति हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, उनसे बदतर नहीं रखेगी और मैं समझता हूं निश्चित रूप से, यदि पंच को उसी स्थिति में रखा जाएगा तो पंचायतों की जो कल्पना की गयी है संविधान संशोधन के पश्चात्, उसके अच्छे नतीजे आप और हम देख पाएंगे।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान के मुख्य मंत्री की राजनैतिक हैसियत कितनी कम हो गयी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 16 मई को राजस्थान के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को, जो इन्हीं की पार्टी के हैं, एक पत्र लिखा और पूरा विवरण दिया कि राज-

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगदीप धनखड़)

स्थान के अन्दर मार्बल व्यवसाय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और यहां की आर्थिक व्यवस्था इस पर टिकी हुई है, आपने जो उत्पाद शुल्क लगा रखा है 30 रुपए पर मीटर, वह ज्यादा है, इसके अन्दर कमी की जाए। महोदय, आप जैसी राजनैतिक हैसियत का व्यक्ति अगर अपने ही पार्टी के वित्त मंत्री को लिखे, तो उम्मीद की जाती है कि या तो 30 रुपए से कुछ कम कर देंगे या बढ़ोतरी नहीं करेंगे पर जिस नाक में नथ लगाने की चर्चा आप कर रहे थे, वह नाक ही काट-कर 30 से 40 कर दिया उन्होंने और आपकी चिट्ठी मिलने के बाद में कर दिया।

माननीय सभापति महोदया, मैं सरकार को इस बात की थोड़ी सी बधाई देता हूं, ज्यादा नहीं देता कि उन्होंने मार्बल पर सैल्स टैक्स 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया है। मुख्य मंत्रीजी, इसमें और कमी की आवश्यकता है। उत्पाद शुल्क के मामले में तो आप कार्य कर रहे हैं, चुनावी वर्ष में और भी ज्यादा सक्रिय रूप से करेंगे पर इस सैल्स टैक्स रिडक्शन से अन्दर यदि आप कुछ और सोचकर कम कर देंगे तो मैं समझता हूं यह उद्योग, जो पूरे तरीके से खत्म होता जा रहा है, इसमें जो पूंजी लगी है, वह वापिस नहीं आ रही है, लोग बहुत परेशान हैं।

(समय -समाप्ति- सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, (व्यवधान) मैं तो आपत्ति उस वित्त मंत्री पर कर रहा हूं जिसने आपके पत्र पर ध्यान नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : पत्र लिखा तो अच्छा ही किया न। वह दे देंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष तौर से मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि राज्य के अन्दर मार्बल के कुछ कुटीर उद्योग कार्य कर रहे हैं, जो झोंपड़ों में कार्य कर रहे हैं, हाथों से कार्य कर रहे हैं जिनमें दो-दो चार-चार से ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। रूपनगढ़ में इस प्रकार की एक बस्ती भी है। उनको तो आप पूरी तरह से सैल्स टैक्स से मुक्त कीजिए। उनको यदि इस इंसपेक्टर राज से मुक्त नहीं किया गया तो वह बिलकुल बरबाद हो जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें पूरी जांच करा लें और जो बिलकुल छोटे स्तर के हैं जिनमें लाख-दो लाख रुपये से ज्यादा नहीं लगे हुए हैं, जो झोंपड़ों में चल रहे हैं, कम से कम उनकी मदद यदि सरकार करेगी तो निश्चित रूप से वह आर्थिक रूप से थोड़ा ऊपर आ पाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे तो अफसोस यह है कि आपको किशनगढ़ से एम. एल. ए. बने हुए पांच वर्ष हो गए, पांच वर्ष में आज मार्बल उद्योग के बारे में आप बोले नहीं तो बोलने की कार्यवाही चुनाव की दृष्टि से हो रही है कि मन से हो रही है ?

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्रीजी की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। 1996 में जब पहली

(श्री जगदीप धनखड़)

बार उत्पाद शुल्क में 20 से 30 रुपये किया गया था तो मैंने इस सदन के अन्दर मुद्दा उठाया था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वहीं खड़े होकर कहा था कि मैं कदम उठाऊंगा ताकि यह कम हो जाय और यहां कहा था कि हम फाइनेंस कमिश्नर को कहेंगे कि एक रिपोर्ट तैयार करे। यह सदन की कार्यवाही का हिस्सा है। पर उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी व्यस्त हो गये; कार्यवाही नहीं की तो मेरे को इस बात के लिए दोषी आप नहीं करें। फिर एक नहीं चार दफे इस सदन के अन्दर मैंने मुद्दा उठाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुद्दा तो आपको याद है, मुझे भी याद है। पहले उत्पाद शुल्क कितना लगता था, फिर कितना बढ़ा ?

श्री जगदीप धनखड़ : आपके राज में 10 से 40 हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 10 से 30 किस के राज में हुआ ?

श्री जगदीप धनखड़ : आपके राज में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके राज में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारा अभी आया है राज। उत्पाद शुल्क लगाने का काम राज्य सरकार का नहीं है भारत सरकार लगाती है।

श्री जगदीप धनखड़ : वह ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है तो 10 से 30 प्रतिशत का जो उत्पाद शुल्क हुआ है वह तो भारत सरकार ने लगाया था, अब 30 से 40 की आप बात कह सकते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, मैंने तीन मांगें की हैं। पहली मांग, स्वतंत्रता सैनानियों की संख्या घट रही है। मुख्य मंत्रीजी, उनको उचित सम्मान दीजिये। दूसरी मांग, पंच को भी आप सम्मान राशि दीजिये। ऐसा नहीं कि पार्षद को मिले और पंच को नहीं मिले। गांव और शहर में इस प्रकार का भेदभाव गलत है। मार्बल के अन्दर सैलस टैक्स कम कीजिये पर छोटी यूनिट्स हैं उनको तो पूरी तरह राहत दीजिये।

अब, मुख्य मंत्रीजी, एक विशेष मुद्दा बचता है। जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति : आपका समय पूरा हो रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : पांच मिनिट।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके वित्तीय प्रबन्ध की काफी प्रशंसा की जा रही है और उप मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा है कि राज्य की जितनी समृद्धि हो रही है वह आपके वित्तीय प्रबंध की वजह से हो रही है। मुख्य मंत्रीजी, जब मैंने सी. ए जी. की रिपोर्ट पढ़ी, आप सोच सकते हैं, मैं पूरी तरह से भयभीत हो गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

आपका इसी वर्ष का, उन्होंने आपके पांच साल कवर किये हैं और, माननीय मुख्य मंत्रीजी, उसमें जो लिखा गया है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा। आप देखें। जैसे, शिड्यूल्ड कास्ट के डवलपमेंट के लिए आपने क्या किया ? इसमें लिखा है कि 6 करोड़ 70 लाख रुपये उस डूबते हुए राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बचाने के लिए जो पैसा शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जाना चाहिये था वह आपने उनके पास भेज दिया। इन्होंने यह भी लिखा है कि 70 करोड़ 46 लाख रुपये आपके पास पड़े रहे और उसके डिसबर्समेंट में आपने 10 दिन से लेकर 301 दिन की देरी की। मान्यवर, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 37 करोड़ 53 लाख से लेकर 3 करोड़ 78 लाख रुपये 1991-92 से 1996-97 तक अनस्पेंट रहे। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 45,700 उन व्यक्तियों को जिनको मदद मिलनी चाहिये थी, जिनको आपको एम्प्लोयमेंट दिलाना चाहिये था, उनके प्रति आपकी सरकार पूरी तरह उदासीन है।

सभापति महोदय, इस प्रकार का वित्तीय प्रबंध यदि राज्य के लिए उचित है तो फिर भगवान भरोसे ही कार्य चल सकता है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, कुछ और महत्वपूर्ण मामले हैं। सी.ए.जी. ने सीधा आरोप लगाया है कि आपके एक मंत्री ने एक ठेकेदार को अनावश्यक फायदा पहुंचाने की दृष्टि से एक उस कांट्रेक्ट को जीवित कर दिया जिसको काम्पीटेंट अथोरिटी ने डिटरमिन कर दिया था। मुख्य मंत्रीजी, आपको पूरा ज्ञान होगा, उस मंत्री ने राज्य को 23 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। आपने कोई कार्यवाही नहीं की। उसी विभाग के एक दूसरे मामले में 18 लाख का एक कांट्रेक्टर को आपने अनावश्यक रूप से फायदा पहुंचाया। उससे कोई अर्नेस्ट मनी नहीं ली गयी। जब एक आदेश पारित हुआ कि अर्नेस्ट मनी को फोरफिट कर लिया जाय, तो पता चला कि 18 लाख की अर्नेस्ट मनी तो थी नहीं 6 लाख थी। तो कहा 6 लाख को फोरफिट कर लो। पता लगा कि बैंक से वह पहले ही विदड्रा हो गयी। यह आपका ही प्रबंध हो सकता है। इसमें इस प्रकार की झलक लगती है कि राज्य का कोई धणीधोरी ही नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपका जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसके बारे में क्या कहा सी.ए.जी ने। अब देखिये by injudicious purchase of electronics static meters from in-experienced firm मुख्य मंत्रीजी, बोर्ड को कितना नुकसान हुआ, 18 करोड़ का। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के संविधान में एक व्यवस्था है, एक संस्था बनी हुई है उस संस्था ने आपके अधिकारियों से चर्चा करने के बाद यह कहा है।

(श्री जगदीप धनखड़)

इसमें देखिये, नर्सरी योजना लगा दी, +++ गांव का गरीब आदमी देता रहेगा। उसके पास बचाव क्या है ? यदि इसको बिजली चाहियेगी तो मुख्य मंत्रीजी कह देंगे कि नर्सरी वाली लाइन बहुत लम्बी है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, मैं दावे के साथ कहता हूं आप नर्सरी नहीं सुपर नर्सरी की लाइन कर दीजिये, राजस्थान की पांच करोड़ जनता में से जरूर ऐसे लोग मिल जायेंगे जो लाइन को लम्बा कर देंगे। मरता क्या नहीं करता। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आगे देखिये, abnormal delay upto 16 months in notifying rate of final surcharge for the year 1993-94 जब आप राज में थे 1993-94 has resulted in loss of interest. कितना नुकसान हुआ होगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, 42 करोड़ 76 लाख का। क्या आपका ऐसा वित्तीय प्रबंध है ? यह है जिसको प्रशंसा प्राप्त करे ? मुख्य मंत्रीजी, आगे देखिये। यह मैं कुछ ही मामले उठा रहा हूं पर आपका कोई विभाग ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसके अन्दर सी.ए. जी. ने आपकी खिचाई नहीं की हो और सी. ए. जी. ने निश्चित रूप से यह संकेत दिया है कि राजस्थान में financial management is of the poorest quality. There is no accountability of any nature at any level.

अब, मान्यवर, जिस प्रकार के एक्सप्रेशंस सी.ए.जी. ने यूज किये हैं 'fraudulent' में यदि यूज करूं तो आप आपत्ति कर सकते हो कि हमारे सरकार के अधिकारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार के एक्सप्रेशंस क्यों यूज कर रहे हैं। C.A.G has used that fraudulent means were adopted by the functionaries of the State resulting into loss of crores. अगर सी. ए. जी. की रिपोर्ट के अन्दर आप पूरा एक्यूमुलेट करें, वो कम्प्लीट ही नहीं है। That is just a Sample testing. और उसमें भी इस प्रकार के सरकमस्टांसेज उभर कर आ रहे हैं कि लाखों का नहीं करोड़ों का मामला। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मंत्री को इतनी छूट थी कि सी.ए.जी. यह कहे कि इनकाम्पीटेंट तरीके से, इर्रेगुलर तरीके से इनवायलेशन आफ लॉ एक ऐसे कांट्रेक्ट को जीवित कर दिया जो पूरी तरह डिटरमिन हो गया और राज्य के 23-24 लाख....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें, आपका समय पूरा हो गया।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, मेरा समय पूरा नहीं हुआ।

श्री सभापति : मैं दूसरा नाम पुकार लूंगी, आप समाप्त करें।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं एक मिनट का समय लूंगा पर कृपा कर के इतना संशोधन कर दें कि वह समय जो आपने डिबेट में हिस्से के लिए दिया है, खतम हो गया मेरा समय यदि आप खतम कर देंगी तो मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय होगा। वह ऊपर वाले पर रहने दीजिये।

श्री सभापति : मैंने वही कहा है, आशय समझने की बात है। मैंने तो यही कहा है कि आपका डिबेट का समय पूरा हो गया।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं अंतिम मिनट में यह कहना चाहता हूं कि गांव और शहर में जो भेदभावपूर्ण रवैया किया है, शहर में विकास होगा, कालेज बनेगा, होस्टल बनेगा, स्कूल बनेगा और कोई नहीं कहता कि आप कंट्रीब्यूट कीजिए और जहां गांव का मामला आयेगा....

एक माननीय सदस्य : आप शहर में हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं भी शहर में हूं, मुख्य मंत्रीजी भी शहर में हैं।

श्री सभापति : आप अपनी बात पूरी करें।

श्री जगदीप धनखड़ : गम्भीर चर्चा में इस प्रकार की बात नहीं है।

सभापति महोदया, ग्रामीण वर्ग को इस तरीके से लूटना कि आप कुछ भी विकास का कार्य कराओ तो कर दो कंट्रीब्यूट। शहर में इस प्रकार की बात क्यों नहीं है?

श्री सभापति : आपको मालूम नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : अंत में, मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो तीन मेरी विशेष मांग हैं, वर्तमान में तो आपके पास समय है अगला बजट कौन प्रस्तुत करेगा ....(व्यवधान).... इनको कीजिये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शम्भूदयाल बड़गूजर।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : सभापति महोदया, राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्रीजी ने जो वर्ष 1998-99 का बजट प्रस्तुत किया है वह राजस्थान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और व्यापारियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत ही उत्तम और कुशल वित्तीय प्रबंधक का परिचायक है।

राजस्थान की सरकार ने अब तक अपने सतत प्रयासों से राजस्थान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और इस राजस्थान में बसने वाले समस्त वर्गों के हित में सर्वांगीण विकास के काम किये हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : चुंदड़ में नहीं किया क्या?

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : सुनो ना, आप। बजट को पढ़ तो नहीं रहे और हस्तक्षेप कर रहे हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने यह कहा है कि चूंदड़ों के लिए नहीं किया क्या?

(16.00 बजे)

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : (व्यवधान) इस कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए मैं वित्त मंत्रीजी एवं उप मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि विकास के सतत् प्रयासों के परिणाम-स्वरूप राज्य का सकल उत्पाद जो वर्ष 1992-93 में 86 हजार 757 करोड़ रुपये था वह बढ़कर सन् 1997-98 के अनुसार 92 हजार 481 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार सन् 1991-92 में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, सिंचाई, कृषि, ऊर्जा एवं सड़कों पर कुल व्यय 2513 करोड़ 36 लाख था, इसकी तुलना में चालू वर्ष में 6905 करोड़ 66 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है। यह इस बात का द्योतक है कि राजस्थान की सरकार अपने कुशल वित्तीय प्रबन्धन के आधार पर राजस्थान के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों तथा व्यापारियों के हितों को संजोना चाहती है।

राजस्थान की सरकार ने पिछले वर्षों में अपना एक वर्ष शिक्षा को समर्पित किया और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के प्रत्येक 250 की आबादी के गांव को प्राथमिक विद्यालय इस सरकार ने दिये। बिखरी और रेगिस्तानी आबादी के क्षेत्रों में 150 की आबादी में प्राथमिक विद्यालय खोले। इसी प्रकार हर पंचायत मुख्यालय और एक हजार की आबादी में मिडिल स्कूल खोले। बहुत-से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया और माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। आज तक राजस्थान में पिछली सरकारों ने गांव के गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों को पढ़ने के लिए कभी शायद मुफ्त किताबें उपलब्ध नहीं करायी हैं। यह राजस्थान के इतिहास में पहला समय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव के गरीब किसानों और मजदूरों के पांचवीं तक के बच्चों को और आठवीं तक की बच्चियों को मुफ्त किताबें देने का प्रावधान किया है। इसमें 52 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा खर्च किये जाएंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : सांवरलाल जी ही ताली बजाएंगे आपके भाषण पर। इनकी तो मजबूरी है।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान की गिनती पिछड़े राज्यों में की जाती रही है। इस कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार शुरू से ही प्रयासरत रही है। पिछले सात वर्षों से शिक्षा के बजट को लगातार बढ़ाया जा रहा है। जहां सातवीं योजना में शिक्षा पर 270 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे वहीं आठवीं योजना में 40 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदया, विकास के सतत् प्रयासों के बाद ही राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की गयी है। आज राजस्थान की सरकार ने जहां गांव, गरीब, किसान और मजदूर का सर्वांगीण विकास किया है उसी के साथ ही जो पिछले चुनावों में सरकार ने वायदे किये थे उनको भी पूरा

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

किया गया है। सन् 1990 में पहली बार हमारा चुनावी घोषणा पत्र था कि हम गांव के गरीब, किसान, मजदूर और काश्तकारों का कर्जा माफ करेंगे। उस समय आप लोग यह कहा करते थे कि हमने 40 साल तक राज किया, फूटी कौड़ी माफ नहीं की। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। जब 1990 में सरकार बनी, राजस्थान के गांव, गरीब, किसान और मजदूरों का दस-दस हजार रुपये का कर्जा माफ किया। बारानी जमीन पर कहीं किसान का धान पैदा होता था और कहीं नहीं होता था लेकिन गांवों के पटवारी 10-20-50 रुपये की खातिर उसकी इज्जत नीलाम करते थे। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा कि गांव के गरीब किसानों की जो 40-50 और 100 रुपये के लगान की खातिर इज्जत नीलाम होती है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया और राजस्थान के समस्त बारानी किसानों की जमीन का लगान माफ किया।

इसके साथ ही आपको निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, कि राजस्थान में एक वर्ष का बजट शिक्षा को समर्पित किया गया, दूसरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को और तीसरा बजट पेयजल योजनाओं को समर्पित करके राजस्थान का समुचित विकास करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सन् 1997 तक 33 हजार 649 करोड़ रुपये खर्च किये गये। आज राजस्थान प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाकर सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। सन् 1998-99 में 297 करोड़ रुपये का बजट ....(व्यवधान) आपके क्षेत्र में भी सड़कें बहुत बनीं लेकिन आपको प्रशंसा करना नहीं आता और न आप बजट पढ़ रहे।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने प्रशंसा की तो आप लोक सभा का चुनाव हार गये और अब ज्यादा प्रशंसा करोगे तो विधान सभा का भी चुनाव हार जाओगे। खरी-खरी कहो कि सड़कों का काम बेकार हुआ है, सड़कें रिपेयर नहीं हुई हैं।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : विधान सभा में हारने की बात तो आप सोचिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

श्री परसादीलाल मीणा : सही कहोगे तो लोग कुछ एक्सेप्ट करेंगे।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : उधर बैठे हुए कितनी बार हारे हैं ?

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : ऐसा है कि आप बजट तो पढ़ नहीं रहे, आप केवल बात कर रहे हो कानून व्यवस्था की और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में आपका हाथ है।

श्री परसादीलाल मीणा : अभी मैं आपको बताऊंगा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ कौन रहा है ?

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : अभी आपने सुना नहीं गृह मंत्रीजी के वक्तव्य को ?

श्री परसादीलाल मीणा : ....(व्यवधान) यह तो इनको बताऊंगा एक-एक बात कि कौन बिगाड़ रहा है।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : कैलाशजी मेघवाल आगे भी रहेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : ये तो अब बोलने ही नहीं हैं, अब शाहपुरा जाने ही नहीं। ....(व्यवधान) खोईवालजी ने कह दिया कि नहीं लड़ने दूंगा। कहां से लड़ेंगे फिर ?

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्री बनने के लिए एम.एल.ए. बनना जरूरी थोड़े ही है।

श्री परसादीलाल मीणा : खोईवाल ने खूंटे गाड़ दिये हैं, राजसमन्द नहीं जा सकते आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टोका-टाकी बन्द करें। बोलने दीजिए आप। समय क्यों जाया कर रहे हो ? अब आपका ही नम्बर लगेगा।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : सभापति महोदया, 1990 से लेकर अब तक राजस्थान सरकार की इस नीति के माध्यम से गांव, गरीब और किसान को समर्पित बजट की वजह से गांवों में इतना विकास कार्य हुआ है कि गांव की जनता का विकास के प्रति रूझान बना है, अपेक्षा जगी है। उसी की बदौलत है कि कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनकी भूख बढ़ी है, इनकी भी अपेक्षा जगी है। पूर्व वित्त मंत्री चन्दनमल जी का हाल मैं देख रहा था कि 38 और 40 साल में वे चूरू की जनता को पानी नहीं पिला सके लेकिन राजस्थान की सरकार ने जो विकास के काम किये हैं, उससे इनको भी भूख बढ़ी है और पानी लेने के लिए यहां आये। कह रहे थे कि मैं लोगों को लेकर आया तो मैं साथ में वीडियोग्राफर भी लाया था। मैंने मालूम किया। यह बहस चल रही थी, गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे थे कि साहब, पानी का स्कैण्डल है। तो मालूम पड़ा कि चूरू में अपने विधान सभा क्षेत्र में ये लोक सभा चुनाव में हार गये हैं। इसके लिए ये पानी का....

श्री परसादीलाल मीणा : इन्द्रसिंह जी आ गये, सावधान होकर बोलना।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : आ जाने दो ये भी आ रहे हैं तो। ये भी अपने चुनाव जीतने का हथकण्डा अपना रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि पूर्व वित्त मंत्री चन्दनमलजी बैद 38 साल तक चूरू की जनता को पानी नहीं पिला सके ...

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : चन्दनमलजी ने तो वे स्कीम्स बनायी थीं कि आप नहीं बना सकते। यह गधेली-साहबा चन्दनमलजी की ही देन है। आपने तो उसको रोका है, पानी लाने वालों पर लट्ठ बरसाये हैं।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : यह कागजों में ही बनी है और यह आपकी योजना जो नौ अरब की है यह नौ अरब की योजना भारतीय जनता पार्टी के राज में काम कर रही है। आज हम दावे के साथ कह सकते है कि चूरू की जनता को यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पानी पिलाएगी।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आपके राज ने 1977 में इसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया था, 1980 में फिर हमने इसको गति दिलायी है। जब-जब भी आपका समय आया, आपने रोकने की ही कोशिश की है।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : पानी पिलाने की बात के साथ कानून और व्यवस्था का प्रश्न जुड़ा 1 जून को। अभी गृह मंत्रीजी अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से सचिवालय के सामने धरना दिया गया। धरना देना प्रजातंत्र के हित मे कोई बुरी बात नहीं है लेकिन कांग्रेस का यह दायित्व था कि जहाँ सचिवालय के परिसर में धारा 144 लगा रखी थी वहां शांतिपूर्ण धरना देते। लेकिन बेरिकेड्स को तोड़कर सचिवालय के अन्दर घुस गये। गृह मंत्रीजी ने जो बयान दिया है वह कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : गिरफ्तारी देने के लिए गये थे लेकिन कोई गिरफ्तार करने वाला ही नहीं था।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : गिरफ्तारी देने का मामला 144 में नहीं हो सकता।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की योजनाएं राजस्थान में बहुत बनीं। बीसलपुर की परियोजना अधूरी रह गयी थी, जो ब्यावर और अजमेर के लोगों को पानी पिलाने के लिए थी, भारतीय जनता पार्टी के राज ने उसको पूरा किया और आज ब्यावर और अजमेर को पानी दिया जा रहा है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि जब हमने यहां मुख्य मंत्रीजी से और जलदाय मंत्रीजी से निवेदन किया तो ब्यावर और अजमेर के साथ केकड़ी और भिनाय तहसीलों के 94 गांवों के लिए भी चालीस करोड़ रुपये की योजना यहां से मंजूर की। 94 गांवों के लिए चालीस करोड़ की पानी की योजना भारतीय जनता पार्टी के राज में मंजूर हुई और यह पानी गांवों में पहुंचने वाला है। फ्लोराइड का पानी पी रहे थे लोग और कुबड़े हो रहे थे, उनके लिए योजना बनायी गयी।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने पिछले वर्षों में राजस्थान के पिछड़े ग्रामीण इलाकों में जहां पंचायत मुख्यालय तक भी कांग्रेस के शासनकाल में सड़कों से नहीं जुड़े थे, एक हजार के गांव और हर पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ने की नीति बना दी है और जोड़े जा रहे हैं। केकड़ी में कोई पंचायत मुख्यालय अधूरा नहीं है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय वहां पधारे हैं, तीन करोड़ रुपये की सड़कें मंजूर करके आये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि एक सड़क केकड़ी और भिनाय रोड से सरवाड़ को जाती है। वहां जालिया से अरणियाद, चण्डाली, गुंदाली, कादपुरा, छापरी के ग्रामीणों की भी ऐसी मांग चली

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

आ रही है वर्षों से और वह हमारी सरकारी नीति में भी है। नीति हमने इसलिए बनायी है कि हम अनीति किसी के साथ नहीं करना चाहते। कांग्रेस के शासनकाल में यह होता था कि अपने अपने लोगों को सड़कें बनाकर दे दीं, लेकिन हमने नीति ऐसी बनायी कि सारे पंचायत मुख्यालय जुड़ गये। तो मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जो कालिया से सरवाड़ तक की सड़क है इसको आप प्राथमिकता से लें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : सड़कों की क्या हालत है ? जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं। चूरू जिले में तो सड़कों की यह हालत है कि आप चल ही नहीं सकते। बी.जे. पी. के राज में यह हालत बना दी।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : एक वर्ष राजस्थान सरकार के बजट का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को समर्पित किया गया और गांवों में जहां इन सुविधाओं का अभाव था वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उसके बाद सामुदायिक भवन और रैफरल हास्पिटल्स का काफी संख्या में विस्तार किया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने मेरे पंचायत मुख्यालय सांवर में एक रैफरल हास्पिटल अपने कार्यकाल में खोलकर वहां की जनता को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित किया।

सभापति महोदया, राजस्थान में गरीबों को सस्ता सुलभ न्याय देने के लिए हर तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की गयी और जहां नहीं खोले गये हैं वहां राजस्थान सरकार प्रयासरत है। हमारे अजमेर जिले में ब्यावर और किशनगढ़ में ए.डी.जे. कोर्ट है और मेरा निवेदन यह रहा है कई वर्षों से माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि अजमेर जिले में केवल केकड़ी ऐसा उप खण्ड बचा है जहां करीब 2200 मामले विचाराधीन रहते हैं। ए.डी.जे. कोर्ट कैम्प लगता है वहां। मेरा निवेदन है कि केकड़ी और भिनाय विधान सभा क्षेत्र के जितने भी न्याय प्राप्त करने वाले लोग हैं उनके हितों को देखते हुए केकड़ी में ए डी.जे. कोर्ट खोला जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। पूरा करें।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : समय तो आज ही ले रहे हैं, सभापति महोदया।

एक भिनाय नयी तहसील खुली है और मंत्री महोदय का वह क्षेत्र है, भिनाय में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करवाने का और जलदाय विभाग के सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने का मेरा विनम्र निवेदन है।

ब्यावर के निवासियों की काफी वर्षों से मांग चली आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के काफी कार्यकर्ता इसके लिए आन्दोलन भी कर चुके हैं, हमारे पास भी आये थे और मैं अजमेर जिले से चुनकर आता हूं मेरा भी निवेदन है कि ब्यावर को जिला

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

बनाया जाए और आज ही इसकी घोषणा की जाए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप मांग करो, सदन का नेता कैसा हो, वी.पी.सिंह जैसा हो।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : सिंचाई विभाग की दृष्टि से मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अबकी बार सिंचाई मंत्रीजी हमारे मित्र क्या हमारे संभाग से ही बने हैं। इसलिए हमें बड़ी आशा है। सन् 1992 में हमारा अम्बापुरा बांध बाढ से क्षतिग्रस्त हो गया था। मुख्य मंत्री जी वहां पधारे थे, तत्कालीन सिंचाई मत्री जी मेघवाल जी भी वहां पधारे थे और उस बांध के पुनर्निर्माण की घोषणा की गयी थी। सांवरलाल जी तो देंगे ही सहायता विभाग से पर मेरा विनम्र निवेदन है कि बजट में इस अम्बापुरा बांध के पुनर्निर्माण की राशि आवंटित की जाए। इसकी लोगों को बड़ी भारी प्रतीक्षा है। छोटे-मोटे बांध, तालाब कई वर्षों से बाढ़ से क्षतिग्रस्त हैं, उनकी भी मरम्त का कार्य इसी बजट सत्र में कराया जाए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सच्चाई को उजागर कर रहे हैं।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के इस बजट से पिछड़े वर्ग और गरीब तबके को बहुत राहत मिली है और गांव का गरीब, किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग यह आशा संजो• कर बैठा है कि इस बजट में सभी वर्गों के लिए जो प्रावधान रखे गये हैं उनसे राजस्थान का समुचित विकास होगा। हमारी और व्यापारियों की भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो एक मांग अधूरी रह गयी थी वह मांग भी हमने इस बजट में पूरी की है। वह है चुंगी समाप्ति की घोषणा, जो हमारी चुनावों में थी। इस बजट में चुंगी समाप्ति की घोषणा करके राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि जो हमने चुनावों में घोषणा और वायदे किये थे, राजस्थान की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने सभी घोषणा और वायदे पूरे किये हैं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री परसादीलाल मीणा : एक कांग्रेस से और एक बी.जे.पी. का माननीय सदस्य..

श्री सभापति : आप बिराजें। आसन की व्यवस्था है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बिराजें आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आसन की ऐसी व्यवस्था परम्पराएं तोड़कर देंगी आप ?

श्री सभापति : बिराजें आप। आपको बुलवाएंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : बुलवाएंगे तो सही, वह हमारा अधिकार है लेकिन परम्पराएं तोड़कर ?...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आपके कहने से आसन नहीं चलता है, विराजिये आप। नियमों और परम्पराओं से आसान चलता है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : परम्पराओं से आसन चलता है इसको आप ध्यान रखिये।

श्री परसादीलाल मीणा : आप परम्पराओं का तो ध्यान रखिये।

श्री सभापति : ध्यान है मुझे। कोई परिस्थिति होती है। मुझे पूरा ज्ञान है, आप विराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सिंचाई राज्य मंत्री) : सभापति महोदया, मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा। सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके अन्दर पक्के खालों की किश्त माफ की है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है? विराजें आप।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : आप तो पधारते ही पाइन्ट आफ आर्डर के लिए हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदया, मैं तो सिर्फ प्रोप्राइटी पर बोल रहा हूं। मन्त्री हैं, शपथ ले ली है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इन्टरवीन कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इन्टरवीन कर रहे हैं? हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप मत बोलो, आप बोलें खुशी से बोलें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इन्टरवेंशन में और बजट स्पीच में काफी अन्तर है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप शुरू से ही मंत्री रहे हैं इसलिये आपको पता नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदया, चूंकि मन्त्री जी राज्य सरकार के अंग हैं, मुख्य मन्त्री जी का रिप्लाई आने वाला है नार्मली मैम्बर्स ही बोलते हैं, बोलना चाहें भले ही बोलें लेकिन यह है इम्प्रापर।

श्री सभापति : विराजें आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदया, गंगानगर और कोटा के किसान कांग्रेस सरकार के टाइम इस मांग को लेकर आन्दोलन करते थे। कई लोगों पर लाठियां बरसीं, कई लोग गोलियों के शिकार भी हुए और इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में काश्तकारों के ऊपर मुकदमे भी बने थे। सभापति महोदया, कांग्रेस के समय में खालों की किश्त जमा करवाने के लिए मोखे बन्द कर दिये गये और इतना ही नहीं, पानी की बारी तक काट दी गयी। आज वे लोग इस बजट को किसान विरोधी बता रहे हैं। सभापति महोदया, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जो अच्छाई है उसको अच्छा बताना चाहिए। बहुत बड़ा काम किया है। काश्तकारों को राहत

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मिली है। कोर्टस में केस चल रहे थे, जमीन की कुर्कियां निकल रही थीं। तो मैं इस काम के लिए सरकार को गंगानगर और कोटा के काश्तकारों की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदया, इतना ही नहीं, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है। मेरी समझ में नहीं आता। जमीन बेचने पर पाबंदी लगी हुई थी, रजिस्ट्री करवाने के लिए काश्तकारों को मंजूरी लेनी पड़ती थी, हजारों रुपये की लूट होती थी, उस काले कानून को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करके काश्तकारों को राहत प्रदान की है। सभापति महोदया, माखड़ा के अन्दर बेटरमेंट टैक्स लगता था। जब से नहर आयी तब से सरकार के पास कोई लेखा-जोखा नहीं था कि कश्तकार ने कितना पैसा जमा करवा दिया और कितना बकाया है। उस काले कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया। क्या यह सरकार किसान विरोधी है ? सभापति महोदया, हुई-बुई प्रणाली, एक वर्ष के अन्दर दो बार काश्तकारों से मालो रकम ली जाती थी। इस काले कानून को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। अब वर्ष में एक बार रकम लगती है, इससे काश्तकारों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है।

सभापति महोदया, पुरानी जमीन का लगान माफ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या यह सरकार किसान विरोधी है ? किसान विरोधी, इसके सिवाय आपके पास कहने के लिए और कुछ है नहीं। परन्तु राजस्थान की जनता देख रही है कि आप अच्छी बातों का विरोध कर रहे हो। आज कल पब्लिक सब बात समझती है..(व्यवधान) हमारे सात सौ रुपये प्रति मुरब्बा के हिसाब से मालो रकम लगती थी जिसमें से चार सौ से लेकर साढ़े तीन सौ प्रति मुरब्बा फायदा हुआ है।

सभापति महोदया, धारा 13 ए में संशोधन करके काश्तकारों को राहत प्रदान की गयी है। धारा 15 ए के अन्दर कांग्रेस के जमाने में एक ही भूमि का बार-बार आवंटन करके उस पर बार-बार किश्त बढ़ायी गयी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धारा 15 ए में संशोधन करके दो मुरब्बा भूमि के काश्तकार को बिना कीमत खातेदारी अधिकार दिये।

सभापति महोदया, तत्सरकारी कांग्रेस के टाइम में बहन अपनी जमीन का हक भाई के पक्ष में छोड़ना चाहती तो सरकार जबरदस्ती उसको मजबूर करती कि रजिस्ट्री करवाओ। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सौ रुपये के स्टाम्प पर अपना हक तर्ज करने का अधिकार दिया है। क्या यह सरकार किसान विरोधी है ?

श्री भीमसेन चौधरी : पहले 50 का था अब सौ किया है।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय सदस्य, आपको अच्छी तरह पता है, कोलोनाइजेशन में कितनी बीमारियां फैलायी हुई थीं कांग्रेस के जमाने में। आप अलग से स्वीकार करते हैं इन बातों को और हाउस

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मैं अलग बोल रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी बढ़ा दी, यह भी बता दो जरा, किसान समर्थक हो ।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदया, खातेदारी भूमि में पेड़ काटने का अधिकार काश्तकार को नहीं था । वह अपनी जरूरत के मुताबिक अपना हल बनाने के लिए या कोई कस्सी कुल्हाड़े के डांडा लगाने तक के लिए लकड़ी नहीं काट सकता था । उस पर रोक लगा रखी थी, इतना अन्याय था । काश्तकार एक पेड़ काटता है अपनी खातेदारी से, तो चार लगाता है । क्या आप लोगों ने पर्यावरण सुधारा था ? काश्तकारों के खेतों में क्या कांग्रेस ने पेड़ लगाये थे ? सभापति महोदया, काश्तकारों की बहुत बड़ी परेशानी थी । लकड़ी पहले भी कटती थी । लकड़ी की मंजूरी लेने के लिए एक पेड़ तहसीलदार का, एक पटवारी का और एक स्वयं के लिये, उल्टे दो पेड़ ज्यादा कटते थे ।

सभापति महोदया, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह समझते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने सन् 1987 में हर तरह के आवंटन पर रोक लगा दी प्रथम चरण में । यह बहुत घोर अन्याय हुआ है काश्तकारों के साथ....

श्री भीमसेन चौधरी : वह अभी तक भी है ।

श्री रामप्रताप कासनियां : अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने इस विषय पर विचार कर लिया और निर्णय भी ले लिया । मैं मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि चन्द ही दिनों में इस आदेश को निकाला जाए और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य की मांग को माना जाए ।

सभापति महोदया, नरमे और कपास की फसल नष्ट हुई, ओलावृष्टि हुई । उसके लिए केन्द्रीय सरकार से मुआवजा देने के लिए जो नार्म्स बने हुए हैं उसमें संशोधन करने के लिए कार्यवाही चलायी है और अगर केन्द्र सरकार ने नियमों में संशोधन नहीं किया तो भी 15 करोड़ राजस्थान सरकार अपने खजाने में से काश्तकारों को देगी । आपके राज में फूटी कौड़ी भी नहीं दी । क्या यह सरकार किसान विरोधी है ?

सभापति महोदया, फव्वारा पद्धति, बूंद-बूंद पानी सिंचाई पद्धति पर जो सब्सिडी दी है, क्या यह कदम किसान विरोधी है ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने दी है ?

श्री रामप्रताप कासनियां : हमने दी है । राजस्थान सरकार ने भी दिया है हिस्सा ।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : सभापति महोदया, मैं आपसे एक निवेदन करूं, जो आपने बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति चलायी है, क्या एग्रीकल्चर वालों ने जाकर उसको चैक किया ? किसानों का भट्टा बैठ गया

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

बूंद-बूंद में। सब फेल है प्लान्ट, आप उसको चैक करवा लीजिये। उसमें मैं भी शामिल हूं। सब फेल हैं। आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किसी को भी चैक नहीं करवाया। कम्पनी वालों से मिलकर सब्सिडी खा रहे हैं। यह मैंने देखा है जाकर।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदया, मैं कोई भेदभाव पूर्ण तरीके से नहीं बोल रहा हूं। मैं जाकर देखकर आया हूं, उसी बात को मैं यहां अर्ज कर रहा हूं।

सभापति महोदया, इसके अलावा एक काला कानून और था जिसको कहते हैं फ्रेगमेंट। कांग्रेस के समय काश्तकार पर पाबंदी थी कि वह पांच बीघा नहरी जमीन से कम नहीं बेच सकता और दस बीघा बारानी से कम नहीं बेच सकता। यह काला कानून था। इस काले कानून को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया है। आज काश्तकार एक कनाड भूमि भी बेच सकता है। जरूरत किसी को एक कनाड बेचने की है और जबरदस्ती आप पांच बीघा भूमि बेचान करवाते थे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप जैसे समृद्ध किसान गरीबों की जमीन पर निगाह टिकाये बैठे हैं, आप गरीबों की जमीन खरीदना चाह रहे हैं। गरीबों की जमीन को सुरक्षित रखने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है। आप गरीब विरोधी हैं, आप किसान विरोधी हैं, आप हर कदम वह उठा रहे हैं जो किसान विरोधी है।

श्री रामप्रताप कासनियां : गरीब की जमीन को छूने का प्रश्न ही पैदा नहीं है। यह बिलकुल गलत बात है। यह गलत बात है। यह गलत बात है।

श्री गुरुकरण सिंह (रायसिंहनगर) : सभापति महोदया, मैं यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कांग्रेस के राज में शिड्यूल्ड कास्ट को एक लाख एकड़ जमीन एलाट हुई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भी इंच जमीन इन्होंने किसी को दी है ?

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदया, बहुत अच्छा पाइंट याद दिलाया माननीय सदस्य ने। ये कह रहे हैं हमने लाखों काश्तकारों को भूमि आवंटित की है। मैं याद दिलाना चाहूंगा 1969-70 को, जब काश्तकारों ने आन्दोलन किया और नौजवान बच्चों को इस कांग्रेस सरकार ने गोलियों से भून दिया। सुखाड़िया सरकार जमीन नीलाम कर रही थी ... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें आप। माननीय, आप विरोध करोगे, जवाब भी आप दोगे क्या ? पाइंट उन्होंने उठाया है, जवाब वे दे रहे हैं। आप बिराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : मैं याद करना चाहूंगा, स्वर्गीय कुंभारामजी की अध्यक्षता में एक आन्दोलन चला था, उस आन्दोलन के अन्दर प्रोफेसर केदार और दूसरे सारे नेता सम्मिलित थे। लाखों किसान जेल में गये थे और सांगरिया में गोली कांड हुआ

(श्री रामप्रताप कासनियां)

था। वेदजी कह रहे थे, हमारे पर लाठी-चार्ज हुआ आपने कोई कम जुल्म ढाये हैं ? उन भूमिहीनों को जमीन देना उस आंदोलन की देन है, 1969-70 में जो आंदोलन हुआ था। नहीं तो वह कांग्रेस सरकार तो जमीन नीलाम कर रही थी। काश्तकारों को उस आंदोलन की वजह से भूमि मिली और सुखाड़िया जी को इस हाउस के अंदर कहना पड़ा कि मैं राजस्थान के काश्तकारों के आगे नत-मस्तक हूं और मैं इस भूमि को नीलाम नहीं करूंगा। यह कमिटमैंट इस विधान सभा में सुखाड़िया जी ने उस आंदोलन के आगे किया था।

सभापति महोदया, भूमिहीनों और गरीबों को ऊंची से ऊंची, उबड़-खाबड़, बेकार से बेकार जमीन इनके राज में आवंटन हुई है। 1987 का मैं जिक्र कर रहा था, विशेष आवंटन के लिए इन्होंने प्रथम चरण पर पूरी जमीन के आवंटन पर रोक लगा दी। उससे बालिग पुत्रों के आवंटन रुक गये। डी.सी. और टी.सी. से जो पुख्ता होते हैं वह आवंटन रुक गये। हर तरह के आवंटन रुक गये। जिस तरह के कानून-कायदे इन लोगों ने पास किये। आज यह किसान की दुहाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काश्तकारों के खिलाफ है। यह सौ प्रतिशत गलत बात है। सभापति महोदया, कृषि भूमि, पारिवारिक बंटवारे पर स्टाम्प शुल्क लगता था उसको घटाकर एक प्रतिशत कर दिया। नहीं तो पहले इनके जमाने में तो रजिस्ट्री करवानी पड़ती थी। अब 10 हजार या एक परसेन्ट के हिसाब से, दोनों में जो कम हो। सभापति महोदया, सरकार ने 20 अगस्त से 20 सितम्बर तक राजस्व अभियान चलाने का जो निर्णय लिया है इसके अंदर काश्तकारों को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। इसमें खाता तकसीम होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : अभियान होगा ?

श्री रामप्रताप कासनियां : और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह अभियान ऐसा होगा आपके जमाने में तो कभी नहीं हुए और अबकी बार सरकार इस अभियान के अंदर काश्तकारों के खाता तकसीम, नामांतकरण, स्कूलों के लिए भूमि आवंटन, पास-बुक, पेंशन के मामले, हर तरह के मामले इस अभियान में निपटाये जायेंगे।

सभापति महोदया, राजस्थान सरकार ने चुंगी माफ करने का जो निर्णय लिया है यह ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए आत्मबल चाहिए यूं आलोचना करने से कुछ नहीं होता, निर्णय लेने में बुद्धि चाहिये, विवेक चाहिए, पैसा चाहिए। हमने बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। जितने भी बजट पेश किये हैं गांव, गरीब और किसान को हमने किसी न किसी रूप में छूट दी है। कांग्रेस के जमाने में हर बजट में कर लगता था और हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सूझ-बूझ से जो मौजूदा बजट है उसके अंदर 700 करोड़ रुपये की छूट दी है और उस छूट देने में गांव, गरीब का विशेष ध्यान रखा गया है। क्या आपके जमाने में कभी सोचा था कि 10 हार्स पावर के इंजन पर टैक्स कम करेंगे ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने कब दिया ?

श्री रामप्रताप कासनियां : हमेशा लगता था।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : इंजन पर टैक्स था ही नहीं....(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय आसन की ओर संबोधित करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कभी सेल्स टैक्स नहीं था....उन पर कर दिया जिन पर सेल्स टैक्स कभी था ही नहीं।

श्री रामप्रताप कासनियां : हमेशा लगता था, बाल्टी से लेकर के... (व्यवधान) काश्तकार जिन चीजों को काम लेता है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : अब किसानों से 12 हजार रुपये प्रति पोल वसूल किये जा रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : आप सुनना नहीं चाहते। सच्चाई कड़वी लगती है। आप तो सिर्फ एक ही बात कहते हो कि यह भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। आपको मैं याद दिला दूं कि गांव का आदमी गट्ठल बाल्टी कांटेदार तार, लोहे की चद्दर से बनने वाली संदूक पर भी टैक्स कम किया है। क्या गांव के लोग इन चीजों को काम में नहीं लेते ? बारीकी से अध्ययन करके गांव के आदमी को राहत देने की कोशिश की है। हर मामले में गांव के आदमी को छूट दी है। लाटरी बंद जो की है इससे लाखों गरीबों की जेब जो कटती थी उससे लोगों को राहत मिली है।

सभापति महोदया, इसके अलावा विपक्ष बार-बार एक आलोचना करता है कि सरकार कर्ज ले रही है। कर्जा साहूकार आदमी को मिलता है जिसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होती है उसको कोई एक फूटी कौड़ी बाजार में उधार देने के लिए तैयार नहीं होता। तो इससे यह प्रतीत होता है कि हमारी वित्तीय व्यवस्था बहुत बढ़िया है। उधार देने वाले, लोन देने वाले तैयार खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि सरकार की वित्तीय कुशलता सही है। .... यह वित्तीय व्यवस्था सरकार की है इसलिए लोन लेकर के विकास का काम करना कोई बुरी बात नहीं है।

सभापति महोदया, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर मुझे अच्छी तरह याद है आज से 8-9 साल पहले कहीं भी स्कूल के भवन पूरी तरह से नहीं बने हुए थे। गांव में स्कूल भवन बने हैं, हर पंचायत हैडक्वर्टर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र तैयार करवाये हैं, उनकी बिल्डिंग बनवायी है। गांव-गांव में सामुदायिक केन्द्र बन रहे हैं। हजारों गांवों को पक्की रोड से जोड़ दिया है।

श्री सभापति : पूरा करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदया, इतना ही नहीं हर पंचायत हैड क्वार्टर को पक्की रोड से जोड़ा है। इसके अलावा मिडिल स्कूल हर पंचायत हैड क्वार्टर पर तैयार करवाया है।

(164)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, पूरा करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : यह कोई कम बात नहीं है। आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द जय भारत।

श्री सभापति : लक्ष्मणसिंहजी रावत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय मे वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन का समय 2 घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : सभापति महोदया, सरकार ने अपने जाने से पूर्व का, अंतिम विदाई बजट प्रस्तुत किया है और क्योंकि चुनाव अपेक्षित हैं इसलिए यह भी अपेक्षित था कि यह सरकार एक चुनावी बजट प्रस्तुत करती, पोपुलर बजट प्रस्तुत करती और इसमें कोई नई बात भी नहीं है। हर सरकार ऐसा बजट प्रस्तुत करती है लेकिन जिस प्रकार से आंकड़ों का मायाजाल यहां रचा गया वह एक बहुत ही अनूठी बात है। यहां पर कर्ज लेने के पक्ष में भी काफी बातें हमारे साथियों ने कही हैं। यहां पर आठवीं पंचवर्षीय योजना, नवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना भी प्रस्तुत की गयी। लेकिन यह सब आंकड़ों का भ्रमजाल था अगर वास्तविकता के धरातल पर आकर देखें तो स्थिति उतनी लुभावनी या आकर्षक नहीं है जितनी कि बताने की कोशिश की गयी, कुचेष्टा की गयी।

सभापति महोदया, मैं जो इकोनोमिक रिव्यू 1997-98 का दिया गया था उसमें आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो आउट-ले है, आप कितना ही आउट कर लें जब तक उसका एक्चुअल एक्सपेंडीचर नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि से संबंधित सेवाओं में 1286 करोड़ रुपये का आउट-ले था और आपका एक्सपेंडीचर हुआ 1112 करोड़ रुपये का, ग्रामीण विकास में आपका 1021 करोड़ रुपये का आउट-ले था और आपका एक्सपेंडीचर सिर्फ 871 करोड़ हुआ, विशिष्ट क्षेत्र योजना कार्यक्रम में 84 करोड़ रुपये आउट-ले था और एक्सपेंडीचर सिर्फ 39 करोड़ था। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में 1919 करोड़ का आउट-ले था और 1836 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ऊर्जा में 3255 करोड़ की जगह 3253 करोड़ रुपये खर्च हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह सरकार ढिंढोरा पीटती है कि सातवीं, आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना हमने इतनी बड़ी बना दी, लेकिन आपने उसका एक्चुअल एक्सपेंडीचर कितना किया, कितना

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

वास्तविक खर्चा किया ? यह ज्यादा महत्वपूर्ण है ।

सभापति महोदया, बजट की जब बात करें तो बजट में कुल प्राप्तियां 15947 करोड़ दर्शायी गयी । इनमें से राज्य की राजस्व प्राप्ति केवल 5885 करोड़ हैं और पूंजीगत प्राप्तियां 5758 करोड़ है । पूंजीगत प्राप्तियां वह होती हैं जो आप ऋण लेते हैं या दूसरी अल्प बचत या उधार से या निजी निक्षेप खाते की जो राशि होती है वह पूंजीगत राशि कहलाती है । हकीकत में देखा जाये तो आपकी वास्तविक प्राप्तियां, अगर पूंजीगत प्राप्तियों को, जो आप ऋण ले रहे हैं उसको घटा दिया गया तो मात्र 10190 करोड़ हैं । यह जो आंकड़ों का मायाजाल है उसके बारे में बात करना चाहता हूं । आपका 1997-98 का घाटा, राजस्व घाटा केवल 495 करोड़ था ।

जबकि 1998-99 का राजस्व घाटा 1332 करोड़ रुपये है । बजट घाटा जो आपने केवल 228 करोड़ रुपये दिखाया है, यह भी एक मिथ है । वास्तव में घाटा 5986 करोड़ रुपये है क्योंकि आप पूंजीगत प्राप्तियों को, जो आप ऋण ले रहे हैं इसमें से अगर घटा दें तो यह सही स्थिति दर्शाता है और सिर्फ 228 करोड़ रुपये नहीं रहकर 5986 करोड़ रुपये का आपका वास्तविक घाटा है । आप 5758 करोड़ रुपये का ऋण लेकर बजट में घाटे की पूर्ति का प्रस्ताव करते हैं, यह भी एक मायाजाल कहलाने जैसी बात है ।

सभापति महोदया, 1995-96 में राज्य पर कुल ऋण था 16674 करोड़ रुपये और 1998-99 में यह बढ़कर 24782 करोड़ रुपये हुआ और 16 हजार करोड़ से 3-4 वर्षों में बढ़कर 24 हजार करोड़ का ऋण हो जाना, यह वास्तव में चिंता की बात है । मैं यह मानता हूं कि जब हमारे कुछ विद्वान साथी, शर्मा साहब जैसे कहते हैं कि ऋण लेना पड़ता है, अभी साथी कह रहे थे कि जिसकी साख अच्छी होती है वही ऋण लेते हैं लेकिन जो ऋण ले रहा है उसको तो खुद को सोचना चाहिए कि वह कितना कर्जदार बनता जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों पर कितना बोझ बनता जा रहा है । यह उस राज्य की सरकार को और अगर कल्याणकारी सरकार है तो उसको निश्चित रूप से सोचना चाहिए ।

सभापति महोदया, कुल व्यय 15719 करोड़ रुपये बताया गया है । इसमें से 4198 करोड़ रुपये केवल ऋण और ब्याज की अदायगी में खर्च हो जाएंगे, अर्थात् आपके टोटल एक्सपेंडीचर का 27 प्रतिशत सिर्फ ऋण की अदायगी में और ब्याज की अदायगी में खर्च हो जाएगा । 50 प्रतिशत आपका वैसे भी नोन-प्लान एक्सपेंडीचर है तो आपके पास में कुल 15719 करोड़ रुपये में से सिर्फ 20 प्रतिशत विकास कार्यों के लिए बच गया है । यह इस बात को दर्शाता है कि इस सरकार का जो वित्तीय प्रबन्धन का दावा है वह बिलकुल निराधार है ।

सभापति महोदया, अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । वास्तव में देखा जाए तो यह सरकार आर्थिक दिवालिएपन के कगार पर

166

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

पहुंच चुकी है। कई बिन्दु इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की 1996-97 में 2247 रुपए थी, वह घटकर 1997-98 में 2215 रुपये रह गयी। इसी प्रकार से 1996-97 की तुलना में 1997-98 में अनाज, गन्ना और कपास की फसलों का जो क्षेत्रफल था वह भी राजस्थान में घट गया है। इसी प्रकार से 1997-98 में 16300 हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का हमारा टार्गेट था लेकिन आप सिर्फ 10300 हैक्टेयर कृषि भूमि में ही अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित कर सके। 1996-97 में 4718 किलोमीटर सड़कें बनीं। आप कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, 1997–98 में घटकर वह 4200 किलोमीटर पर आ गयी।

1996–97 में विद्युत उत्पादन क्षमता 3082 मेगावाट थी जो 1997-98 में कम हुई है।

रोडवेज के किराये में आपने 30 प्रतिशत की वृद्धि की लेकिन रोडवेज का जो यात्री भार था वह 40-50 प्रतिशत घट गया। निजी बस आपरेटर्स, आप जानते हैं मन के अन्दर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिस प्रकार से अनधिकृत चल रही हैं, उससे आप भली–प्रकार से परिचित हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मंत्री, परिवहन) : 50 प्रतिशत नहीं घटा, 7 प्रतिशत घटा है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : 7 प्रतिशत है, आप चैक कर लीजिएगा, अपन वापस मिल लेंगे। सभापति महोदया, यह सरकार रोजगार देने की थोथी घोषणाएं तो करती है लेकिन आज जो स्थिति बनती जा रही है वह अत्यन्त भयावह है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। 1991-92 में राज्य में जहां पंजीकृत बेरोजगार सिर्फ 1,59,000 थे, वे 1997-98 में बढकर 8,48,000 हो गये, जो पंजीकृत नहीं हैं उनकी बात अलग है। 1996-97 में जिन्होंने भी पंजीकरण कराया, राज्य सरकार ने उनमें से सिर्फ 9863 व्यक्ति यानि सिर्फ 6 प्रतिशत लोगों को रोजगार दिलाया है और 97 प्रतिशत को यह सरकार रोजगार दिलाने में विफल रही है।

राज्य की जो औद्योगिक स्थिति है, वह दिन प्रतिदिन काफी दयनीय होती जा रही है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आती जा रही है। इसका लेखा-जोखा इकानोमिक रिव्यू में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि पिछले तीन–चार वर्षों में सीमेंट के प्रोडक्शन में, शुगर के प्रोडक्शन में, यूरिया के प्रोडक्शन में, सुपर फास्फेट के प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिक मीटर्स के प्रोडक्शन में, साल्ट और पोलिस्टर यार्न के प्रोडक्शन में, सब के प्रोडक्शन में लगातार गिरावट आई है। किसी में एक प्रतिशत गिरावट है तो किसी में 45–50 प्रतिशत की गिरावट आई है और यहां पर हमारे वित्त मंत्रीजी जो उद्योग मंत्रीजी भी हैं, राजस्थान के अन्दर औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक वातावरण की बड़ी डींग भरते हैं। यह उसको सिद्ध करते हैं कि यह सरासर निराधार है।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

सभापति महोदया, यहां पर औद्योगिक वातावरण पूरी तरह से यह कहना चाहिए कि नई इण्डस्ट्री लगाने के लिए औद्योगिक वातावरण प्रदेश में नहीं है। तीन-चार वर्षों में अलवर के अन्दर 850 औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी हैं और 600 औद्योगिक इकाइयां बंद होने के कगार पर है। इसी प्रकार से बड़े-बड़े शहरों में जो प्रमुख औद्योगिक इकाइयां हैं, भीलवाड़ा की मेवाड़ टैक्सटाइल्स, कोटा की डी.सी.एम., और जे. के. इण्डस्ट्रीज और गंगानगर की जे.सी.टी. मिल्स, ये ऐसी प्रमुख औद्योगिक इकाइयां हैं जो कि या तो बंद होने के कगार पर है या बंद हो चुकी हैं। स्वयं भारतीय मजदूर संघ ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले चार-पांच वर्षों के अन्दर राजस्थान में पांच सौ से छह सौ औद्योगिक इकाइयां बंद हो गयी हैं और राजस्थान के लाखों मजदूर बेकार हो गये हैं और भूखों मरने की उनकी नौबत आ गई है।

सभापति महोदया, विकास की दर में भी असाधारण गिरावट आई है। प्रति व्यक्ति औसत आय घटी है, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय, अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति औसत आय से काफी कम है। सरकार पर प्रति व्यक्ति देनदारी का भार जो यहां पर हमारे वकील बैठे हुए हैं, वे इस बात को देखें कि राज्य की प्रति व्यक्ति देनदारी का भार बढ़ा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आप सभी सदस्यों से निवेदन कर दूं कि आज कांग्रेस दल की ओर से बहुत ज्यादा लोग बोलने वाले हैं और अगर आप सहयोग करेंगे तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए आप अपनी बात पूरी करें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : हां, 10 मिनट तो बोलने देंगे। प्रति व्यक्ति देनदारियों का भार पांच हजार रुपए हैं। राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति देनदारी 2300 रुपये है, राजस्थान में पांच हजार रुपये है और राजस्थान 15 बड़े राज्यों से भी अधिक प्रति व्यक्ति देनदारी राजस्थान पर है इसलिए आप ऋण लेने की वकालत कर रहे हैं, कृपया इस पर पुनर्विचार कीजिए।

राजस्थान में कोई भी बड़ी योजना पिछले वर्षों में प्रारम्भ नहीं हुई है। जिस प्रकार से इस बजट के अन्दर कई वर्गों को नेगलेक्ट किया गया है, यह भी काफी चिंता की बात है। विशेष रूप से अन्य पिछड़े वर्ग को यह राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से नेगलेक्ट कर रही है, पिछले सात वर्ष में, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। सभापति महोदया, पिछले सात वर्षों में यहां पर रिजर्वेशन 21 प्रतिशत है लेकिन अन्य राज्यों में रिजर्वेशन 27 प्रतिशत है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सरकार सोई हुई है, सरकार सोएगी तो काम कैसे होगा ?

श्री सभापति : वे सोये नहीं हैं, उनके सिर में दर्द है इसलिए बैठे हैं। सोये नहीं है, बैठने की मुद्रा यही है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : देश के सभी

168

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

राज्यों के अन्दर शिक्षण संस्थाओं के अन्दर आई. टी. आई. के अंदर, मेडिकल कॉलेजेज के अन्दर, शिक्षण संस्थाओं के अन्दर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन किया हुआ है लेकिन सिर्फ राजस्थान में ही यह रिजर्वेशन नहीं है। सिर्फ दो राज्यों के अन्दर, उसमें से राजस्थान राज्य भी है जहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थाओं के अन्दर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। इससे भी गम्भीर बात यह है कि राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको एसी.सी., एस.टी. वित्त आयोग के साथ चेनेलाइजिंग एजेंसी बनाकर जोड़ा गया है जबकि उनके साथ रहने से उनको बिलकुल फायदा नहीं है।

राष्ट्रपति काल के अन्दर एक प्रस्ताव था, जो कि अभी भी स्टैण्ड करता है कि राजस्थान के अन्दर अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिये। इसमें 80 प्रतिशत राशि केन्द्र से आती है और 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की होती है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सिर्फ 6 प्रतिशत पर 2 लाख रुपये तक का ऋण देकर, सस्ते ब्याज पर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में भी कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से इस बजट के अन्दर एक्स-सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों को भी टोटली नेगलेक्ट किया गया है। आप सैकण्ड वर्ल्ड वार के जो गिनती के भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सिर्फ तीन सौ रुपये देकर वाह-वाही लेना चाहते हैं। लेकिन आज प्रतिवर्ष हजारों भूतपूर्व सैनिक जो देश की रक्षा में है, सीमा की रक्षा में है, पैंतीस साल, चालीस साल की उम्र में सेवानिवृत्त होकर आ जाते हैं, उनके भविष्य के लिए यह राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए इस बजट में एक्स-सर्विसमैन के लिए और ओ.बी.सी. के लिए इस सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है उसके लिए मैं अपेक्षा करता हूं कि मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे तो कुछ ठोस कदम उठाएंगे।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल जी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यह सरकार थोथी घोषणाएं करती है भ्रष्टाचार समाप्त करने की। मैंने पिछले सत्र में भी इस बात को उठाया था कि लोकायुक्त की एक संस्था बनी हुई है। लोकायुक्त महोदय ने एक विशेष रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को दी थी उस विशेष रिपोर्ट के देने का कारण यही था कि लोकायुक्त महोदय की साधारण रिपोर्ट पर इस +++ सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। यह सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। मुख्यमंत्रीजी जब इधर बैठते थे तो बड़ी-बड़ी डींग हांका करते थे और ऊंची-ऊंची बातें किया करते थे, लेकिन लोकायुक्त

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

महोदय ने जो गवर्नर को रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट पर यह सरकार एक साल से बैठी हुई है। उसमें स्पष्ट रूप से आई.ए.एस. आफिसर्स के ऊपर सीरियस चार्जेज उन्होंने लगाये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : श्री आर.पी. जैन, आई ए एस. आफिसर जो कि कोटा में पोस्टेड थे, उन्होंने 318 लट्ठे अवैध ट्रांसपोर्ट किए। उसके ऊपर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इसी प्रकार से टी.आर.वर्मा जो कि सीनियर आई.ए. एस. आफिसर हैं, उनके ऊपर भी जब वे यहां जे.डी.ए. के कमिश्नर थे, लोकायुक्त महोदय ने सीरियस आक्षेप लगाये हैं। लेकिन यह राज्य सरकार उनको संरक्षण दे रही है। इसलिए इस सरकार की इस दृष्टिकोण से भर्त्सना करनी चाहिए, निन्दा करनी चाहिए कि यह सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है।

श्री सभापति : बिराजिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदया, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो 108 पृष्ठों का माला रूपी बजट पेश किया है यह उसी तरह का प्रयास है जैसे पूरे जीवन भर तो आदमी मौज-मस्ती करे और अंतिम समय में 108 मनकों की माला भजे। वैसे ही इसके पृष्ठ भी 108 हैं। यह +++ सरकार का दिवालिया बजट राजस्थान को किस दिशा में ले जाएगा? केवल एक ही दृष्टिकोण इस बजट में देखा गया है कि शहरी लोगों को कैसे राहत दी जाए, शहरी मतदाताओं को कैसे खुश किया जाए। गांवों का इस बजट से कहीं भी कोई भला करने की बात नहीं कही गयी है।

अब आप एजुकेशन पर आ जाएं। आप भी सभापति महोदया, शहर-कम-गांव से आती हैं। ऐसी कोई बात इस बजट में नहीं लगी, यह चुनावी बजट है। शहरी चुनावी बजट हम इसको कह सकते हैं। गांवों में आप शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। चुनावी बजट में हर सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, स्कूलें खूब खोलती है, हास्पिटल खूब खोलती है। लेकिन यह सरकार जो दिवालिया हो चुकी उस सरकार ने राजस्थान के लिए 50 सीनियर, 50 सैकण्डरी और 100 मिडिल स्कूल खोलने की घोषणा की है। राजस्थान की सरकार, जो दावा करती है कि राजस्थान का हम समग्र विकास करेंगे, समान रूप से विकास करेंगे, वह सरकार पक्षपातपूर्ण विकास अपने-अपने एम.एल.एज्. की कांस्टीट्यूएंसी में, मंत्रियों के विधान सभा

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(170)

(श्री परसादीलाल मीणा)

क्षेत्रों में यह करना चाहती है ? बाकी राजस्थान के क्षेत्रों में कहीं भी, जहां पर कांग्रेस के या दूसरे दल के लोग हैं वहां विकास करने की नीयत नहीं है। आपको इस बजट को पढ़ने से पता लगेगा।

इस साल तीन कालेज खोले जा रहे हैं- करौली, नाथद्वारा, जैसलमेर। कहीं भी एक भी कांग्रेस के विधान सभा क्षेत्र में कालेज खोलने का नाम नहीं है। पहले रतनगढ़ खोला। जो मंत्री आया वह राजस्थान के बजट का दुरुपयोग कर रहा है। हम इसकी आलोचना करते हैं, निन्दा करते हैं। राजस्थान की जनता का जो पैसा है आप उसको एक-एक एम.एल.ए. की कीमत पर, हसराज जी आ गए तो हंसराज जी को दे दिया..(व्यवधान).. इस तरह की बातें हैं। आज राजस्थान में गांवों में इस बजट के प्रति यही प्रतिक्रिया है कि गांवों का विकास इस बजट से नहीं हो सकता है।

शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे मेरे तो भामड़ा जी ने बिलकुल +++स्कूलें नहीं दीं। मंत्री मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं, कार्यकर्ता कपड़े फाड़ रहे हैं। यही हालत राठौड़ साहब की है। 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सभापति महोदया, आप विचार करें कहां खोलेंगे, किसको देंगे, क्या इरादा है ? इसको कोई राजस्थान के विकास का बजट कह सकते हैं। यह राजस्थान के विकास का नहीं राजस्थान के विनाश का बजट है। आपने इतनी सारी घोषणाएं की हैं। क्या है बजट में ? 67 हम उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलेंगे, जहां पर एक नर्स लगायी जाती है गांवों में वहां भी कहते हैं ए. एन. एम. लगायी जाती है, वे भी 67 खोले जाएंगे। मुख्य मंत्रीजी को खुले दिल से, शायद इनके जीवन का यह अंतिम बजट है, इसलिए भामड़ा जी को यह अधिकार नहीं देकर स्वयं अगर बजट पेश करते, हर विधान सभा क्षेत्र मे सैकण्डरी, हर विधान सभा क्षेत्र में सीनियर, हर विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगर इस तरह का बजट होता तो सभापति महोदया, आप भी इसकी प्रशंसा करतीं और हम भी प्रशंसा करते। हालात यह हो गये हैं कि आज बी. जे. पी. के लोग यह नहीं कहते हैं, उनका मुंह बंद है। इसके नतीजे अभी लोकसभा चुनाव में भुगत लिए हैं, 25 में से 18। मंत्रियों के, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के विधान सभा क्षेत्रों में पार्टी हारी। अब आप क्यों व्याकुल हैं ? गृह मंत्री, कैलाश मेघवाल के विधान सभा क्षेत्र में 10 हजार से कांग्रेस जीती है, वे हारे हैं। वे तलाश में हैं कि किस विधान सभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने जाऊं। आप काम करिए, सारे विधान सभा क्षेत्रों में काम करिए, सारे विधान सभा क्षेत्रों में सीनियर, पी. एच. सी. सब खोलिए, कॉलेज खोलिए।

मुख्य मंत्रीजी और ललितकिशोर चतुर्वेदी जी, यहां नहीं हैं, वे लालसोट में विधान सभा क्षेत्र में गए थे। वे कहकर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

आए थे लालसोट की जनता को कि मैं लालसोट का विधायक हूं । मैं ललित किशोर चतुर्वेदी हूं, यह मेरा टेलीफोन नम्बर है, आपकी कालेज आगे वाले बजट में खोली जाएगी । तीन बजट निकल गए, चतुर्वेदी जी की घोषणा असत्य साबित हो गई । अता-पता नहीं और लालसोट की जनता जो एक कालेज की आशा कर रही थी, थोड़ी-बहुत आधार बना रही थी, अब इनको पता चलेगा चुनाव में । लालसोट की जनता से मुख्य मंत्री जी का भी विशेष प्रेम है । वे उधर कभी दौरे पर जाते हैं तो लालसोट होकर जाते हैं । तीन-चार बार तो स्वयं मुख्य मंत्री कह चुके हैं कि अगली बार कालेज पक्का । हमारे सांसद महोदय को 10 बार आश्वासन दे चुके कि इस बजट में आपका कालेज पक्का । चतुर्वेदी जी तो ग्रामसभा में स्वागत कराकर यह कहकर आये थे कि लालसोट का विधायक आज से मैं हूं, कोई शिकायत, विकास की बात के लिए आप मेरे पास आइए । लेकिन उनका कहीं अता-पता नहीं है । ऐसी बात करने वाले, जो भावावेश में भाषण देने वाले हैं, मंत्रियों की हालत यह कर दी कि कौशल साहब जो सैकण्ड लाइन में खड़े हो रहे थे उनको उन्होंने चम्बल में बहा दिया । उनका अता-पता नहीं । वे तो खुद के निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनाव हार गए । ऐसा काम किया । माननीय चतुर्वेदी जी, आप बड़े पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने विभाग को चला रहे हैं । आपको सी.ए.जी. रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए । आपके विभाग के बारे में जो टिप्पणियां की हैं वे बहुत सोचनीय हैं । आप जैसे सीनियर मंत्री के लिए अगर ऐसी टिप्पणी होगी, आपने अपने ठेकेदारों को फायदा देने के लिए कानून में संशोधन किया कि 10 परसेंट राशि जो जमा होती थी वह ठेकेदारों से एडवांस न लेकर बाद में इनके बिलों में समायोजित कर दी । आप अपनी पार्टी की ठेकेदारी चलाना चाहते हैं ? आप यह सी. ए. जी. रिपोर्ट पढ़िए । अगर आप में दम है तो आप यह सी. ए. जी. रिपोर्ट पढ़िए । ऐसे ही आपने राजस्थान की सड़कों का सत्यानाश कर दिया । आपने इस हाउस में कहा था कि सड़क में कहीं गड्ढा होता है तो मेरी छाती में फफोले उठते हैं । आज राजस्थान की सड़कों की हालत जाकर देखिए । आप कह दीजिए कि आपने उस समय नहीं कहा । आज हम यह कहते हैं कि चतुर्वेदी जी की छाती में एक-एक फीट गहरे गड्ढे हो गये हैं । आप चतुर्वेदी जी को रोइए, चतुर्वेदी जी को पत्र लिखिए । इस तरह की हालत आपने राजस्थान में बना दी है । यह बहुत ही सोचनीय मुद्दा है । आपने जो लालसोट में कालेज खोलने की घोषणा की उसका क्या हुआ ? बहुत आश्वासन देकर आए थे । मैं इनको कह रहा हूं, (व्यवधान) इनको कहना जरूरी है । इनको याद है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन बोलना पड़ रहा है । वहां भवन बनाकर तीन वर्ष का खर्चा देने की उस समय तत्कालीन और आज के एम.पी. साहब ने जिम्मेदारी ली थी । अभी आप उसको पूरा करवा दो, हो जाएगा पूरा ।

(172)

श्री परसादीलाल मीणा : हम आज भी तैयार हैं। हमारे एम.पी. साहब आज भी तैयार हैं। आपकी नीयत साफ नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपसे निवेदन है आप कल ही आ जाएं भवन के लिए एग्रीमैंट करने कि तीन साल का खर्चा दे देंगे तो खोल देंगे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप आज कहें तो मैं सांसद महोदय से सांसद निधि का 50 लाख रुपया आज ही आपको लिख-कर दिलवा सकता हूं। खोलिए हिम्मत है तो आपमें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 50 लाख का सवाल नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : बहस मत करिए। हिम्मत है तो आज ही ले सकता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन फिर दोहरा रहा हूं। एम.पी. साहब को कह दीजिए उन्होंने भवन बनाने का जिम्मा लिया था, नम्बर एक। तीन वर्ष का खर्चा देने का कहा था, नम्बर दो। कल आप ले आइए। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : बोलना मेरा फर्ज है। (व्यवधान) ये खर्चे की बात कर रहे हैं। क्या आप करौली में खर्चा लेंगे, क्या जैसलमेर में खर्चा लेंगे, क्या राज-समन्द में खर्चा लेंगे ? (व्यवधान)

(17.00 बजे)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जरा सम-झिये, करौली जिला है, मैं बाद में जवाब दूंगा। करौली जिला है, आपका जिला नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नाथद्वारा जिला है ? नाथद्वारा भी जिला हो गया ? नाथद्वारा कब से जिला हो गया?(व्यवधान)

श्री शिवदान सिंह चौहान : नाथद्वारा में सैण्ट्रल बोर्ड बहुत दे रहा है खर्चा। मान-नीय सदस्य, नाथद्वारा में सैण्ट्रल बोर्ड दे रहा है। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नाथद्वारा में गर्ल्स कालेज के लिए एक वर्ष का खर्चा दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री शिवदान सिंह चौहान : डेढ़ करोड़ का सैण्ट्रल बोर्ड दे रहा है। भवन बनाकर देगा वह। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वही नीति है सब जगह। (व्यवधान) यह बात ध्यान में रखिये कि यह सरकार... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 3-3 लाख में बेच दिये। दौसा जिले की बात है, 3-3 लाख रुपये में कालेज बेच दिये आपने। (व्यव-धान)

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदया, यह राजस्थान का विकास करने की हालत है। यही हालत स्कूलों की है। स्कूलों में आज अध्यापक नहीं हैं। स्कूल खोल दिये जाते हैं। गत वर्ष माननीय कटारियाजी ने अलवर में विधायकों की मीटिंग बुलायी थी। शैलेन्द्र जी और हम भी गये थे। हमको कहा गया था कि आप मीटिंग में आइये, आपके 7 दिन में सारे काम हो जाएंगे। पर, सभापति महोदया, मैं बड़े दुःख के साथ कह रहा हूं कि इस राजस्थान में कटारियाजी की शिक्षा विभाग का कोई चिपरासी भी नहीं मानता। इनका एक भी आदेश कोई नहीं मानता है। इसलिए आज सारी स्कूलें खाली पड़ी हैं।

आज सरकार कह रही है कि हमने रोजगार दिया है, हम हर हाथ को काम देंगे। माननीय सभापति महोदया, राजस्थान के युवाओं पर कहर इस सरकार ने ढाया है पर मंत्रिमण्डल के सदस्य चुप हैं। सारा खर्चा इन पर किया जा रहा है, करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के गाड़ी-घोड़ों पर, इन पर, औरों पर। +++ की जो टीम बनी है, अब वह इलाके में जाकर यह नहीं कह सकती है, युवाओं को नहीं कह सकती है कि हम आपको नौकरी देंगे।

श्री सभापति : यह शब्द अंकित नहीं करें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जब महावीर जी सुन रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है, महावीर जी आपत्ति करते हैं। (व्यवधान) तो महावीरजी ने तो की नहीं।

श्री सभापति : आप अपनी बात को बीच में क्यों बोलते हैं ? समय आपका ही जाया हो रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने 58 वर्ष से 60 वर्ष क्यों की ? चतुर्वेदीजी, क्या कारण था ? युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते।

आयुर्वेद के औषधालय आपकी सरकार ने राजस्थान में पिछले 8 सालों में 80 नहीं खोले हैं। आयुर्वेद के जो विद्यार्थी हैं वे आज गांव-गांव में रोते फिर रहे हैं। आप यह जो 25 खोल रहे हैं यह 25 कहां पर खोलेंगे ? किनको 25 खोलकर देंगे ? सारे विधान सभा क्षेत्रों में एक-एक खोलिये। सभापति महोदया, इस तरह की व्यवस्था आज आयुर्वेद विभाग में है कि आज 300 पद वैद्यों के खाली पड़े हैं, चपरासियों के खाली पड़े हैं, कम्पाउण्डरों के खाली पड़े हैं और उन पदों को भरा नहीं जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी सो रहे हैं।

श्री सभापति : वह बैठे हैं। उनकी मुद्रा ही यही है। आप क्यों फिक्र कर रहे हो ?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(174)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह पूरा मंत्रिमण्डल ही सो रहा है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह सदन की अवमानना है।

श्री सभापति : कोई भी नहीं सो रहा है आप चिन्तित मत होइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदया, यह सो रहे हैं। यह सहकारिता मंत्रीजी सो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : अच्छा है, आप जाग रहे हैं तो ठीक ही है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : जादू कर दिया और उनको सुला दिया।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : यह साधु-सन्त आदमी क्यों सो रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापति : यह तो आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदया, राजस्थान में जो बिजली की हालत इस सरकार ने 8 सालों में की है... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भी अब पूरा करिये।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं मुख्य मंत्री जी को फिर याद दिला रहा हूं कि 1990 में जब धौलपुर से चुनाव लड़े थे तो यह घोषणा की थी कि मुझे राजस्थान का मुख्य मंत्री बना दो, मैं एक साल के अन्दर धौलपुर के साथ बिजलीघर का काम शुरू करवा दूंगा। वह आज तक शुरू नहीं हुआ। सभापति महोदया, राजस्थान में किसानों को आज 3–3, 4–4 घंटे बिजली दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 साल में 80 यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की है। किसानों को आज जो नर्सरी के नाम पर लूटा जा रहा है, प्रायोरिटी के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, लोगों की लम्बी कतारें तीन लाख-साढे तीन लाख तक पहुंच गयी है। आज जिस तरह के हालात नर्सरी में इन्होंने किये हैं चुनाव के बाद, 'विनाश काले विपरीत बुद्धि,' 9 हजार खम्भे की रेट थी उसको 12 हजार कर दिया। जिन लोगों के डिमांड नोटिस के पैसे जमा हो गये, अब उनसे कह रहे हैं कि तीन हजार का और एडिशनल डिमांड नोटिस आप लीजिये उसके बाद आपको कनेक्शन देंगे। यह क्या तरीका है? आप अपनी किसी नीति पर कायम नहीं रहते। आप अपने किसी कार्यक्रम पर कायम नहीं रहते। यही हालात आज गांवों में हुई है। आप कह रहे हैं कि गांवों का बहुत बड़ा विकास होगा। गांव में आज, सभापति महोदया, तीन हजार गांव ऐसे हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी के समय विद्युतीकरण सिर्फ कागजों में किया है, एक भी एग्रीकल्चर का कनेक्शन वहां पर आज तक नहीं दिया है। तीन हजार गांव हैं राजस्थान में जहां एक भी एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं दिया। क्या इसी को आप विकास कहेंगे? क्या इसी से आप विकास करेंगे? क्या इसी से आप चुनावों में आए थे? जो यह मंत्रियों की सूची है...

श्री महावीर भगोरा : आपके राज में तो साढ़े सात हजार थे....

श्री परसादीलाल मीणा : आप तो मछली खाओ और मजे करो। इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है भगोरा जी। (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा : साढ़े सात हजार गांव जो खाली कागजों में हैं। देखना हो तो आ जाओ। बहुत ज्यादा किये हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कागजों में हैं ऐसे सारे गांव। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं आपके टाइम की उपलब्धियां। (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा : हमारे यहां तो हुए हैं। (व्यवधान) ऐसे ही ठेकेदार सही हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आकड़ा ले लो और मछली पकड़ो। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय सदस्य, पूरा कीजिये। मैं दूसरा नाम पुकार रही हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : दो मिनट।

श्री सभापति : दो मिनट नहीं, एक मिनट।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह दौसा जिला है। टकराया मत करो दौसा जिले वालों से।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदया, ललितकिशोर जी चतुर्वेदी का सवाई माधोपुर से बहुत प्रेम है, सवाई माधोपुर बहुत जाते हैं। 1990 के पहले सवाई माधोपुर की जनता से मुख्य मंत्रीजी और ललित जी वायदा करके आये थे कि हमारी सरकार आयी तो हम एक साल में इस सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री को चालू कर देंगे। सभापति महोदया, मैं अभी फलोदी गया था, वहां के मजदूर भीख मांग-कर खाते हैं। वहां के मजदूरों की हालत यह है कि वे मरणासन्न हो रहे हैं और सरकार सो रही है।

अब आप कानून और व्यवस्था पर आ जाइये। सभापति महोदया, कौशल साहब परसों कह रहे थे ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पूरा करें आप। आपकी ही पार्टी के सदस्य फिर रह जाएंगे। 20 लोगों को बोलना बाकी है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप बीच में मत टोको। आप मेरी पार्टी की चिन्ता मत करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे चिन्ता है आपको नहीं है तो। मुझे आपकी पार्टी की चिन्ता है, आपको नहीं है। (व्यवधान) आप सेल्फिश बन रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : कानून और व्यवस्था पर आ जाइये आप। कौशल साहब परसों कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रेसीडेंट

(श्री परसादीलाल मीणा)

और कांग्रेस के एक्स एम.एल.ए. बहुत सारे अपराधों में शामिल हैं। मैं कौशल साहब से एक सवाल करता हूं। वे हैं नहीं, चतुर्वेदीजी सुन लें। +++ 164 में बयान हुए। आपके कहने से नहीं होता है।

एक माननीय सदस्य : यह गलत आरोप है।

श्री परसादीलाल मीणा : +++ उसको आप कह रहे हैं कि गलत है। (व्यवधान) कैसे कह दिया कि गलत है? आप आई.ओ. हैं? आपने जांच की है? +++ (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदया, यह बजट के अन्दर है क्या?

श्री परसादीलाल मीणा : जो पार्टी के एम.एल.ए.....(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप सरासर गलत बात कर रहे हैं। (व्यवधान) सभापति महोदया, आप इनको रोकिये। बजट के अन्दर यह बात कहने की है क्या? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कौशल साहब को नहीं रोका आपने। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बजट के अन्दर है क्या यह बात?

श्री परसादीलाल मीणा : कौशल साहब को नहीं रोका। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : बजट के अन्दर विकास हुआ, नहीं हुआ, यह बात करो। यह क्या बात कहने की है? (व्यवधान) कैसी बात करते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह बात कही जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारी बात कहकर रहेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये। आप पूरा करें नहीं तो मैं दूसरा नाम बोल रही हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदया, आज तक ...

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह कैसे, सभापति महोदया, ऐसा नहीं।

श्री सभापति : श्री नरपतसिंह राजवी।

श्री सुजानसिंह यादव : +++

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा : +++ (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++ (व्यवधान) +++

श्री सभापति : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजें आप। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप पूरा तो करने दो मुझे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप पूरा करना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : करना चाहता हूं न मैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका पूरा हो गया, बिराजिये। आपका पूरा हो गया। अगला नाम पुकार लिया है। नरपत सिंह जी राजवी।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, ऐसा नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये आप। पूरा हो गया (व्यवधान) ऐसा कैसे होता है, बिराजिये आप। आप बिराजिये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

आसन की व्यवस्था है। बिराजिये। आपका भाषण रहा, बिराजिये आप। आसन की व्यवस्था है। आप बिराजिये। (व्यवधान) शैलेन्द्र जी जोशी, बिराजिये आप। आप बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये आप। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये आप। (व्यवधान) बिराजिये आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको नाम से पुकारा जाये। (व्यवधान) इनको बाहर निकाला जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपके सचेतक महोदय की व्यवस्था को पढ़कर सुनाऊं क्या मैं? आपके सचेतक महोदय ने जो व्यवस्था दी है, मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : हमारी पार्टी का समय है ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमारी पार्टी के मेम्बर को बात पूरी करने दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे पूरी चिन्ता है

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

178

(श्री सभापति)

आपकी पार्टी की ओर आपके सचेतक महोदय की व्यवस्था है। विराजिये आप। (व्यवधान) आप विराजिये पहले। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह लोकतंत्र के खिलाफ बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन इनकी व्यवस्था के अन्तर्गत ही चलेगा। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सभापतिजी, इनके सचेतक महोदय ने (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप न्याय कीजिये। न्याय की अपेक्षा रखिये। (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सभापतिजी, उनके जो सचेतक महोदय हैं, उनको वार्निंग दी जाये, उनको सचेत किया जाये (व्यवधान) उनके माननीय सदस्य यह व्यवहार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : +++ आपसे न्याय की अपेक्षा है, न्याय कीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : आप डांट नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मैं पूरा करूंगा भाषण।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : यह सदन का +++ बना रखा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये। आप एक बार विराजिये। मैं आपको आपके सचेतक महोदय की व्यवस्था पढ़कर सुना देती हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष जी की भी व्यवस्था है और उससे पहले आपके सचेतक महोदय का निवेदन है। (व्यवधान) वह पढ़कर सुना देती हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, आप मुझे बीच में नहीं रोक सकते। गलत बात है। बीच में रोकना।

श्री सभापति : आज भाग लेने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान) सुनिये-सुनिये। आप सुनेंगे नहीं ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह कौनसी बात हो गई।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आप सुनेंगे नहीं ? (व्यवधान)

(17.13 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि आसन पर जब माननीया सभापति बैठी थीं और उन्होंने लगातार एक-दो बार लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन किया कि आप इसको शोर्ट करें, समय आपका पूरा हो रहा है। मुझे कुछ कहना नहीं किन्तु उन्होंने एक बार किसी प्रकार की रूलिंग दे दी तो रूलिंग देने के पश्चात् दबाव डालकर यह करना ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से उप नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हू कि आखिर इस बारे में इस तरह की पद्धति चलेगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप समय दो मिनट का और दें, वह बोलें किन्तु आखिर इस तरह की स्थिति बनने पर, सभापति महोदय कोई बैठी हो, आसन पर कोई बैठा हो, आसन पर इस तरह से दबाव डालना किसी भी तरह से उचित नहीं है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन करना है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कोई भी आसन पर दबाव डालने का नहीं है। (व्यवधान) आप सुनें तो सही। वे समापन की ओर बढ़ रहे थे और समाप्त करना चाहते थे और बीच में यह व्यवधान हो गया, इस वजह से वे यहां तक आ गये। हमने वापस उनको उनकी जगह भेज दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो इतना ही निवेदन करना चाहते हैं समापन में दो मिनट और चाहते हैं तो दीजिये, आगे से व्यवस्था ठीक से चले उसमें कहां दिक्कत पैदा हो रही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, आपके माध्यम से।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यूनिफोर्मिटी है, कोई तो डेढ़ घंटे बोलेगा और कोई 10 मिनट बोलेगा। आप यूनिफोर्मिटी कीजिये। चेयर की तरफ से एक को तो अलाऊ किया जाता है एक घंटे के लिए और किसी को 10 मिनट के लिए अलाऊ किया जाता है, इसके कारण से यह रोष पैदा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय बोल रहे हैं, आप बिराजिये। कृपया व्यवधान नहीं डालें। पहले बिराजिये आप। श्री रावत साहब, बिराजिये आप। मंत्री महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस तरह की बात यहां हुई है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आप समापन को समय दें उनको किन्तु परसादीलाल जी को एक बार इस व्यवहार के लिए खेद प्रकट करना चाहिए, निश्चित रूप से यह ठीक नहीं हुआ है और फिर आप अनुमति दें। यह गलत बात है और यह परम्परा बन जायेगी। (व्यवधान)

(180)

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय शैलेन्द्र जी ने टेबल पर आकर मुक्के मारे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। एक तो माननीय सदस्य ... यह आसन पैरों पर है, यह दिख नहीं रहा है क्या आपको ? फिर आप खड़े होकर बोल रहे हैं।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : वह बोल सकते हैं, इनको छूट है।

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन में माननीय श्री रंगजी मीणा के बारे में जो दोषारोपण किया गया है, उसको एक्सपंज किया जाये। गुण्डागर्दी नहीं चलेगी, इसको एक्सपंज किया जाये। अब आप बोलें दो मिनट के लिए।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, रंगजी मीणा का प्रकरण सारे राजस्थान के मीडिया में छपा है, पार्लियामेंट में उठा है और 164 के बयान हुए हैं, थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर आप इसको एक्सपंज करें ? मैं तो यह चाह रहा हूं कि उसके खिलाफ भी उसी तरह की कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मुझे नोटिस देना चाहिए, इसलिए मैंने एक्सपंज किया।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, नोटिस की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वह हाउस के मैम्बर हैं, अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह गलत है। जो मैंने व्यवस्था दी है। जो मैंने आसन से व्यवस्था दी है, उसके बारे में आप विवेचना मत करिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में जो शालिनी शर्मा कांड हुआ, उसमें मंत्रिमण्डल के कितने सदस्यों के नाम थे। वह किस पार्टी की मेम्बर थीं? कौशल साहब ने परसों एक सवाल किया था, आपको याद है ? शायद सभापतिजी आसन पर थीं, कांग्रेस के लोग....

मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। पहले सुनिये आप मेरी बात। आप दोषारोपण करने से पहले मुझे नोटिस दिया करें। (व्यवधान) जो कुछ भी किसी के बारे में आप कहना चाहते हैं, आप मुझे पहले नोटिस दे दिया करें। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं हमारे लिए नोटिस जरूरी है, कौशल साहब के लिए नोटिस जरूरी नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : सबके लिये जरूरी है नोटिस।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, कौशल साहब ने कैसे कह दिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नो बोडी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपके दो मिनट तो खतम हो चुके हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों पर, महिलाओं पर.. तो मुझे बोलने ही कहां दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : तो आप बोलिये ना।

श्री परसादीलाल मीणा : बोलने एक शब्द भी तो नहीं दिया ना आपने। राजस्थान में महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं, कोटा में नीलू राणा नामक छात्रा थी, उसका अपहरण किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई। यह आपकी ला एण्ड आर्डर की स्थिति है। धौलपुर में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नाक में नकेल डालकर पशुओं की तरह उसको घुमाया गया, पशुओं की तरह उसको खूटें से बाधा गया।

श्री उपाध्यक्ष : कल पुलिस की डिमाड है श्रीमान। कल पुलिस को डिमाड है।

श्री परसादीलाल मीणा : जिस तरह से यहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप अभी नहीं बोलने दे रहे हैं, पुलिस डिमांड पर कौन से बोलने देंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को कहते हुए कि राजस्थान का यह जो बजट है, यह गांव विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी और बेरोजगार छात्र-छात्राओं विरोधी बजट पेश किया गया है। हम इसकी घोर निन्दा करते हैं और सरकार को आगाह करते हैं कि मंत्रियों की जो हालत अभी हुई है। यह सूची है, अभी मैं 1–2 के नाम बता दूंगा। भंवरलाल जी, आप जैसे बच जाएं तो मुझे पता नहीं, बाकी सारा मंत्रि-मण्डल आने वाले चुनावों में बलि की भेंट चढ़ जायेगा। अगर आपने इस तरह से बजट रखा। इसमें आप गांव की विकास की योजनाओं को रखें। भंवरलाल जी, पंजाब में मैसी ट्रैक्टर 20,000 रुपये कम रेट में टैक्स की वजह से मिल रहा है। राजस्थान के किसान पंजाब जा रहे हैं। आप क्यों नहीं ट्रैक्टर पर टैक्स कम करते ? आपने चुंगी समाप्त कर दी अपने वोटों की खातिर और अगर आपमें दम है, आप किसानों के हितैषी हैं, ट्रैक्टर को भी फ्री-टैक्स करिये जिससे पंजाब और राजस्थान में जो ट्रैक्टर की रेट मे फर्क आ रहा है, वह फर्क नहीं आये। और किसानों को पंजाब नहीं जाना पड़े। इस तरह के हालात बन गये हैं। आप बता दीजिये मुझे कहीं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री परसादीलाल मीणा : इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात रखी, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से बजट प्रस्तावों पर वाद-विवाद चल रहा है। प्रतिपक्ष के वक्ताओं ने जिस तरह से एक के बाद एक आरोप लगाये हैं।

मैं समझता हूं उन्होंने सिर्फ आरोप के

182

(श्री शांतिलाल चोईवाल)

लिए आरोप लगाये हैं । हाउस में आरोप लगाये हैं लेकिन जब कभी बाहर प्रतिपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होती है तो वह भी कहते हैं कि बजट तो इस बार बहुत अच्छा रखा । लेकिन चूंकि इनको अपने दायित्व का निर्वहन करना बहुत जरूरी है और हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी, शासक पार्टी कतई बुरा नहीं मानती, आप चाहे जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके इस बजट की बुराई करें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है । मेरी ऐसी मान्यता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिसको इस बजट के माध्यम से राहत नहीं मिली हो । आप कहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार किये गये हैं, आप यह कहते हैं, माननीय सदस्य महादेव सिंहजी फरमा रहे थे कि गरीब और हरिजन विरोधी बजट पेश किया है । गरीब और हरिजन विरोधी बजट के बारे में मैं एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहूंगा । महादेव सिंहजी, आपको यह अच्छी तरह से मालूम है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए छात्रावास पहले भी संचालित हुआ करते थे, आज भी संचालित हो रहे हैं, पहले कच्चे झोंपड़े में विद्यार्थियों को रखा जाता था, खाने के लिए पचास रुपये महीने का अलाउंस दिया जाता था, आज साढ़े चार सौ रुपये दिया जा रहा है । आज जगह-जगह पक्के छात्रावास बनाये जा रहे हैं । क्या आप इसी बजट को यह कहेंगे कि वह हरिजन विरोधी बजट है ?

श्री महादेवसिंह (खण्डेला) : आप गांवों में जाकर देखिये कि एक कच्चे झोंपड़े में पड़ा है विद्यार्थी (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चोईवाल : किसी भी चीज को, मैं फिर डंके की चोट कह रहा हूं कि आपको सिर्फ इस बजट का विरोध करना है...

श्री महादेवसिंह : मैं दूसरी जगह की नहीं, खण्डेला की बात कर रहा हूं, खण्डेला में जाकर देखिये, किसी व्यक्ति विशेष के घर में होस्टल चलाया जा रहा है और....(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चोईवाल : आपको अपने दायित्वों का निर्वहन करना है इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं, बाकी विरोध करने जैसा यह बजट बिलकुल नहीं है । ऐसी मेरी मान्यता है । यह सिर्फ मेरी मान्यता ही नहीं है, प्लीज-प्लीज सिट-डाउन ।

श्री किशनाराम नाई : तर्क क्यों कर रहे हैं ।

श्री शांतिलाल चोईवाल : किशनाराम जी, आप तो बैठ जाइये न, वही बहुत है हमारे लिए तो ।

मेरी ऐसी मान्यता है कि आज राजस्थान के सभी वर्गों ने इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । आपका दूसरा आरोप यह भी है कि यह तो चुनाव के पहले वाला

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

बजट है। मैं चुनाव के पहले वाले बजट की ही बात नहीं करता, इस बजट के पहले वाली बात करके आपको यह साबित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 91 से आज दिन तक कितने कामकाज हुए, गुणात्मक दृष्टि से भी और संख्यात्मक दृष्टि से भी, इसको भी मेहरबानी करके ध्यान से सुन लें तो आपको समझ में आ जायेगा कि यह जो बजट प्रस्तुत किया है, यह सिर्फ चुनाव के लिए नहीं किया है यह तो एक कल्याणकारी सरकार को आम जनता के हित के लिए जो बजट पेश करना चाहिए, इस तरह का बजट पेश किया है। राधेश्याम जी, आपको धन्यवाद आपकी इस बात के लिए हां भर रहे हैं जो।

मैं आपको एक छोटी सी नजीर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि प्राथमिक विद्यालय 1991 में 28419 थे और 1997 में बढ़कर 33649 हो गये, 5230 प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 1951 से 1991 तक कितना इजाफा किया, सिर्फ 24 हजार विद्यालयों का। इसी तरह सभी श्रेणी के विद्यालयों में जिस रेश्यो से इन सात-आठ सालों में बढ़ोतरी हुई है, उस रेश्यो से आपके चालीस साल के शासनकाल में कभी नहीं हुई, इस बात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आम जनता, राजस्थान की जनता इस तथ्य को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। इस बात को कहने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी कि आप लोग सिर्फ बजट को, यह चुनाव का बजट है, सब तरह के अनर्गल एलीगेशंस लगाकर आम जनता में इस मंच के माध्यम से भ्रांतियां फैलाने का जो आपका प्रोजेक्ट है, यह जनता तो समझती है। मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं इस शब्दावली को, जनता तो अच्छी तरह समझती है कि आपका काम प्रतिपक्ष में बैठकर विरोध करना है। विरोध करते रहिये, नहीं तो आपके दायित्व का निर्वहन ठीक ढ़ग से नहीं हो पायेगा। ऐसी आम लोग अपेक्षा करते हैं।

श्री रघुवीरसिंह सराड़ा : आपने बनते ही छह हजार स्कूल बंद किये थे न ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : वह स्कूल नहीं हैं, वह तो आपकी चुनावी दुकानें थीं इसलिए वह दुकानें चली नहीं, सत्ता से खिसक गये और भारतीय जनता पार्टी शासन में आ गई जिसका नमूना आपके सामने है, विकास के कामकाज की गंगा बह रही है, यह आपके समक्ष है, इसको देखो और इस पर ज्यादा छोजने से कोई फायदा नहीं है। जो तथ्य हैं, तथ्य रहेंगे। तथ्य के सहित आप किसी तरह की बात-चीत करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इस गंगा में एक डुबकी आप भी लगा लो।

श्री शांतिलाल खोईवाल : डुबकी लगायेंगे। कौन लगायेगा, कौन नहीं लगायेगा, अगले आने वाले चुनाव के नतीजे बतायेंगे कि डुबकी किसे लगानी पड़ेगी। यह तो आगे देखते जाइये, वह नतीजे क्या निकलते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : लोक सभा में भी ऐसा ही कहा था।

श्री शांतिलाल खोईवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग पर इस तरह के आक्षेप लगाये जा रहे हैं कि आपने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर विकास के कामकाज किये हैं। यह पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर विकास के काम इसलिए किये कि हमने सड़क नीति का निर्धारण किया, सड़क नीति के हिसाब से पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा, जनसंख्या के आधार पर सड़कों से जोड़ा और धर्मस्थल जहां पर आम व्यक्ति को अपने धार्मिक कृत्यों के लिए जाना पड़ता है, वहां पर सड़कों का निर्माण कराया, क्या यह पक्षपातपूर्ण निर्णय है। क्या आपकी पंचायत को इसमें रख दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिस क्षेत्र से आता है उन्हीं की पंचायतों को सड़कों से जोड़ा है?

श्री रतनलाल ताम्बी : यही हुआ है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : ऐसा नहीं हुआ है, यह रिकार्ड कह रहा है। मैंने तो मेरे भाषण के प्रारम्भ में ही आपको निवेदन कर दिया था कि सिर्फ आपको विरोध करना है, यह आपका दायित्व है, कृपया निर्वहन करते रहिये, जनता समझती है इस बात को और जनता अच्छी तरह समझती है, जनता समझने के बाद अपना कोई न कोई निर्णय लेगी, इस बात की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) आपके आठ साल में एक सैकण्डरी स्कूल खुला होगा, पहले कांग्रेस शासन में पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण बहुत खुल गये होंगे इसलिए अब नहीं खुले। अब मैं मेरे आठ साल की बात कर रहा हूं, यह तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हुआ है श्रीमन् मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हुआ है, कांग्रेस के शासन में अनुसूचित जाति वर्ग का यह विधान सभा क्षेत्र होने के कारण कोई विकास के कामकाज नहीं हुए थे। आपको मेरे आकड़े सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : खोईवाल साहब, इधर मत देखो, इधर निगाह मत रखो। अगर इधर करोगे तो आप बोल नहीं सकोगे।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं बोल लूंगा, आप चिंता मत करो।

श्री रामनारायण चौधरी : सामने रखो नजर।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मेरे अब आंकड़े सुनेंगे तो आपको स्वयं को आश्चर्य होगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री खोईवालजी।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं आपको इंगित कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : श्री खोईवालजी, जरा आसन की तरफ देखें।

श्री रामनारायण चौधरी : जोश में होश मत खोओ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन को ही एड्रेस करके बोलने का प्रयास कर रहा हूं।

प्रतिपक्ष के नेताओं का यह आक्षेप है कि कांग्रेस के जमाने में ज्यादा विकास हुआ। मैं भी मानता हूं कि अमुक-अमुक स्थान पर निश्चित तौर से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के कारण विकास अवश्य हुआ, इसका जीता-जागता नमूना मेरा विधान सभा क्षेत्र राजसमंद है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं देना चाह रहा हूं कि पहले वहां पर प्राइमरी स्कूल जितने थे उसके थ्री-फोर्थ प्राइमरी स्कूल अब खुले हैं। 56 प्राइमरी स्कूल खुले हैं इन नौ साल में, उपाध्यक्ष महोदय। अब आप अंदाज लगाइये, जहां पर 56 प्राइमरी स्कूल नये खुले हों, क्यों भाई, पहले आपको किसने मना किया था कि आप प्राइमरी स्कूल मत खोलिये, वहां के अशिक्षित लोगों को शिक्षा की व्यवस्था मत कीजिये। मेरे ख्याल से ... (व्यवधान) मैं बोल लूंगा +++ यह सारे का सारा। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालय 30 क्रमोन्नत हुए हैं और माध्यमिक विद्यालय 9 हुए हैं, उच्च माध्यमिक 6 हुए हैं और एक कालेज हुआ है, क्यों यह सारे के सारे विकास के काम हुए ?

श्री टीकमचन्द कांत : यह आपके क्षेत्र में ....

श्री शांतिलाल खोईवाल : मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जिले की बात नहीं कर रहा। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : गुड, वैरी गुड।

श्री शांतिलाल खोईवाल : यह फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जब पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के विधान सभा क्षेत्र को समझते हुए उस समय विकास नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का पक्षपात नहीं करती है और पक्षपात नहीं करने के कारण यह आज इतना विकास हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज ...

श्री रतनलाल ताम्बी : वहां मंत्री बनाये थे कांग्रेस ने।

श्री शांतिलाल खोईवाल : सारे लोग मंत्री नहीं बनते, सारे लोग संतरी नहीं बनते, सारे लोग विधायक भी नहीं बनते हैं। सारे लोग विधायक भी नहीं बनते इसलिए आपको यह बात समझ लेनी चाहिए। सड़कों के बारे में मैं निवेदन कर रहा था, मैं डाइवर्ट कर गया अपना विषय, सड़कों के बारे में जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, आपको इस तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर बड़ा आश्चर्य होगा कि आज से नौ साल पहले हमारे जो एडजासेंट स्टेट जितने भी हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे दिल्ली हो,

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

186

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

इनकी सड़कों की हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब कभी रात्रि को यात्रा करने का मौका मिलता और सड़क अच्छी आती तो समझ में आ जाता कि यह हमारे स्टेट से निकल गये हैं। इस करिश्मे का कारण कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। आज की स्थिति यह है कि राजस्थान से जब गुजरात की यात्रा करते हैं श्रीमन्...तो मध्य प्रदेश में यात्रा करें, चाहे हरियाणा में यात्रा करें, चाहे उत्तर प्रदेश में करें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान से निकलने के बाद में हड़बड़ाहट आती है, नींद खुल जाती है। कहते हैं अब हमारे स्टेट से कहीं बाहर निकल गये दिखते हैं तो ये गुणात्मक विकास के काम-काज में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? ये सिर्फ अहसास करने वाली बात है आप आसानी से इस बात को अहसास करने वाले नहीं है लेकिन इन तथ्यों के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं समाप्त करने की चेष्टा कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। मैं आपको निवेदन यह करना चाह रहा था आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इस बजट के माध्यम से लाभ नहीं मिला हो या उसकी परेशानियां दूर नहीं हुई हों।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मैं इन्टरवेन्शन के लिए माफी चाहता हूं ....

श्री शांतिलाल खोईवाल : आप मेरा समय खराब कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ओ.बी.सी. के लिए इस बजट में क्या है, बता दीजिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं यह भी बता दूंगा पहले मेरी बात कह दूं, फिर ओ.बी.सी. की बात भी कह दूंगा।

अब चुंगी समाप्त की है। मार्बल व्यवसाय राजसमन्द का प्रमुख व्यवसाय है। मुख्य मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने परामर्श कर इस राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यवसाय को जिन्दा रखने की दृष्टि से सेल्स टैक्स में कमी की है। 16./' से 12./. की है। यह व्यवसाय आज मंदी के दौर से गुजर रहा है, बड़ी परेशानी में गुजर रहा है और इस परेशानी के कारण कई गैंगसा, कई माइन्स ओनर्स दिवालिया हो चुके हैं। इन्होंने इस बात को अहसास किया कि राजस्थान के प्रमुख धंधे को जिन्दा रखना बहुत जरूरी है इसलिए 16./' से 12./' घटाने का प्रस्ताव रखा है। मैं वित्त मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो ये 12./' सीमा बनाई है इसको और कम करने की आवश्यकता है यदि आप कम करेंगे तो मेरा दावा है श्रीमान् कि जिस आय की आप अपेक्षा करते हैं उससे डेढ़ी आय हो जाएगी क्योंकि हर व्यक्ति अपना व्यवसाय रिकार्ड में लाना पसंद करेगा, कोई व्यक्ति चोरी करना पसंद नहीं करेगा और राजस्थान के राजस्व में इजाफा होगा। यही नहीं एक प्रस्ताव यह भी रखा है इस बजट में कि व्यवसाय का अन्य प्रदेशों में पलायन नहीं हो। कितना अच्छा प्रस्ताव है श्रीमान् कई कलपुर्जों पर, कई इलेक्ट्रिकल्स सामान पर कुछ पर तो प्रोविजन को

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

एक्सटेंड करके 31 मार्च, 99 तक कर दिया है, कुछ में कम किया है और कुछ में बिल्कुल समाप्त किया है। इसका उद्देश्य यह था कि हमारे व्यवसाय का पलायन अन्य प्रदेशों में हो रहा है वह अन्य प्रदेशों में होने के कारण हमारे व्यापारियों को जो आय अपेक्षित है वह आय नहीं होती है। हमारे स्टेट को जो रेवेन्यू मिलनी चाहिए वह रेवेन्यू नहीं मिल पाती है और अन्य प्रदेशों को इसके ठीक विपरीत हमारी कीमत की आय उनको प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में मैं एक अच्छा-सा सुझाव दूंगा श्रीमान् आज राजस्थान का कोई भी ट्रक ओनर हो, चाहे कार से दिल्ली जा रहा हो, चाहे जीप से दिल्ली जा रहा हो, चाहे पैट्रोल गाड़ी से जा रहा हो चाहे डीजल गाड़ी से जा रहा हो, हर व्यक्ति देखता है कि राजस्थान में पैट्रोल नहीं भरवायेंगे क्योंकि महगा बहुत है। आज दिल्ली मे कोई पैट्रोल क्रय करता है तो उसकी कीमत 23 रुपये 94 पैसे है और राजस्थान से भरवायेगा तो लगभग 26 रुपये समथिंग है। लगभग पौने तीन रुपये राजस्थान में एक लीटर पर ज्यादा पैसा देना पड़ता है कोई भी चाहे अधिकारी यहां से बाहर जाएगा तो वहां जाकर भरायेगा वापस आते समय गाड़ी में कैन भी ले जाएगा उपाध्यक्ष महोदय, कि वह पैट्रोल क्रय करके ले आये। यह घाटा हमारे राजस्थान स्टेट को नहीं हो रहा है क्या? निश्चित तौर से यहां तक कि आज जो बसें जाती हैं आज ट्रक जाते हैं वे भी ड्रम्स साथ में ले जाते हैं कि राजस्थान में डीजल महंगा है, पैट्रोल महंगा है राजस्थान में, आते समय वापस भराकर लाते हैं और जब तक राजस्थान में वह परिवहन संचालन का काम होता है तब तक उसको राजस्थान से खरीदने की जरूरत नहीं होती। करोड़ों रुपयों का प्रतिदिन इस तरह का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान के लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें भी कहीं न कहीं ऐसी समान दर आ जाए ऐसी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर से इसका लाभ मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : दो मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : हां, मैं समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। मैं एक छोटा-सा निवेदन कर रहा हूं कि आपने विकास की दृष्टि से कोई पक्षपतापूर्ण रवैया नहीं अपनाया है, क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा है। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में एक भी जिला मुख्यालय ऐसा नहीं है जहां पर पोलिटेक्निक कालेज या आई.टी.आई. नहीं हो सिवाय राजसमंद के

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनूं है।

श्री शांतिलाल चोईवाल : नहीं है झुंझुनू । आई.टी.आई. है वहां पर मुझे मालूम है वहां पर है ।

श्री रामनारायण चौधरी : कहां है ?

श्री शांतिलाल चोईवाल : बिड़ला कालेज में सब कुछ है वहां पर । एक आई.टी.आई. जैसी छोटी संस्था भी नहीं है । इसी के साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपने राजस्थान में दो नयी यूनिवर्सिटी की घोषणा और की है । आपने राजस्थान में एक इंजीनियरिंग कालेज की घोषणा की है । इस तरह आज संभागों के सारे संभागों को यूनिवर्सिटी का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सारे संभागों को एक एक इंजीनियरिंग कालेज प्राप्त करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है । आपने गत वर्ष इसी हाउस मे राजसमन्द के नाथद्वारा में एक महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा की । हम इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं और स्वागत करते हैं वह इसलिए कि वहां का मंदिर मंडल इसके एक्सपेंसेज सारे बियर करने के लिए तैयार था । मेरा आपसे अनुरोध है ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत । कृपया बिराजिये, माननीय सदस्य ।

श्री शांतिलाल चोईवाल : कि आपने नीतिगत तौर-तरीकों से घोषणा की थी ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें माननीय सदस्य मैंने दूसरा नाम पुकार लिया आप बिराज जाएं ।

श्री शांतिलाल चोईवाल : एक आधा सैकंड और लूंगा । नीतिगत तरीकों से आपने घोषणा की थी । राजसमंद में भी एक महिला महाविद्यालय खोलने का मेरा अनुरोध है आप निश्चित तौर से मानेंगे ।

एक निवेदन और है उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका प्रोविजन इस तरह का है कि पांच हजार व्यक्तियों के समूह पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उप केन्द्र है ।

श्री शांतिलाल चोईवाल : ये जो किताब में है । पांच हजार व्यक्तियों के ऊपर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है हुकम । मैं पढ़ रहा हूं साहब यह अंडरलाइन कर रखा है आप पढ़ लीजिये । ....सॉरी—खेद है मुझे इस बात का ।....पांच हजार जनसंख्या का है और उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का है । मेरा निवेदन है कि रेलमगरा में पहले पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण सारे के सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले थे वो एक ही बैल्ट में खोले गये थे जो रिजर्व कॉन्स्टीट्यूएंसी नहीं थी और जो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की 16 पंचायतें जहां से प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला है....

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : वहां पर 40 हजार जनसंख्या पर भी कोई पी.एच.सी. नहीं है ऐसा मेरा निवेदन है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कि आप ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराज जाएं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : चराणा में एक पी.एच.सी. खोलने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के साथ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने बजट की भूरि-भूरि तारीफ की और कुछ सदस्यों ने तो डंके की चोट तारीफ की। विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ कमियां बताई। दो दिन से समाचार पत्रों में और यहां के भाषणों में वह सामने आया है कि यह बजट आंकड़ों का मायाजाल है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह आंकड़ों का मायाजाल नहीं लगकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कर्जों के जाल में पहुंचाने वाला बजट नजर आ रहा है।

श्री मदन दिलावर : चश्मा ठीक नहीं है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मेरा चश्मा ठीक नहीं है कि आपका चश्मा ठीक नहीं है इसका फैसला अभी पांच मिनट में होगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : आप उलझें नहीं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : भारतीय जनता पार्टी के.. मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया कान्त साहब कृपा कर मेरी बात सुन लें आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैंने तो यह कहा है कि आप उलझें नहीं किसी से।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मैं नहीं उलझ रहा हूं। आप मत उलझिये और मैं नहीं उलझता आप उलझ चुके। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पूर्व ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ विधायक आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल ने कल कहा कि कर्ज विकास के लिए बुरा नहीं है। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार यदि विकास के लिए कर्ज लेती तो हमको भी संतोष होता, राजस्थान की जनता को भी संतोष होता किन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कर्ज विकास के लिए नहीं लिया गया। ये कर्ज तो कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए लिया गया। इससे बुरी स्थिति राजस्थान के लिए कभी हो नहीं सकती। अर्थशास्त्रियों का कथन है कि जो परिवार अपने धन्धे को बढ़ाने के लिए कर्ज ले, विकास के काम में कर्ज ले, समझ में आता है लेकिन जो रोजी-रोटी के लिए कर्ज लेता है शादी-विवाह के लिए कर्ज लेता है मौसर के लिए कर्ज लेता है तो वह परिवार बरबाद हो जाता है और वही स्थिति राजस्थान की आपने करने की सोची है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके बजट के आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि इस वर्ष के अन्त तक कर्जा

(190)

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

22179 करोड़ तक पहुंचने वाला है जिसका कहीं सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। आपकी राजस्व प्राप्तियां 10189 करोड़ है कर्जा इससे करीब दो गुना है आपकी पूंजीगत प्राप्तियां 5758 करोड़.... और यदि इनमें राजस्व प्राप्तियां जोड़ दी जायें तो वह 15800 के नजदीक पहुंचता है। इस रकम से भी आपका कर्जा डेढ़ा जाकर पहुंचता है। आपको ताज्जुब होगा यह तथ्य सुनकर कि राजस्थान की जनता को कर्जे के बोझ का ब्याज केवल प्रतिदिन का 5 करोड़ 11 लाख रुपया चुकाने को मजबूर होना पड़ रहा है, केवल ब्याज, आखिर इस प्रदेश को आप कहां ले जाना चाहते हो? जयपुर की कच्ची बस्ती में आज जो बालक जन्मा है, बाड़मेर के दीपला, सोमराड़ा और बावरी चौहटन के गांव में जिस बच्चे ने आज आंख खोली हैं सवा रुपया प्रतिदिन उस बच्चे को ब्याज का बोझ झेलना पड़ेगा। राजस्थान की जनता को आप क्या कहकर धोखा देना चाहते हो इस बजट के संबंध में इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने कहा कि यह चुनावी बजट है। मित्रों यह चुनावी बजट नहीं है। यदि यह चुनावी बजट होता तो लोगों को राहत दी जाती। कर्जा कम करने की कल्पना की जाती। लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की बात होती। यह चुनाव का बजट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महसूस हो गया है इनके बोरी-बिस्तर गोल होने वाले हैं। नवम्बर के बाद इनकी सरकार रहेगी नहीं। आने वाले के माथे पर इतना बोझ छोड़ कर जाओ कि वह कल्याणकारी कामों में अपने आपको लगा नहीं सके। इसलिए यह जाने वाली सरकार का बजट है, चुनाव का बजट नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कुछ साथियों ने कहा कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र आपने 60 वर्ष की। लेकिन इसके पीछे रहस्य है। जिस सरकार के पास चुकाने को तनख्वाह नहीं हो, वह सरकार रिटायरमेंट में जाने वाले लोगों को लाभ और उनकी जमा राशि देने की हैसियत में नहीं है, स्थिति में नहीं है। इसलिए मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिये 60 वर्ष उम्र करके लोगों को धोखा दिया गया है सरकार के द्वारा। आज कर्मचारियों को देने को तनख्वाह नहीं है, ठेकेदारों को भुगतान नहीं है। कर्जे का बोझ राजस्थान की जनता के माथे पर है। आपके पूंजीगत खातों में आधिक्य 1507 करोड़ का बताया है, या तो यह कर्जा है या यह मिलने वाली सहायता है, इसको स्पष्ट करना चाहिये था। विकास के नाम पर खर्च करने की आपकी हैसियत नहीं रही। इस परिस्थिति में राजस्थान को आप जाते हुए क्या देकर जाना चाहते हैं, इसका हिसाब राजस्थान की जनता आपसे मांगना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटा अलग रखकर आपने 86 लाख का लाभ दिखाया है। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत कर बजट के नियमों की आपने अवहेलना नहीं की है? राजस्थान की जनता के

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये। आपने 86 लाख का सरप्लस छोड़ने का प्रस्ताव तो रखा, लेकिन आपके ये आंकड़े तथ्यों से परे हैं। वास्तव में यह बजट आपका 280 करोड़ के घाटे का बजट है। जो आपने चुंगी माफ करने के बाद 280 करोड़ का वायदा किया राजस्थान की जनता से कि सरकार इस चुंगी को पैसा देकर भरण-पोषण करेगी, आपने चुंगी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। राजस्थान की सरकार का 280 करोड़ रुपया आप म्युनिसपेलिटीज को देने का वादा करते हैं। वह 280 करोड़ रुपया कहां से लायेंगे? इसलिए मेरी स्पष्ट मान्यता है कि यह बजट 280 करोड़ के घाटे का बजट है, नफे का बजट नहीं है।

नगर पालिकाओं की जो व्यथा है, जो स्थिति है आपको उस पर विचार करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि नगर पालिकाओं में आपको चुंगी माफ नहीं करनी चाहिये थी। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिये थी। आज नगर पालिकाओं में 70 हजार कर्मचारी राजस्थान में हैं। ग्राम पंचायतों में और कर्मचारी अलग से हैं। नगर पालिका की चुंगी वसूली में आज 8 हजार कर्मचारी हैं, उनके भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? नगर पालिकाओं में कर्मचारियों को देने के लिये तनख्वाह नहीं है। मैं तो एक बात सदन के सामने और कहना चाहता हूं कि इसका सीधा असर नगर पालिका के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलने पर या तो सफाई कर्मचारियों पर पड़ेगा जो +++ बिलकुल गरीब तबके का व्यक्ति है और कांग्रेस समर्थक है, इसमें आपने उसके साथ अन्याय किया है। दूसरा असर उस नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले उन नागरिकों पर पड़ेगा जो गंदगी में अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपने कौनसी वैकल्पिक व्यवस्था की है? मुझे पता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सत्ता में विकेन्द्रीकरण होना चाहिये, मन्त्रिमण्डल का विस्तार भी होना चाहिये। केन्द्रित नहीं होकर विकेन्द्रीकृत होना चाहिये। लेकिन जिस राजस्थान की जनता को कर्जे में डूबे हुए देखा जाये, जिस राजस्थान की जनता को 5 करोड़ 11 लाख रोजाना ब्याज भुगतना पड़ रहा हो उस प्रदेश में मन्त्रिमण्डल का यह विस्तार और वह भी किनके द्वारा, मुझे बचपन की घटना याद है जब खेतड़ी में उप चुनाव था। वर्तमान मुख्य मंत्री विरोधी पक्ष के नेता थे। सुखाड़िया जी जब वहां गये, कुछ मंत्रिमण्डल के सदस्य गये तो कहा गया "अली बाबा चालीस चोर खेतड़ी आये हुए हैं", मैं इस पर अधिक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं समझता। राजस्थान की जनता विचार कर रही है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश में न्यूनतम

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

मजदूरी 32 रुपये देने के लिये राजस्थान की सरकार के पास नहीं हो और वह सरकार लाखों रुपये मंत्रिमण्डल पर खर्च करना चाहे....

श्री टीकमचन्द कान्त : दीपेन्द्र जी, एक मिनट ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात समाप्त करने दें उसके बाद वह बात करें। मंत्री नहीं हैं वह । सरकार के मंत्री नहीं हैं वह । बाद में जवाब दे देंगे ।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : वह बिलकुल डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे । मेरे समय में वह कटौती कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनको यह अधिकार नहीं है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं शांति पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, उनको मेरे को डिस्टर्ब करने का अधिकार आपने दिया हो तो अलग बात है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : क्या यह सत्य है कि कर्जों से परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है, योजनाएं अस्तित्व में आती हैं, विकास का आधारभूत ढांचा तैयार होता है और उससे राज्य का सकल घरेलू उत्पादन बढ़ता है तो ब्याज महंगा नहीं पड़ता है । साथ ही साथ अभी तक जो आधारभूत ढांचा नहीं बना, योजना नहीं बनाई, उसके कारण (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह तो वित्त मंत्री के लिये छोड़ दो, वह दे देंगे जवाब ।

श्री टीकमचन्द कान्त : ....गरीबी में राजस्थान जिया । उस सारे का, अरबों-खरबों का हिसाब लगाया जाय, अगर कांग्रेस ने आधारभूत ढांचा तैयार किया होता तो यह बिलकुल महंगा नहीं पड़ता (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : यह कौनसा भाषण करा रहे हो उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहलवाना चाहते हो ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट में दर्शाया कि प्रशासनिक खर्चों में कटौती की जाये....

श्री हरिसिंह (महुवा) : ब्याज कितना दे रहे हो ?

श्री टीकमचन्द कान्त : हजारों करोड़ रुपया दिन का कम हुआ है। इस देश में सकल घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ रहा है उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य, बार-बार नहीं ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय व्यय में मितव्ययता की चर्चा की गई है। लेकिन इस पूरे दस्तावेज में जो पूरा पेज भरा है 19 नम्बर पर, इसमें आपने एक भी आइटम ऐसा दर्ज नहीं किया है जिसमें कि राजकीय व्यय में कमी कहीं नजर आती हो, अपव्यय में कहीं कोई कमी नजर आती हो। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता लेकिन कोई तो आप देते एक आइटम जिसमें कि व्यय कम करेंगे। एक भी आइटम नहीं है जिसमें व्यय कम दर्शाया हो इस पुस्तक के 19 नम्बर आइटम में, उपाध्यक्ष महोदय, कहां कमी करेंगे ? मुझे सूचना मिली है आपका एक सरकारी कार्यालय जलेबी चौक मे चल रहा था। सरकारी भवन को किसी को आब्लाइज करने के लिये, मुझे पता नहीं नीचे से सौदा हुआ है या ऊपर से, एम आई. रोड पर 25 हजार रुपये महीने किराया लेकर कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया गया। यह कौनसे व्यय कम करने की तरफ आप बढ़ रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय कौशल साहब ने फरमाया था योजनाबद्ध विकास होना चाहिये। निश्चित रूप से योजनाबद्ध विकास होना चाहिये। मुझे खुशी होती अगर योजनाबद्ध विकास होता। लेकिन विकास के आंकड़े जब योजनाबद्ध पुस्तक में देखने को मिलते हैं, आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि कांग्रेस ने 42 वर्ष राज किया है और 42 वर्ष बाद जब सत्ता छोड़ी तब कर्जा 6 हजार करोड़ रुपये का छोड़ कर कांग्रेस सत्ता से गई थी। आज 22 हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान की जनता के ऊपर आपने थोपा है। इसका मतलब केवल 8 वर्ष में 16 हजार करोड़ से ऊपर का कर्जा आपने राजस्थान की जनता के ऊपर थोपा है। योजनाबद्ध विकास आपने किया, 14 हजार करोड़ का योजनाबद्ध खर्चा और 16 हजार करोड़ का योजनाबद्ध कर्जा, कौनसा यह योजनाबद्ध तरीका है आपका ? कौनसा अर्थशास्त्र कहता है ? उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने सात पंचवर्षीय योजनाओं में 7 हजार करोड़ रुपये कुल खर्च किया है जिसमें विकास की गंगा बही है। अब मैं आपके आंकड़ों पर आना चाहता हूं माननीय शांतिलाल जी। आपने बड़े-बड़े आंकड़े दिये कि मेरे यहां इतने स्कूल खुले हैं, सात पंचवर्षीय योजनाओं में कांग्रेस को केवल 7 हजार करोड़ रुपया मिला है। और आपके यहां केवल एक पंचवर्षीय योजना और केवल दो वार्षिक योजनाओं में 14 हजार करोड़ रुपये आपको मिला है सात हजार करोड़ के विकास को देखिये और 14 हजार करोड़ के विकास को देखिये। राजस्थान की धरती पर 85 प्रतिशत विकास 7 हजार करोड़ में 42 वर्ष में कांग्रेस के शासन में हुआ है, केवल 15 प्रतिशत विकास की डींग हांककर आप राजस्थान की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते और जो योजनाओं के आधार पर पिछले 50 वर्ष में निर्माण कार्य हुए हैं जिनमें 85 प्रतिशत निर्माण कार्य कांग्रेस के राज में हुआ, आपके पास उनकी रिपेयर का रास्ता नहीं है, उनकी मरम्मत की व्यवस्था नहीं है। आपको कोई परमानेंट असेट नजर नहीं आती, चाहे माही बांध को देखिये, चाहे भीमसागर बांध को देखें, चाहे प्रतापसागर बांध को देखें, जहां-जहां देखेंगे कांग्रेस का इतिहास आपको नजर आयेगा। आपके खाते में 8 वर्ष में एक भी उपलब्धि आप इस प्रकार की बताने की स्थिति में नहीं हैं।(व्यवधान) सुन लीजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बार बार नहीं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्च वित्तीय व्यवस्था इनकी देखिये। इनके शासन में हर साल दिसम्बर तक 23 से 30 प्रतिशत तक विकास कार्यों पर यह खर्चा नहीं कर पाते और जनवरी से मार्च तक तीन महीने में 70 प्रतिशत इनका खर्चा हो जाता है। यह इनकी कार्यकुशलता है? घपला नहीं है तो क्या है? राजस्थान की जनता आपसे जवाब चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि, सेन्ट्रल कर...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम तो उन्होंने खराब किया।

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : 20, उपाध्यक्ष महोदय, सेन्टर से जो असिस्टेंस मिलती है, वह इनको मिल नहीं पाती। 55 योजनाएं चल रही हैं राजस्थान सरकार के पास में केन्द्र सरकार से प्रदत्त। उनमें 500 करोड़ की सहायता में 300 करोड़ रुपये वापस जायेगा क्योंकि इनकी मानिटरिंग नहीं हो पायी है। यह इनकी दक्षता और क्षमता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी वित्तीय व्यवस्था का हाल देख लीजिये। मैंने जैसा कि आपको निवेदन किया, केवल 7 वर्ष में जिनको 14 हजार करोड़ रुपया खर्च करने को मिला, कोई असेट्स तैयार नहीं कर सके। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इन्हीं के आंकड़ों के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमने 7 हजार करोड़ रुपये में क्या उपलब्धि दी और आपने 14 हजार करोड़ की उपलब्धि क्या दी। मैं आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब 1951 में देश आजाद हुआ, केवल 8 मेगावाट बिजली इस प्रदेश में बनती थी, कांग्रेस के राज में 1991 तक 3 हजार मेगावाट बिजली हमने उत्पादित की है, केवल 7 हजार करोड़ रुपये में और 14 हजार करोड़ रुपये में आप 8 वर्ष में 8 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर सके। +++

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा हमारे यहां अस्पताल खोले गये। 7 हजार करोड़ रुपये जो कांग्रेस को मिला, 1951 में 398 हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियां थीं, कांग्रेस के जमाने में 1991 तक 1600 डिस्पेंसरियां और हॉस्पिटल कांग्रेस ने खोलीं। इन्होंने अपने आंकड़ों में कहा हमने 500 खोली लेकिन 7 हजार करोड़ रुपये, 14 हजार करोड़ रुपये के अन्तर के बाद फैसला कीजिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा प्राइमरी स्कूलें हमारे यहां इतनी खुली हैं, प्राइमरी स्कूलें कांग्रेस के जमाने में, जब राज आया, कांग्रेस के पास 1951 में केवल 4494 थी, 91 में कांग्रेस ने 26,817

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

प्राइमरी स्कूलें खोलकर केवल 7 हजार करोड़ के बजट में कीतिमान स्थापित किया है। आपको 14 हजार करोड़ रुपया मिला है उसमें से आपने 4743 स्कूलें खोलकर कीतिमान स्थापित किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्च प्राथमिक शालाओं की चर्चा करते हैं। 1951 में जब कांग्रेस राज में आयी थी, 834 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे, कांग्रेस ने 1991 तक 9,230 उच्च प्राथमिक विद्यालय दिये (व्यवधान) 7 हजार करोड़ रुपये में खोले। आपके पास 14 हजार करोड़ रुपये थे, नहीं खोल पाये। 14 हजार और 7 हजार का अन्तर महसूस करिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1951 में 42 गांव विद्युतीकृत थे। राजा महाराजा, बड़े सेठ, साहूकारों के घरों में बल्ब जलता था। कांग्रेस के जमाने में 1991 में जब राज छोड़ा 28,560 गांवों में बिजली दी गयी और गरीब की झोंपड़ी तक बिजली पहुंची। आपने बड़ी वाहवाही ली है, हमने 83,366 कुओं में बिजली दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1951 में जब कांग्रेस का राज बना उस जमाने में एक भी कुए में बिजली नहीं थी, कांग्रेस के शासन में केवल 7 हजार करोड़ रुपये की राशि में 4,936 कुओं को हमने विद्युतीकृत किया है। इन्होंने 80 हजार का आंकड़ा दिया। उसमें 40 हजार नर्सरी के कनेक्शन देकर के राजस्थान की जनता को आपने लूटा है। इसके बावजूद भी आप अपने आपको किसानों का हिमायती बताते हैं। आपने जलापूर्ति गांवों की बात कही। 1951 में जब कांग्रेस का राज था एक भी गांव में जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं थी, कांग्रेस ने 29 हजार गांवों को पानी से जोड़ा है और, राजीव गांधी फाउण्डेशन की कृपा से आप कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर सके हो, राजस्थान सरकार ने क्या दी पूंजी। इसका फैसला राजस्थान की जनता आपसे चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मैं दो-तीन मिनट में समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बहुत समय ले लिया।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : दो-तीन मिनट में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियां, 1951 में एक नहीं थीं, हमने 20223 सहकारी समितियों के माध्यम से राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन चलाया। इनकी 8 वर्ष की उपलब्धियों में केवल 43 सहकारी समितियां यह बना पाये हैं, जो गांवों के हिमायती अपने आपको कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब किसानों की बात करते हैं, पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, कांग्रेस के जमाने में, जब 51 में कांग्रेस को राज सौंपा गया उस वक्त 1171 हैक्टेयर में सिंचित क्षेत्र था। कांग्रेस ने जब राज छोड़ा 4,343 हैक्टेयर क्षेत्र कांग्रेस ने सिंचित किया और इनके जमाने में 163 हैक्टेयर पर ये पहुंचे हैं।

(196)

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

यह इनकी उपलब्धियां रही हैं, लाख, सोरी, हां 4 लाख हैक्टेयर।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल बिजली की बात करके समाप्त कर दूंगा, आपसे निवेदन करता हूं। बहुत सी बिजली की चर्चाएं की गयीं। बिजली उत्पादन के बारे में आदरणीय कौशल साहब पूर्व मंत्री थे, उन्होंने बड़े विस्तार से चर्चा की, वित्त मंत्री ने बड़े विस्तार से चर्चा की, आदरणीय मुख्य मंत्री जी हर बार घोषणाएं करते हैं, आज भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रदेश में बिजली सर्वप्रथम आवश्यकता है। 8 वर्षों में इन्होंने कितनी बिजली का उत्पादन किया है। राजस्थान की जनता इन से हिसाब चाहती है, घोषणाएं बहुत हुई हैं, भूमि पूजन बहुत हुए हैं, विक्रय समझौते बहुत हुए हैं, आशय पत्र बहुत हुए हैं, अखबारों में छपे हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं बरसिंगसर कारखाना लिग्नाइट पर चलेगा 500 मेगावाट का बनने वाला है, कपूरड़ी का कारखाना लिग्नाइट पर चलेगा, बाड़मेर जिले में 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जालीपा का कारखाना लिग्नाइट पर चलेगा, बाड़मेर जिले में 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, सूरतगढ़ कोयले पर आधारित 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा, धौलपुर 700 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा और इस तरह से इन्होंने 3200 मेगावाट की घोषणा कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा, बड़े शहरों में सौ मेगावाट के बिजली के जनरेटर सैट लगा देंगे। पिछले दिनों उप चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, भीलवाड़ा से उप चुनाव जीते, आदरणीय मुख्य मंत्री जी पधारे, व्यापारियों ने कहा हमारे बिजली की समस्या है, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी, सौ मेगावाट बिजली का जनरेटर सैट स्थापित कर दिया जावेगा। चुनाव हो गये, उन्होंने कहा हमको जिता दो, लोगों ने जिता दिया। 15 दिन बाद बिजली बोर्ड के चेयरमेन भण्डारी साहब भीलवाड़ा गये, पत्रकारों ने पूछा कि वह सौ हार्स पावर बिजली का कारखाना कहां जनरेटर का लगने वाला है। भण्डारी जी ने कहा, हमारी योजना नहीं है, लोगों ने कहा मुख्य मंत्रीजी की घोषणा है उन्होंने कहा उनसे लगवा लीजिये, बिजली बोर्ड का कोई एजेण्डा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद घोषणा की गयी, तरल ईंधन पर आधारित 2646 मेगावाट का कारखाना लगेगा उसका आज तक पता नहीं। उसके बाद घोषणा की गयी, सौर ऊर्जा के आधार पर कारखाना लगेगा। आप ताज्जुब करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी शर्म आती है कहते हुए, राजस्थान की जनता को इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। एक किलोमीटर लम्बी चिमनी बनेगी जैसलमेर में, उससे सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी, लोगों ने देखा भाग्य जग गया। उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया में कहीं टेक्निक नहीं है कि एक किलोमीटर की लम्बी सौर ऊर्जा के लिए चिमनी बन सके। अमेरिका ने नहीं बनायी, जापान ने नहीं बनायी, जर्मनी ने नहीं बनायी, इंग्लैण्ड ने

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

नहीं बनायी, रशिया ने नहीं बनायी, चाइना ने नहीं बनायी। ताज्जुब होता है। एक किलोमीटर ऊंची चिमनी राजस्थान की सरकार जैसलमेर में बनायेगी, इनको पता नहीं कौन से इंजिनियर से बनवायेंगे, इतनी बड़ी चिमनी बनने के बाद कैसे वह स्थिर रह पायेगी हवा में, कैसे झूलेगी नहीं, घोषणा कर दी। दूसरी घोषणा की कि

(18.00 बजे)

जैसलमेर में 250 मेगावाट का कारखाना लगेगा। बाड़मेर में 50 मेगावाट का कारखाना लगेगा। अब 50 मेगावाट के कारखाने के आशय-पत्र और जारी हो गये। सौर ऊर्जा पर 350 मेगावाट...। अब मैं केवल एक मिनट लूंगा आपका, केवल एक मिनट। सौ मेगावाट का कारखाना लगेगा, सौर ऊर्जा पर ढाई सौ का लगेगा, चिमनी बनेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह वह फोटो लाया हूं। इसमें लिखा है, एक पत्थर लगा है एमको-एनरान सोलर पावर प्लाण्ट 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का भूमि पूजन समारोह जैसलमेर में हुआ है। माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत, मुख्य मंत्री, राजस्थान के कर कमलों द्वारा, दिनांक 1 मार्च, 1996 को सम्पन्न हुआ। अध्यक्षता श्री रघुवीर सिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री, और विशिष्ट अतिथि श्री मीठालालजी मेहता। यह उस पत्थर की फोटो है जो कि लगा पड़ा है और इस पत्थर की एक प्लेट साथ में सेम्पल की दिखायी थी। आज भी दो होम गार्ड के चौकीदार इनकी चौकीदारी करते हैं जो एनरान ने पत्थर लगाया था मुख्य मंत्रीजी के हाथों से। यह उपलब्धि रही है, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर इन्होंने 6186 मेगावाट पर 26 हजार करोड़ के विनियोजन की घोषणा की और बिजली घरों की स्थापना का दोष भारत सरकार पर देते रहे। भारत सरकार ने चार सौ करोड़ के लिये छूट दी, फिर एक हजार करोड़ के लिये छूट दी, फिर 15 सौ करोड़ के लिए छूट दी कि आप कारखाना लगाओ। सरकार दिल्ली में भी इनकी है। सरकार ने छूट भी दे दी लेकिन कोई कारखाना नहीं लग पाया। उपाध्यक्ष महोदय, 1990 में सामान्य श्रेणी के 29,768 कनेक्शन व 1991 में 33,907 कनेक्शन किसानों को देकर कांग्रेस ने कीर्तिमान स्थापित किया था।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, बिराज जाएं, माननीय सदस्य।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : एक मिनट, मात्र एक मिनट। मेरे दल का समय ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट को आधा घण्टा हो गया।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मेरे दल का समय ले रहा हूं, प्लीज।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने घोषणाएं तो की लेकिन मैं याद दिला देना चाहता

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

हूं कि कांग्रेस के जमाने में 37 नये पैसे यूनिट में किसान को बिजली मिलती थी। आज एक रुपया 70 पैसे यूनिट में किसान को मजबूर किया जाता है कि बिजली लेनी है तो इस भाव में लेनी पड़ेगी। कांग्रेस के जमाने में खम्भा फ्री मिलता था। साढ़े सात हार्स पावर के लिए सात खम्भे फ्री थे। आज 9 से 12 हजार कीमत करके, खम्भे की कीमत आपको देनी पड़ती है। आज स्थिति यह बन गयी है, उपाध्यक्ष महोदय। कांग्रेस के जमाने में जहां 12 घण्टे बिजली मिलती थी, आज 4 से 5 घण्टे के ऊपर बिजली नहीं पहुंच रही है। घरेलू कनेक्शन यदि जयपुर में लेना है तो पांच हजार रुपये आपको कनेक्शन का जमा कराना पड़ेगा। कल्पना तक नहीं करते ये लोग। यह स्थितियां हैं।

आपको याद होगा हरिदेवजी जोशी के जमाने में दो नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली की रेट बढ़ गयी थी। इधर बैठने वाले माननीय सदस्य और नेता, जनता दल, लोकदल और बी.जे.पी. ने मिलकर आन्दोलन किया शेखावाटी में। डेढ लाख लोग शेखावाटी से जेलों में गये। मेरे क्षेत्र के लोग भी टोंक की जेल में थे। मेरे बड़े भाई घनश्यामजी तिवाड़ी भी जेल में गये थे। किसानों ने आन्दोलन किया। झुंझुनूं में लाठी चार्ज हुआ, बालूरामजी की हत्या हुई। तीन दिन तक बालूरामजी की लाश को सड़कों पर पटके रखकर राजनीतिक रोटियां सेकी गयीं दो नये पैसे बिजली के लिए बढ़ाने पर। आज एक रुपया 70 पैसा। फिर कहते हैं कि हम किसानों के हिमायती हैं।

'हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम।
वे कत्ल भी करते हैं, तो चर्चे तक नहीं होते।।'

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। श्री राकेश मेघवाल।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ आधे मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह बन गयी है कि राजस्थान के अन्दर घोषणाएं की गयी थीं कि बिजली 1995-96 में इतनी मिलेगी कि राजस्थान को पूरी हो जाएगी। बिजली की घोषणा की गयी कि 1998-99 में सरप्लस हो जाएगी और यहां तक घोषणा कर डाली कि 1998-99 में इतनी सरप्लस होगी कि हिन्दुस्तान से राजस्थान सरकार बिजली एक्सपोर्ट कर देगी। अहो भाग्य हमारा। आज समय नहीं है, यदि आप चाहें तो मेरे पास वे दस्तावेज हैं कि पिछले 5 वर्ष में राजस्थान की सरकार ने किस-किस तारीख को कितने-कितने कारखाने बांटे। आदरणीय परसराम जी मदेरणा ने पाली में कहा था कि मुख्य मंत्रीजी, जैसे बच्चों को चाकलेट बांटती हैं हमारी पर्यटन मंत्री यहां विधायकों को, उस तरह से पावर हाउस बांट रहे हैं राजस्थान में। आखिर राजस्थान को क्यों धोखा देना चाहते हैं? राजस्थान की जनता को विश्वास में लीजिए। राजस्थान के विपक्ष को विश्वास में लीजिए और राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने के

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

लिये मिल-जुलकर ऐसा बजट प्रस्तुत करना चाहिए था जो विकास की तरफ ले जाता। यह बजट न विकास देगा, यह बजट न बिजली देगा, यह बजट न समस्याओं का समाधान करेगा। औद्योगिकरण को समाप्त करेगा। आज उद्योगपति इधर झांकने को तैयार नहीं हैं। उद्योगपति यहां से भाग रहा है, क्योंकि उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। जहां बिजली नहीं मिल रही हो, जहां सुविधा नहीं मिल रही हो वहां औद्योगिकरण होने वाला नहीं है।

इसलिए इस प्रकार के बजट की, मैं निन्दा शब्द तो काम में नहीं लेना चाहता लेकिन इस बजट का मैं समर्थन नहीं करते हुए आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के हित में यह बजट नहीं है। राजस्थान की जनता के हितों का कुठाराघात करने वाला यह बजट है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बजट भाषण में सरकार को सद्बुद्धि दे। इस बजट पर कुछ गौर करके सुविधाओं की तरफ सोचे, कर्जा कम करावे। धन्यवाद।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 1998-99 के बजट पर जो वाद-विवाद चल रहा है, इस समय इस पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जो श्री भैरोंसिंहजी शेखावत और राजस्थान के वित्त मंत्री माननीय हरिशंकरजी भाभड़ा...

श्री हरिसिंह (महुवा) : हरिसिंह।

श्री राकेश मेघवाल : हरिशंकरजी भाभड़ा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, भावी वित्त मंत्री की बात करो।

श्री राकेश मेघवाल : थोड़ा कान साफ कर लो तो ठीक सुनाई देगा। थोड़ा सा साफा ऊपर कर लो।

भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य और राजस्थान की सम्पूर्ण जनता इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रही है। आज आप इस सदन से बाहर जाकर एक गरीब आदमी से पूछिये। राजस्थान के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने गरीब को गणेश मानकर यह बजट पेश किया है।

काफी समय से चुंगी की समस्या चली आ रही थी। हर जगह हर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर कोई भी गांव आता, कोई भी नगरपालिका सीमा आती, पहले ही उस ड्राइवर के मन में यह होता कि वहां गाड़ी रोकनी है। इस वजह से ज्यादा सड़कें टूटती थीं। आज राजस्थान सरकार ने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि चुंगी माफ कर दी और व्यापारी वर्ग में और गरीब तबके में जो, अगर कोई पंखा लेकर आता तो गरीब को चुंगी चुकानी पड़ती थी।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : सरचार्ज लगेगा, तब पता चलेगा।

श्री राकेश मेघवाल : सरचार्ज लगेगा तो वह भी हमारी सरकार है, माफ करवा देंगे, आप चिन्ता मत करो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जाने वाले को जाना होगा।

श्री राकेश मेघवाल : अभी आप तो गये थे ना, वापस क्यों आए ? आना हमारे ही पीछे पड़ेगा आपको।

यह बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया इस सरकार ने कि चुंगी माफ करके हर वर्ग को राहत प्रदान की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग दिल से तो कहते हैं कि यह बी. जे. पी. की सरकार ने अच्छा काम किया। सदन के बाहर इनकी चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं कि ऐसा बजट क्यों पेश किया, हमारा तो सफाया कर देगा। बजट से पहले बी.जे.पी. की 90 सीटें थीं, अब तो सवा-सौ सीटें हो गयीं। यह ऐसी चर्चा करते हैं लेकिन सदन में विरोध करना ही पड़ेगा क्योंकि वहां सामने "ना-पक्ष" लिखा है। इसलिए न चाहते हुए भी ये विरोध करते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : वहां 'हां-पक्ष' लिखा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपको 'हां' बोलना पड़ता है।

श्री राकेश मेघवाल : भगवान करे, आप हमेशा 'ना-पक्ष' में ही रहें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुंगी ही नहीं, कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए इस सरकार ने और माननीय वित्त मंत्रीजी ने कि आज राजस्थान में खनिज सम्पदा और मार्बल पर लगने वाला सी.एस.टी. 16 प्रतिशत हर साल बढ़ता ही था, कभी नहीं घटा लेकिन यह पहला एक कदम है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि मार्बल के उद्योग को बढ़ावा देना है और बढ़ा हुआ टैक्स, 16 परसेंट से 12 परसेंट पहली बार किया है। आज व्यापारिक वर्ग का कोई व्यापारी है या गरीब आदमी जो डायमंड पर काम करने वाला है, उसको भी राहत प्रदान होगी। उसको मजदूरी मिलेगी। टैक्स कम होगा तो मार्बल ज्यादा बिकेगा। तो हर आदमी, हर मजदूर इस बात की प्रशंसा करता है कि इस सरकार ने 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत मार्बल पर टैक्स कम किया है। इसमें एक छोटी सी कमी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और वित्त मंत्रीजी से एक छोटा सा निवेदन जरूर करूंगा कि 12 प्रतिशत का नाम थोड़ा-सा ठीक नहीं होता। एक परसेंट और कम कर दें और 11 का नाम रखें तो बी.जे.पी. सरकार के लिये बहुत ही शुभ होगा। (व्यवधान) क्योंकि वह उन्होंने 12 इसलिए किया कि कांग्रेस की 12 बजानी है लेकिन बी.जे.पी. के लिये 11 नम्बर शुभ है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) देखो, अभी पहले वह मेघवाल बोल रहा था, तब आप +++अब दूसरा मेघवाल बोल रहा है, तब आप चिल्ला रहे हो।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राकेश मेघवाल)

कोई भी अनुसूचित जाति का विधायक बोलता है तो आपको +++ क्यों पड़ गयी ? और फिर कहते हैं कि अनुसूचित जाति के वोट लेंगे । एक वोट नहीं देगी अनुसूचित जाति । अगर हमको तंग करोगे सदन में तो बाहर जनता में यह मैसेज जाएगा कि अनुसूचित जाति का वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में नहीं है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो खान के मालिक हो, काहे के अनुसूचित जाति के हो । खान-मालिक बनकर रहो । अनुसूचित जाति के 16 परसेंट ...(व्यवधान).... असत्य बोलते हैं सदन में ।

श्री राकेश मेघवाल : ऐसा है, मैं खान का भी मालिक हूं और गोदाम का भी मालिक हूं लेकिन मैं अपने घर का भी मालिक हूं और आपके जैसा मालिक बना हुआ नहीं हूं । पूरा जो काम है न, वह सब एक नम्बर में किया हुआ है । ब्लैक मनी नहीं है, व्हाइट मनी में किया हुआ है और मैं व्हाइट मार्बल व्हाइट मनी में बेचता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब सरकार की जितनी, अभी आंकड़े तो क्या है, यह तीन दिन से, मैं रोज कह रहा था कि आज मेरा नम्बर लेओ, आज मुझे चांस दो, पूरी किताब खोलकर मैं भी बजट की आंकड़े बताता । पहले वाले दिन मेरा पांच नम्बर पर नाम था, जो बजट की तैयारी की थी पूरी, आंकड़ों में रह गयी । सब आंकड़े बोल दिये । इसलिए आंकड़ों में नहीं जाकर मैं सीधे सरकार की उपलब्धियों के बारे में आपको निवेदन करना चाहूंगा ।

राजस्थान में करों में, चाहे मिर्ची हो, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे माचिस हो, चाहे तेल हो, चाहे धनिया हो, एक गरीब आदमी के काम आने वाले सामान तक को छुआ है और उसमें भी करों में रियायत दी है । अगर किसी में रियायत नहीं दी तो आम्र्स में नहीं दी क्योंकि वह किसी गरीब आदमी के काम नहीं आता । वह सिर्फ उद्योगपतियों और पैसे वाले, राजनेताओं के ही काम में आते हैं । इसको छोड़कर सब चीजों में, करों में रियायत दी है । इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी और सरकार का आभार प्रकट करता हूं ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पांच सीटें आने वाली हैं ।

श्री राकेश मेघवाल : यह कल्याणकारी सरकार ... (व्यवधान) आदत सुधार लो, यह जनता में मैसेज जा रहा है कि दूसरा मेघवाल बोल रहा है । सुधार लो । नहीं तो जनता सुधार देगी । बस फर्क इतना ही है कि एक मेघवाल उस कोने से बोल रहा था, दूसरा मेघवाल इस कोने से बोल रहा है । फर्क इतना ही है, उसको आप ध्यान में

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री राकेश मेघवाल)

रखो। मैंने शांतिपूर्वक आपकी बात सुनी थी, आप भी सुनें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय सीमा निर्धारित है, आप थोड़ी स्पीड बढ़ायें।

श्री राकेश मेघवाल : तीन दिन का समय एक दिन में ही दे दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैटर तो काई हूं, सगला बोल गया न । झूठ बात, हलाहल झूठ, कागज की नाव चलाई, जठे कठे पानी कोनी हो, कादा में चलायी। तीन दिन हो गया चलाता यां ने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार ने एक .. (व्यवधान) मारवाड़ी में बोलू ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कई उपलब्धियों वाले काम चार साल में किये हैं जो कांग्रेस की सरकार ने 40 साल में नहीं किये। परबतसर में, मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर, मकराना, नावां और कुचामन, उप खण्ड क्षेत्र में आज तक एक ए.डी.जे. कोर्ट इन्होंने नहीं खोला। इन्होंने कहा कि यह जनता परेशान होगी तब हमारे पास आएगी तब हम राजनीति की रोटी सेकेंगे और इन्होंने चालीस साल तक सेकी। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि परबतसर में ए. डी. जे. कोर्ट होना चाहिये और जनता को सस्ता न्याय मिलना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने परबतसर में ए. डी. जे. कोर्ट खोला, उसके लिये परबतसर, मकराना, और कुचामन–नावां की जनता हृदय से उनका आभार प्रकट करती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां मार्बल में एक और समस्या है। वह है तीन परसेंट यू. आर. डी. जो छोटे तबके के व्यापारियों, अन रजिस्टर्ड डीलर के लगती है और उनसे कच्चा माल खरीद कर व्यापारी दिखाते हैं। तो उसमें उद्योगपतियों को फायदा होता है लेकिन गरीब आदमी जो छोटा काम करने वाले हैं वे उसमें साफ हो जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में जिस तरह से यह यू. आर. डी. माफ की है, उसको और माफ कर दें। यह मेरा आपके माध्यम से विनम्र शब्दों में निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह एक्साइज 30 परसेंट थी और उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखा था कि 30 परसेंट से घटाकर उसको 10 परसेंट किया जाए लेकिन उसमें कुछ त्रुटि रह गयी। क्योंकि पूरे राजस्थान में अभी मंदी का दौर दो-तीन साल से चल रहा है और डाइमण्ड्स जो लगी हुई हैं, वह एक्साइज की वजह से धीरे-धीरे बन्द हो रही हैं। साथ ही माल, प्रोडक्शन कम आ रहा है क्योंकि बिट्स महंगे हो गये, आरे महंगे हो गये और हर मशीनरी का सामान महंगा हो गया जब कि किराये की रेट 35-40 रुपये हैं, घनफीट की है, और एक्साइज 30 रुपये घनफीट की है। यह ज्यादा है। पूर्व में भी

(श्री राकेश मेघवाल)

कई बार मार्बल मर्चेण्ट एसोसिएशन के, मार्बल व्यापार मण्डल की एसोसिएशन के पदाधिकारी और मैं स्वयं मिला था, डेली-गेशन के साथ में, तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इसमें मैं कम करवा दूंगा। उन्होंने एक पत्र भी लिखा था, व्यक्तिगत मिले भी थे लेकिन उसमें त्रुटि यह रह गयी कि 10 परसेंट करनी थी 30 परसेंट से और 10 परसेंट वह मूल से बढ़ गयी, 40 परसेंट हो गयी। इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से और केन्द्र सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह जो बढ़ी हुई एक्साइज है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 परसेंट करने के लिये लिखा था, उसको 10 परसेंट कर दिया जाए तो राजस्थान में मार्बल उद्योग धीरे-धीरे वापस पनप जाएगा, नहीं तो यह बहुत मुश्किल होगा और करोड़ों के प्लांट बंद करने पड़ेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के जमाने से मकराना परबतसर एक रेलवे लाइन चलती थी। पहले मीटर गेज थी और जयपुर और जोधपुर भी मीटर गेज थी। जब ब्रोड गेज में परिवर्तित हो गयी तो परबतसर रेलवे लाइन भी मकराना से परबतसर ब्रोड गेज में परिवर्तित हो गयी लेकिन कुछ खानों की वजह से, अण्डरकटिंग से नीचे से पूरा मार्बल निकल गया और वह रेलवे लाइन का लक्ष्मण झूला बन गया। इसका प्रपोजल केन्द्र सरकार के पास गया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र की आस-पास की जनता को और एक विश्व-विख्यात पशु मेला जो परबतसर में लगता है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस रेलवे लाइन को ठीक करवाया जाय या उसको शिफ्ट करवाया जाय या उसी पर रेल चलाई जाए, जो भी सरकार उचित निर्णय लें, उसमें जल्दी से जल्दी यह कदम उठायें कि वहां से रेल सेवा उपलब्ध हो सके और चालू हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल साढ़े चार साल में बहुत खुले लेकिन कांग्रेस के भाई लोग कह रहे थे कि यह बजट चुनावों को समर्पित है तो यहां क्यों कमी रखी। आज 50 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं क्रमोन्नत करने के लिए और 50 ही माध्यमिक विद्यालय हैं और 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना है। 550 नवीन हैं। तो इनकी संख्या जस्ट डबल कर दी जाए ताकि उनको

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह पता लगे कि इस शासन में बजट अगर चुनावों को समर्पित होता तो इनकी संख्या डबल होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जो बजट दिया है वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए, वह नहीं है। कई बड़े गांव हैं जो पंचायत मुख्यालय नहीं बने हैं वहां उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं और कई ऐसी असुविधाएं हैं जैसे एक्स-रे मशीन नहीं हैं। एम्बुलेंस नहीं हैं। इसके लिए आप

(श्री राकेश मेघवाल)

पर्याप्त मात्रा में, जो बजट दिया है, उस बजट को डबल करावें।

माननीय राठौड़ साहब ने वैसे तो इस विभाग में बहुत सुधार किया है और जगह-जगह उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जगह-जगह स्कूलें खोल दीं और माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया लेकिन उस जाल को मेन्टेन करने के लिए बजट और दिया जाए ताकि सड़कों की मरम्मत हो सके और नए सिरे से नयी सड़कें बनाएं। कांग्रेस के लोगों को यह दिखा देना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना विकास कर रही है कि जो यह चालीस साल में नहीं कर पाए, वह चार साल में तो करवा दिया लेकिन इस इस साल आपने सड़क पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर बजट कम दिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस बजट को डबल किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अनुसूचित जाति को चाहे एम.एल.ए. बनने के लिए फार्म भरना है तो आधी रेट, चाहे सरपंच बनना है, फार्म भरना है तो आधी रेट, बिजली बोर्ड में फाइल जमा करानी है तो उसमें कन्सेशन रेट और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग 90 प्रतिशत आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड गया है तो राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की यह पुरजोर शब्दों में मांग है, यह निवेदन है कि क्यों नहीं बिजली का जो बिल है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, माननीय ऊर्जा मन्त्रीजी नए बने हैं, ऊर्जा मंत्रीजी से मैं पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करूंगा कि एक नया चमत्कार दिखाएं कि जो बिल आता है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आधी रेट कर दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : पूरा माफ होना चाहिए।

श्री राकेश मेघवाल : फ्री के लिए तो आगे कहेंगे। पूरा माफ हो जाएगा तो हमारी आदत खराब पड़ जाएगी। इसलिए अभी तो फिफ्टी परसेंट माफ कर दें। यही आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ज्यादा काई है, फिरी को खाबो ठीक कोनी होवे।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें। समाप्त।

श्री राकेश मेघवाल : मैंने तो अभी थोडी भूमिका ही बांधी है।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनट हो गए आपको।

श्री राकेश मेघवाल : आधा घण्टा तो बोलना ही चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार की ज्यादा बढ़ाई करूंगा तो मेरा समय निकल जायगा और मैं अपने क्षेत्र की समस्या रख नहीं पाऊंगा। राजस्थान में यह बजट कल्याणकारी बजट है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी को राजस्थान की जनता साधुवाद की पात्र मानती

(श्री राकेश मेघवाल)

है और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है। लेकिन उनसे मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में एक मात्र बांकापट्टी है गच्छीपुरा, जो परबतसर विधान सभा क्षेत्र में आती है। कांग्रेस के शासन में उसका कई बार सर्वे हुआ था, यहां तक कि जर्मन के लोग आए थे लेबोरेट्री में पानी टैस्ट करने के लिए और सर्वे करने के लिए। 33 करोड़ की योजना बनी थी। यह योजना बनाने में तो माहिर हैं लेकिन उसको ले-जाकर दिल्ली में ठण्डे बस्ते में बन्द कर देते हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : कौन कांग्रेस ?

श्री राकेश मेघवाल : कांग्रेस, नहीं तो कोई आपाँ थोड़े हैं। मैं किधर से बोल रहा हूं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना को मैंने एक छोटे रूप में बनवाया, क्योंकि यह बड़ी योजना थी। पांच करोड़ रुपये तो माननीय भंवरलाल जी शर्मा साहब, जो पी.एच.ई.डी. मंत्री हैं उनके आशीर्वाद से लगा दिये और जगह-जगह नलकूप बनाए गए हैं और जी.एल.आर. बनाए गए हैं, नई टंकियां बनायी गयी हैं, पाइप लाइन डाली गयी हैं लेकिन जो आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए इस बांकापट्टी में, इसकी एक नई स्कीम वापस बांकापट्टी जो बनी है, मैं यह चाहूंगा कि राजस्थान में यह बांकापट्टी का जो कलंक है, इसी बजट में इसको सम्मिलित करके जो नई योजना बनी है, उसको स्वीकृति दिलायी जाये और चुनावों से उसका पहले कार्य करवाया जाए ताकि राजस्थान सरकार में यह हो कि राजस्थान में कोई भी बांकापट्टी बाकी नहीं छोड़ी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले वाले ऊर्जा मंत्रीजी बागोट पधारे थे। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी नयोड़ा, माननीय ऊर्जा मंत्री नए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया नियमों का पालन करें।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी जो हाल में प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व में ऊर्जा मंत्री थे, ने जब वह ऊर्जा मंत्री बने थे उस समय दस हजार लोगों के बीच में, किसान सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की थी बागोट परबतसर में 132 के.वी.जी.एस.एस. बनाने की। लेकिन वह अध्यक्ष बन गए। प्रपोजल बनकर सरकार के पास आ गया और इस बजट में आपने दिए भी हैं 132 के.वी.जी.एस.एस.। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बजट में जब आप जवाब दें तब घोषणा करें कि राकेश मेघवाल के क्षेत्र मे 132 के.वी.जी.एस.एस. स्वीकृत कर दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बांकापट्टी और गच्छीपुरा उप तहसील का प्रपोजल आया हुआ है उसको भी इस बजट में शामिल करें। डेजर्ट एरिया है, 65 गांव हैं आस-पास में और माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अभिशषा प्राप्त हो गयी

(श्री राकेश मेघवाल)

है और यह फाइल कम्पलीट तैयार है। इसमें शामिल कर उसको भी उप तहसील बनाया जाये। और कुंभामन जी भ्रास-पास के उप-खण्ड का सबसे अच्छा शहर है और कम से कम पचास हजार की आबादी है वह अभी उप तहसील मुख्यालय है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि वहां तहसील मुख्यालय बनाया जाए, उसको भी क्रमोन्नत किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्रीजी अभी बैठे हैं और नए बने हैं। 37 बांध परबतसर विधान सभा क्षेत्र में हैं। मैं यह चाहूंगा, मंत्री बनते ही नया जोश दिखायें और नए बांध स्वीकृत करावें।

इसी तरह कृषि उपज मण्डी गच्छीपुरा में है, स्वीकृत तो पूर्व मंत्रीजी ने कर दी थी लेकिन अभी जमीन और उसकी जगह तय नहीं हुई है। उसका कार्य चालू नहीं हुआ है। मैं यह चाहूंगा कि वह फाइल मंगाकर कृषि उपज मण्डी का कार्य चालू करवाया जाए और कृषि उपज मण्डी के माध्यम से सड़कें बनवायी जाएं।

आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालालजी इन्दौरा (अनुपस्थित)। श्री बनवारी लालजी मिण्डा (अनुपस्थित)। श्री आर.पी. शर्मा।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का 9 जुलाई को जो मोडिफाइड बजट पेश किया गया और जिसमें 86 लाख रुपये, आंकड़ों के आधार पर, आधिक्य दिखाया गया, यह वास्तव में राजस्थान की आर्थिक दशा को सही नहीं दर्शाता है क्योंकि बजट नियमों के अनुसार और रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन्स हैं, उनके अनुसार जब तक हम फिस्कल डेफिसिट बजट में नहीं बताते हैं, तब तक उस राज्य की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आती है। मैं ज्यादा आंकड़ों को नहीं बताकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि आर.बी.आई. की गाइडलाइन्स को देखते हुए फिस्कल डेफिसिट अगर हम देखते हैं तो इस राज्य में 3,782 करोड़ रुपये का फिस्कल डेफिसिट आता है यानि इस राज्य का जो मोडिफाइड बजट पेश किया गया है वह हमारी आम जनता को गुमराह किया गया है और 3,781 करोड़ रुपये के घाटे में इस बजट को दर्शाया गया है। इस बजट में हमारे माननीय मंत्रीजी ने बार-बार कहा है कि इस सरकार ने बेहतर वित्त प्रबन्धन की व्यवस्था की है, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पंचवर्षीय योजना बनायी है, समय-समय पर उनकी वैल्यू बढ़ी है एवं साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि राजस्थान आज कुछ विकसित राज्यों की गिनती में आ गया है हिन्दुस्तान में। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं ये सब बातें बिलकुल निराधार हैं और केवल अपने मुंह मियां मिठ्ठू बनने वाली बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य को बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के बारे में जो टैक्सेज की वसूली होती है, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि राजस्थान जिसकी 80 प्रतिशत जन-संख्या कृषि पर आधारित है, कृषि प्रधान

(श्री आर. पी. शर्मा)

क्षेत्र है वहां कृषि जिंसों से राजस्व प्राप्ति की बात देखें तो हम पाते हैं कि कृषि उपज मंडी जहां कि सबसे पहले कृषि उत्पादन पहुंचता है उसमें कितना भ्रष्टाचार है, यह राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है। केवल एक जिंस का आंकड़ा देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं। आयल सीड के 1996-97 के उत्पादन को लें, जो हमारा साढ़े बाइस लाख टन उत्पादन हुआ था उसको अगर हम 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आंकते हैं तो कृषि उपज मंडी के जो हमारे टैक्सेज हैं, एक रुपया प्रति सैंकड़ा के आधार पर राजस्थान सरकार को 43.20 करोड़ रुपये कृषि उपज मंडी की आमदनी होनी चाहिये थी। इसी तरह से सरसों पर जो हमारा खरीद टैक्स दो परसेंट लगता है वह भी लगभग 54 करोड़ होना चाहिये था और अगर वह सरसों उत्पादन में काम आती तो उससे जो हमारा बिक्री कर तेल पर लगता वह लगभग 57 करोड़ प्राप्त होता। इसका मतलब यह हुआ कि 154.20 करोड़ रुपये जो केवल आयल सीड के उत्पादन से हमारे राजस्थान को प्राप्त होते, मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं और राजस्थान सरकार के पास आंकड़े भी हैं कि सरकार इस 154.20 करोड़ रुपये में से 100 करोड़ रुपये भी वसूल नहीं कर पायी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृषि उपज मंडी जो कि हमारी राज्य में मैंने इस व्यवस्था से बनायी थी कि किसानों को फायदा हो और हमारे व्यापारियों को सही कीमत पर माल मिले लेकिन आज कृषि उपज मंडी में जिस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार को डूब मरना चाहिये। आज आपको मालूम होना चाहिये कि प्रति व्यक्ति कृषि उपज मंडी जो हमारी बनी हुई हैं, उनमें पांच रुपये प्रति बोरी चोरी कृषि उपज मंडी के अधिकारी लेते हैं और इस पांच रुपये बोरी की वजह से जो टैक्स हमको 29 रुपये का मिलता है उसका घाटा हो रहा है।

(18.32 बजे)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

इसी तरह से मैं गेहूं के बारे में कहना चाहता हूं। जो हमारा गेहूं का उत्पादन है, टोटल उत्पादन को अगर हम आंकें तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो हमारी कृषि उपज मंडियों के थ्रू हमको टैक्स मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा। मैं खास तौर से मेरे क्षेत्र भरतपुर की बात कहना चाहता हूं कि भरतपुर में खुलेआम रैक के रैक गेहूं की बोरियों के सैलम टैक्स की डी एस ओ. और कृषि उपज मण्डी की मिलीभगत से चोरियां हुई हैं। डेढ़–डेढ़ लाख रुपये प्रति रैक पर टैक्स नम्बर दो में वसूल किया गया है और राजस्थान सरकार को भारी घाटा हुआ है। अब भी वह कार्य चल रहा है लेकिन मैं कहता हूं कि यह सरकार कुम्भकरण की तरह नींद में सोयी हुई है, इसको नहीं पता कि सरकार को किस तरह से टैक्सेज वसूल करने चाहिये। खुलेआम जो टैक्सेज की चोरी कर रहे हैं उनको इनका संरक्षण प्राप्त है।

श्री शांतिलाल चोईवाल : सरकार की नोटिस में नहीं लाने से आप भी इसमें मिलीभगत कर रहे हैं।

श्री आर. पी. शर्मा : सरकार के नोटिस की बात मैं कहना चाह रहा हूं, मुख्य मंत्री जी को पहले ही कह दिया है। मुख्य मंत्री महोदय को और कृषि मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी जा चुकी है लेकिन वे भी कुम्भकरण की तरह नींद में सो रहे हैं। या तो उनका इसमें हिस्सा है या वे चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार के गाढ़े पसीने की कमाई को पूंजीपति लोगों को या बेईमान, भ्रष्ट लोगों को बांट दिया जाय? यह उनकी साजिश हो सकती है।

सभापति महोदया, मैंने कृषि उपज मण्डी के बारे में कहा। मेरे और साथी बहुत बोल चुके हैं, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिससे राजस्थान सरकार की आमदनी बढ़े। हमको चाहिये कि कृषि उपज मंडी जो टैक्सेज की चोरी का प्रथम बिंदु है, उस बिंदु पर जब तक हम हर मंडी में चौकियां नहीं बनायेंगे और उन चौकियों पर इनवर्ड एंट्री नहीं करेंगे, इनवर्ड एंट्री होने के बाद जब बिल बने तो उस बिल में इनवर्ड एंट्री का भी नम्बर हो तब तक हम राजस्थान में जो कृषि जिस पर चोरी है उसको नहीं रोक सकते। आपके पास सीधा सा उदाहरण है कि हमारे कृषि उपज मंडी सेक्रेटरी जब रोडवेज बस स्टैंड से अपने घर जा रहे थे तो एंटी-करप्शन ने छापा मारा और उनके बैग में से 50,000 रुपये नगद एक हफ्ते की कमाई के मिले। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब एक सेक्रेटरी एक हफ्ते में 50,000 रुपये कमाता हो तो आप सोचिये कि कितना नुकसान हमारी सरकार को टैक्सेज में हुआ है।

माननीय सभापति महोदया, मैं टैक्सेज के बारे में कह रहा था, अब दूसरा आता है भूमि और भवन कर का। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि भूमि और भवन कर का जो सीधा मामला है, हमारा हाउस टैक्स का जो वैल्यूएशन होता है वह रेन्टल वैल्यू के आधार पर होता है लेकिन भूमि और भवन कर में बहुत विसंगतियां हैं। उसका वैल्यूएशन होता है मार्केट वैल्यू पर और मार्केट वैल्यू का आधार इतना गलत है कि किसी के मकान की कीमत चाहे दो लाख रुपये है, चाहे मकान बनाने में उसके कम पैसे लगे हों लेकिन फिर भी उसकी कीमत 10 और 12 लाख आती है जिससे आम व्यक्ति परेशान है। मेरा सुझाव है कि भूमि और भवन कर दो लाख तक की आबादी वाले जिलों में माफ कर दिया जाय या यह टैक्स रखा जाय तो बजाय मार्केट वैल्यू के केवल रेन्टल वैल्यू के आधार पर ही उसका आंकलन करके आम जनता को सुविधा प्रदान की जाय।

सभापति महोदया, मैं सरकार के बारे में बताना चाहता हूं। यह सरकार कहती है कि हमारा बेहतर वित्तीय प्रबन्धन है। बड़े शर्म की बात है, मुझे कहना पड़ता है कि कहीं सड़क अगर कृषि उपज मंडी बनाती है तो उसकी लागत आती है सात लाख रुपये प्रति किलोमीटर, अगर पी. डब्ल्यू.डी. बनाती है तो उसकी लागत आती

(श्री आर. पी. शर्मा)

है चार से पांच लाख रुपये प्रति किलोमीटर और नाबार्ड स्कीम में वही सड़क सेंक्शन कर दी जाती है तो उसकी कीमत आती है आठ लाख रुपये प्रति किलोमीटर। कितना नुकसान हमारे स्टेट को इस नेग्लीजेंसी की वजह से हो रहा है। यह बेहतर वित्तीय प्रबन्धन है ? मैं सरकार की ओर इंगित करना चाहता हूं कि सरकार सोई हुई है। सरकार को कहां सेविंग करनी चाहिये, कहां हम खर्चे को बचा सकते हैं, हम कहां खर्चे का मेक्सीमम फायदा ले सकते हैं इसके बारे में सरकार को बिलकुल होश नहीं है। केवल आंकड़ों के आधार पर कि इतने रुपये हमने इसमें सेंक्शन कर दिये, इतने रुपये उसमें दे दिये और अपनी कुम्भकरण की नींद सो करके, अपनी खोखली वाहवाही करके ये चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को बहकाते रहें।

सभापति महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक मितव्ययता समिति बनाने की बात इस बजट में कही गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि मितव्ययता समिति की कब मीटिंग्स हुई, उन मीटिंग्स में क्या फैसले हुए और कब-कब उन मीटिंग्स के फैसलों पर क्या-क्या निर्णय लिया गया और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें भी सरकार सोई हुई है।

एक योजना है जल ग्रहण योजना। जैसा कि सरकार ने कहा, इस पर जो खर्चा हो रहा है वह टोटल वेस्टेज आफ स्टेट मनी है इसलिए इसको भी रोका जाय।

चूंकि इस बजट में पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में भी जिक्र आया है, मैं जिक्र करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार जहां प्रबंध व्यवस्था में फेल हो जाती है उस यूनिट्स को तो बंद कर देती है और जहां मोनोपोली आइटम हैं उसको करने में सरकार कहती है कि हम घाटे में नहीं प्रोफिट में चल रहे हैं। एट्रो इंडस्ट्री बंद हुई, डीडवाना यूनिट बंद हुई और इसी तरह से मुझे इस बात का खतरा है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज जिसमें सरकार की गलती की वजह से 30 प्रतिशत भाड़ा बिना सोचे-समझे बढ़ाया गया है उससे ऐसा नहीं हो कि राजस्थान स्टेट रोडवेज, जो आज सरप्लस में चल रही है आगे आने वाले समय में वह भी घाटे में चली जाय। यह सरकार की नेग्लीजेंस है। हमारी प्रबंध व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि घाटे की यूनिट्स को हम अगर प्रोफिट में लाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा वित्तीय प्रबंध अच्छा है। अच्छे मोनोपोली आइटम की इंडस्ट्री हम चलायें, उसमें प्रोफिट आये तो मैं कह सकता हूं कि कोई वित्तीय प्रबंध की बात नहीं है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि हम किसान के पक्ष के हैं, सरकार कहती है कि हम यह-यह काम कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कितने तो आई.ए.एस. सेक्रेटरीज के पद बढ़ाये गये, कितने पुलिस में डी.जी., एडिशनल डी.जी. के पद बढ़ाये गये लेकिन दुर्भाग्य है, शर्म की बात है कि जहां एक बेरोजगार जो जैसे-तैसे गरीब

210

(श्री ग्रार. पी. शर्मा)

बढ़ कर ग्राता है उसकी नौकरियों को रोकने के लिए तो रास्ता बना दिया गया है, 58 साल की सर्विसेज को तो 60 साल कर दिया गया वहां ग्राई.ए.एस., ग्राई.पी.एस. के प्रमोशन के लिए ग्रवसर बढ़ाने के प्रयास किये गये। इसमें सरकार का कितना खर्चा हुग्रा ? यह इनके कुशल वित्तीय प्रबन्धन को बताता है।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि हमारा सातवां प्लान तीन हजार करोड़ का था, ग्राठवां प्लान हमने 11,500 करोड़ का बना दिया ग्रौर नवां प्लान हम 27,650 करोड़ रुपयों का बनाना चाहते हैं। मैं कुशल वित्तीय प्रबंध पर ही बोलना चाह रहा हूं। जब तीन हजार करोड़ रुपये का प्लान था केन्द्रीय सहायता थी 27 परसेंट, जब 11,500 करोड़ रुपये का बना तो केन्द्रीय सहायता हो गयी 15.39 परसेंट ग्रौर जब 27,650 करोड़ का नवां प्लान हमारा बन रहा है तो हमारी केन्द्रीय सहायता है सिर्फ 4.62 परसेंट। मैं पूछना चाहता हूं कि जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी ग्रौर राजस्थान में बी.जे.पी की सरकार थी तब तो आपको केन्द्रीय सहायता ज्यादा मिली ग्रौर ग्राज जब केन्द्र में बी.जे.पी. की सरकार है ग्रौर राजस्थान में भी बी.जे.पी. की सरकार है तो नवीं योजना में ग्रापको 4.26 परसेंट आर्थिक सहायता, स्टेट के टैक्सेज के 29 परसेंट के बाद भी, ग्रायी है। यह हमारे लिए सोचने का विषय है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बी.जे.पी. की दिल्ली में बैठी सरकार इस राजस्थान सरकार के वित्तीय प्रबंध को सही रूप से कुशल नहीं मानती इसलिए 4.26 परसेंट ही उन्होंने इस बजट में देने के लिए कहा है।

सभापति महोदया, ग्रब मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि बड़े जोर-शोर से कहा जाता है कि हमने योजना का ग्राकार बढ़ाया है। निश्चित रूप से योजना का ग्राकार बढ़ता है ग्रौर प्रोग्रेस प्रकृति का नियम है। आप देख लीजिये कि जिस गजेटेड ग्राफिसर को 1965 में 200-250 रुपये तनख्वाह मिलती थी आज उसी ग्राफिसर को 20,000 रुपये की तनख्वाह मिल रही है। पैसे सब के बढ़े हैं। बजट का बढ़ना स्वाभाविक है लेकिन हमारी योजनाओं का ग्राकार बढ़ने से ब्याज का भार जो हमारे प्रदेश पर पड़ा है, 1978 में जो 1900 करोड़ रुपये का हमारे पर ब्याज का भार था वह 1998-99 /में 2217 करोड़ रुपये का भार ब्याज का इस स्टेट पर पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुग्रा कि हमको लगभग 6 करोड़ प्रति दिन का ग्रौर इसको हम प्रति दिन में मानें तो 25 लाख रुपये प्रति घण्टे के हिसाब से इस स्टेट पर कर्जों की वजह से हमको ब्याज देना पड़ रहा है।

मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ग्रगर वित्तीय प्रबन्धन कुशल होता, चूंकि सातवीं योजना हमारी 3 हजार करोड़ रुपये की थी ग्रौर ग्राठवीं योजना 12 हजार करोड़ की हो गयी तो ग्रगर वित्तीय प्रबन्धन कुशल होता तो नवीं योजना भी चार गुणी

(श्री आर. पी. शर्मा)

यानी 48 हजार करोड़ की होनी चाहिए थी। वह 27 हजार 650 करोड़ की ही क्यों रही? यह सोचनीय बिन्दु है। इस सरकार का वित्तीय प्रबन्धन कुशल नहीं है। केवल आंकड़ेबाजी के आधार पर यह दिखाकर कि हमारा कुशल वित्तीय प्रबन्धन है, यह सरकार हमेशा प्रदर्शन करती रही है। राजस्थान सरकार पर इतना कर्जा बढ़ गया है कि आज हमारा राजस्थान कष्टप्रद स्थिति में पहुंच चुका है।

माननीय सभापति महोदया, अब मैं कहना चाहता हूं, यहां बात चलती है कि राजस्थान का नाम हिन्दुस्तान के छह विकासशील स्टेट्स में आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रिजर्व बैंक ने अपने करेन्सी एण्ड फाइनेंस सर्वे के वोल्यूम प्रथम में दिया है, उसमें कहा गया है कि 1991 में ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट राजस्थान का बढ़ा है 15.7, 1991-92 में घटकर 7.4 हो गया है, 1992-93 में फिर बढ़ा 15-7,1993-94 में यह हो गया 8.3 इसके बाद वृद्धि हुई 19.1 और फिर 1995-96 यह वृद्धि रह गयी 5.2। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा नेट एवरेज जो है वह 3.2 इन्क्रीज आयी और 3.2 इन्क्रीज को हम देखते हैं तो इस रिजर्व बैंक की किताब में लिखा हुआ है कि हमने कैटेगरी बनायी हुई हैं सात। एक है लैस दैन 3 परसेंट, दूसरा है बिटवीन 3 परसेंट टू 4 परसेंट फिर 4 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 7 प्रतिशत और 8 प्रतिशत। अगर हम राजस्थान को देखते हैं तो राजस्थान का ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इन्क्रीज हुआ है 3.2, वह आता है सैकण्ड कैटेगरी में जिसमें पांच स्टेट्स हैं। मतलब 26 स्टेट्स में राजस्थान का नम्बर आता है 20 वां या 21 वां। ये कहते हैं कि हम छह विकसित प्रदेशों में हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा राजस्थान 26 स्टेट्स में विकास के लिहाज से 21 वीं जगह पर है इसलिए यह कहना कि विकास में हम आगे हैं, यह बिलकुल गलत है।

पावर जनरेशन के बारे में बात नहीं आयी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बहुत सोचने और समझने की बात है कि बिना पावर के चाहे कोई इण्डस्ट्री हो, चाहे कृषि हो और चाहे कोई ट्रेड हो, आज जिन्दा नहीं रह सकता। अगर प्रदेश में हमने इसी तरह पांच साल गंवा दिये, पावर जनरेशन का काम नहीं किया, अगर यह प्लानिंग आगे और भी रही तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो विकास की बात हम आज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि राजस्थान कहीं अन्धकार में डूब जाए, हम प्लानिंग की लम्बी-चौड़ी जो बातें करते हैं, वह कहीं खत्म नहीं हो जाए। पावर जनरेशन जो हमारा मुख्य बिन्दु है, हर क्षेत्र के विकास की प्रगति का, हम उसको भूल गये हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर पाये हैं।

अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भरतपुर के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। एक तरह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर में बाईपास बना रहे हैं।

(212)

श्री आर.पी. शर्मा : मैं आपको बाई-पास के बारे में भी कहना चाहता हूं। चूंकि आपको भरतपुर जाने में बहुत समय लगता है, जाते भी हैं लेकिन भरतपुर की जनता के साथ बजट में सौतेला व्यवहार किया गया है। आप देखिये, भिवाड़ी का जो इण्डस्ट्रियल एरिया है वह दिल्ली की वजह से चमक गया। आप आबूरोड़ की बात करते हो तो वह गुजरात की वजह से चमक गया लेकिन भरतपुर जिसकी भौगोलिक स्थिति दिल्ली, एम.पी. और यू.पी....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बाईपास की बात कर दो।

श्री आर.पी. शर्मा : बाईपास की बात, मैं अभी करता हूं, एक मिनट।

एक माननीय सदस्य : इसके लिए धन्यवाद दे दो।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं इसके लिए धन्यवाद दे दूंगा। एक मिनट। भरतपुर की भौगोलिक स्थिति अच्छी होते हुए भी वहां औद्योगिक विकास को दृष्टि से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ मंत्री हैं। बोलना हो तो अपने स्थान पर पधार कर बोलें। यह शोभा नहीं देता है। पार्टी को शोभा नहीं देता है, मंत्रियों को शोभा नहीं देता है और हाउस में शोभा नहीं देता।

श्री सभापति : इसमें पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ? आप क्यों चिन्ता करते हो पार्टी की ?

अब आप पूरा करो।

श्री आर.पी. शर्मा : माननीय सभापति महोदया, अभी पूरा कर देता हूं। पर्यटन की दृष्टि से भरतपुर को देखें जहां नेशनल बर्ड सेन्क्चुअरी है, उसके लिहाज से पर्यटन के क्षेत्र में भी भरतपुर को प्राथमिकता नहीं दी गयी है। औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से भरतपुर को प्राथमिकता नहीं दी गयी। सिंचाई सम्बन्धी बात करें। जहां गंगा, यमुना के पानी के लिए भरतपुर की बात चल रही थी, मैं कहता हूं कि बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगर हम शिक्षा की बात करें, किसी विश्व-विद्यालय की, न मेडिकल कालेज और न इंजीनियरिंग कालेज, किसी के लिए भी बजट में भरतपुर के लिए जिक्र नहीं किया गया है। पीने के पानी की बात करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भरतपुर में पानी की भयंकर समस्या है। तो पूरे बजट के लिए मैं कह सकता हूं कि भरतपुर क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी, भरतपुर को अछूत नहीं समझते हुए इस पर ध्यान दें।

अब मैं एण्ड करना चाह रहा हूं। चूंकि 1994-95 का बजट शिक्षा को समर्पित किया गया, 1995-96 का बजट चिकित्सा को समर्पित किया गया, 1996-97 का बजट पेयजल के लिए समर्पित किया गया

(श्री आर. पी. शर्मा)

और 1997-98 का बजट समाज कल्याण के लिए समर्पित किया गया, अब 1998-99 के बजट को समर्पित करने के लिए इस सरकार को कोई हैड नहीं दिखा। हमारी पार्लियामेंट के कुछ दिन पूर्व ही चुनाव हुए हैं, उसमें सरकार की बुरी तरह मात हुई। आगे चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने सोचा यह है कि बजट को चुनावों के लिए समर्पित करें लेकिन ऐसा भी नहीं है। यह बजट निश्चित रूप से पूंजीपति और भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों को, व्यापारी हों चाहे कोई और हों, उनके लिए समर्पित किया गया है। अतः यह बजट गलत भावना से बनाया गया है। वह केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने रह जायेगा। इस सरकार की पार पड़नी नहीं है। इन्होंने आर्थिक प्रगति के लिए कोई काम नहीं किया, लॉ एण्ड आर्डर के नाम पर कोई काम नहीं किया।

अन्त में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे एक किस्सा याद आता है। माननीय चतुर्वेदीजी, आपको सुनाना चाहता हूं। एक राजा था। वह जाति से राजपूत था। वह बहुत समझदार था, बहुत अच्छा राज किया लेकिन अन्त में जब उसकी हालत खराब हो गयी, जब वह बूढ़ा हो गया, उसकी राज करने की शक्ति नहीं रही तो उन्होंने कहा कि मैं अब राज छोड़ना चाहता हूं। मैं अपने किसी लड़के को राज नहीं दूंगा या किसी रिश्तेदार को राज नहीं दूंगा। तो वहां के पुरोहित थे, पण्डितजी, जैसे कि उप मुख्य मंत्री भामड़ाजी। उन पण्डितजी को चार्ज दे दिया। उन्होंने कहा पण्डितजी, जब तक आप दूसरे राजा का चयन नहीं करो तब तक इस राज को चलाओ। वह भी बड़े पण्डितजी थे। लोग उनसे कहने लगे कि मन्दिरों के लिए खर्चा बढ़ाओ, पण्डितजी ने कहा कि अच्छा मन्दिरों के लिए खर्चा बढ़ाता हूं। लोग कहने लगे कि स्कूल खोल दो, उसने स्कूल खोल दिये, लोगों के कहने पर अस्पताल खोल दिये। इस तरह से राज का खजाना खाली हो गया। दूसरे पड़ोसी राजा ने सोचा कि अब तो यह राजा कमजोर हो गया है, क्यों नहीं इस पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को हम जीत लें। राजा ने आक्रमण किया। उन पण्डितजी को कहा गया कि पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, हमें गद्दी से हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप क्यों घबराते हो, मैं बैठा हूं घबराओ मत। अन्त में जब पड़ोसी राजा गद्दी लेने के लिए पण्डितजी के पास आया और तलवार से मारने लगा तो पण्डितजी ने उसका हाथ रोक लिया और कहने लगा कि ठाकुर साहब, मुझे मारते क्यों हो? पहले तो उन्होंने खाया, अब तक मैंने खाया और अब आप खाओ, मैं गद्दी छोड़ रहा हूं।

यही हालत इस राजस्थान की, मुख्य मंत्रीजी ने और उप मुख्य मंत्रीजी ने, इन सबने कर दी है। खा-पीकर इसको बराबर कर दिया। राजस्थान पर केवल कर्जे का भार छोड़ा गया है, राजस्थान पर भ्रष्टाचार का भार छोड़ा गया है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : बिराजिये। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मैसेज आया था दिल्ली से कि 85 प्रतिशत अधिकारी खा जाते हैं। यह किसने कहा था ? एक संदेश आया था दिल्ली से। बताना जरा।

श्री सभापति : मंत्री महोदया।

श्री भीमराज भाटी : सभापति महोदया, मेरी स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण हो गयी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 85 प्रतिशत किसके राज में, कौन खा जाता था ? बता दो जरा।

श्री आर.पी. शर्मा : मैडम, संदेश आपके पास में ही क्यों आया ?

श्री भीमराज भाटी : आपकी इस विधान सभा में, राजस्थान के सर्वोच्च सदन में चूहे घूम रहे हैं। दो बार तो मेरे पैर पर चढ़ गया। मैं बार-बार परेशान हो रहा हूं। मेहरबानी करके इसकी कोई व्यवस्था करवाइये। यहां चूहे घूम रहे हैं।

श्री सभापति : आपका लहू मीठा होगा। विराजें।

श्री भीमराज भाटी : कुछ नहीं है मीठा। मेरे को डर लग रहा है। वह दो बार तो मेरे ऊपर चढ़ गया। और पता नहीं कब मेरी बारी आयेगी ? कुछ व्यवस्था करवाइये।

श्री सभापति : अभी तो पैर ही काटे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : भाटीजी, ऐसा है, कांग्रेस के साथ में रहोगे तो ऊपर चढ़े ही चढ़ेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : चूहे ने हमारे कल कपड़े काट दिये।

श्री भीमराज भाटी : आपकी पार्टी में होऊंगा तो बिल्लियां भी चढ़ने लग जायेंगी। सभापति महोदया, मेहरबानी करके इसकी व्यवस्था करवाइये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उप मुख्य मंत्री महोदय के जवाब देने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय उप मुख्य मंत्री महोदय के जवाब देने तक बढ़ा दिया जाए, क्या सदन की हामी है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय उप मुख्य मंत्री महोदय के जवाब देने तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदया, दो दिन बजट के

(श्री नरपत सिंह राजवी)

धन्यवाद प्रस्ताव के समय फिस्कल डेफिसिट और ऋण के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई। माननीय चन्दनमल जी बैद साहब वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं और कैलकुलेशन भी अच्छी तरह करना जानते हैं। इन्होंने जिससे कैलकुलेशन करायी, थोड़ा आभास मुझे भी है, मैं भी उनसे परिचित हूं लेकिन जिस फार्मूले के सम्बन्ध में चर्चा की, मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं उस फार्मूले को कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता, वित्त मंत्री की हैसियत से या बिना वित्त मंत्री की हैसियत से। भारत सरकार ने जो फार्मूला तय किया 1 + 5 + 6 16, बजट एट ग्लांस में, वह अभी भी दिया हुआ है और उसका आकलन आप करेंगे तो जो आंकड़े आपने बताये वह वास्तव में सदन को गुमराह करने वाले हैं।

पर कैपिटा डेट, उसका भी आकलन आपने किया और यह बताया कि भारत की जो औसत है, आल इण्डिया जो एवरेज है 7,500 की, उसके आस-पास या उससे अधिक पर-केपिटा देनदारी राजस्थान में है। सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि राज्य में पर-केपिटा देनदारी 3,300 से अधिक नहीं है जो कि नेशनल लेवल से आधी से भी कम है। यह गलती किस कारण से हुई, यह तो वही जानें लेकिन यह कोई मैटर आफ ओपिनियन नहीं है, Mathematics is never a matter of opinion. दो और दो तो चार होंगे और उसमें कोई भी फार्मूला लगा दें, चार ही होंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग इकोनोमी आज किसी की भी नहीं है और अमेरिका का 1992 में चालीस हजार करोड़ डालर का फिस्कल डेफिसिट था। उनकी जी.डी.पी का 6 प्रतिशत। पिछले इतने वर्षों में जो फिस्कल डेफिसिट रहा है वह 6 और 7 प्रतिशत के बीच में औसत है। वर्तमान में इस वर्ष में 5.6 अनुमानित है और इससे ऊपर नहीं जायेगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। चाहे वह चुंगी माफ करने की स्थिति में आल्टरनेटिव सोर्स डवलप नहीं किया या बताया नहीं, बजट पर रिफ्लेक्ट नहीं किया, 280 करोड़ रुपये कहां से लायेंगे, यह क्वेश्चन मार्क है लेकिन सोर्स को डवलप किया जा सकता है, सरचार्ज लगाया जा सकता है, आप लोगों से राय लेकर किया जा सकता है। You are open to suggest. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय बजट में इस वर्ष का अनुमानित, जैसे मैंने बताया, फिस्कल डेफिसिट 5.6 प्रतिशत है और साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक राजस्व घाटा अगर कभी हुआ है तो वह 1987-88 में हुआ है और उस समय शायद आप इस सदन में विराजमान थे, मेरे ख्याल से।

श्री चन्दनमल बैद : 1977 में मैं नहीं था।

श्री नरपत सिंह राजवी : 1987-88 का अर्ज कर रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : 1987-88 में, माननीय सदस्य, मैं नहीं था।

श्री नरपत सिंह राजवी : I am subject to correction. आप नहीं थे तो कोई बात नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं कोई डिफेन्स नहीं ले रहा हूं, मैं तो खाली आपको करैक्ट कर रहा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी : आपने फरमाया था, सभापति महोदया, कि फिस्कल डेफिसिट 5,456.18 लाख कुछ ऐसा आपने अर्ज किया जो जी. डी. पी. का 10.4 प्रतिशत है। वह आंकड़े जब मैं उसको करैक्ट कर देखने लगा, मेरे कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा है। यह आफ्टर-आल आया कहां से ? यह आंकड़े, आपने वह प्रतिशत जो ली है मेरे ख्याल से 1997-98 की ली है और सेन्सस फिगर्स जो पापुलेशन के लिये हैं, वह 1991 की सेन्सस के लिये हैं। इसलिये इससे डिफरेंस आ रहा है वरना इतना डिफरेंस नहीं आता।

एक आपने अर्ज किया था ग्रोस फिस्कल डेफिसिट के बारे में। राजकोषीय घाटा। राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां जो उधार नहीं है तथा दूसरी ओर कुल व्यय जिसमें से वापसी अदायगी को घटाकर ऋणों में शामिल किया जाता है उस अन्तर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। आप ज्यादा जानकार हैं, मैंने तो कभी वित्त मंत्री का बोझ लिया नहीं है लेकिन इकोनोमी के बारे में जरूर थोड़ा बहुत जानता हूं और इसके अन्दर चेन्ज नहीं हो सकता। उधर राजकोषीय घाटा 10,263 50 आता है। दूसरी ओर सकल राजकोषीय घाटा में से अगर घटाते हैं तो 3,782 का बैठता है 5,400 का नहीं बैठेगा।

सभापति महोदया, नैट फिस्कल डेफिसिट के बारे में मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा। फिस्कल डेफिसिट क्या है ? यह कोई राज्य सरकार तो करती नहीं। परिभाषा कौनसी अपनायी जाय ? भारत सरकार द्वारा, कण्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया और आर. बी. आई. द्वारा जो भी परिभाषा इस बजटरी प्रोवीजन्स के लिये दी जाती है वही मानी जाती है। इसके हिसाब से राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 3,782.86 लाख, शुद्ध राजकोषीय घाटा 3456 करोड़ 90 लाख रुपये बैठता है। आपने फिगर्स जो फरमाये, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद साठ हजार, सत्रह करोड़ 1998-99 का, उसका 5.76 प्रतिशत बैठता है, 10.4 प्रतिशत का फिगर तो किसी हिसाब से नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : एप्रोप्रिएशन बिल पर, बोलेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं तो इन चीजों को अच्छी तरह समझ्योड़ो हूं। आप अगर एप्रोप्रिएशन पर पढ़कर पधारेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आपको कन्सेप्ट क्लियर हो जायेगी। मैं क्षमा चाहता हूं, आपको मैं यह कहना नहीं चाहता था लेकिन यह बेसिक पर बेसिक

(श्री नरपत सिंह राजवी)

क्या समझाएं। दो और दो तो चार ही होगी चाहे पहली क्लास में पढ़ें और चाहे एम.ए. मैथेमेटिक्स में करे, एम.एससी. मैथेमेटिक्स में करे तब भी वही स्थिति पैदा होगी।

समापति महोदया, संसाधन तो सीमित हैं।

श्री विष्णु मोदी : नैट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बता दें।

श्री नरपत सिंह राजवी : बताऊंगा, यह भी बता दूंगा। मैं मेरे पेपर्स के हिसाब से बताऊंगा। मेरे पेपर्स अरेन्ज हैं उसी हिसाब से बता पाऊंगा।

संसाधन तो सीमित हैं और विकास के लिये अगर संसाधन नहीं जुटाये जायं तो काउंटर-प्रोडेक्टिव होगा। इसके दो ही तरीके हैं, एक तो कर लगाकर राजस्व की वृद्धि की जाय और विकास के लिये लोन भी लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अतिरिक्त कर तो नहीं लगाये, कर में राहत दी है और उस राहत देने पर भी राजस्व की वृद्धि हुई है। मैं आंकड़ों के आधार पर आपको बताऊंगा। जो वास्तविक कलेक्शन हुआ है कर्ज लेकर विकास की गति को तेज करना, माननीय दीपेन्द्र सिंह जी भी फरमा रहे थे कि डैट ट्रेप में फंसा दिया है, राज्य को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि आने वाली सरकार क्या करेगी। आने वाले भी हम ही हैं वापस और हम ही संभालेंगे। आपको इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका तो आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप आ तो जाएंगे पर बैठना इधर पड़ेगा।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह जगह नहीं छोड़ेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी : यह वक्त बताएगा।

विकास की गति यदि धीमी की जाय या स्थगित की जाय तो आने वाले समय में उसी काम को कराने के लिये बहुत ज्यादा राशि की आवश्यकता होगी यह तो कहने की आवश्यकता नहीं है, सर्वमान्य बात है।

(18.00 बजे)

अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि भरतपुर में बहुत कम काम हो रहा है। गुड़गांवा कैनाल क्षेत्र में जब प्रारम्भ हुई थी सन् 1964 में तब उसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी एक करोड़ रुपये की। आज स्थिति क्या है? सौ करोड़ से अधिक राशि खर्च कर दी लेकिन भरतपुर वाले अभी तक पानी को तरस रहे हैं। यह स्थिति है कि नहीं? अगर उस समय एक करोड़ की राशि उसके अन्दर लगा दी जाती तो आज आपको यह कहने की नौबत नहीं आती ....(व्यवधान) इसीलिये कह रहा हूं कि अगर विकास के लिये कर्ज लिया जाए और उसकी परिसम्पत्ति का

(218)

(श्री नरपत सिंह राजवी)

डवलपमेंट साथ में हो, आनुपातिक तौर पर तो वह निश्चित तौर पर चाहे विपक्ष में बैठे हैं, चाहे सरकार में बैठे हैं, वह, इकोनॉमी के आधार पर कहोगे तो उसकी तारीफ ही करोगे। विकसीत देश या विकासशील देश, किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में आप अध्ययन करें, डेफिसिट फाइनेंसिंग एक मस्ट हो गया। विकास करना है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी होगी, कर्ज भी लेना पड़ेगा। अगर स्कूल खोलने का या सम्पर्क सड़कों को बनाने का या चिकित्सालय नये खोलने का पंचायत स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक इन मूलभूत सुविधाओं को नहीं पहुंचाने की मंशा हो तब तो बात है अलग वरना इनमें जितनी भी स्टाफिंग होगी, जिनको सेलेरीज देनी पड़ेगी, उससे एक्सपेंडीचर बढ़ेगा और उतना गेप पर्सेंट डवलपमेंट मे और जो कैपिटल है उसमें अन्तर रहेगा। लोन जितना लिया है उसमें भी अन्तर रहेगा।

श्री विष्णु मोदी : मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता माननीय सदस्य को, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की, सारे वर्ल्ड की। मैं इनके विचार इस बारे में जानना चाहता हूं कि जो परिसम्पत्तियां आपने कर्ज लेकर बनायी हैं तो उनका रख-रखाव करने के लिये आपके पास पैसा है क्या? वह कर्जा लेकर डेफिसिट फाइनेंसिंग कर ली, डवलपमेंट आप करना चाहते हो, वहां तक तो ठीक है लेकिन जो कर्ज से परिसम्पत्तियां बनीं, क्या यह राज्य सरकार सक्षम है, उनकी मेंटिनेंस तो हो जाएगी? और जब मेंटिनेंस तो कर ही नहीं सकेंगे तो ऐसा कर्जा लेना, डेट ट्रेप के अलावा यह और कुछ नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह इनका निजी–निजी विचार है।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदया, यह माननीय मोदीजी जो फरमा रहे हैं, वास्तव में, निजी विचार है, वास्तव में है, डिफिकल्टी रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परि-सम्पत्ति का निर्माण ही नहीं किया जाए। 50 साल तक तो आप लोगों ने वेट कर लिया और अब हर गांव में जब ढाई सौ की आबादी और रेगिस्तानी व आदिवासी क्षेत्रों में डेढ़ सौ की आबादी पर स्कूल खुल रहा है, स्कूल खुलेगा तो कमरा भी बनेगा, एक कमरा चाहिये तो कम से कम बरामदा भी उसके साथ चाहिये लेकिन निर्माण ऐसा नहीं हो रहा है कि इमीजिएट उसको ओ. एड.एम. की कॉस्ट की जरूरत पड़े। इन परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ है। मैं तो सिर्फ रेशो का कह रहा हूं कि सेलेरीज देनी पड़ेगी, उन सेलेरीज का पर्सेंट्स के अन्दर काउन्ट नहीं होगा।

सभापति महोदया, परिभाषा, जब तक अच्छी तरह से जानकारी नहीं हो तो भ्रांतियां बहुत फैलती हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था आर.बी.आई. और कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल आफ इण्डिया, उन्होंने पब्लिक डेट को क्या डिफाइन किया। उसके अन्तर्गत सरकार के लिये आन्तरिक ऋण व बाह्य ऋण को लोक ऋण की परिभाषा में सम्मिलित किया। राज्य सरकार के सम्बन्ध में कसोलिडेटेड

(श्री नरपत सिंह राजवी)

फण्ड ग्राफ इंडिया से इस ग्राधार पर गारंटी ली हुई मानी जाती है। ग्रब यह राज्य कर्मचारियों की बीमा निधि है, दूसरी देनदारियां हैं, सरकार एक तरह से उसमें बैंकर के रूप में काम करती है। वह राशि ग्रपने यहां पर यूज करती है ग्रौर रिटायरमेंट के समय एक ग्रमुक ब्याज ग्रौर ग्रेच्युटी के साथ वह रिफण्ड होती है। एक सायकल चलता है। ग्रब उसको एक व्यापारी जिस ग्राधार पर लोन लेता है, उसमें उसको लाभ कितना होगा, वह उसका ग्राकलन करेगा ग्रौर यह संस्थाएं जैसे लेंगी, चाहे सरकार ले, यह व्यक्तिगत ऋण को मौद्रिक रूप में नहीं ग्रांका जा सकता। इसमें तो परिसम्पत्तियों का जो निर्माण है, विकास का ग्राकलन है, कितना विकास किया है, उसी को ग्राधार मानेंगे तभी जाकर सही स्थिति सामने ग्राएगी।

ग्रब एक स्कूल खोली, सरकारी स्कूल, कोई सरकारी दुकान तो नहीं है। फीस कम ग्राएगी। ग्रामीण गरीब बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। फीस बहुत कम है। तो स्कूल के निर्माण में ग्रगर 80 हजार रुपये एक कमरा, एक बरामदे में लगा है तो उस 80 हजार रुपये का ब्याज भी उस स्कूल से नहीं ग्राएगा। वह ग्राकलन ग्राधार पर नहीं बैठेगा कि मैंने इतना एक्सपेंडीचर कर दिया, ग्रब इतना रिटर्न ग्राना चाहिये।

श्री विष्णु मोदी : मेंटिनेंस की बात बताग्रो ग्राप।

श्री नरपत सिंह राजवी : वह भी कह दूंगा। एक बात ग्रायी थी डेट ट्रेप की। डेट ट्रेप मुख्य रूप से दो तरह से दर्शाया जा सकता है। पहला तो लोन या ऋण की देनदारियां एज अगेंस्ट ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 87-88 में यह ग्रनुपात 43.51 प्रतिशत था। 97-98 में यह 37.79 परसेंट रह गया। ग्रब हम डेट ट्रेप की तरफ बढ़े हैं या स्थिति सुधरी है, इसका ग्रनुमान ग्राप स्वयं लगा लें। 98-99 में 38.90 इसका प्रतिशत रहना प्रस्तावित है। दूसरा मापदण्ड है, एक कर्ज की ग्रदायगी के लिये दूसरा कर्ज लिया जाए या उसके ब्याज को चुकाने के लिये भी कर्ज लिया जाए। ग्रगर लोन से ग्रधिक ब्याज की ग्रदायगी हो या लोन रिफण्ड करने की ग्रदायगी हो तो निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि डेट ट्रेप की ग्रोर बढ़ रहे हैं या उसमें फंस गये हैं। चाहे वह थाइलैंड की इकोनॉमी हो, चाहे कुछ फार-इस्ट कंट्रीज की, दूसरे की हों लेकिन 98-99 में देय ऋण की राशि 473 करोड़ 32 लाख रुपये मात्र थी जब कि राज्य को 2,691 करोड़ 30 लाख बतौर ऋण मिलने का ग्रनुमान है। ग्रब ग्राप बताइये डेट ट्रेप की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? दोनों आकलन से आप देख लें। 1980 में ऋण भार 1552.19 करोड़ में है जो कि पांच वर्ष की ग्रवधि में प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से 96.8 प्रतिशत था। 1-4-98 को यह प्रतिशत एक वर्ष में 18.2 प्रतिशत ही रहा। सभापति महोदया, कुल ऋण की वृद्धि दर में इन्हीं ग्रांकड़ों के ग्राधार पर मैं कह सकता हूं कि कमी आयी है। 1-4-80 से 31-3-85 तक

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अवधि का कुल बकाया 96.8 प्रतिशत, जैसा मैंने अभी बताया। 1-4-85 से 90 के पांच वर्ष में 100.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1-4-90 से 31-3-95 तक 93.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यही नहीं, 1-4-96 से 1-4-97 और 1-4-98 को बकाया ऋण के प्रतिशत में निरंतर गिरावट होती जा रही है। अब यह 19 प्रतिशत, 18.9 प्रतिशत, 18.2 प्रतिशत रह गयी।

परिसम्पत्तियों के बारे में अभी मोदी साहब फरमा रहे थे, 16810 करोड़ 61 लाख की देय बकाया, 31-3-97 तक 14 हजार 45 करोड़ 81 लाख की परिसम्पत्ति का निर्माण हुआ है और यह जो गैप है, यह वह गैप है जो मैं आपको निवेदन कर रहा था बेलेरीज और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का डवलपमेंट करना जो पब्लिक सर्विसेज के लिये वास्तव में असेंशियल है और हमने यह किया भी।

अब दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान की स्थिति अगर भारत में बहुत खराब है तो दूसरे राज्यों के कंपेरिजन में तो बहुत ज्यादा खराब होनी चाहिये। रिपोर्ट ऑन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स 1996-97 के अनुसार राजस्थान का ऋण भार आज भी बजट अनुदान 1997-98 के अनुसार आंध्र-प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से कम है।

श्री विष्णु मोदी : यह आप कौनसी किताब से बोल रहे हैं। चूंकि आप जो रेफर कर रहे हैं और मैं भी आज एक किताब लेकर आया हूं "दी इकोनॉमिक इंटेलिजेन्स सर्विस" सी.एम.आई. की तो आपने कहां से रेफर किया है? इसमें जितने स्टेट्स के नाम आप गिन रहे हैं उससे ज्यादा खराब हालत राजस्थान की है। मैं यह किताब आपको भेज दूंगा....

श्री नरपत सिंह राजवी : आप बोलें तब फरमा दें। मेरे पास यह किताब है।

श्री विष्णु मोदी : जो फीगर्स कहां से ली हैं ---

श्री नरपत सिंह राजवी : किताब तो मेरे पास है। आपके पास और फिगर्स हों तो फरमा दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किताब आपके पास है तो पेज निकालो वहां ...

श्री विष्णु मोदी : सी.एम.आई. की किताब है, सी.एम.आई. की, Which is an authority in the Country.

सभापति महोदया, यह इस सरकार के मंत्रियों की और बाकी के लोगों की प्रवृति है कि कहीं से उठाकर कुछ भी पढ़ दिया और कोई स्टेटिस्टिक्स दे दी और उसमें उसका नाम दे दिया जबकि सिर्फ इस संस्था के अलावा, इकानामिक डेटा के अलावा कोई आथोराइज्ड एजेन्सी ही नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदया, मैंने जो फीगर्स बताये हैं, मैं चैलेंज करता हूं, माननीय मोदी जी, कि आज नहीं आज के 6 महीने बाद और अगले चुनाव

(श्री नरपत सिंह राजवी)

के बाद भी अगर उसको गलत प्रूव कर दें तो जो वे दंड देंगे वह भुगतने को तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो सीकर के जामाद हो, दंड ये आपको दें नहीं सकते..

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको दंड लेने के लिये 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पहले ही निपट जायेंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी : वह वक्त बतायेगा।

एक माननीय सदस्य : चुनाव हो तब देख लेना।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदया, कर दरों की रियायत करके हमने राजस्व वसूली बढ़ायी है। कम से कम इसके लिये तो दाद देनी चाहिये इन्हें। वर्ष 1989–90 में जहां बिक्री कर, मनोरंजन कर के साथ में कुल राजस्व प्राप्तियां 639 करोड़ थीं, 1997-98 में 1946 करोड़ हुई हैं। बिक्री कर प्राप्तियों का सरलीकरण तथा दरों में रियायत देने के फलस्वरूप, उदाहरण दूंगा, चाय का, चाय का टैक्स 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया था, राजस्व की वृद्धि 14 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 17 करोड़ हुई है। अभी ट्रैक्टर्स के बारे में माननीय सदस्य फरमा रहे थे, वास्तव में, मैं मानता हूं, ट्रैक्टर की कॉस्ट पंजाब और हरियाणा में काफी कम है और टैक्स के कारण से कम है। लेकिन पहले क्या स्थिति रही है? मोटर व्हीकल पर 12 प्रतिशत टैक्स था, हमारी सरकार ने उसको घटाकर कम किया है, 8 प्रतिशत किया है और फिर भी राजस्व उसी मद में 10 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ हुआ है।

योजनागत विकास के संबंध में स्कूल कितने खोले, ए.एन.एम.सेन्टर्स कितने खोले, इन बातों पर तो मेरे ख्याल से सभी जानते भी हैं, सभी ने फरमाया भी है लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आठवीं योजना में शिक्षा में 1218 26 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे और नवीं योजना में 2877.77 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है? कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि एवं सहायक सेवाओं में पहले 868.88 करोड़ रुपये, नाइन्थ प्लान में 1677.02 करोड़ हैं। आप मेर ..

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदया, मैं कतई इंटरप्ट नहीं करना चाहता लेकिन सदन में जो बात कही जा रही हैं और जो मेरे पास आंकड़े हैं उससे मुझे ऐसा लगा कि यह असत्य बात कही जा रही है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि पहली योजना से लेकर सातवीं योजना तक अधिकांश कांग्रेस का शासन रहा और 1990 से 1998 तक एक साल को छोड़कर आपका शासन रहा, हमने 7 हजार करोड़ रुपये खर्च किये और आपने 18 हजार करोड़ रुपया खर्चा किया। आप आंकड़ों में मत आइये, आप तो कृपा करके यह बता दीजिये कि सातवीं योजना के अंत तक जो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, वह 18 हजार करोड़

222

(श्री विष्णु मोदी)

रुपया खर्च करके भी आपने उसका 10 परसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। दस परसेंट। अगर 11 परसेंट भी हो तो आप जो कहें, मैं करने को तैयार हूं। ढाई गुना ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद, 18 हजार करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद आप जो सातवीं योजना के अंत तक राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया था उसका 10 परसेंट भी नहीं कर सके हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : डवलप्ड कंट्री हो जाना चाहिये था, डवलपिंग कंट्री नहीं रहता। हमारे अनुसार तो जापान हो जाना चाहिये था, जापान।

श्री विष्णु मोदी : 7 हजार करोड़ में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसका 10 प्रतिशत भी नहीं हुआ है।

श्री सभापति : विराजें, माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदया, इनके प्रश्न का जवाब, स्पेसिफिक प्रश्न है इसका जवाब तो मंत्री महोदय ही दे पायेंगे। लेकिन इतना जरूर....(व्यवधान) अभी पानी की मांग और लाठी चार्ज पर काफी गरमा-गरम बहस हुई। आठवीं योजना में खर्च किया 1001 करोड़ और नवीं योजना में हम 1760 करोड़ कर रहे हैं...(व्यवधान) कर ली, धनधरी तो कर ली.... (व्यवधान) सड़क पर खर्च किया ...(व्यवधान)ये तो चुप रहो +++ ..। सभापति महोदया, सड़क पर खर्च किया 89.90 करोड़ और 1992 से 1997 701 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अब इतनी राशि अगर खर्च होगी तो निश्चित तौर पर परिसंपत्तियों का निर्माण होगा।

पीने के पानी के बारे में आपने निवेदन किया। प्राथमिक विद्यालय सातवीं योजना में 1900 हो खोले, आठवीं योजना में 5730। माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालयों को अगर लें तो आंकडे और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं तो ऐसा कौनसा स्फीयर है जिसके अंदर हम पिछड़े हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, अभी बात बिजली की आयी, मैं मानता हूं कि बिजली के अंदर जितनी एक्सपेक्टेशन थी या जितनी बातें सोची थीं उतना हो नहीं पाया है और वह खास तौर पर विद्युत मण्डल में मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी यह तो बहुत अच्छा आया कि दो साल के नर्सरी कनेक्शन जिनके पुराने हैं, उनको जनरल कैटेगरी में लेना प्रारम्भ कर दिया लेकिन 9 हजार से जो खम्भे की रेट बढ़ायी है वह किसानों के साथ कुठाराघात है, वह भला काम नहीं कहेंगे। लेकिन मैं माननीय विद्युत मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष औसत कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति कितनी रही है, 84....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विष्णु जी,

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसकी तो पहली लाइन ही गलत है। इसमें लिखा है कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, यही गलत है, मध्यप्रदेश है। राजस्थान दूसरे नम्बर का है। इसकी तो पहली लाइन ही गलत है, बिस्मिल्लाह ही खराब है तो पढ़े कौन इसको ?..(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदया, 1984 से 90 के बीच में 165 करोड़ यूनिट औसत प्रतिवर्ष कृषि कार्य हेतु सप्लाई की गयी और 1992 से 1998 के बीच में 398 करोड़ यूनिट, यह 141 प्रतिशत विद्युत की सप्लाई में वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर के लिए विद्युत उत्पादन में व्यय कितना किया, 1984 से 1990 तक 583 करोड़ रुपए, 1992 से 1998 के बीच में 2155 करोड़ रुपए। यह बात सही है, आप कहेंगे कि एक मेगावाट बिजली का उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है। सूरतगढ़ को सिंक्रोनाइज करने की स्टेज आई कि नहीं आई, अगले महीने तक अगर असेम्बली का अपना सेशन चलता है तो प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। रामगढ़ की स्थिति क्या है ? लेकिन फिर भी जितने पावर प्लांट्स को हमने प्राइवेट सैक्टर में लाने की इतनी बात कही, वह हम नहीं ला पाए। नहीं ला पाए उसका कारण यह है कि इण्टरनेशनल ग्लोबल टेण्डर के कारण बाद में कोई निर्वाचित सरकार एकदम से हिम्मत नहीं करेगी कि उसमें परिवर्तन करे और अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो कम से कम वह प्राइवेट आदमी घाटा खाने के लिए आगे नहीं आएगा। ब्रिटिश पावर कारपोरेशन नाम की एक संस्था है, 10 यूनिट्स यहां पर फास्टट्रैक पर लगाना आरम्भ करने की बात थी। पांच के तो उन्होंने पी.पी.ए. साइन कर लिए लेकिन पांच के ही किए हैं, मेरे ख्याल से नोर्थ सी के रिजैक्टेड जितने भी जनरेटर्स थे वह लेकर आने वाले थे, लगे वह भी नहीं। लेकिन धौलपुर में.... (व्यवधान).. क्षमा चाहता हूं....।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सूरतगढ़ के बारे में मार्गदर्शन करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : सूरतगढ़ के बारे में मैं करूंगा, थोड़ी देर बैठ जाएं।

श्री नरपत सिंह राजवी : धौलपुर में गोयनकाजी को जो दिया वह टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स इनके साथ नहीं है। जितने भी छोटे 100 मेगावाट के बड़े शहरों में लगाना चाह रहे थे, विद्युत मंत्रीजी, एक भी उसमें आने वाला नहीं है। उन शर्तों में जो बेसिक आवश्यकता है उसमें कम से कम आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। उसमें आज तो कोई कहने की स्थिति में नहीं है लेकिन उचित तो यही रहेगा कि प्रतिपक्ष के नेतागण भी साथ में बैठें और स्टेट इंटरेस्ट में यदि यह जल्दी लग सके, उसके आधार पर उस बात को, We are open to discussion. बैठकर सबसे बात तय कर ली जाए कि इन शर्तों पर संशोधन, इस हिसाब से करने के बाद में अगर वह लग सकते हैं तो राज्य हित में होगा। राज्य हित में कोई निर्णय लेना, मैं उसको बुरा नहीं मानता। पहले शायद

224

(श्री नरपत सिंह राजवी)

हमारे पूर्व विद्युत मंत्रीजी ने हिम्मत भी की होगी लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि घनश्यामजी, सीकर से जो हैं, वह जरूर हिम्मत कर लेंगे, सब काम का तो मैं नहीं कहता पर कम से कम इस मामले में तो करेंगे।

(19.22 बजे)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के आसपास जमीनों के सम्बन्ध में मैंने दो साल पहले एक प्रश्न रखा था और लैंड स्कैम्स, बताने की किसी को आवश्यकता नहीं, सबकी जानकारी में है। Sanganer tehsil is the hot belt of land scame. उस तहसील के किसी भी गांव में यदि आप हाथ डालें तो सैटलमैंट के समय से लेकर आज तक पता नहीं कितने ही मामलों में गड़बड़ फैसले किए गये हैं। जे.डी.ए. को या अन्य ग्रामवासियों को उससे महरूम रहना पड़ा है। सैटलमैंट डिपार्टमैंट तो एक अनसैटलिंग डिपार्टमैंट बनकर रह गया है। यह मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ऐसी-ऐसी एंट्रीज जो संवत् 1994, टिनेंसी एक्ट हमारा लागू हुआ, 15.10.55 को, संवत् 2010-11 की उसमें जमाबंदी देखी जाती है, उनमें भी परिवर्तन किया गया है और सिकमी काश्तकार बताकर वे सैटल होने की कोशिश कर रहे हैं। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नोटिस नहीं दिया, इसलिए मैं कहना भी नहीं चाहता लेकिन चाहे जैतपुरा का केस हो, चाहे महल गांव का केस हो, चाहे नींदड़ का हो; करोड़ों रुपयों की जमीन झूठे फैसलों के आधार पर वह हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर इन्क्वायरी कर लें, डिटेल्स माननीय राजस्व मंत्री जी को पहले भी दे चुका हूं, और भी दे दूंगा। ऐसे अधिकारियों को सख्त से सख्त दण्ड दिया जाना चाहिए। उनको खुले आधार पर, वह मर्जी आए सिकमी काश्तकार, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, जिसकी उम्र 50 साल की नहीं है, उसको कह दिया कि पुश्तैनी रूप से वहां बैठे हैं, 50 साल से ज्यादा बैठे हैं और खेती करते आ रहे हैं। उनके नाम बताया कि अमुक गांव के अन्दर ये रहते हैं, उनका उस गांव में सात पुश्तों में भी कोई नहीं गया होगा और गया होगा तो सिवाय उस जमीन को हड़पने के लिए, उसके अलावा कभी नहीं गया होगा, पटवारी से मिलने गए होंगे। उस पर गम्भीरता से विचार किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया है, यह वास्तव में काबिले तारीफ है। मकराना के मार्बल पर टैक्स कम किया है लेकिन राजस्थान के मिनी सीमेंट प्लांट्स, लार्ज सीमेंट प्लांट्स, उनकी स्थिति यह है कि करीब-करीब 50 प्रतिशत प्रोडक्शन उन्होंने कट कर दिया। चित्तौड़गढ़ जिले से ज्यादा कहीं सीमेंट प्लांट हैं भी नहीं और अगर यही स्थिति रही तो वे बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। तो कोई पैकेज रिलीफ उनको देनी चाहिए थी।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अभी आर.एफ.सी. ने मिनी सीमेंट प्लांट्स के लिए एक पैकेज रिलीज किया। मैं माननीय उप मुख्य मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस पैकेज में 1-4-98 का प्रिंसीपल अमाउण्ट कम नहीं हो, यह नोट लगाया गया है। वह यथास्थिति में रहता है तो एक आदमी भी उस पैकेज से लाभ नहीं उठाएगा, वह कागज अपने पास धरे रख लेगा। नोन-प्रेक्टिकल चीज। अगर कम्पाउण्ड इन्टरेस्ट, दूसरे हिसाब से भी कह रहे हैं, वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं तो वन टाइम सेटलमेंट में आज तक जो प्रक्रिया आर.एफ.सी. और रीको ने अपनाई है उसको भी अपना लोगे तो मूलधन जो आपने दिया है और सिम्पल इन्टरेस्ट है वह तो आपको वापस मिल जाएगा। इन बातों को अगर आप रिकंसीडर नहीं करेंगे तो चाहे वह सीकर में लगे हों, चाहे वह मिनी सीमेंट प्लांट रतनगढ़ के पास में लगा हो, चाहे नोखा में लगे हों, चाहे बहरोड़ में लगे हों, एक भी मालिक उसको चलाने की स्थिति में नहीं रहेगा और वह लोन डूबेगा उसकी चाहे टैक्नीकली डिफाल्टी रह हो, चाहे कुछ भी कारण रहा हो। उन सबको वापस रिकंसीडर करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : अब सरकार की तरफ से....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : समय भी बढ़ा दिया गया, जब तक उत्तर आये तब तक के लिए। आप क्यों संकोच कर रहे हैं? हमें भी मौका दीजिए बोलने का।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : कल आपने यही बात हमसे कही थी और आज भी तीन बार हमको आश्वासन दिया। हम सुबह से आते हैं, लगातार बैठते हैं। सीटें खाली पड़ी हैं, उनको अवसर दिया जाता है और वे चले जाते हैं और हम जो यहां बैठे रहते हैं, उनको आप अवसर नहीं देते हो। इससे बड़ी बात और क्या होगी? हमें एक मिनट भी नहीं मिलता इस सदन में... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाएं, आप भी बिराजें। अब मैं ना पक्ष की ओर से एक माननीय सदस्य को और बुलवा सकता हूं, आप तय कर लें।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या बुरा कर दिया कि हम हमारे क्षेत्र की एक बात भी यहां नहीं रख सकते? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने खुद ने मेरे से यह कहा था कि आज आपको निश्चित टाइम दिया जाएगा। यह बड़े दुःख की बात है। जो लोग बैठते हैं, जो मेहनत करते हैं, यहां आते हैं, सीटिंग करते हैं, उनका नम्बर नहीं और जो चले जाते हैं उनको नम्बर दिया जाता है यहां। इससे बड़ी बात और क्या होगी? इसका मतलब आप मना कर दो कि हम इस सदन में नहीं रहे, हम चले जाएं इस सदन से। यह मतलब हुआ इसका तो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इनको और हमको बुलवा दीजिए। (व्यवधान) दोनों बोल लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है। अब ज्यादा बोलने वाले नहीं रहे।

(226)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपने उस पक्ष के लोगों को आधा घण्टा दिया और हमको आप दो मिनट दे रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के सम्बन्ध में सत्ता पक्ष के मेरे लायक बन्धु इस बजट को जन कल्याणकारी बजट बता रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सत्ता के मोह के वश में आकर इस बजट की वे कितनी भी तारीफ करें, इसे जनकल्याणकारी बताएं, किसान कल्याणकारी बताएं लेकिन मेरा आपसे स्पष्ट शब्दों में निवेदन है कि यह किसान की नजर में किसान विरोधी बजट है, एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी की नजर में गलत प्रायोरिटी फिक्स करने वाला बजट है और यह उन वर्गों का पोषक है जो पूंजीपति हैं, और उन वर्गों का शोषक है जो सर्वहारा हैं।

यह बात कहकर मैं आपको इस बजट के आंकड़ों से बताना चाहता हूं, श्रीमान्, कि यह किस प्रकार का बजट है। कोई भी बजट आता है वह सरकार की आर्थिक स्थिति का द्योतक हुआ करता है कि स्थिति किस प्रकार की है। यह बजट जाहिर कर रहा है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी है। अभी मेरे लायक दोस्त कह रहे थे कि यह पब्लिक डेट के पब्लिक ट्रेप में लाने वाला बजट नहीं है। वह बजट जो लाइबिलिटीज को बढ़ाता है और परिसम्पत्तियों को कम करता है वह निश्चित रूप से पब्लिक डेट के पब्लिक ट्रेप में लाने वाला बजट हुआ करता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जो 31 मार्च, 1997 को आपने हम लोगों को दिया है। इसके पृष्ठ संख्या 11 पर देखें। राज्य सरकार के लेखा हेड से है। 1996-97 के अंत में रुपये 61,810.61 करोड़ की देयताओं के समक्ष राज्य की परिसम्पत्तियां रुपये 14,045.81 करोड़ थीं जबकि परिसम्पत्तियों में 1996-97 के अंत में 1992-93 के स्तर से 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसी अवधि में देयताओं में वृद्धि 94 प्रतिशत हुई। 1992-93 से लेकर 1996-97 तक लाइबिलिटीज बढ़ी हैं 94 प्रतिशत। परिसम्पत्तियां, यानि असेंट्स बढ़ी हैं 72 प्रतिशत। कोई भी आदमी अगर कर्जा अपनी असेट बढ़ाने के लिए नहीं लेता है, घर में शादी-ब्याह करने के लिए या नौकर रखने के लिए लेगा तो निश्चित रूप से डेट में फंसेगा। वही हालत इस राजस्थान सरकार की है। यह महालेखाकार कहता है कि आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं 94 परसेंट, आपकी परिसम्पत्तियां बढ़ रही हैं 72 परसेंट।

अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्यों हुआ। यह इसलिए हुआ कि हमने हमेशा पिछली सालों के अंदर रोंग प्रायोरिटिज फिक्स की है और रोंग प्रायोरिटिज का जो नतीजा हुआ, वह नतीजा यह हुआ कि 4-5 इंडिकेटर्स, जो कोई भी बजट इंडिकेट करता है, किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति इंडिकेट करते हैं।

(श्री हरिसिंह)

पहली बात यह है कि उस प्रदेश की पर–केपिटा इन्कम क्या है। दूसरी बात यह है कि उस प्रदेश का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो रहा है। तीसरी बात इंडिकेट करती है कि उसकी इकोनोमिक ग्रोथ रेट क्या है। अब इन तीनों इंडिकेटर्स के ऊपर देख लीजिए कि हमारी पर–केपिटा इन्कम स्थिर कीमतों पर 1996-97 में जो 2247 रुपये थी वह 1997–98 में घटकर 2215 रुपये रह गई है। 32 रुपये प्रति व्यक्ति आय गिरी। हमारा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1996-97 में 1995–96 से बढ़िया था 14.77 परसेंट के हिसाब से। उसकी फिगर्स मैं आपके लिए दे सकता हूं। 1995-96 में हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 9666 करोड़ था और 1996–97 में वह 11,096 करोड़ हो गया। यानी 14.77 प्रतिशत बढ़ा और 1996-97 से 1997-98 में 11,096 से बढ़ा 11,138 करोड़। 0.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा 0.38 प्रतिशत बढ़ा। हमारी आय 32 के हिसाब से घट गई और हमारी इकोनोमिट ग्रोथ रेट जो 1996-97 में 13.53 प्रतिशत थी वह 1997-98 में 0.56 प्रतिशत रह गई। ये हमारे तीनों इंडिकेटर्स यह कहते हैं कि हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति दिन–प्रतिदिन गिरती चली आ रही है। उप मुख्य मंत्री महोदय, मैं जो यह फिगर्स दे रहा हूं वे अनचेलेंजेबल फिगर्स हैं। आपके दिये हुए फिगर्स हैं।

अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर यह क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, कोनसी चीजें इसको ज्यादा कर रही हैं। यह एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सर्विसेज का हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन है और उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर पंचवर्षीय योजना में उस पर आप पैसा कम लगा रहे हैं। आप किसान के लिए पैसा कम दे रहे हैं। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि 1995–96 में हमारी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज का जो योगदान स्टेट इन्कम में 40.24 प्रतिशत था वह 1996-97 में 48 प्रतिशत और 1997–98 में 46 प्रतिशत हो गया। यानी 48 और 46 के बीच में हमारी एग्रीकल्चर सर्विसेज का और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है स्टेट इन्कम में। और चीजों का भी कंट्रीब्यूशन है। इसमें विद्युत है, होटल है। विद्युत वगैरह का विनिर्माण का है, 19 से लेकर 17 प्रतिशत का और व्यापार व होटल का है 19 से लेकर 34 परसेंट का। इस प्रकार से तीनों चीजों में हमें यह देखना चाहिए कि जिस चीज पर हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा डिपेंड कर रहा है उस पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह आपने किया नहीं। कैसे नहीं किया, यह मैं आपको कह रहा हूं। कृषि जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आठवीं पंचवर्षीय योजना का आउटले बता रहा हूं। इस पर हमारा आउटले 1286.92 करोड़ था और आपने व्यय किया 1112.14 करोड़। मतलब आपने इस फिगर पर 174 करोड़ रुपया कम खर्च किया, कृषि के ऊपर। ग्रामीण विकास में हमारा आउटले

(श्री हरिसिंह)

1021.75 करोड़ था और आपने 875 करोड़ खर्च किया। 146 करोड़ आपने ग्रामीण विकास पर कम व्यय किया। विशिष्ट योजनाओं पर हमारा आउटले 84 करोड़ था और खर्चा किया केवल 39 करोड़ आपने इसमें भी कम खर्च किया। सिंचाई पर हमारा आउटले 1919 करोड़ था और आपने 1836 करोड़ खर्च किया। 83.80 करोड़ रुपया आपने कम व्यय किया। सामान्य सेवाओं पर आपने 58 करोड़ के आउटले के अगेंस्ट में 195 करोड़ खर्च किया, यानि ज्यादा खर्च किया। यह आपने एग्रीकल्चरल सर्विसेज पर, सिंचाई पर जो आउटले था आठवीं पंचवर्षीय योजना का उससे आपने 174 कृषि पर, 140 ग्रामीण विकास पर और 83 सिंचाई पर कम खर्च किया।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मतलब क्या है फिर आपका समय देने का ? मुझे समय देने का सरकार को क्या लाभ हुआ ? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम वे अगर आधा घण्टा बोलें तो मुझे 15 मिनट का समय तो दिया जाए So that I may state my feelings

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि नौवीं पंचवर्षीय योजना जो आपने बनायी है उसमें आपका जो आउटले है वह भी आठवीं योजना के मुकाबले आपने कम कर दिया। कृषि के ऊपर जो हमारा उद्व्यय 1880.44 करोड़ रुपये रखा है, वह आठवीं के मुकाबले आपने 11 परसेंट कम कर दिया। ग्रामीण विकास पर 8 8 प्रतिशत कम कर दिया। सिंचाई पर नौवीं पंचवर्षीय योजना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले 16.6 प्रतिशत कम कर दिया। ऊर्जा पर आपने 28 परसेंट कम कर दिया आठवीं के मुकाबले में नौवीं में। इस प्रकार से आप रोंग प्रायोरिटी फिक्स करते चले जा रहे हैं।

रोंग प्रायोरिटी फिक्स करने का मैं आपको दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं रोंग प्रायोरिटीज का। विकास व्यय दिन-प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। 1992-93 मे विकास व्यय कुल व्यय का 67 प्रतिशत था और 1998-99 में आज 60 परसेंट रह गया। सामान्य सेवाओं का 1992-93 में 33 प्रतिशत था वह 1998-99 में 39 प्रतिशत हो गया। You are increasing your expenditure on general services. आपका जो विकास का व्यय है उसको आप दिन-प्रतिदिन कम करते चले जा रहे हैं। आर्थिक सेवाओं पर 1994-95 में 25 परसेंट था वह 1998-99 में 18.14 प्रतिशत हो गया। जब यह आपकी प्रायोरिटी होगी तो निश्चित रूप से आपका नैट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम होगा, आपकी इन्कम भी कम होगी।

श्रीमान्, मैं इस बजट को इसलिए किसान विरोधी कहना चाहता हूं कि किसान की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है सिंचाई। उसके बाद में उर्वरक और उसके बाद में उसके लिए आप क्या इनपुट्स दे रहे हैं।

(श्री हरिसिंह)

सिंचाई का जहां तक सवाल है, सरकार कहती तो है और हमारे मुख्य मंत्री भी बहुत कहा करते थे कि हम सिंचाई पर ध्यान नहीं देते हैं, परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे इन्टर-स्टेट एग्रीमेन्ट्स हैं पानी के, चाहे रावी-ब्यास का है, चाहे यमुना का है, चाहे नर्मदा का है, चाहे गांधीसागर का है, मध्य भारत से है। इसमें पिछले पांच साल में आपने क्या एक क्यूसेक पानी भी इन स्टेट्स से ज्यादा लिया है ? यमुना जल का 1.119 का हमारा और इनका एग्रीमेंट हुआ था हरियाणा से और उनसे और 1.119 के मुकाबले में आपने एक क्यूसेक पानी भी पिछले 10 सालों में बढ़ाकर नहीं लिया। मैंने इस बारे में हाउस में क्वेश्चन भी रखा है और जो मुझे जवाब मिला है उसका, आप यह देखिए ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। वह प्रश्न तो आ चुका, जवाब भी आ गया। (व्यवधान).. आप इनका समय क्यों खराब कर रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आया नहीं साहब। कहां आ चुका ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : पीड़ित पक्ष है। कितना पानी मिला है। आप तक भी पहुंचने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनके प्रवक्ता हैं क्या ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप तक भी पहुंच जाएगा, आप सुनिये।

मेरा प्रश्न यह था कि "क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि उक्त दोनों नहरों में गत दो वर्षों में प्रदूषित पानी आया है ? क्या यह भी सही है कि भरतपुर जिले को गुड़गांवा नहर, भरतपुर फीडर में यमुना का पानी आता है ? यदि हां, तो पिछले 10 सालों में कितना-कितना पानी आया ?" इनकी फिगर्स हैं, दसों सालों में पानी कम होता चला गया है और जब मैंने इनसे पूछा कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, "राजस्थान सरकार यमुना का पानी अपने हिस्से के मुताबिक लेने की अपनी नहरों की क्षमता बढ़ाना जरूरी समझती है ? यदि हां, तो किस रूप में ? ...."

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, आप तैयार रहें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : "यदि हां, तो कितनी क्षमता बढ़ाना जरूरी है और वर्तमान क्षमता क्या है ?"

इस सम्बन्ध में जो उत्तर है वह पढ़कर मैं सुना देता हूं। "फिलहाल इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए निश्चित समयावधि तय नहीं की जा सकती है। सी. डब्ल्यू.सी. एवं अन्य राज्यों से स्वीकृति मिलने के पश्चात् इस योजना को हाथ में लिया जा सकेगा एवं इसके पश्चात् भी निश्चित समय का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।" पिछले 4 साल से आप यह देखिये कि यमुना जल का एक क्यूसेक पानी भी यह सरकार नहीं ले सकी। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है ? और जो पानी आ रहा है उसमे देहली का एफ्ल्यूएंट

(श्री हरिसिंह)

आ रहा है, देहली का पेशाब आ रहा है, उसके अन्दर देहली का मलमूत्र आ रहा है। उस यमुना के अन्दर यह आपने हालत कर दिये हैं।

मैं कहता हूं कि रावी-ब्यास का जो हमारा हिस्सा था, हरिके का है, रोपड़ का है, फिरोजपुर का है, इन तीनों के हैडवर्क्स पर राजस्थान का आज कंट्रोल होना चाहिए था, वह आपने क्यों नहीं कराया ? मैं अब पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में गांधी-सागर और डेम के अन्दर जो एन्क्रोचमेंट कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं आप ? नर्मदा का पानी कितना लिया है आपने ? आप किसान के सिंचाई के मामले में सो रहे हैं।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाह रहा था, आपने अभी विकास की बात की थी कि हमने बहुत ज्यादा विकास किया है। शिक्षा के बारे में वह बहुत कहते हैं, मैं फिगर्स देना चाहता हूं, शिक्षा मंत्रीजी देख लें। 1980-81 से 1984-85 में हमने सैकण्डरी स्कूल 647 खोले थे और 85-86 से 89-90 के बीच में हमने 819 सैकण्डरी स्कूल खोले थे। आप कितने खोल रहे हैं ? सिर्फ पचास। शर्म की बात नहीं है कि एक साल में सिर्फ 50 सैकण्डरी स्कूल।

श्री किशनगोपाल कोगटा : किसी स्कूल में मास्टर नहीं लगाया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मास्टर नहीं लगाते तो आप कहां से पढ़ते ? आप उन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं जो कांग्रेस ने खोले हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमने अपर प्राइमरी, मिडल स्कूल 1763 खोले थे। उसके मुकाबले में आपने कितनी की हैं ? आप कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आयुर्वेद औषधालयों के बारे में, 80-81 से 84-85 ....

श्री किशनगोपाल कोगटा : स्कूल खोलने से कुछ नहीं होगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : स्कूल खोलने से कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूं लेकिन आपकी परिसम्पत्तियां कितनी बढ़ीं ? आपकी पर–केपिटा इन्कम कितनी थी ? आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना बढ़ा ? इसका जवाब दे दीजिये। आपका गया कहां पैसा ?

मैं आयुर्वेदिक औषधालयों की बात कर रहा था। हमने 80-81 से 84–85 के बीच में 730 आयुर्वेदिक औषधालय खोले और 86-87 से 89-90 के बीच में 430 खोले। आपने कितने खोले ? 94-95 में 5, 95-96 में 20 और अबके 25 खोल रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं ? यह सब, प्रीवियस, ईयर की किसी चीज को आप देख लीजिये, राजस्थान को गर्त में ले जा रही है यह सरकार। यह स्थिति इन्होंने कर दी है।

अब मैं सड़कों के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। बहुत कह रहे हैं आप....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री रामस्वरूप जी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : 66.90 किलोमीटर इंडिया का एवरेज है और माननीय सड़क मंत्रीजी; राजस्थान का एवरेज है 41.94 किलोमीटर। क्या है यह ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य महोदय, कहां जुड़ गये थे ? 10 हजार गांवों से 20 हजार गांव हो गये हैं। धीरे-धीरे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी कर रहे हैं आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कच्ची सड़क ग्रेवल की बनाकर के तोड़ दी है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : और क्या हो गया ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह निश्चित रूप से किसान विरोधी बजट है और जैसा पूर्वी राजस्थान के मेरे भाई कह रहे थे, निश्चित रूप से इसमें उपेक्षा हो रही है। जो पिछले तीन साल में स्वर्ग बन सकते थे भरतपुर और अलवर जिले यमुना का पानी लेने से, उसका एक क्यूसेक पानी लेने के लिए एक रुपये का प्रावधान नहीं किया है। इसलिए मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जरा दो मिनट का ध्यान रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : बोला नहीं उसके पहले तो आपने दो मिनट लगा दी। सुबह से इन्तजार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको ध्यान दिलाया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट पेश किया गया है, इस बजट के अन्दर सबसे बड़ी अगर कोई कमी है तो वह यह है कि इसमें सच्चाई को छिपाया गया है। अभी मेरे साथी बता रहे थे कि कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ था और हमारे इस बजट के अन्दर इतनी सुविधाएं दे दी गयी हैं कि अब सब कुछ हो जाएगा, मैं आज माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज इस राजस्थान के सदन के अन्दर जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, जिस समय राजस्थान की प्रथम विधान सभा हुई थी उस समय यहां जितने भी माननीय सदस्य आये, मात्र 15 परसेंट लोग उस समय शिक्षित थे उस समय के माननीय सदस्यों में से। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस ने जब राज सम्भाला और 30-40 साल तक लगातार राज किया तो आज पढ़े-लिखे माननीय सदस्यों की कितनी ज्यादा संख्या हो गयी है। आज 80 प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे यहां मौजूद हैं। यह कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के बजट की देन है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि आज शिक्षित लोग यहां विराजमान हैं और यह कांग्रेस के बजट की देन है, हमारे बजट की देन है कि आज आपने शिक्षा प्राप्त की है।

दूसरी विशेषता मैं हमारे कांग्रेस के महान नेताओं की निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जितने भी स्कूल खोले, कॉलेज खोले या प्राइमरी स्कूल खोले, कुछ भी खोला उसमें उन्होंने कभी यह नहीं

(232)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

देखा कि यह भारतीय जनता पार्टी का है, वह जनसंघ का है या किसका गांव है। इन्होंने बिना भेदभाव के प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल खोली। (व्यवधान) बैठ जाइये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह काम मेरा है, आपका नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : उन्होंने बिना किसी भेदभाव के प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, सैकण्डरी स्कूल गांव-गांव में खोले लेकिन आपने क्या दिया? आने के बाद में यह देखा कि यह कौन है, यहां कांग्रेसी विधायक है, आपने एक ही स्कूल मुझे नहीं दिया। माननीय शिक्षा मंत्रीजी बिराजमान हैं। माननीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी साहब हमारे यहां मैंसावा में पधारे थे गांव के अन्दर और वहां पर लोगों ने घोड़ी पर बिठाकर स्वागत किया था इनका। वहां पर इन्होंने पब्लिक के बीच में कहा था, 10 हजार आदमियों के बीच में कि मैं गांव वालों से वादा करता हूं कि अगली बार जब भी आऊंगा तो आपके यहां कालेज खोल दूंगा। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने इतनी बड़ी +++ जनता के बीच में बोली। अब आप मेरे क्षेत्र में आयेंगे तो जनता आपसे जवाब मांगेगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपके आने के पहले ही सैंक्शन हो गयी वह सड़क। धन्यवाद भेजना मेरा।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं कालेज की बात कर रहा हूं, मैं सड़क की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। आपने कालेज का वादा किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घोड़ी पर बैठे थे, दूल्हा बन गये वहां जाकर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपके गांव में तो नहीं ली। टोडाभीम में मांग रहे हैं कालेज।

श्री रामस्वरूप मीणा : और खुशी के साथ घोषणा कर दी कि मैं कालेज दूंगा आपके क्षेत्र को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े वरिष्ठ मंत्री होकर इतनी बड़ी+++जनता के बीच में बोली है। मैं कह रहा हूं, आप कर दो घोषणा अगर हिम्मत है तो वरना चौबेजी का क्या दुब्बे जी में लाले पड़ जाएंगे। यह समय आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन उद्योगों के बारे में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चाहे इन्होंने कितने ही उद्योग खोले हो परन्तु 800 उद्योग बन्द हो चुके हैं अब तक। राजस्थान की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री, जो एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री थी सवाई माधोपुर वाली, उसको बन्द कर दिया है। जिस समय मुख्य मंत्रीजी, भैरोंसिंह जी शेखावत चुनाव में वहां गये थे तो उन्होंने घोषणा की थी, जनता से अपील

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

की थी कि जनता अगर इस समय कांग्रेस की धुआं निकाल दे तो मैं सीमेंट फैक्ट्री से धुआं निकाल दूंगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि उस समय जनता ने हमको हरा दिया था लेकिन जब यह दुबारा वहां वोट मांगने के लिए गये तो वहां की जनता ने इनका धुआं निकाल दिया। 63 हजार से हराया आपकी भारतीय जनता पार्टी को सवाई माधोपुर की जनता ने। इसलिए, मान्यवर जी, आपसे मेरा निवेदन है कि उन 5 हजार मजदूरों के बारे में सोचो कि क्या गुजर रही है उनके बच्चों पर। जिनके आज चूल्हें बन्द पड़े हैं और आज हालत यह हो गयी कि उनको भीख मांगने के लिए आपने खड़ा कर दिया। उनके कर्जे तक आज नहीं चुक रहे हैं। उनके यहां चोरियां हो गयीं, सारी फैक्ट्री का माल चोरी चला गया है और+++ इसलिये आप उसमें चोरी करा रहे हो वरना वहां चोरी नहीं होता माल। हमारे टाइम में वहां कभी चोरी नहीं हुई, आपके वक्त में चोरी हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, उन 5 हजार आदमियों के दुःखों को मैं आपको सुना रहा हूं कि आप इस बजट में या तो इस सीमेंट फैक्ट्री को चालू कर दो वरना इस्तीफा पेश कर दो नहीं तो जनता खुद इस्तीफा लेगी आने वाले समय में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा मैं विनम्र निवेदन बिजली के बारे में करना चाहता हूं। कांग्रेस का राज था, मैं कोई पक्षपातपूर्ण भाषण नहीं दे रहा हूं। जिस वक्त कांग्रेस का राज था, 5 हार्स पावर में पांच खम्बे फ्री मिलते थे। उस समय किसान पर पांच हार्स पावर की मोटर का मात्र पांच हजार रुपये खर्च आता था लेकिन आज पांच हार्स पावर का खर्चा नर्सरी में 50 हजार रुपये का बैठता है और वह भी कनेक्शन मिलता नहीं है। इसके अतिरिक्त 9 हजार के 12 हजार रुपये भी कर दिये। अभी माननीय राजवी साहब कह रहे थे इस बात को, सत्य कह रहे थे कि तीन हजार क्यों बढ़ाये। आपने बिलकुल गलत बढ़ाये हैं और मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। आप इन तीन हजार रुपयों को वापस ले लें नहीं तो माननीय घनश्याम जी कौशल साहब से आप पूछ लो, वह भी विद्युत मंत्री थे और जिस समय अपने क्षेत्र से लोक सभा का चुनाव लड़े थे तो वहां की जनता ने इस बिजली के कारण से उनको घर बिठा दिया और उनको भारी हार का मुंह देखना पड़ा। आप विद्युत मंत्री बने हो तो सही विद्युत मंत्री रहो। किसानों का फायदा करो। अगर आपने किसानों का फायदा नहीं किया तो बिजली आपको भी जला देगी। यह जनता की जो दुआएं हैं, जो बद्दुआएं हैं, वह+++लोगों को सबसे ज्यादा लगेगी। यह विभाग कोई मामूली विभाग नहीं है, यह किसानों का विभाग है। वह किसान +++ रो रहा

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

है +++ जो अपने बच्चों के गहने, लुगाई के गहने रखकर, अपने बच्चों को बेचकर बिजली का कनेक्शन कराता है।

नर्सरी योजना, इस नर्सरी योजना को आप बन्द कर दीजिये और तीन लाख लोग आज कनेक्शन की लाइन में खड़े हुए हैं परन्तु आपने एक भी घोषणा नहीं की कि +++ इनको कितने कनेक्शन देंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, माननीय घनश्यामजी, आप अच्छे आदमी हो, इन किसानों की बातों को सुन लेना वरना वही हाल होगा जो रघुवीर सिंह जी कौशल का हुआ था। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि नर्सरी योजना को खतम करो और तीन लाख लोगों में से कम से कम एक लाख लोगों को बिजली कनेक्शन देने की घोषणा करो।

आखिरी मैं करता हूं पानी की बात, पानी का मुद्दा मेरा आखिरी बिन्दु है। माननीय भंवर लाल जी तो यहां हैं नहीं। इस राजस्थान की विधान सभा में बहुत बार मैंने पानी के मुद्दे को रखा है लेकिन इस विधान सभा मे कोई सुनने वाला नहीं है। यहां तीन-तीन +++ बैठे हैं। माननीय भवर लाल जी बैठे हैं। वे इस पानी के विभाग के मालिक बनकर बैठे है लेकिन सारी टंकियां रो रही हैं, 63 जी एल आर. आज तक पानी से नहीं भरे गये हैं। सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो गया लेकिन टंकियों में एक इंच भी पानी नहीं गया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। पानी आज तक नहीं गया उन जी.एल.आर.के अन्दर करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी। ढाणियों की योजना उन्होंने बनाकर दे दी लेकिन एक भी योजना इनके यहां चालू नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी योजनाएं उन्होंने लागू की, कम से कम उनकी रिपोर्ट तो मंगवा लें कि वे सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं।

दूसरा +++ बैठे हैं माननीय मामड़ाजी, मैं माननीय मामड़ाजी से निवेदन करूंगा, आप यहां के वित्त मंत्री हैं, मेरे क्षेत्र में बजट नहीं दिया है इस मामले में, यह बहुत दु:ख की बात है कि आपने भी मेरी नहीं सुनी।

तीसरे + + + बैठे हैं भैरोंसिंह जी शेखावत। ये तीनों +++ बैठे हैं इस सदन के अन्दर लेकिन मेरे क्षेत्र में तो +++ तीनों ही नहीं सुन रहे हो। मत सुनो, भगवान तो सुनेगा, ऊपर वाला +++ सुनेगा मेरी तो। +++ अगली बार +++ इधर बैठोगे, हम उधर बैठेंगे और मेरे क्षेत्र का विकास होगा। वहां की जनता + + + इस बात के लिए साबित कर देगी। राजस्थान की जनता

श्री हरिसिंह (महुवा) : तीनों + + + ने आपको नहीं दिया, आप चौथे + + + की ओर भूल रहे हैं। आप मैडम भटनागर के पास जाइये, निश्चित रूप से मिलेगा।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब एक+++ और है। ये कह रहे हैं, भटनागर जी और बच गई है। उस मैडम को भी मैं देख लूंगा कि भटनागरजी मेरे साथ न्याय करती है या अन्याय करती है ?

इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो हमको समय दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हुआ पुन: मांग करता हूं कि माननीय हमारे जो वित्त मंत्रीजी हैं उनसे, मेरे क्षेत्र में आप कालेज को घोषणा करेंगे, सीमेंट फैक्ट्री को चालू कराने की घोषणा करेंगे, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अन्तिम वक्ता श्री नरेन्द्र सिंह जी भाटी।

श्री भीमराज भाटी : मेरा क्या होगा, साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं ?

श्री भीमराज भाटी : हां, बिलकुल।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, और आप ही बोलेंगे फिर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ये भाटी ओ. बी सी. के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक भाटी बोल सकता है।

श्री भीमराज भाटी : नहीं नहीं, यह भाटी अलग है, मैं भाटी अलग हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : दो भाटी एक म्यान में नहीं आयेंगे, साहब। तो आप इनको ही बोलने दो पहले।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं आपका, आपने इतना टाइट होते हुए भी मुझे मौका दिया।

मैं सबसे पहले तो इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने काश्तकारों के काम में आने का डीजल पम्पसैट या उसके ऊपर टैक्स-वैक्स माफ कर दिया लेकिन ये आधे दिल से कोई भी काम करते हैं (व्यवधान) तालियां मत बजाओ, टेबल मत बजाओ मेहरबानी करके। आधे दिल से काम किया। डीजल पम्पसैट का तो माफ कर दिया लेकिन आज की तारीख में, वर्तमान में इलेक्ट्रिक पम्पसैट काम में आते हैं, इलेक्ट्रिक मोनोब्लाक पम्पसैट काम में आते हैं, सब्मर्सिबल पम्पसैट काम में आते हैं; उनके ऊपर उन्होंने माफ नहीं किया। तो मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये उसकी तरफ ध्यान दें कि डीजल पम्पसैट की एक्सेसरिज पर तो माफ किया ही, इलेक्ट्रिक पम्पसैट,

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(236)

(श्री भीमराज भाटी)

मोनोब्लाक पम्पसैट, सबमर्सिबल पम्पसैट और उसकी एक्सेसरिज....

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : डीजल पम्पसैट नहीं है, एक्सेसरिज पर किया है ।

श्री भीमराज भाटी : जो भी हो । नहीं, डीजल पर किया है, मैं कह रहा हूं । डीजल पम्पसैट पर किया है, मैंने पढ़ा है बजट भाषण, मैंने सुना है ।

दूसरी, एक टैकनीकल मिस्टेक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वह टैक्स तो माफ हो गया लेकिन एक 18(ए) का फार्म और आना पड़ता है । तो वह 18 (ए) की फोर्मेलिटी के लिए उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, वे वित्त मंत्री भी हैं तो वित्त मंत्री के नाते उस 18 (ए) के फार्म की फोर्मेलिटी को कम्प्लीटली एलिमिनेट करें । 18 (ए) का फार्म भी नहीं आना चाहिये ।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि स्टेट के प्लान का आउट-ले है, आप उसमें देखिये । मैं बड़े दुःख के साथ यह बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो स्टेट प्लान का जो आउट-ले बताया है, उस प्लान को पढ़ लें । आप देखिये, एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में 320 करोड़ का था प्लान आउट-ले, उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट 283 करोड़ का हुआ । उसमें कम खर्च किया । रूरल डवलपमेंट में 312 करोड़ था, उसका 240 करोड़ रुपये खर्च हुआ और अब प्रोजेक्टेड है । इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलोजी और एन्वायरमेंट यह इतना इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर वह बजट एस्टीमेट 6. मिल्लर था और यह इन्होंने कम किया, 3. मिल्लर ही खर्च किया । सोशल सर्विसेज में 918 करोड़ रुपये था, 843 करोड़ रुपये खर्च किया । इसी तरह यह जो काम के सैक्टर थे, एलाइड एग्रीकल्चर, एलाइड रूरल सोशल सर्विसेज, उसके ऊपर तो जो बजटरी एस्टीमेट थे उसमें कम खर्च किया और इन्होंने इण्डस्ट्रीज और मिनरल्स और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, उसमें 100-100 करोड़ रुपये और पावर सैक्टर में 756 करोड़ रुपये की जगह 1471 करोड़ रुपये इनका रिवाइज्ड एस्टीमेट आया । तो यह इस तरह से जो मनचाहे सब्जैक्ट थे उसके ऊपर इन्होंने रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में चाहे जब पैसा खींच लिया और जो काम के सब्जैक्ट थे उसके ऊपर, ग्रामीण जनता और ग्रामीण विकास के काम की बात थी, उसमें इन्होंने रिवाइज एस्टीमेट से कम खर्च किया ।

अब मैं बड़े ले-मैन के नाते, मैं इकोनोमिक्स का स्टूडेंट तो नहीं हूं, टेक्नीकल स्टूडेंट हूं लेकिन एक ले-मैन के नाते, यह जो मुझे किताब दी गई है, इस किताब में यह इस सरकार का जो सोच है और यह सरकार का जो फाइनेंशल मैनेजमेंट है, जिसकी ये बहुत बड़ी दुहाई देते हैं, यह जो किताब है, उससे यह साबित हो जाता है । अब आप जो जनरेट कर पा रहे हैं, उसमें 14 पैसा सैल्स टैक्स के मार्फत जनरेट कर पा रहे हैं, 7 पैसा स्टेट एक्साइज के मार्फत जनरेट कर पा रहे हैं, 3 पैसा टैक्सेज आन व्हीकल्स और 4 पैसा अदर टैक्सेज हैं । तो

(श्री भीमराज भाटी)

इस तरह से 14 और 7 और 3 और 4 = 28 पैसा आप टैक्सेज से जनरेट कर पा रहे हैं और 9 पैसा आपको मिलता है नोन टैक्स रेवेन्यू से। बाकी आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लोन ले रहे हैं 12 पैसा, बाकी आप 24 पैसा इन्टर्नल जो आपके जनरेट हो रहा है उससे आप कर रहे हैं और 17 पैसा आपको सेन्ट्रल टैक्सेज में शेयर है उससे मिल रहा है और 10 पैसा ग्रांट इन एड है। अब आप 28 पैसा कुल जनरेट कर रहे हैं। और पैसा खर्च कहां हो रहा है? पैसा खर्च हो रहा है, 14 पैसा तो इंट्रेस्ट का री-पेमेंट करने में, 13 पैसा आपका खर्च हो रहा है जो इन्टर्नल डेट आप ले रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट में खर्चा हो रहा है और 25 पैसा सेन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स में खर्चा हो रहा है। तो जब आप जनरेट करने की स्थिति में खुद तो 28 पैसे हैं, 28 से 29 आप होना नहीं चाहते क्योंकि उसमें आपकी बदनामी होती है और आपके 28 पैसा जनरेट करने के बाद में 27 पैसा तो ...मैं बिलकुल समयबद्ध बात कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय .. 27 पैसा तो आपके इन्ट्रेस्ट और इन्टर्नल री-पेमेंट में ही खर्च हो रहा है। तो जब आप कोई डिस्प्लेजर मोल लेने को रेडी ही नहीं हो तो फिर आप कैसे विकास की बात करेंगे? मेरे ख्याल से यहां कई लोग कह रहे थे, लोन साहूकार आदमी को मिलता है लेकिन लोन कोई शौक-मौज के लिए है या लोन कोई एक मंजिल का आपका मकान है, उसके ऊपर दूसरी मंजिल और दूसरी के ऊपर तीसरी मंजिल, यह परिसम्पत्तियां खड़ी करने के लिए अगर इस तरह लोन लेते रहेंगे तो हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है "बात तो अकल की करणी और लक्षण दिवालिये के" तो यह दिवालिये के लक्षण हैं। यह कोई भले आदमी के लक्षण नहीं है कि आप परिसम्पतियां क्रिएट करने के लिए पैसा लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। क्यों नहीं आप डिस्प्लेजर मोल लेने के लिए रेडी रहते हो? आपके पास बहुत सारे अवेन्यूज है जहां तक आप टैक्सेज लगा सकते हैं।

अब आप बहुत बड़ी इकोनोमी की बात करते हैं, बहुत बड़े फाइनेंशल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैं चंद उदाहरण पेश करता हूं, जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट में दिये हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये माननीय उप मुख्य मन्त्रीजी, बेहतर फाइनेंशल मैनेजमेंट की बात करते हैं। जिस महकमे के ये मंत्री हैं, उस महकमे में, आर.एफ.सी में 18 करोड़ रुपये का पी.डी. अकाउन्ट में पैसा पड़ा रहा और उस 18 करोड़ रुपये के पी डी. एकाउन्ट में पैसा पड़े रहने से इन्होंने जिस रेट आफ इंट्रेस्ट पर बांड इश्यू किये थे, उस 13.75 प्रतिशत इंट्रेस्ट से एक करोड़ 92 लाख का इनका खर्चा हुआ, 18 करोड़ रुपया पड़ा रह गया। और दूसरा उदाहरण बताता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पब्लिक सैक्टर के इन्टरप्राइजेज हैं, आपके पब्लिक इन्टरप्राइजेज में स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ 1 लाख रुपये और आपके एक्यूमुलेटेड लोसेज हो गये 18 करोड़ 53 लाख रुपये। इसी तरह से राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 30 लाख रुपये और आपका

(श्री भीमराज भाटी)

एक्यूमुलेटेड लोसेज हो गये 2 करोड़ 21 लाख रुपये। राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट है 4 करोड़ 16 लाख रुपये और आपके एक्युमुलेटेड लोसेज हो गये 16 करोड़ 19 लाख रुपये। यही नहीं, आर.एस.ई.बी. में जो इर्रेगुलेरिटिज और रोंग परचेजिंग से जो रोंग मैनेजमेंट था, उसकी वजह से 93 करोड़ 24 लाख के लोसेज हो गये हैं। इतना ही नहीं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, आपका यह हाईटैक ग्लास डिवीजन था, 1994 में बन्द हो गया। 1994 में जो हाइटैक ग्लास डिवीजन बन्द हुआ था, उसके एम्प्लोयीज को उन्होंने सेलेरीज दे देकर, घर बैठे-बैठे सेलेरीज देकर, काम नहीं था, टोटल प्रोडक्शन बन्द था....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं खतम करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। उनको वेतन देने में 2 करोड़ 31 लाख रुपये इन्होंने गंवा दिये। इतना ही नहीं, नेशनल शुगर इण्डस्ट्रीज इंस्टीट्यूट, कानपुर में हैं, उसने इनको सलाह दी थी, उस सलाह को इन्होंने नहीं माना जिसकी वजह से 13 करोड़ 31 लाख का लोस हो गया।

(20.00 बजे)

स्टेट मिनरल्स में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना आर्डर के, अभी यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, बिना आर्डर के स्टेट गवर्नमेंट जैसे डिपार्टमेंट से रेप की रेप चली गई जिप्सम की, उसकी वजह से इनको लाखों रुपये का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह इलैक्ट्रोनिक स्टेटिक्स मीटर खरीदे हैं, 18 करोड़ का राजस्थान की सरकार को और राजस्थान की गरीब जनता को नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, आर.एस.ई.बी. लाइटनिंग अरेस्टर खरीदे हैं ऊंची रेट पर, उससे एक करोड़ का नुकसान हुआ। आर. एस. ई. बी. ने टाइमली क्लेम नहीं किया, 3.35 करोड़ का लोस हुआ। कोई मुझे यह बताये, राजस्थान सरकार के मंत्री यहां विराजमान हैं, किसी एक आदमी के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया हो, राजस्थान की इस गरीब जनता का करोड़ों रुपया इस तरह लुटता रहा, इस राजस्थान की सरकार ने अगर किसी एक आदमी के विरुद्ध एक्शन लिया हो। या तो इन्होंने एक्शन नहीं लिया या कोई ऐसा कारण रहा होगा जिस वजह से यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट गिने जाने वाले लोग जिन्होंने राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का जरा भी ख्याल नहीं किया और यहां वाहवाही लेने के लिए रेडी रहते हैं कि हमने यह एक्सपर्ट मैनेजमेंट कर दिया, यह राजस्थान कर सकने बढ़िया, सबसे तगड़ा, सबसे शानदार बजट है। मेरे ख्याल में इससे गया-गुजरा कोई बजट, इतना पोपुलिस्टिक बजट, जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े एडवर्टाइज छप रहे हैं, जो आपके दलाल हैं उनके फोटो छप रहे हैं, अखबारों में। उपाध्यक्ष महोदय, उन दलालों के साथ आपके फोटो छप रहे हैं जिन दलालों ने आपसे नेगो

(श्री भीमराज भाटी)

बेशन्स किये टैक्सेज माफ कराने के चक्कर में।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जायं आप। बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : देखो, कितने ओबिडिएंट हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसा आज्ञापालक नहीं मिलेगा आपको कभी भी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां): उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : भाटी साहब भी ध्यान रखें ओबिडिएंसी का।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, अगर दो मिनट का टाइम है तो मैं चूज करूंगा कि मैं नहीं बोलूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत शासन मंत्री) : यह ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी। आज करीब साढ़े चार साल हो गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय और मैंने सभी सदस्यों के बीच अनेकों बार भैरोंसिंहजी के बारे में, मुख्य मंत्रीजी के बारे में कुछ नोटिस देकर टिप्पणियां की हैं। आज मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि उस समय जो मुझे टोकते थे, भले ही गलती की, कुछ भी की, उस समय जो उनको लोगों ने बचाया, आज उसके लिए वह खुद अन्दर अन्तरात्मा से दुःखी होंगे। भले ही वह घनश्याम तिवाड़ीजी हो कोई भी हो। नये मंत्रियों को तो बधाई। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरूआत इसी से करना चाहता हूं कि अगर स्टेट का हैड एण्ड गवर्नमेंट का हैड इनकाम्पीटेंट हो, अगर स्टेट का हैड और स्टेट का चीफ मिनिस्टर फेल्योर हो और उसमें इंटेलेक्ट नहीं हो और वह, तुलनात्मक वे में, मैं आपको 77 से आंकड़े देना चाहता हूं। इस बजट के बारे में माननीय बैदजी ने जितना फरमाया दूसरे मेरे मित्रों, कांग्रेस में जो बिराजमान हैं, उन्होंने फरमाया, उन बारीकियों में मैं नहीं जाना चाहता। उन बिंदुओं के साथ अपने आप को सम्मिलित करके मैं तो सिर्फ इस सरकार को यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह घाटे के बजट की परम्परा 77 से चल रही है। मैं कोट करना चाहूंगा:—

"The State Janata Party in their manifesto promised not to take resort to deficit financing as far as possible" यह 77 का है, उपाध्यक्ष महोदय।

"The Janata Party Government presented three budgets for the years 1977-78 (Revised), 1978-79 and 1979-80. According to the budget estimates of those years, overall deficit was Rs.

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

24.22 crores, Rs. 34.22 crores and Rs. 56 crores respectively. Never before in the history of Rajasthan ...

"Never before in the history of Rajasthan, उपाध्यक्ष महोदय।

"....the deficit in the State were so big."

अब आप आ जाइये 79-80 पर। आप फरमा रहे हैं कि साहब राजस्व घाटा 1332 करोड़। पहली बार आप, मतलब, फाइनेंशियल डिसिप्लीन कहता है कि आपको रेवेन्यू डेफिसिट केपिटल अकाउंट से नोर्मल नहीं करना चाहिए। आपने किया। आपके वित्त मंत्रीजी के और उप मुख्य मंत्रीजी के आंकड़े दिये हुए हैं पेज 103, 104 पर। यह कण्टस्थ होंगे, अब आप जब केपिटल अकाउंट को ही खा जाओ तो माफ करना, केपिटल अकाउंट अपन रखते किसलिए हैं? इमरजेंसी के लिए। अगर अपन घर में फिक्स डिपाजिट रखते हैं, उपाध्यक्ष महोदय तो कोई इमरजेंसी के लिए रखते हैं। अब उसको आप अपना डेफिसिट घटाने के लिए बराबर कर दो और पीछे कह दो कि साहब, 84 लाख का या 80 लाख का फायदा हो गया....

श्री चन्दनमल बैद : रोजमर्रा के खर्चों में डाल दो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जी। तो माफ करना, यह कोई फाइनेंशियल विजडरी नहीं है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी में, उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी कुछ मित्रों का, कि साहब, कि हमारे दोनों नेता जोधपुर जिले के हैं। नेता महोदय प्रतिपक्ष के और हमारे अध्यक्ष। आज हमने तो पूरा बजट ही सौंप रखा है चूरू जिले को। अभी श्रीमान् भामड़ा साहब चूरू से और सरकार वापस आयेगी तो बैदजी साहब मुख्य मंत्री बनें या फाइनेंस मिनिस्टर बनें, तो यह भी चूरू से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बधाई हो साहब, बधाई हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जिनको आप पानी नहीं देना चाहते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज सुबह से टेंशन में थे, अब आप हंसे हो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ऐसा है घनश्यामजी, जिस दिन ...

श्री चन्दनमल बैद : मेरा तो स्टेटमेंट है प्रेस को, न चीफ बनूंगा और न फाइनेंस बनूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका तो स्टेटमेंट यह भी था कि चुनाव ही नहीं लडूंगा, आप बदल रहे हो अब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : स्टेटमेंट तो यह था।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो आपकी मामी चली गई इसलिए मुझे लड़ना पड़ रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको कहो, यह कसम तोड़ने के लिए किसने बाध्य किया ? आपने फरमाया था कि मैं मंत्री पद नहीं लूंगा। कौन है इसके पीछे जिसने आपको यह मंत्री पद लेने के लिए बाध्य किया, कौन है वह ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जवानी की बात कर रहे हो, मैं तो बुढ़ापे की कर रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज 2210 करोड़ रुपये, जैसा माननीय बैदजी ने फरमाया कि हमें इन्टरेस्ट देना पड़ रहा है, इन्टरेस्ट पेमैन्ट।

श्री चन्दनमल बैद : 2217।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 2210 है मेरे हिसाब से।

श्री चन्दनमल बैद : मोडिफाइड बजट में 17 है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने 17 फरमाया होगा, I correct myself. मेरी केलकुलेशन से 2210 होता है, 7 और जोड़ दीजिए, लेकिन....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : घर की बात है, और दस-पन्द्रह जोड़ लो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह रेवेन्यू रिसीट्स का 50 परसेंट है उपाध्यक्ष महोदय। अब कमाल की बात है कि आप इसको कहते हैं बजट प्लानिंग। हमारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बुकलेट निकाली आपकी विफलताओं के बारे में। उसमें राज्य की भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता पर 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि का कर्ज भार बढ़ाया, जिस पर 2210 करोड़ रुपये का ब्याज इस वर्ष देना पड़ रहा है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, इस बजटरी केलकुलेशन एण्ड मेनुपुलेशन पर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, काफी मित्रों ने बोल दिया है, लेकिन यह चल नहीं सकता। आज बी.पी. सिंह साहब ने फरमाया कि जापान को अगर अपन फॉलो करते तो आज पता नहीं अपन कहां होते। डवलप्ड एरियाज में काउंट होते। दुर्भाग्य की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मंत्रीजी 77 से अब तीसरी बार बने हैं, दस साल हो गये हैं इनको मुख्य मंत्री पद पर बैठे हुए। अभी चित्तौड़ से आये हुए सदस्य ने फरमाया कि मैं जो भी फिगर्स दे रहा हूं उन फिगर्स पर मैं अडिग रहूंगा भले ही दस साल बाद में, या पांच साल बाद में, या दो साल बाद में उसको कोई चैलेंज कर दे।

मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस दिन से ये विपक्ष के नेता बने हैं, शेखावत साहब उस दिन से आज तक उनके भाषणों की आप रूपरेखा ले लीजिये, उनकी पंक्तियां ले लीजिये, एक-एक शब्द ले लीजिये, कोई भी इरादे पर ये कायम नहीं रहे। अब ऐसे मुख्य मंत्री को आप लोगों ने चुना है।

(242)

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

जनता ने आपको भरोसा दिया और आपने जनता के साथ कितना धोखा किया है वह आप अपनी आत्मा से पूछ लीजिये। आज आप फरमा रहे हैं कि साहब इसने राजस्व व्यय 11521 करोड़ किया है। उप मुख्य मंत्री जी, मेरा प्रदर्शन यह है कि आपने 17,408.66 करोड़ खर्च किए हैं। आपने वार्षिक योजना 1990-91 में 975.75 करोड़ खर्च किए। वार्षिक योजना 1991-92 में 1184.41 करोड़ खर्च किए। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में आपने 11,998.68 करोड़ खर्च किये और वार्षिक योजना 1997-98 में आपने 3250 करोड़ रुपये खर्च किए। कुल 17408.66 करोड़ रुपये खर्च हुए आपके 90 से 98 तक। हमने 1951 से लेकर 1990 तक, माननीय वेद जी साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं उनसे और अन्य सीनियर्स रह चुके हैं, हमने उपाध्यक्ष महोदय, 1951 से लेकर 1990 तक 7179.58 लाख रुपये खर्च किए। अब इस 40 साल में बार-बार आंकड़े आते हैं कि तुमने 40 साल में क्या किया? इन 40 सालों में, उपाध्यक्ष महोदय, और इन 8 सालों में सिंचाई आप ले लीजिये नये मंत्री महोदय बने हैं। इन 40 सालों में 1951 से लेकर 1990 तक, उपाध्यक्ष महोदय, हमने 42.99 लाख हैक्टेयर डवलप की। आपने इन 8 सालों में 4.32 लाख हैक्टेयर डवलप की है। दुगुनी तो आपने राशि खर्च कर दी। दुगुनी से ऊपर, और यह आपकी सफलता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पैसा खा जाते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ऐसा है माननीय हरिसिंह जी साहब, मैं तो अभी यह अर्ज करूंगा कि जो भी सरकार आये, वास्तव में यह इन्वेस्टीगेट करने का एक बिन्दु है कि यह पैसा गया कहां?

श्री चन्दनमल बैद : यही मैं कह रहा था आपको।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इन्वेस्टीगेशन, भले ही आप लोग आवें, मैं कहूंगा कि आप जनता के ऊपर मेहरबानी करके कृपा करें। कृपा क्या है उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकंड के लिए मैं थोड़ा हटकर कहना चाहूंगा, इस आदमी में, इस मुख्य मंत्री में, इतना घमंड आ गया था कि ये जब यहां पर, अभय भी थी उसके बाद से कह रहे थे कि राजस्थान में एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरी जानकारी के बगैर। और अभी जब यह हार हुई लोक सभा की, तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए यह जनता जनार्दन है, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने ये बयान दिया कि मैं ब्याज सहित बदला लूंगा। किससे लेंगे ये, जनता से बदला लेंगे? तीन महीने के बाद ले लेना आप (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस से लेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह तो कांग्रेस बता देगी और आपको बधाई अगर आप कांग्रेस से ले लें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस ने वोट थोड़े ही लिया है, जनता ने लिया है वोट तो।

243

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बदला लेने में, मेहरबानी करके टाइम वेस्ट न करें (व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलूंगा मेहरबानी करके आप थोड़ा समय दें, टोलरेट करें। कृषि में, उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न उत्पादन में 1951 से लेकर 1990 तक 109.54 लाख टन हमने पैदाइश की है और आपने क्या किया है ? इस 8 साल में 5.26 लेक टंस। कॉटन में ले लीजिये। आप फरमा रहे थे अभी कॉटन एरिया का। 1951 से लेकर 1990 तक, बधाई हो हमारे गंगानगर के लीडरों को और दूसरे एरिया को, 9.18 लाख बेल्स हमने प्रोड्यूस किए और आपने कितने किए इस 8 साल में ? 8.60 लाख बेल्स। ऊर्जा उत्पादन, अब इसके बारे मे कहें उतना ही कम है। मतलब ऊर्जा के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, एक दुधारी तलवार चल रही है। दुधारी तलवार यों कि आपने इर्रेस्पांसिबली घोषणाएं कर दीं। लोगों को अट्रेक्ट कर लिया। बाहर के लोग, जैसा कि कुछ सदस्य फरमा रहे थे बाहर के लोग भी आये टेन्डर्स देने। देखने भी आये। और घोषणाएं करने के बाद आपने उनको क्रियान्वित किया नहीं तो बाहर अपनी छवि इन्कांपीटेंसी की गयी है। आगे आने वाली जो भी सरकार होगी उसको और ज्यादा डिफिकल्टी सहनी होगी। अब आपने ऊर्जा के (व्यवधान)...

श्री टीकमचन्द कान्त : अच्छा यह है कि आप आयें फिर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : देखिये साहब या तो आप बोल लीजिये, मैं बैठ जाता हूं। आपने विष्णु जी को भी डिस्टर्ब किया, आपने दीपेन्द्र सिंह जी को भी डिस्टर्ब किया। मुझे कोई आपसे कंपीट नहीं करना है; मैं जो अर्ज कर रहा हूं, आप सब्र सुनिये। अगर आपको बुरा लग रहा हो कि मैं आपके सी. एम. की बुराई कर रहा हूं तो मैं कोई जेलसी से नहीं कर रहा हूं। इनके कारण न केवल आप डूबे हैं वरन् राजस्थान की जनता और राजस्थान डूबा है। और इसका इनको उत्तर देना पड़ेगा न केवल यहां पर बल्कि चुनावों में भी।

ऊर्जा उत्पादन में, उपाध्यक्ष महोदय, हमने कुल 2033 43 करोड़ रुपये खर्च किए और 2711.42 मेगावाट प्रोड्यूस किया। आपने 8 साल में उपाध्यक्ष महोदय, 3721.35 करोड़ खर्च किए और अगर मान लें रामगढ़ को आपको पांती हम दे दें, तो आपने कितनी उपलब्धि की ? आपने जगह—जगह घोषणाएं कर दीं कि ये साहब फलाना प्लान्ट लगा रहे हैं, फलाना वह कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री को हम दे रहे हैं। आपने कुल मिलाकर कोटा इकाई समेत जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्रियेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन था उसमें आपने 370.60 मेगावाट प्रोड्यूस किये।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग, अब पी.डब्ल्यू.डी. की, सार्वजनिक निर्माण विभाग की तो मैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : विराज जाएं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर पर आऊंगा।

श्रीमती कमला : उपयोगी सूचनाएं दे रहे हैं सर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : और अगर आप चाहें कि जिस मिजाज से, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को कोई भय नहीं है। लेकिन मेरे को सिर्फ पीड़ा इस बात की होती है कि आपकी सरकार विपक्ष के सदस्यों को रंजिश से दबाकर और कोशिश करती है कि वह हमारे खिलाफ बोले नहीं। मेरा कसूर क्या है ? मेरा कसूर सिर्फ, उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि 119 का मुझे नोटिस देकर फिर नाम लेवें। मेरा कसूर सिर्फ यही है कि 119 के तहत नोटिस दिया मुख्य मंत्री जी को और उसका मुझे फल क्या मिला, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खतम तो वे नहीं कर पाए, उसका फल मुझे मिला है, उपाध्यक्ष महोदय, कि मार्च, 1994 के बाद में मेरे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अप्रासंगिक बोल रहे हैं। अप्रासंगिक। आप बजट पर बोलिये।

एक माननीय सदस्य : पीड़ा सुना रहे हैं आप अपनी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : +++ क्या पीड़ा सुन रहे हैं ? आप अगर पीड़ा ही सुनना चाहें तो लीजिये पीड़ा मैं सुनाता हूं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अभी समय नहीं है। अभी बजट पर सामान्य वाद-विवाद है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, तो आप शांत रहिये। उपाध्यक्ष महोदय ने घंटी बजाई उसका जवाब दे रहा हूं; मैं इसलिए ....राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मैं तो माननीय.... (व्यवधान)....

श्री किशन गोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष की घंटी को चेलेंज कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : क्यों टाइम खराब कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : देखिये, अब आप, नहीं, मैं बोल रहा हूं मुख्य सचेतक जी।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी तरफ देखिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग, मैं तो सिर्फ एक ही फिगर दूंगा चतुर्वेदीजी को कि 1951 से 1990 तक 2840 किलोमीटर सड़कें हमारे टाइम में बनी और इनके टाइम में राष्ट्रीय उच्च मार्ग में 90 से 98 तक 6 किलोमीटर बनी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं बीच में नहीं बोलता किन्तु नेशनल हाइवे फिक्स रहती है, नई घोषित होती है, बनती है, उसका सुदृढ़ीकरण होता है, उसका डामरी-

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

करण होता है। यह होता है। माननीय सदस्य आप तो ज्ञानवान आदमी हैं, क्या बात कर रहे हैं ? What are you talking ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कंसीड कर दिया कि मैं सिर्फ राष्ट्रीय मार्ग का कहूंगा उसके बाद मैं तो मेरे स्टेट और केन्द्रीय राष्ट्रीय अध्यक्षा को कहूंगा कि अध्यक्ष जी के सामने हमारे शांति जी को उत्तर दें तो वे जवाब मैदान में ही ले लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आप शांति जी के दुश्मन हैं क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरी यह रिकमंडेशन रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा में, प्राथमिक विद्यालय 28,260 हमने खोले और आपने 8 साल में 8177 खोले, बाकी आंकड़े हैं। शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको शिक्षकों से बाद में समझौता करना ही था तो आपने यह घोर अन्याय क्यों किया ? आपने लाखों स्टूडेंट्स, जो रात-दिन एक करते थे पढ़ने के लिये, उनके एग्जाम आपने दिलवाये किसके नीचे ? ग्राम सेवक के नीचे। घोर चीटिंग हुई। लोग जो पास नहीं होना चाहते थे, वह पास हो गये। और जो फर्स्ट क्लास और सैकिंड क्लास स्टैंडर्ड में आना चाहते थे, या आ सकते थे उन +++ की आज क्या हालत है ? उनकी हाय झेलनी पड़ेगी आपके डिपार्टमेंट को, इस सरकार को और आपको। मुनि जी के केस में तो आप यहां रो पड़े और मासूम बच्चों पर क्या बीती है, उसके बारे में आप नहीं सोच सकते। मुझे ठेट से आपके लिये बहुत आदर था।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अगर आप शिक्षा मंत्री होते और यह परिस्थिति आ जाती कि वे इस बात पर एडामैंट हो जाते कि हम परीक्षा ही नहीं लेना चाहते तो मैं बाडं की परीक्षा कराऊं या नहीं कराऊं, इसका जवाब आप दे दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं एक सैकण्ड में आपको उत्तर दे देता हूं। मैं अगर आपकी जगह शिक्षा मंत्री होता तो अगर यह स्टैंड लेता तो उस पर अडिग रहता।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं अडिग ही हूं, आपको पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब अब आप समाप्त करें। मैं कितनी बार आपसे निवेदन करूं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इनके जवाब में यह उत्तर दे देवें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वित्त मंत्रीजी, आपने करों में छूट दी है। आपने सेल्स टैक्स में दी है, आपने चुंगी में दी है, आपने लाटरी में दी है। अगर इन तीनों का आंकड़ा लें तो लाटरी पर जो सेल्स टैक्स है, उसके तहत 10 करोड़, सेल्स टैक्स का 50 करोड़ और चुंगी एबोलिशन का 280 करोड़ कुल 340 करोड़ का जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिये आपके इस बहुत ही सुंदर बजट बुकलेट में कुछ नहीं है। मेहरबानी करके हमें उसका फरमाना (व्यवधान) आपने जब चुंगी की घोषणा करी थी आज से साढ़े चार साल पहले, कि हम चुंगी आते ही हटा देंगे। तो आपने उस समय पूछा था हमें ?

उद्योग, उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री जी का खुद का डिपार्टमेंट है। चार इंडस्ट्रीयल पालिसी डिक्लेयर हुई हैं। सी.एम. साहब यू.के.पधारे, अमरीका पधारे, इजराइल पधारे, जापान पधारे, रिजल्ट क्या रहा ? जीरो। बिजनेस टूडे के ग्लोबल पोल में राजस्थान का 16वां स्थान है। यह आपके फीगर्स हैं, कोई मेरे फिगर नहीं हैं। आपके मल्टीनेशनल यह कहने लग गये हैं, आपकी इन्कापीटेंस के कारण, आपके फेल्योर्स के कारण..

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कन्क्लूड करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कन्क्लूड करता हूं। मल्टीनेशनल यह कहते हैं कि राजस्थान डार्क ज़ोन है। यह मेरे शब्द नहीं है। आपने साढ़े चार साल तक तो यह हवा बना दी कि हम तो इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल को लेकर आयेंगे और साढ़े चार साल बाद यह आपका रिजल्ट है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं पढ़ना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे कि इसकी रेलेवेंस क्या है ? आपने एटम बम छोड़ा। पोकरण में छोड़ा, राजस्थान से संबंधित है। आपने ऐसे मौके पर छोड़ा कि आपके शायद प्रोब्लम्स थीं चेन्नई में, दूसरी जगहों में। और आपके जो सपोर्टर्स थे, उनको भ्रमित करने के लिये कि साहब हम बहुत पावरफुल हैं। नतीजा क्या निकला ? पाकिस्तान को आप अपने बराबर ले आये। उसने कहा आपने 5 छोड़े तो हमने भी 5 छोड़ दिये। लेकिन आपने यह नहीं सोचा, आपके प्रधान मंत्री जी, जिनके दो खास एडवाइजर्स हैं राजस्थान के, माननीय जसवंत सिंह जी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत, इन्होंने कोई इंटरनेशनल रिएक्शन के लिये तैयारी नहीं की। और न्यूज पेपर्स में जसवंत सिंह जी, एवं टेलबर्ट का नाम आता है, ऐसे छाये हुए हैं कि वास्तव में जबर्दस्त काम कर रहे हैं। मेरे पास एक चिट्ठी आई है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाटी साहब, आसन पैरों पर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बजट की पोल ही अब खुल रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं साहब, यों मत करिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें अब। माननीय सदस्य आप बिराज जायं। आप बैठिये। कितना समय लेना चाहते हैं आप?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं 10 मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, 10 मिनट नहीं दे सकता।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ठीक है 5 मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक आर्टीकल है "ए न्यूक्लियर इण्डिया", बड़ी अच्छी मैगजीन है-"काल द न्यूयार्क रिव्यू आफ बुक्स"। यह क्वाटर्ली है। इसमें आपके ही एक प्रसिद्ध इण्डियन आथर ने आर्टीकल लिखा है, पंकज मिश्राजी ने। पंकज मिश्राजी ने यह फैक्स मुझे भेजा है। पंकज मिश्रा के पास यह चिट्ठी आई थी और मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छी चिट्ठी है, सबको सुननी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष :इस सदन से इस चिट्ठी का क्या संबंध है? कोई सम्बन्ध नहीं है (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने हाथ फैला-फैलाकर के इस बम विस्फोट का करीब दस मिनट भाषण दिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक मिनट हरिसिंह जी। पंकज मिश्रा को मिस्टर जेसन एफस्टीन चिट्ठी लिखते हैं डेट है 10 जून, 1998 (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या चिट्ठी है? नहीं-नहीं कोई मतलब की नहीं है।

श्री मदन दिलावर : फिजूल की बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : "I thought your piece on India was brilliant, worthy of wilson and them some. I was especially grateful for your piece at the small dinner last night, where Mr. Jaswant Singh, your former Finance Minister, I think, was trying to explain the Indian bomb. He talked without a break for two and a half hours and said only that if the U.S. can have one, why cann't we ?" यह आ गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जो हाउस का सदस्य नहीं है और जो इसका जवाब नहीं दे सकता उसके बारे में यहां सदन में चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : घरेलू लड़ाई है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अब, उपाध्यक्ष महोदय, लॉ-एण्ड-आर्डर पर बोलूंगा। एक बड़ा ही इन्ट्रेस्टिंग कार्टून आया है, मेघालय की एक डेली है, जिसका नाम है लांचर। आज के 10-15 दिन पहले यह कार्टून आया था जिसमें बताया गया कि एक एम.एल.ए. साहब धरने पर बिराजमान हैं और पत्रकार आकर पूछता है कि साहब, यह धरना किसलिए? तो उन्होंने सटाक से कहा, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह रेप की

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

इन्चार्ज़ी राजस्थान पुलिस से चाहते हैं। यह मेरा नहीं है, यह कार्टून का है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब, उपाध्यक्ष महोदय, एक इश्यू लेकर मैं खत्म करता हूं। इंटर स्टेट....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर और बात भी आनी चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : +++ उपाध्यक्ष महोदय, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। है तो मामला लम्बा चौड़ा, अपने आपको बहुत धुरंधर समझते हैं, वर्ल्ड का ही नहीं, न केवल राजस्थान का, लेकिन इण्डिया का एक्सपर्ट समझते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा, रावी-ब्यास के बारे में। बैद जी ने और कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्रियों ने खूब सुना भैरोंसिंह जी को, जब वह विपक्ष के नेता थे। यहां पर बादल साहब पधारे। जैसे ही उन्होंने शपथ ली और माननीय मंत्री, गंगानगर से पधारमान गुरजंटसिंह जी के यहां प्रेस कांफ्रेंस की। और प्रेस कांफ्रेंस में बादल साहब को पूछा गया कि आपका रावी–ब्यास के बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने सटाक से कहा कि मैं रावी ब्यास पर कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। राईपेरियन थ्योरी में विलीव करता हूं, लेकिन थ्योरी में विलीव नहीं करता हूं। मुख्य मंत्रीजी पास में विराजमान थे। मेरा आरोप है मुख्य मंत्री जी पर कि वे बोले नहीं वहां पर। और यहां डींग मारते हैं कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा राजस्थान के इंट्रेस्ट को। मुख्य मंत्री जी ने 8 साल तक, उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें; माननीय श्री भाटी साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक संकल्प, माननीय मुख्य मंत्री जी ने....

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट फैल्योर है, मुख्य मंत्री जी फैल्योर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय। कृपया विराजें।

श्री भंवरलाल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय के बोलने के पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जब मैंने कुछ आंकड़े दिये थे तो माननीय वित्त मंत्री जी ने एक कथावाचक की कहानी सुनाकर मेरे आंकड़ों के साथ मजाक की थी। मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने वह जितने भी आंकड़े दिये थे उसमें कोई गलती हो तो बताकर उपकृत करें।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (वित्त मंत्री) : धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर वाद-विवाद में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने विचार प्रकट किये, सुझाव दिये, आलोचना की, समालोचना की, उन सब के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। साथ में, मैं राजस्थान की जनता और उन वर्गों को, जिन्होंने व्यापक पैमाने पर इस बजट का स्वागत किया है, मैं उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि इस बजट का प्रभाव राजस्थान की पांच करोड़ जनता के जीवन पर पड़ेगा और इसलिए यह अवसर पवित्र ही नहीं गम्भीर भी है। हम आंकड़ों के जाल में फंसना नहीं चाहते लेकिन एक बात हमें स्पष्ट रखनी चाहिए कि सरकारें बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं लेकिन आंकड़े सरकार में वही चलते रहते हैं। कांग्रेस के राज में जो आंकड़े थे वही आंकड़े आज भी हैं। और सरकार के हिसाब से आंकड़े रहते हैं इसलिए उन आंकड़ों को चुनौती देकर उसके पैरेलल यदि कोई दूसरे आंकड़े अपने देता है मैं उसकी बात नहीं समझता। हमको उन्हीं आंकड़ो के आधार पर अपने सुझाव, अपने विचार प्रकट करने चाहिए।

मान्यवर, प्रतिपक्ष की ओर से बहस की शुरूआत करते हुए तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, जो कि वित्तीय प्रबन्धन के कुशल एवं अनुभवी वित्त मंत्री रहे हैं, और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। वे जितना आंकड़ा समझते हैं, आंकड़े को फिट करना जानते हैं, मैं उतना जानता भी नहीं हूं। मैं तो सीधी-सीधी बात जानता हूं इसलिए सीधी-सीधी बात कह देता हूं। लेकिन मैं उनसे अपेक्षा करता था कि वे इस बजट की समालोचना करेंगे, आलोचना भी करेंगे, साथ–साथ में मेरा मार्गदर्शन भी करेंगे, सुझाव देंगे जो राजस्थान की पांच करोड़ जनता के हित में होगा। इसमें सरकार का सवाल नहीं है। लेकिन उनका भाषण सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुई मैंने सोचा था कि चन्दनमलजी वैद वही हैं जिन्होंने 1980-81 में वित्त मंत्री के नाते जनता पार्टी की सरकार ने जो शराबबंदी की थी उसको हटाने की घोषणा इस बिना पर की कि मैं राज्य के कोष का ट्रस्टी हूं, यह मेरा दायित्व है। इसलिए उसका हित देखना, यह मेरा परम कर्तव्य है। यह साहस दिखाया है आपने। लेकिन मैं आशा करता था कि उसी प्रकार का साहस....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यहाँ पर वह दिखाते और इस बजट की आलोचना करने के साथ-साथ इस बजट के सम्बन्ध में सुझाव देते, जैसे राज्य के ऋण व विकास को कैसे संतुलित किया जाय, राज्य की आमदनी के लिए कौन सा नये स्रोत कायम किये जायं, राजकोष के घाटे को कैसे कम किया जाय। चुंगी के मामले में तो मैंने अपने एक खुले भाषण में कहा था कि 280 करोड़ रुपये का यह घाटा है उसके बारे में माननीय सदस्य अपने सुझाव दें। मैं अपेक्षा करता था कि

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

तारानगर से आने वाले सदस्य इस पर जरूर बोलेंगे। लेकिन उन्होंने बड़े छद्म रूप से और बड़ी बुद्धिमानी से चुंगी हटाने का विरोध करते हुए, छद्म रूप से कह रहा हूं साफ-साफ नहीं कह रहा हूं, और यह कहा कि आपने चुंगी तो हटा दी मगर यह 280 करोड़ रुपये का क्या होगा ? तो मैं उनको दाद देता हूं जिन्होंने चुंगी का विरोध बहुत ही बुद्धिमानी से किया। लेकिन यह 280 करोड़ रुपये की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इस बारे में मैं उनके सुझावों को आमन्त्रित कर चुका था। वे जानते थे इस बात को, अच्छा होता कि माननीय सदस्य उस पर कुछ अपने विचार प्रकट करते या, वह तो वित्त प्रबन्धन में बहुत अनुभवी हैं, अभी 11 वें वित्त आयोग की नियुक्ति हो गयी है। मैं आशा करता था कि वह 11 वें वित्त आयोग में राज्य सरकार को क्या कहना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि 11 वें वित्त आयोग को विचार करना चाहिए। वे इस प्रकार के कुछ सुझाव देते।

श्री चन्दनमल बैद : चार महीने बाद जो सरकार आएगी उसको दूंगा, साहब।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपको राजनेता के रूप में नहीं, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि इस अवसर को मैं पवित्र और गम्भीर मानता हूं। मैं आपको राजनेता के रूप में नहीं कह रहा हूं। एक वित्तीय प्रबन्धन के कुशल, कर्मठ, जानकार, ज्ञानी के रूप में कह रहा हूं। इसलिए इसमें जब राजनीति का सवाल आएगा तो अन्त में मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ राजनीतिक सवाल उठाए हैं। मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि सवाल उठे हैं और अब मेरे बाद कोई बोलने वाला नहीं है इसलिए वह जवाब बहुत संक्षेप में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे जो अपेक्षा थी वह पूरी नहीं हुई। इसका मुझे बहुत खेद रहेगा।

लेकिन एक काम आपने जरूर किया, कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये। आंकड़े बिलकुल सही प्रस्तुत किये, मैं उनको चेलेन्ज नहीं करता हूं। मगर उनका विश्लेषण बड़े गलत ढंग से किया। उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जो वास्तव में हैं नहीं। और यह इसलिए कि बजट क्या है, बजट में कौन-कौन से खाते शामिल होते हैं और टोटल बजट का घाटा या नफा कैसे निकाला जाता है, वह जानते हैं। और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि बजट के कम्पोजिशन में, आय में चार खाते होते हैं। एक पूंजीगत खाता होता है, दूसरा राजस्व खाता होता है, तीसरा लोक-लेखे खाता होता है और चौथा लोक-ऋण खाता होता है और नामे की तरफ सम्पूर्ण विभागों का व्यय होता है। अब इन चारों खातों के जोड़ और जो व्यय की जोड़ होती है उसका जो अन्तर होता है वह बजट का घाटा या नफा होता है। उसमें कहीं यह प्रश्न नहीं उठता कि पूंजीगत खाते का रुपया राजस्व में कैसे आ गया। क्योंकि चारों खातों की जोड़ एक साथ लगती है। यह सामान्य बात है जो मैं समझता हूं, आपको बहुत काम्पलीकेशन

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

होगी तो वे ज्यादा ज्ञानी हैं, जानते होंगे। मैं समझता हूं कि यह नफा-नुकसान इन चार खातों और इधर व्यय खाते की जोड़ से बनता है। एक कंटिंजेंसी में फण्ड होता है उसमें तत्काल पैसा उठाकर खर्च किया जाता है, तत्काल उसकी भरपाई भी कर दी जाती है। इसलिए जहां तक बजट के बैलेन्स का सवाल है, इस सम्बन्ध में यदि हमने 86 लाख रुपये की सरप्लस बतायी है तो कोई जोड़-तोड़ नहीं की है। इन चार खातों की जोड़ दे दी, इधर व्यय की जोड़ दे दी और उसमें 86 लाख का लाभ हुआ, यह मैंने आपके सामने रखा है। मैंने इसमें कोई जगलरी नहीं की है, कोई जादूगरी नहीं की, कोई प्रपंच नहीं किया और जोड़-तोड़ में अपनी ओर से कुछ नहीं किया है। जो आंकड़े थे, वे मैंने आपके सामने रखे हैं। मगर उसको भी वे पूंजीगत खाते को राजस्व में ले गये, यानि और बातों से, इस एक सरल सी बात न बताकर उसको भ्रमित करने की कोशिश की। मान्यवर, अच्छा होता कि वे इस बात पर विशेष तौर से ध्यान देते।

फिर दूसरा होता है राजस्व का खाता। वह अलग है। यह तो सम्पूर्ण बजट का घाटा और लाभ आ गया। राजस्व का घाटा और लाभ अलग है। उसको मैंने स्वीकार किया है, मार्च में ही स्वीकार कर लिया था कि राजस्व घाटा हमारा 1989.25 लाख रुपये होगा और वह इसलिए होगा कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हमने राज्य कर्मचारियों को वेतन दिया है। लगभग वही हमारा घाटा रहा है। यदि पांचवां वेतन आयोग थोड़ी देर के लिये हम भूल जाएं तो यह रुपया हमको नहीं खर्च करना पड़ता तो आज हमारा बजट राजस्व में भी प्लस होता। राजस्व में कोई घाटा नहीं होता। यह मैंने अपने भाषण में स्पष्ट किया है।

अच्छा होता कि तारागढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करते कि मार्च में मैंने जो 1989.25 का घाटा बताया था इन चार महीनों में हमने उसको कम करके 1331 करोड़ के घाटे पर ले आये हैं। अब यह जो रुपया हमने किसी तरह से बचाया है, किसी ने उसकी ऐसी आलोचना की कि इन्होंने 60 वर्ष की आयु इसलिए बढ़ा दी कि इनको रुपया चाहिए था। ये नहीं समझते हैं कि हमारा कमिटमेंट था, केन्द्र सरकार के निर्णय को हम लागू करेंगे और एक ही सरकार में दो तरह के लोग कैसे रह सकते हैं। आई.ए.एस.अफसर तो साठ में रहेंगे और आर.ए.एस. होंगे तो 58 में रहेंगे एक ही सरकार में। और इसलिए उनमें भेदभाव पैदा करना उचित नहीं था। और अन्य भी जो नहीं कर रहे हैं, सब सरकारों को यह अन्ततोगत्वा करना पड़ेगा क्योंकि केन्द्र ने कर दिया। हमने जल्दी कर दिया तो इसमें कोई पाप नहीं किया। मगर फिर भी यह उस प्रबंधन का एक हिस्सा है कि हमने समय पर 360 करोड़ रुपये की बचत की ताकि हमारा घाटा कम हो। इसमें तो कोई पाप हमने नहीं किया। यदि वे इसकी थोड़ी–बहुत भी प्रशंसा कर देते तो मुझे लगता कि वे वाकई में इस बजट की समालोचना कर रहे हैं।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मान्यवर, दूसरा आपने कहा राजकोष के घाटे के बारे में। अब राजकोष के बारे में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि राजतंत्र की पद्धति और प्रजातंत्र की पद्धति में राजकोष की भिन्न-भिन्न स्थितियां होती हैं। यदि राजतंत्र होता, राजा का राज होता तो उसमें राजकोष में प्रशासनिक व्यय को छोड़कर बाकी जितनी भी आमदनी होती है उसका मालिक राजा होता है। वह चाहे तो अपना पूरा रुपया शान-शौकत में खर्च करे, बड़े-बड़े महल बनाने में खर्च करे, अपने लिए खर्च करे। जनता चाहे अशिक्षित हो, चाहे पानी के लिए मरे, चाहे बिजली के लिये। यदि कोई राजा उपकारी होता तो सड़कें बना दीं, कहीं धर्मशाला बना दी, कहीं कुआं बना दिया। इसमें बड़ा यश लेने की बात थी। वह सारा पैसा उनके पास में रहता। मगर इसमें जनता का कुछ हित नहीं होता। तो एक तरीका तो यह है कि हम राजकोष को राजतंत्र के तरीके से समझें कि चाहे जनता की बहबूदी नहीं हो, जनता के विकास का काम नहीं हो। राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की बहबूदी उसकी क्रय शक्ति है। उसका स्तर न बढ़े लेकिन हमारा राजकोष भरा-पूरा रहना चाहिए। यह राजतंत्र की पद्धति है, प्रजातंत्र की पद्धति नहीं है। हमने चूंकि प्रजातंत्र की पद्धति को स्वीकार कर रखा है इसलिए इस राजकोष पर सबसे पहला अधिकार राजस्थान प्रदेश के उस गरीब और सबसे दरिद्र व्यक्ति का है। हम राजकोष में रुपया इकट्ठा करके रखें और वे गरीब बने रहें, उनको कोई सुविधा न मिले। उसकी चिन्ता न करें लेकिन बार-बार बताएं कि देखो, हमारा राजकोष इतना है। हमारे पास इतना रुपया पड़ा हुआ है, यह दिखाते रहें। यह प्रजातन्त्र की पद्धति नहीं है। राजा तो राजकोष को घटा सकता है, बढ़ा सकता है लेकिन प्रजातंत्र में, कल्याण-कारी राज्य में हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि राजकोष से ज्यादा महत्व प्रत्येक नागरिक की क्रय शक्ति बढ़ाने, उसको रोजगार देने, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग, महिला, बच्चों, इनके जीवन स्तर को उठाने तथा उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क आदि की सुविधाएं मुहैय्या कराने का है। और इसीलिए यदि हम इसमें इन्वेस्टमैंट करते हैं, राजकोष में घाटा होने के बाद भी हम इन्वेस्टमैंट करते हैं, तो राज कुछ बिगड़ता नहीं है। यदि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का स्तर बढ़ा है, यदि उसकी बहबूदी बढ़ी है तो हमारे राजकोष में घाटा पड़ा रहे, हमें इसकी कोई चिन्ता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे प्रदेश की बहबूदी बढ़नी चाहिए। इसलिए प्रजातंत्र में राजकोष का उपयोग इस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य करने और नये निवेश के माध्यम से सभी नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिये होता है, जिससे मांग में बढ़ोतरी हो। जब मांग बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति के लिये उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो इसमें सामंजस्य होगा। इससे बेरोजगारी समाप्त होगी।

मानव संसाधन, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं तो यह कहूंगा कि आज हमारे देश की जो दयनीय अवस्था

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

आयी है वह केवल इसलिए आयी है कि केन्द्र की सरकारों ने, चाहे वह कांग्रेस की रही हों या किसी की रही हों, मानव संसाधन पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। प्रारम्भ से ही सन 51 से दो-तीन परसेंट से ज्यादा पैसा मानव संसाधन पर खर्च नहीं किया और उसके कारण आज अनेक समस्याएं पैदा हो गयी हैं। आज फैमिली प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती यदि हमारे सारे नागरिक शिक्षित हो जाते। यह नागरिक सेंस का झगड़ा नहीं होता। यह प्रजातंत्र में, इस तरह की आज जो परिस्थितियां बन गयी हैं, जिस हालत में हम पहुंच गये हैं, वह हालत हमारी दयनीय नहीं होती। लोग पढ़े-लिखे होते, समझदार होते तो देश आगे बढ़ता। मनुष्य बनेगा तो वह देश को बनाएगा। मनुष्य के मूल करेक्टर को, और आप उसको भुलावे में डालकर, हमेशा गरीब बनाकर और दया की भीख मंगवाते रहे। उनको टुकड़े डाल-डालकर कहें कि यह तो हमने किया है, यह तो हमने किया है और उसको कभी यह नहीं कहें कि अपने पैरों पर खड़ा हो, हम तुमको सहारा देते हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो। यह सोच कभी नहीं रहा और उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। और इसलिए मानव संसाधन भी हमारे इस बजट के व्यय का एक बहुत बड़ा अंश है। जिसमें कोई परिसम्पत्ति नहीं बनती है। शिक्षा पर हमने पैसा खर्च किया है। स्वास्थ्य पर पैसा खर्च किया है। परिसम्पत्ति तो नहीं बनती लेकिन अगर नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक रहे, यदि लोगों को शिक्षा मिली तो भविष्य में जाकर के उसके परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। यह प्रजातंत्रीय पद्धति और प्रजातंत्र का सोच है। परिप्रेक्ष्य में बजट का आंकलन किया जाना चाहिये। तब तो उस पर गम्भीर विचार होगा और राजनैतिक दृष्टि से कुछ भी कहें तो उसका कोई सवाल नहीं है।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दूसरा पाइंट और उठाया और यह कहा कि यह बारह हजार करोड़ की आठवीं पंचवर्षीय योजना कहां गयी, वे रुपये कहां गये? आप खा गये। और यह कहा कि टार्गेट आपने इतना रखा, उसकी पूर्ति पांच परसेंट कम हुई, कहीं पर दस परसेंट कम हुई, कहीं पर पन्द्रह परसेंट। उन्होंने आंकड़े दिये। मेरा उन आंकड़ों से कोई झगड़ा नहीं है। ठीक हैं ये आंकड़े। जो हमने टार्गेट दिये, वे पूरे नहीं हुए। कहीं पर कोई 95 परसेंट हुआ, कोई 90 परसेंट हुआ, कोई 92 परसेंट हुआ। यह बात सही है, लेकिन यह तो सामान्य बात है। एक सामान्य आदमी इस बात को समझता है। इसमें इसका विश्लेषण जिस ढंग से उन्होंने किया कि बारह हजार करोड़ रुपये खा गये, राजस्थान की जनता को लूट लिया या जो शब्द कहे ये मुझे बहुत अखरे। इसलिए अखरे की सामान्य आदमी इस बात को समझता है कि जब पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं तो उन पंचवर्षीय योजना में, पांच वर्ष में पूरा रुपया खर्च होता है। और उस पांच वर्ष में जो मूल्य बढ़ते हैं, उसका केलकुलेशन उसमें समाहित नहीं होता है। उन बढ़ते हुए मूल्यों का पहले से अनुमान नहीं लगाया जाता और वह पंचवर्षीय योजना

(254)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पांच साल में पूरी की जाती है तो निश्चित रूप से यह होता है कि रुपया तो पूरा हो गया लेकिन मूल्य बढ़ने के कारण काम कम हो गया। यह ठीक है, टार्गेट पूरा नहीं हुआ, जैसे एक उदाहरण के लिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पंचवर्षीय योजना में सड़क बनाने का निर्णय किया और आंका कि चार लाख रुपये की एक किलोमीटर पर सड़क बनेगी। पांच साल में मूल्य बढ़ गये। वह चार लाख में नहीं, साढ़े चार लाख में एक किलोमीटर हुई या पांच लाख में हुई, तो रुपया तो पूरा खर्च हो जाएगा लेकिन सड़क उतनी लम्बी नहीं बनेगी। सड़क छोटी हो जाएगी। इसलिए टार्गेट कम हुआ और यह सामान्य बात है। इस सामान्य बात को भी उन्होंने जिस तरह से तोड़-मरोड़ कर, और बारह हजार करोड़ रुपये खा गये, और भाटीजी भी कह रहे थे कि उसकी जांच होनी चाहिये। यह जनता को भ्रमित करने की बात किसी ऐसे व्यक्ति से, जो अधिकृत रूप से कह सकता है कि मैं चुनौती देता हूं कि कोई मेरे आंकड़ों को गलत साबित करे या जो हमेशा इस भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, उनसे मुझे यह अपेक्षा नहीं थी। और इसलिए यह आंकड़ों का जो गलत विश्लेषण किया गया, मेरी समझ में यह ठीक नहीं था। इसका विश्लेषण उनको सही परिप्रेक्ष्य में, गम्भीरता से, इस बजट की पवित्रता को समझ कर आम जनता को भ्रम में डालने की बजाए सत्य बताना चाहिये था, जो सब जानते हैं।

आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया। अभी भी उठा रहे हैं। और यह उठा रहे हैं कि हमारी देनदारी जो है, वह तो है 16,810 की और हमारी जो चल और अचल सम्पत्ति है, वह है 14,045 करोड़ की। तो डूबो रहे हो आप। आपकी देनदारियां बढ़ती जा रही हैं, परिसम्पत्तियां घटती जा रही हैं, उनका मूल्य चौदह हजार है, उनका सोलह हजार है। आप इस प्रदेश को दिवालिया कर रहे हो। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि योजना के अन्तर्गत जो विकास के काम होते हैं, उन सब कामों से चल-अचल सम्पत्ति नहीं बनती। बहुत से काम होते हैं कि जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जिनके परिणाम भविष्य में आएंगे, आज उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इसलिए देनदारियों के मूल्यांकन और परिसम्पत्तियों, चल-अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन की तुलना करना, जिसमें से ये विकास के काम बाहर चले जाते हैं, यह सही नहीं है। क्योंकि हमने शिक्षा पर खर्च किया या हमने स्वास्थ्य पर खर्च किया, सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग को सहारा देने के लिये खर्च किया। महिलाओं के लिये किया। किसानों को सब्सिडी दी, उद्योगों को सहायता दी, बिजली, पानी, खाद्य में सहायता दी। तो इन सेवाओं का कोई मूल्यांकन नहीं है। उनका कोई मूल्यांकन है नहीं परन्तु यह खर्च होना जरूरी है इस प्रदेश की बहबूदी के लिये घाटा उठा-उठाकर के भी, देनदारियां बढ़ाकर के भी यह खर्च करना जरूरी है। यदि हम वास्तव में प्रजातंत्र में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

प्रजा की चिन्ता करते हैं, और अगर उनकी चिन्ता नहीं करना है तो प्रदेश की..(व्यवधान).. वे नहीं बोल रहे हैं, आप सुनें। मैंने इसलिए इसको पवित्र डिबेट कहा है। आपको मजाक बनाने की बात है, बोलूंगा तब मजाक बनाने में आ गयी। अब यह तो वास्तविकता में प्रसंग है। और इसलिए जो हम इन विकास कार्यों के माध्यम से ह्यूमन केपिटल बना रहे हैं, उसकी कीमत यह नहीं लगा रहे हैं, वह भी ध्यान में रखिएगा। यदि आप बजट की देनदारियों और परिसम्पत्तियों पर विचार करते हैं तो इस ह्यूमन केपिटल निर्माण को भी ध्यान में रखिये कि यह भी एक बहुत बड़ी केपिटल है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि मानव संसाधन के मामले में, मान लीजिये, थोड़ी देर के लिये मैं इस बात को भी छोड़ देता हूं, केवल यह मान लें कि चल-अचल सम्पत्ति का मूल्य और हमारी देनदारियों के मूल्य के अन्तर की बात है।

मान्यवर, मेरे एक माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि चल-अचल सम्पत्ति का जो मूल्य है, वह बुक-वेल्यू है। बुक-वेल्यू। और देनदारियां जो है, वह प्रचलित दर पर हैं। अब प्रचलित दर और बुक-वेल्यू को आप समान कैसे करेंगे। यह मेरी समझ में नहीं आया। वह इसलिए नहीं आता कि बुक-वेल्यू तो कांस्टेंट प्राइस है, एक तरह से। और जो प्रचलित है, वह बदलती रहती है। तो आप जब उनका सन्तुलन करें, मूल्यांकन करें, उनको आपस में तोलें, तो आपको दोनों को बराबर लाकर के तोलना चाहिये। अब मैं इस मामले में छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं इसलिए इस मामले को उदाहरण से ही समझा सकता हूं। मान लीजिये कि आज से तीस साल पहले एक व्यक्ति ने जयपुर में एक मकान बनाया एक लाख रुपये का। और इस तीस साल में उस मकान के रख-रखाव, मरम्मत आदि के लिये उसने दस लाख रुपये मय ब्याज के ऋण कर लिये। तीस वर्ष में दस लाख रुपये का। अब उस मकान की कीमत यदि आप बुक-वेल्यू लेंगे तो प्रतिवर्ष उसमें डेप्रीसिएशन जाएगा, ह्रास होगा और तीस वर्ष में उसकी वेल्यू आ जाएगी जीरो। मकान खड़ा है, चाहे वह टूटी-फूटी कंडीशन में हो, वह कैसा भी हो, खड़ा है। लेकिन यदि अगर आज जयपुर के बाजार में जाकर के उस मकान को आप बेचेंगे तो उसकी वेल्यू है बीस लाख रुपये। अब यदि दस लाख रुपये उस महान व्यक्ति ने ऋण सहित उधार ले लिये और मकान की वेल्यू बीस लाख है तो बताइये कि कौन-सी देनदारियों में घाटा बढ़ गया? दस लाख रुपये दे रहा है, एक लाख रुपये के मकान पर, यह तो डूब गया। दिवाला निकल गया। कैसे दिवाला निकल गया? उस बुक-वेल्यू को आप यदि देखोगे तो प्रचलित दरों से उसकी समानता करने में सुविधा होगी और वही सत्य होगा। वैदजी सत्य बोले, मगर अर्द्ध-सत्य बोले। आधा सच, आधा उसमें मिलावट। और इसलिए यह जो हमारी चौदह हजार की परिसम्पत्तियां हैं, इसका आज का मूल्यांकन वे करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज उसकी कीमत चौदह

R 56

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हजार से चौगुनी से भी ज्यादा होगी और यह सोलह हजार की देनदारियां उसके सामने कुछ भी मायना नहीं रखती। जब आप किसी राज्य..(व्यवधान)...

प्लीज, जब आप किसी राज्य की क्षमता पर सवाल उठाते हैं तो आपको इन गम्भीर प्रश्नों पर इसलिए विचार करना चाहिये कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी राज्य बैंकरप्ट नहीं हो सकता। संविधान की व्यवस्था के अनुसार उसको बैंकरप्ट होने नहीं दिया जाएगा। कैसी भी सरकार हो। यह व्यवस्था कर रखी है। और इसलिए आर्टिकल 293, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य सरकार, आप कहो तो मैं उसको पढ़कर सुना दूं या आप मान लेते हैं तो पढ़ूं नहीं। कोई भी राज्य सरकार बिना केन्द्र की अनुमति के एक पैसा भी उधार नहीं लेगी।

(21.00 बजे)

एक पैसा उधार नहीं ले सकते। उसको केन्द्र की अनुमति लेनी होगी। चाहे वह बाजार से ऋण ले, और एक्सटर्नल ऐड तो ले ही नहीं सकते बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के। उनकी सहमति के बिना ले ही नहीं सकते। एक तो यह है। फिर इसके आगे उन्होंने 360 और बना दिया जिसमें फाइनेंशल इमरजेंसी का प्रोवीजन है जो केवल नेशन पर ही नहीं राज्यों पर भी लागू होता है उसका सब-सेक्शन—3 तो इस हद तक जाता है—

"During the period any such proclamation ..." इमरजेंसी में

"..as is mentioned in clause (1) is in operation, the executive authority of the Union shall extend to the giving of directions to any State to observe such canons of financial propriety as may be specified in the directions, and to the giving of such other directions as the President may deem necessary and adequate for the purpose" यानि पहले तो वह यह कोशिश करेंगे कि इनको डायरेक्शन दो, रास्ते पर आ जाएं और रास्ते पर नहीं आएं तो फाइनेंशल इमरजेंसी घोषित कर दें उसको। किसी भी सरकार को, किसी भी प्रदेश को बैंकरप्ट करने की इजाजत संविधान के अनुसार नहीं दी जा सकती। इसलिए कोई भी यह दुस्साहस करेगा तो अपनी कीमत पर करेगा। मगर केन्द्र सरकार और भी उदारता बरतती है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो राज्यों के बस में नहीं होते हैं जैसे पंजाब में आतंकवादियों को लेकर, कश्मीर में हो रहा है, उत्तरांचल में हो रहा है। केन्द्र सरकार ने उनको हजारों करोड़ रुपयों की सहायता दी है। उनका सारा बर्डन अपने पर लिया है। यह केन्द्र की जिम्मेदारी है और इसलिए चूंकि पूरा राजकोष केन्द्र के अधीन है, यह हमने कंसोलिडेटेड फण्ड अलग-अलग बना रखे हैं नाममात्र के कि यह राज्य का कंसोलिडेटेड फण्ड है, यह केन्द्र का है। लेकिन

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

वास्तविकता तो यह है कि सारा भार कंसोलिडेटेड फण्ड ग्राफ इण्डिया पर पड़ता है। यदि राज्य डैट लेते हैं तो राजकोषीय घाटा केन्द्र को होता है। इसलिए राजकोषीय घाटा राज्यों की दृष्टि से बेमानी है, कोई मतलब नहीं होता। चूंकि हम उनकी बराबरी कर रहे हैं हर बात में, इसलिए उसको अपने पर लागू कर रहे हैं। लेकिन वैसे राजकोषीय घाटा जो होता है वह केन्द्र का ही होता है। सारे डैट जो भी स्टेट्स लेती है, उसकी लायबिलिटी, उसमें केन्द्र की गारंटी है, टोटल लायबिलिटी केन्द्र की है। इसलिए राजकोषीय घाटा केन्द्र का होता है।

इसलिए इस बारे में बड़ी भारी चिन्ता की गयी और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राजकोषीय घाटा हो रहा है और हम डूब रहे हैं। अब यह राजकोषीय घाटा केन्द्र का हो रहा है, यह तो सोचने की बात केन्द्र की है। मगर जब किसी राज्य के बारे में, जब हम उसकी क्रेडिट के बारे में सोचेंगे तब हमको जरूर विचार करना पड़ेगा। किसी भी प्रदेश पर कितना भी ऋण हो, उसको क्रेडिट बाजार में लोग कितनी मानते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि उस प्रदेश की क्रेडिट है, वह पैसा मांगता है उससे ज्यादा मिलता है। जितना समय वह देता है, कम समय में मिलता है। तो उस प्रदेश को जो दिवालिया हो रहा है, यह कुछ राजनैतिक कारण से तो कह सकते हैं, जिनको आलोचना करनी है वह तो कह सकते हैं। मगर आम जनता जो क्रेडिट देती है वह इसको नहीं मानती और वह बड़े धड़ल्ले से, जो हम मांगते हैं उससे ज्यादा ऋण हमको देती है।

आज तक राजस्थान में जितने भी हमने इस तरह के बॉण्ड्स जारी किए हैं उनमें समय सीमा से पहले ही जितने मांगे उससे ज्यादा पैसा मिला है। अभी आर.एस.ई.बी ने हमारे यहां किया है। 250 करोड़ रुपये की मांग की थी, 250 करोड़ के स्थान पर 300 से ऊपर आए और कम समय में आए। इसका मतलब स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार की क्रेडिट अभी तक ऐसी बनी हुई है कि उसको सार्वजनिक ऋण लेने के लिए कोई कठिनाई नहीं आयी और जब तक यह सुविधा हमको प्राप्त है, तब तक उस सुविधा को हम राज्य की उन्नति में प्रयोग में लाना उचित समझते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राजकोष पर अधिकार राजस्थान की जनता का है, हमारा नहीं। हमारी तिजोरियां भरकर हम उसको बढ़ाएं, यह हमारी नीति नहीं है।

मान्यवर, यह जो राजकोषीय घाटा है, यह क्या है? वास्तव में यह राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में कुल मांग और उत्पादन का जो आउट-पुट है उसकी आय को सर्कुलर नेट में इंजेक्शन देकर बढ़ाता है। पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए बहन किया जाने वाला घाटा भविष्य के उत्पादन के विकास को बढ़ाता है। यह राजकोषीय घाटा है।

आप राजस्थान की बात कर रहे हो; मैं आपको अमरीका का उदाहरण देना चाहता हूं। अमरीका में, और यूरोप में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

भी, आगे वह भी बताऊंगा। अमरीका में 1992 में राजकोषीय घाटा है 40 हजार करोड़ डालर अर्थात् 12 लाख करोड़ रुपये, जो उस वर्ष अमरीका के सकल उत्पादन का 6 परसेंट था। यह डवलप्ड कण्ट्री की बात बता रहा हूं जो डवलप्ड है उसका राजकोषीय घाटा 6 परसेंट है। परन्तु हमारे केन्द्र में यह राजकोषीय घाटा पिछले वर्षों में 6 से 8 परसेंट तक रहा। लेकिन इस वर्ष इसका अनुमान लगाया गया है 5.6 परसेंट। इसलिए राजकोषीय घाटा राजस्थान में हो रहा है और यह जो बजट के सिद्धान्त हैं या इकोनोमी के सिद्धांत हैं, वह तो सारी दुनिया में समान हैं और वह अमरीका में भी लागू होते हैं, यूरोप में भी लागू होते हैं। कोई राजस्थान उसमें अलग से हो गया क्या? इसलिए सारे परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो सही स्थिति आपके सामने आ जाएगी। मगर राजस्थान में राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा रहा कांग्रेस के राज में, और वह 1987-88 में 8 परसेंट से भी ऊपर था। उसके बाद हमने राजकोषीय घाटा घटाया और आज क्या है, वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा।

एक बात मेरी समझ में नहीं आयी। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य की, जैसा कि मैंने कहा कि आंकड़े तो वह ठीक पेश करते हैं लेकिन उनका आंकलन और उनको ट्विस्ट ऐसे करते हैं, जो समझ में ही नहीं आता। इन्होंने यहां पर यह कहा कि राजस्थान का राजकोषीय घाटा 5,456 करोड़ 18 लाख है और यह सकल घरेलू उत्पादन का 10.4 प्रतिशत है और इन्होंने एक फार्मूला भी बताया। यह इन्होंने 1997-98 के सकल घरेलू उत्पादन के आधार पर बताया और इस राजकोषीय घाटे को निकालने का फार्मूला भी इन्होंने बताया, जिसको मैं स्वीकार करता हूं। इन्होंने कहा, केन्द्र का ही, वास्तव में राजकोषीय घाटा केन्द्र का ही होता है इसलिए फार्मूला केन्द्र का ही है। स्टेट के पास में कोई अलग से फार्मूला हो, ऐसा नहीं है। वह केन्द्र का ही फार्मूला है और आपने फार्मूला यह बताया वन प्लस फाइव प्लस सिक्स माइनस यही बताया था आपने? अब यह फार्मूला तो आपने बता दिया मगर इस फार्मूले के अन्तर्गत जो बजट में आंकड़े हैं, अब मैं उसी फार्मूले को लागू कर बजट के आंकड़ों से बताना चाहता हूं।

एक से मतलब है राजस्व प्राप्तियां, जो राज्य बजट में हैं जो वन प्लस फाइव प्लस सिक्स है एक का मतलब यही है न? उसमें हमारे पास 10,189.47 करोड़ रुपए। 5 से इनका तात्पर्य है शासन द्वारा दिये गये ऋणों के पेटे में वसूली। वह है 74.3 लाख रुपये और 6 से मतलब इनका है अन्य पूंजीगत प्राप्तियां, जो ऋण नहीं हो, वह निल हैं। इसका जोड़ होता है 10,263.50। अब जो इन्होंने माइनस 16 कहा है, इनका मतलब है कुल व्यय, जिसमें ऋणों का पुनर्भुगतान शामिल नहीं है। अब उसकी स्थिति सुन लीजिए। राजस्व व्यय हमारा है 11,521.56 लाख रुपए, पूंजीगत व्यय है 2,124.80 लाख रुपए, ऋण अग्रिम है 400 करोड़ रुपए,

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कुल योग आता है 14,046.36 अब इसमें से घटा दीजिए ऊपर वाला तो इसमें से हमने घटाया 10,263.50। नीचे निकला 3,782.06 यह हमारा राजस्व व्यय। अब 5,456.18 का आंकड़ा कहां से लाए ? मैंने आज पता किया तो हमारे यहां एक अर्थशास्त्री हैं माननीय पनगड़िया जी, आज ही भास्कर में उनका एक लेख पढ़ा। उन्होंने एग्जेक्टली यही फीगर दी तो मुझे लगा कि माननीय बंद जी ने उनसे पूछ लिया होगा। यदि वे खुद देखते और इसका जोड़-भाग करते तो कभी भी 5,456.18 नहीं बताते। वह उनके भरोसे पर रहे और इसलिए 5,456.18 बता दिया। मेरे कहने का मतलब है, यह तो है सकल राजकोषीय घाटा। एक शुद्ध राजकोषीय घाटा और होता है। सकल राजकोषीय घाटा है 3782.86। और शुद्ध राजकोषीय घाटा तब होता है जब उसमें से शासन ने जो शुद्ध उधार की राशि है शासन की, जो है 325 96 लाख की, यदि हम इस सकल घाटे में से निकाल दें। तो यह होता है 3456 9 करोड़। यदि इस घाटे का हम प्रतिशत निकालें, सकल उत्पादन का, जो हमने अनुमान किया है 1998–99 में 60 हजार 70 करोड़ रुपये का सकल उत्पादन। तो यह पड़ता है 5,76,10.4 भी नहीं होता। तो मैं यह कहना चाह रहा था कि यह जो आंकड़े..

श्री चन्दनमल बंद : मैं आपके ट्रेन आफ थोट को इन्टरवीन नहीं करना चाहता लेकिन जब एप्रोप्रिएशन पर बोलूंगा तो मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बिलकुल दीजिये। मैं तो इन्वाइट कर रहा हूं आपको। बारबार कर रहा हूं कि आप अपने ज्ञान से मेरे ज्ञान का वर्द्धन करें। मैं बार बार कहता हूं कि मैं कुछ समझता नहीं हूं। मैं तो उस परिवार से आया हूं कि जो एक और एक ग्यारह जानता हैं, दो और दो बाइस जानता है, तीन और तीन तैंतीस जानता है। मगर आप उस परिवार से आये हैं कि जो एक प्लस एक कर के दो कर सकते हैं, दो प्लस दो कर के चार कर सकते हैं, तीन प्लस तीन कर के छः कर सकते हैं। और तीन गुणा तीन कर के नौ कर सकते हैं। मैं वह नहीं जानता। मैं तो 11, 22, 33 जानता हूं और इसीलिए मैं उतनी ही भाषा बोल रहा हूं इसलिए मेरे ज्ञानवर्द्धन के के लिए यदि आप कुछ कहते तो मैं निश्चित समझता। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी यह चाहते हैं कि राजकोषीय घाटा कम हो जाय, हटा दिया जाय....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह भेद तो आज आपने उठा दिया। राजस्थान का बंटाधार कर देंगे। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : शांतिकुमार जी कम बोलियेगा गम्भीरता से। गम्भीरता से बैठें, कम बोलिये। हां, कम बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गम्भीरता से बोल रहा हूं। आपने ही बताया है कि मैं किस परिवार से आया हूं, उसका मैंने जवाब दिया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : राजकोषीय घाटा समाप्त करने की बात यदि की जाय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उप मुख्य मंत्रीजी, इस तरह की चेतावनी मुझे मत दिया करो आप । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्टरवेन्शन नहीं, व्यवधान नहीं डालिये । कृपया विराज जाएं । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह चाहें, यदि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य और कांग्रेस पार्टी एक प्रस्ताव पास करके कहे कि इसी वर्ष में इस राजकोषीय घाटे को समाप्त कर के सरप्लस बना दो, तो मैं बना सकता हूं 4,200 के प्लान को स्क्रैप करके । 4,200 की प्लान जनता के लिए नहीं होगी, हमारे राजकोष को हम बढ़ायेंगे इसलिए हम कोई प्लान लागू नहीं करेंगे, कोई दूसरे काम नहीं करेंगे । यदि 4,200 हम उसमें मिला देते हैं तो राजकोष सरप्लस में 3,100 का घाटा है यह सरप्लस में चला जायेगा । मगर यह व्यवस्था राजतंत्र की है यह प्रजातंत्र की व्यवस्था नहीं है । इसलिए मैं जानता हूं कि इस बात को शौक के तौर पर वे कह सकते हैं । शौक के तौर पर कह सकते हैं या आलोचना के लिहाज से, राजनीतिक दृष्टि से कह सकते हैं । लेकिन अन्तरमन में यह नहीं कह सकते कि आप राजस्थान की प्लान को स्क्रैप करके और राजकोषीय घाटे को समाप्त कर के सरप्लस बना दीजिये । ऐसा नहीं कह सकते । कहना भी नहीं चाहिये क्योंकि हम सब प्रजातंत्र के पुजारी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य बातें, जो आपत्ति इन्होंने की, वह मैंने आपके सामने रखी हैं । अब मैं चाहता हूं कुछ आंकड़े जो बहुत-से माननीय सदस्यों ने उठाये हैं, राजस्थान की वित्तीय स्थिति को देख कर वह आपके सामने प्रस्तुत करूं ।

हमने घाटा कम करने के लिए क्या प्रयास किये हैं, हमारी क्रेडिट क्यों है, इसके कुछ कारण हैं । और देशों में भी क्या हो रहा है, वह मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं ।

सबसे पहले तो कर राजस्व संग्रहण के मामले में बताना चाहता हूं । राज्य के सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के साथ-साथ हमने राजस्व संग्रहण में भी बहुत बढ़ोतरी की है, वह इन आंकड़ों से स्पष्ट है। 1989-90 में कर राजस्व हमने एकत्र किया 1072.51. 1992-93 में किया 1,734,39 और 1997-98 में किया 3,592.9 लाख रुपये जो पिछले 1989-90 से 335 प्रतिशत अधिक है । बिना कर लगाये, करों को छूट देकर भी किस तरह से हम घाटे की पूर्ति करते हैं, वह मैं आपको समझा रहा हूं । इससे एक बात स्पष्ट है कि 1992-93 से लेकर अब तक पांच वर्षों की अवधि में हमने जो कर प्राप्ति की है वह 207 प्रतिशत से भी अधिक होकर दोगुनी हो गयी । यह एक कारण है जिससे हम अपने घाटे को बिना कर लगाये ही कम करते जा रहे हैं । राज्य

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

की कुल प्राप्तियों में जो प्रगति हुई है, अब देनदारियां-देनदारियां तो यह बता रहे हैं लेकिन जो प्राप्तियों में प्रगति होती है वह मैं आपके सामने रखता हूं। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में भी जो बढ़ोतरी हुई है वह वर्ष 1989-80 में 2,667.7 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1992-93 में 4,827.47 करोड़ हुई और 1997-98 में 8,713.79 करोड़ रुपये हो गयी। यह वर्ष 1989-90 के मुकाबले में 326 प्रतिशत ज्यादा है। 1992-93 से 1997-98 तक 178 प्रतिशत की वृद्धि राजस्व प्राप्तियों में लगभग दोगुनी हुई है।

मान्यवर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान प्रदेश, देश के पांच ऐसे राज्यों में से एक है जिन्होंने अपनी कर प्राप्तियों में 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की है। यह हमारी क्रेडिट को बढ़ाने वाली बातें हैं। इससे हमारी क्रेडिट बढ़ती है। मान्यवर, कर राजस्व में वृद्धि की बात मैं बताना चाहता हूं। जहां तक विभिन्न रियायतों का प्रश्न है, यह हमारा अनुभव रहा है कि हमने रियायतें की हैं परन्तु राजस्व प्राप्ति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उसमें हमारा और बढ़ा है। जैसे 1989-90 में जहां बिक्री कर मय मनोरंजन कर व विद्युत शुल्क में कुल राजस्व प्राप्ति 639 करोड़ थी यही आय 1997-98 में बढ़कर 1,946 करोड़ रुपये हुई है। बिक्री कर की प्रक्रिया का हमने सरलीकरण किया और दरों में रियायतें दीं जिससे व्यापारियों में विश्वास पैदा हुआ। किसानों में, आम उपभोक्ताओं में, व्यापार तथा उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में अनेक वस्तुओं के संदर्भ में दरों की कमी के बावजूद राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि चाय पर बिक्री कर 10 प्रतिशत था, हमने उसे घटा कर 6 प्रतिशत किया परन्तु चाय की वार्षिक राजस्व प्राप्ति 14 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 करोड़ हो गयी, टैक्स कम करने के बाद भी।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्टरवीन नहीं कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : बाद में।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस प्रकार मोटर पार्ट्स की कर दर 12 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत किये जाने के उपरान्त भी वार्षिक राजस्व प्राप्ति 10 करोड़ रुपये से बढ़कर 12 करोड़ रुपये हो गयी है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : नहीं, बाद में नहीं। अभी आप एक बात पूछवा दीजिये कि जैसे आपने चाय का बताया, तो पिछले साल देशी घी के ऊपर 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत टैक्स किया गया था....

श्री उपाध्यक्ष : आपको मैं समय दूंगा, बिराज जाएं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी यह बता दें कि वह 6 परसेंट से 4 परसेंट करने के बाद में टैक्स बढ़ा है या घटा है?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मक्खन व देसी घी पर बिक्री कर की दर 6 प्रतिशत से कम कर 4 प्रतिशत करने के उपरान्त भी राजस्व की आय 12 करोड़ रुपये से बढ़कर 16 करोड़ रुपये हुई है।

श्री विष्णु मोदी : घी का बता दें। पिछले साल 6 परसेंट से 4 परसेंट किया है तो आप यह बता दें कि उससे आपका टैक्स बढ़ा है या घटा है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिए यह जो बार बार हमारे पर आपत्ति की जा रही है कि यह हमारा खजाना लुटा रहे हैं, हम खजाना लुटा नहीं रहे हैं हम टैक्स की दर कम कर के खजाना बढ़ा रहे हैं। यह आंकड़े इस बात के हैं।

इसी प्रकार से खाद्य तेल में कर दर 6 प्रतिशत से कम कर के 4 प्रतिशत करने के उपरान्त राजस्व आय की प्राप्ति 32 करोड़ रुपये से बढ़कर 38 करोड़ रुपये की हो गयी। इसी प्रकार से हाइड्रोलिक एक्स-केवेटर, टिन प्लेट, ट्रैक्टर के टायर व ट्यूब, सिलाई मशीन, स्टेनलैस स्टील, मैटल, फर्नीचर, कापर वायर, रेडीमेड गारमेंट्स रासायनिक खाद तथा एक्सरे फिल्म्स एवं वनस्पति घी आदि में हमने जो कम किये हैं उन सब में हमको राजस्व वृद्धि हुई है राजस्व घाटा नहीं हुआ। एक तो हमारा यह कारण था जो हमारी आय का स्रोत था, जिसके कारण यह पूछते हैं कि घाटा पूरा कैसे किया आपने।

श्री विष्णु मोदी : घी का भी बता दो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : दूसरा एक और कारण था। हमने इस बार अल्प बचत में बहुत असाधारण प्रगति की है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि अल्प बचत में ...(व्यवधान) .. मान्यवर, केन्द्रीय सरकार अल्प बचत को पूरी जोर-शोर से प्रोत्साहित नहीं करना चाहती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री विष्णु मोदी : जब इतने सारे आइटम्स का वित्त मंत्रीजी ने बताया है तो घी के बारे में बताने में इन्हें क्या तकलीफ आ रही है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वो इसलिए नहीं करना चाहती कि अल्प बचत का जो ऋण है वो ऋण उसके राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है।

श्री विष्णु मोदी : 10 आइटम बता दिये तो एक स्पेसिफिक पूछ रहे हैं घी का, वह भी बता दीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिए वो हमको बार-बार कहते हैं कि आप ज्यादा पैसा इकट्ठा मत करिये। हमने यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सामने रखा है कि कृपा करके इस अल्प बचत को आप अपने बजट से अलग निकाल दीजिये ताकि आपके राजकोषीय घाटे पर इसका असर नहीं पड़े, और यह आप राज्यों को सौंप दीजिये। क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है कि जिसमें पैसा उगाने में किसी को भी घाटा नहीं है।

(श्री हरिशंकर मामड़ा)

किसी को भी नुकसान नहीं है। अल्प बचत करने वाले को ब्याज मिलेगा, उसका रुपया मिलेगा, उसको कोई घाटा नहीं है। केन्द्र सरकार हम से 13 प्रतिशत ब्याज लेती है, उसको ब्याज मिलता है। इसलिए उसको गैप चुकाने में भी कोई परेशानी नहीं होती है और राज्य सरकार को, जितना अल्प बचत में हम यहां पैसा इकट्ठा करते हैं उसका 75 प्रतिशत हम को 13 प्रतिशत पर मिलता है। तो हम विकास के कामों पर खर्च कर सकते हैं। इसलिए न राज्य सरकार को घाटा है, न केन्द्र सरकार को घाटा है और न जमा करने वालों को घाटा है। हमने इस पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। परिणाम यह निकला कि 1989-90 में शुद्ध बचत अल्प बचत की 342.67 थी जिसमे हमको 170.40 करोड़ रुपये का ऋण मिला। 1991–92 में 406 19 थी जिस पर हम को 243.47 का ऋण मिला। और 1997-98 में 1210.39 थी जिस पर हमको 782.64 करोड़ रुपया मिला। और 1998-99 में अनुमानित, जो हमने दिया है, 1400 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत का, जिस पर 950 करोड़ रुपया हमको मिला है। यह विषय हैं जिनके माध्यम से हम हमारे घाटे को बिना जनता पर मार डाले, बल्कि जनता को, अल्प बचत करने वालों का, लाभ देते हुए भी यह हमने जो प्रगति की है यह 1989-90 के मुकाबले में 353 प्रतिशत से भी अधिक है।

श्री विष्णु मोदी : अल्प बचत के लिए आदमियों को बुलाकर जबरदस्ती करके फिर पैसा जमा करवाते हैं। हर जगह। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर मामड़ा: ... और जो राजस्थान 1986-87 में इस क्षेत्र में 21वां स्थान रखता था, वह अब सुधर कर सातवें स्थान पर आ गया है। मान्यवर, अभी लोगों ने कहा कि आप फालतू खर्च कर रहे हैं. प्रायोरिटीज आपकी गलत है, कृषि में नहीं करते हो, उसमें नहीं करते हो और ग्रामीण इलाकों में नहीं करते हो। वह भी मैं थोड़े आंकड़े देना चाहता हूं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो खर्चा किया और नवीं मे जो प्रावधान है, कृषि एवं सहायक सेवाओं के लिए ए.डी.पी. को छोड़कर आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 868.88 करोड़ रुपये खर्च किये और नवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 1,677.2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की। यानी हमने उसकी लगभग डबल व्यवस्था की है। ग्रामीण विकास विशिष्ट क्षेत्र के कार्यक्रमों में आठवीं पंचवर्षीय योजना में 910.42 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ और नवीं पंचवर्षीय योजना में 910 से बढ़ाकर 2497.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। यह ग्रामीण विकास की बात है।

मान्यवर, शिक्षा में आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 1218.26 करोड़ रुपये खर्च किये और नवीं पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ाकर 2877.77 करोड़ का प्रावधान किया। मान्यवर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1009 3 करोड़ रुपये के मुकाबले 2522.18 करोड़ रुपये हमने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत खर्च किये।

264

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मान्यवर, योजना का आकार कितना बढ़ गया। 12 हजार से 27 हजार हो गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसी तरह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में, आयुर्वेद को छोड़ कर, आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 420.92 करोड़ रुपया खर्च किया। नवीं पंचवर्षीय योजना में 929.93 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया लगभग डबल।

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी में हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1001.54 करोड़ रुपये खर्च किये और अब 1760 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बात नहीं करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, सड़कों के निर्माण पर, 1985–90 में, जब कांग्रेस का राज था, उस समय खर्च हुआ 89.90 करोड़ रुपया। और 1992 से लेकर 1997 तक हमने सड़कों पर खर्च किया है 89 करोड़ के अगेंस्ट में 701.69 करोड़ रुपया। अब इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं कि माननीय प्रतिपक्ष के कोई सदस्य, जो सड़क हमने बनायी है, उस पर चलकर के भी नकार दें कि यह सड़क तो बनायी ही नहीं है। और इसके बावजूद भी वह यह कह दें कि राजस्थान में तो विकास के काम हुए ही नहीं हैं, सड़कें बनी ही नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। एक तरफ तो यह शिकायत हो रही है कि सड़कों का रख-रखाव नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। अगर हुआ ही नहीं है तो रख-रखाव किसका करवा रहे हो ?

श्री चन्दनमल बैद : आपके निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों का क्या हाल है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ....एक तरफ तो कहते हैं कि बिजली 24 घण्टे बराबर नहीं आती है और दूसरी तरफ कहते हैं कि बिजली का काम बढ़ाया ही नहीं है। (व्यवधान) हमने बिजली दे दी इसीलिये तो उड़ा रहे हो आप।

श्री विष्णु मोदी : यह मेरा दावा है कि जो सड़कें सातवीं पंचवर्षीय योजना तक बनी थीं वे तो आज भी हैं और जो इनके शासन में बनी हैं वे तो बनने से पहले ही टूट गयी हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : चाहे हमने बिजली पैदा नहीं की लेकिन हमने आम जनता को पिछली तुलना में 30 लाख यूनिट्स के अगेंस्ट में 61 लाख यूनिट्स सप्लाई की है। हमने जनता को बिजली दी है। अब हमने बाहर से लाकर दी या हमने पैदा की, लेकिन जनता को कमी नहीं होने दी।

इसी प्रकार गांव सड़क से जोड़े गये। 1985 से 90 तक 2320 गांव जोड़े गये। मान्यवर, 1985-90 में कुल सड़क किलोमीटर में बनी 8145 किलोमीटर। और 92-97 में बनी 14974 किलोमीटर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कागजों में बनी।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अब आप कहां तक तुलना करोगे । यानी किसी काम को आप कहां तक छोटा करोगे । कर लो आप छोटा । छोटा करने के बाद भी ये आंकड़े इतने छोटे नहीं होंगे कि आप इनका नामो-निशान मिटा दें ।

माननीय, कृषि के क्षेत्र में 1992-97 में हमने जहां 1128 करोड़ रुपये का निवेश किया वहीं 1985-90 में केवल 203 करोड़ का निवेश था । ये हमको किसान विरोधी बताते हैं ।

श्री विष्णु मोदी : कांग्रेस के टाइम में जो फूडग्रेन था, वह था 124 लाख टन । आज इतना पैसा खर्च करने के बाद में फूडग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा सिर्फ पांच लाख टन ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : ....यानी किसानों के लिए 1128 करोड़ रुपया खर्च करने वाली सरकार किसान विरोधी, और केवल 203 करोड़ रुपया खर्च करने वाली सरकार किसानों की है । 40 साल तक इस देश में कांग्रेस का राज रहा । एक पैसे की रियायत नहीं दी । यह हमारी सरकार थी जिसने पिछली बार 65 करोड़ रुपये की रियायत दी और इस बार 62 करोड़ रुपये की शुद्ध रियायत दे रहे हैं । एक-एक किसान को, हजारों किसानों को हमने उनके कर्जे से मुक्ति दिलायी है । 40 साल में एक पैसा भी माफ नहीं किया गया । 40 साल से किसानों को कर्जदार कर दिया । हमने उनको कर्जे से मुक्ति दिलवायी है ।

श्रीमती कमला : एक हाथ से कर्जा माफ किया और दूसरे हाथ से बिजली की रेट्स बढ़ाकर खींच लिया । अरबों रुपया खींच लिया ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मुक्ति दिलाने वाली सरकार तो किसान विरोधी हो गयी और जो आप किसान को लूट-लूट कर खाते रहे, किसानों के नाम पर अपनी रोटी पकाते रहे, किसानों के नाम पर राज करते रहे और किसानों का शोषण करते रहे, वे अपने आपको किसान का हितैषी बता रहे हैं । ऐसा मत करो । यह ठीक नहीं है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में तिलहन के उत्पादन में देश में हम दूसरे नम्बर पर उभर कर आये । 1990-91 में 25 लाख टन के मुकाबले में 1996-97 में 41 लाख टन हमने किया । 25 से 41 लाख टन, ये उपलब्धि नहीं है? माननीय, उर्वरक के उपभोग में, किसान की बहबूदी का इस बात से पता चलता है कि....

श्री विष्णु मोदी : किसके उत्पादन की बात कर रहे हो ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तिलहन ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : ....किसान खेती में अपने साधनों का कैसे उपयोग करता है, उर्वरक का कैसे उपयोग करता है । राजस्थान में 1991-97 के बीच प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि में राजस्थान प्रथम रहा है । रसायन उर्वरक का उपभोग 1990-91 में जहां तो किलो प्रति हैक्टेयर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

था वहीं 1996-97 में 36 किलो प्रति हैक्टेयर हो गया।

मान्यवर, पीने के पानी का जहां तक सवाल है, पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1001.54 करोड़ रुपये का निवेश किया गया जब कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 2736 गांव और 14845 ढाणियां, जो कि कांग्रेस के राज में 40 वर्ष तक बूंद-बूंद पानी के लिए तरसती रहीं, उन 14845 ढाणियों में हमने पानी पहुंचाया जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 1063 गांवों को यह सुविधा उपलब्ध करवायी गयी थी। ढाणी को तो एक को भी नहीं करवायी गयी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक भी ढाणी को पानी नहीं पिलाया गया। हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 14845 ढाणियों में पानी की व्यवस्था की। कहां तक तुलना करोगे? जीरो और 14,845।

मान्यवर, हमने प्राथमिक विद्यालयों में, यह पहले कांग्रेस के राज में कभी नहीं हुआ, हमने प्राथमिक विद्यालयों में राज्य की ओर से गांवों में 3430 हैण्ड पम्प्स मुफ्त में लगवाये ताकि विद्यार्थियों को पीने का पानी मिले।

श्री रामस्वरूप मीणा : सीमेंट की फैक्ट्री में कब धुंआ निकलेगा? यहां मुख्य मंत्रीजी भी विराजमान हैं। सीमेंट फैक्ट्री की धुंआ का क्या हुआ? जनता ने तो +++। सीमेंट फैक्ट्री में कब धुंआ निकालोगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं। इन सेवाओं पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 444 करोड़ रुपये का निवेश किया गया जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुए 122 करोड़ से 266.1 करोड़ रुपये ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा। हर ग्राम पंचायत में हमने चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवायी है। औषधियों का बजट हमने दुगुना किया है और शिक्षा का तो ये खुद ही लोहा मानने लग गये। शिक्षा का प्रचार-प्रसार तो मान्यवर इतना हुआ है कि आज आप किसी गांव में चले जाइये, लोग और मांग तो छोड़ देंगे, यह कहेंगे कि हमारी प्राइमरी स्कूल को मिडल करो, मिडल को हाई स्कूल करो, हाई स्कूल को माध्यमिक करो और जहां माध्यमिक है वहां कालेज करो। यानि एक जबर्दस्त वातावरण शिक्षा के बारे में बना है। मान्यवर, इसके लिये केवल विद्यार्थी और खास तौर से लड़कियों के लिये हम मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें दे रहे हैं। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा की सुविधा हमने उपलब्ध की।

श्रीमती कमला : स्कूलें कितनी खोली

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती कमला)

लड़कियों की ? मुफ्त में किताबें बांट रहे हैं स्कूल तो खोलो नहीं लड़कियों की। अलग से उनका बजट प्रावधान तक नहीं किया आपने।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : शिक्षा के इस प्रचार-प्रसार के कारण जो जागरूकता महिलाओं में और आम जनता में आयी है, उसके कारण आज वह अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। आज जो यह कहते हैं कि यहां पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और मुकदमों की संख्या बढ़ गयी। वह इसलिये बढ़ गयी कि आज महिलाओं में इतनी जागृति आ गयी कि किसी महिला के साथ मामूली छेड़-छाड़ भी हो गयी तो उसकी एफ. आई. आर. दर्ज करा दी जाती है। यह जागृति पैदा की है हमने। इसी तरह से आज आम आदमी में यह जागृति पैदा हो गयी और एक बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा ....

श्रीमती कमला : इन्होंने तो आंकड़ों का विश्लेषण अच्छा किया है, आपने हालात का विश्लेषण गजब किया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आज हमारे विकास के कार्यों की गति को देखते हुए आम जनता में इतनी मांग बढ़ गयी है, उनकी अपेक्षाएं बढ़ गयी हैं कि आज हर व्यक्ति छोटे से गांव में जहां पचास घर हैं, वह भी कहते हैं कि हमारे घर घर में टूंटी लगाओ। आज हमने जो सड़कों का जाल बिछाया है, उसमें कस्बों में सब गलियों में सड़क बन गयी तो लोग कहते हैं मेरे घर पर सड़क लाओ। मेरे घर पर नाली बनाओ। यह मांग हमने बढ़ाई है परन्तु यह मांग चालीस साल में नहीं बनी। चालीस साल में इसलिये नहीं बढ़ी, चालीस साल की सरकार के ...(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : सब जगह सड़कें बना दीं क्यों ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हम चूंकि काम कर रहे हैं। जनता को लग रहा है कि यह सरकार काम कर रही है। इसलिए उनकी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, दिनों-दिन बढ़ रही है और उन अपेक्षाओं को हमारे प्रतिपक्ष के लोग ....

श्रीमती कमला : घनश्याम जी से पूछिये कि किसान कितनी शाबासी दे रहा है। अरबों रुपया जिस बेरहमी से आपने खींचा है वह आप माफ कर देंगे तो(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : इन्टरवेंशन अंकित नहीं होगा।

श्रीमती कमला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह इन्टरवेंशन अंकित नहीं हो रहा है श्रीमती कमला जी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करने हेतु हमने प्राथमिक विद्यालय सातवीं योजना में जहां केवल एक हजार नौ सौ थे, उनको बढ़ाकर 5,730 किया है। उच्च प्राथमिक 1,591 थे उनको बढ़ाकर 2,600 कर दिया। मान्यवर, हम सब काम सिस्टेमेटिक तरीके से कर रहे हैं। हमने यह तय किया है कि राजस्थान का कोई गांव, सामान्यतया जिसकी 250 की आबादी है या ट्राइबल एरिया में और रेगिस्तान में जिसकी 150 की आबादी है, वहां प्राइमरी स्कूल होनी ही चाहिये। और हम इस काम में कामयाब हुए। पूरे राजस्थान में हमने इस जनसंख्या वाले गांव में प्राइमरी स्कूल खोल दिये।

श्रीमती कमला : ×××

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसी तरह से हमने योजना बनायी कि आठवीं कक्षा.... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप शांत रहें, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक मिडिल स्कूल होना चाहिये। इस सिस्टम के मुताबिक हमने लगभग सभी पंचायतों को कवर कर लिया है और कोई पंचायत, कोई दो-चार रही हों तो मैं नहीं कह सकता, नहीं बची है कि जहां पर मिडल स्कूल नहीं है। यह सिस्टेमेटिक काम करने का तरीका है। मान्यवर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर आठवीं योजना में 1009.3 करोड़ रुपये का व्यय किया। नवीं पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ाकर 2,500.18 करोड़ किया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में मात्र एक कालेज खोला। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने राजस्थान में 15 कालेज खोले। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। आज तक नहीं हुआ है। यह मैं चन्दनमल जी को पढ़कर सुनाऊंगा....

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री हरिशंकर भाभड़ा : रतनगढ़ के कालेज के बारे में 1984 में इन्होंने इसी स्तर पर भाषण दिया था और जो आलोचना की थी, मौका मिलेगा तो एप्रोप्रिएशन पर पढ़कर सुनाऊंगा।

मान्यवर, जहां तक कुओं का सवाल है, आठवीं योजना में हमने 1 लाख, 25 हजार, 807 कुओं पर कनेक्शन दिये हैं वहां सातवीं योजना में केवल अस्सी हजार कुओं का था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 3,726 गांवों का विद्युतीकरण किया है। यदि मान्यवर, यह कांग्रेस के लोग गम्भीर होते चालीस वर्ष इन्होंने राज्य किया,

---

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

चालीस हजार गांव हैं राजस्थान में । यदि एक हजार गांवों का विद्युतीकरण भी प्रति वर्ष करते तो अब तक राजस्थान के चालीस हजार गांवों में बिजली पहुंच गयी होती और हमें इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। ऐसा इन्होंने किया नहीं, यह करने की इनकी आदत भी नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, विराजें । उजला जी अरोड़ा, आप शांत रहें ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपको कुछ विदेशों का उदाहरण देना चाहता हूं । कुछ इस तरह की जब आर्थिक मंदी आती है या बजट में घाटे आते हैं तो विदेशों में भी क्या स्थिति है ।

मान्यवर, विश्व को इस शताब्दी की सबसे गम्भीरतम आर्थिक मंदी का सामना 1929 और 1930 में करना पड़ा जिसे इतिहास में ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं । अमेरिका, इंग्लैण्ड व अन्य यूरोपीय देशों सहित कई विकसित देशों को भी इसकी मार सहनी पड़ी । मंदी का नतीजा यह हुआ कि उद्योग धंधे बंद हो गये । श्रमिकों की छंटनी कर दी गयी, जिससे बेरोजगारी बढ़ गयी । मूल्यों में भारी गिरावट के बाद बाजार में माल को खरीदने के लिये कोई मांग नहीं हुई । चूंकि उपभोक्ताओं के हाथ में क्रय शक्ति नहीं । ऐसे समय में एक ओर सामाजिक सुरक्षा के प्रयासों के तहत सरकारों द्वारा पेन्शन भत्ते इत्यादि का भुगतान करना पड़ा । साथ ही जनता के लिये रियायती दरों पर भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी । दूसरी ओर क्रय शक्ति बढ़ाने के लिये भी कदम उठाने पड़े । इस समय चूंकि भारी निवेश के लिये सरकारों के पास पूंजी नहीं थी और इसलिये जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिये ब्रिटेन ने एक अजीब तरीका निकाला । वहां के जो हिज मैजेस्टी के ट्रेजरी के सलाहकार थे मिस्टर कींज, उन्होंने यह सलाह दी सरकार को, कि लोगों को काम देने के लिये और नहीं है तो खड्डे खुदवाओ और बुराओ यह काम किया है उन्होंने । लोगों को कहा कि यह खड्डे खोदो और फिर बूरो । और उनको बाकायदा मजदूरी दी । जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने यह कहा कि यह क्रय शक्ति का सृजन जो मैं आज कर रहा हूं भले ही आज खड्डे खुद रहे हैं, बुर रहे हैं लेकिन इससे जो क्रय शक्ति का सृजन हो रहा है इससे उपभोक्ताओं की मांग बढ़ेगी । और जहां मांग बढ़ेगी तो मंदी का दौर समाप्त होगा । मान्यवर, यह बातें इतनी ही नहीं हैं...आप घाटे की बात करते हैं । वह जो बार-बार हमको कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में ऋण भार कितना है । हमारा 24 प्रतिशत कुछ है । अब आप यूरोप का उदाहरण देख लीजिये। मान्यवर, यूरोपियन कंट्रीज में आज जो सबसे सुदृढ़ हैं, वह जो आर्थिक रूप से

270

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

. . .

सबसे सुदृढ़ हैं, उन पर चालीस सकल घरेलू उत्पादन का भार है।

श्रीमती कमला : ×××

श्री हरिशंकर भाभड़ा : संयुक्त राज्य अमेरिका में 33 प्रतिशत, इंग्लैण्ड में 30 प्रतिशत, इटली में, जहां से श्रीमती सोनिया गांधी आती हैं, 115 प्रतिशत और बेल्जियम में जो आज सबसे बड़ा धनी देश है, दुनिया में जिसकी सबसे ज्यादा हाइयेस्ट पर-केपिटा इनकम है, वहां 120 प्रतिशत। स्पेन में तीस प्रतिशत और हालैण्ड में साठ प्रतिशत। और इसकी तुलना में आप हमारे 24 प्रतिशत को बढ़ा-चढ़ाकर बताओ कि यह तो सारा डूब ही गया, मैं समझता हूं यह अतिशयोक्ति है और यह चिन्तन का अभाव है।

मान्यवर, आज राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कुछ बताना चाहता हूं। बाजार मे ऋण उसको ही मिलता है जिसकी साख होती है। माह जुलाई, 1998 मे राज्य सरकार की प्रतिभूति के आधार पर राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा बाजार में प्रचलित 250 करोड़ रुपये के बाण्ड के मुकाबले ... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : आपको समझ में न आये तो आप चले जायं। आप विराजें। आप शांत रहें। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो रहे हैं। राज्य के एक स्वायत्तशासी बोर्ड तथा राज्य सरकार, दोनों की साख है। राज्य पर केन्द्र सरकार का किसी अन्य वित्तीय संस्थान का, या किसी अन्य जमाकर्ता की कोई देय मूलधन अथवा ब्याज की देनदारी बाकी नहीं है। आज कोई देनदारी हमारी बाकी नहीं है। कोई वेतन, कोई भत्ता, कोई माल का देय भुगतान शेष नहीं है। राज्य में समस्त कार्य लगातार चल रहे हैं। राज्य के भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मेन्टेन्ड खातों में सैकड़ों करोड़ों रुपये के ट्रेजरी होल्डिंग पड़े हुए हैं। क्या ऐसी स्थिति में कोई बुद्धिमान व्यक्ति राजस्थान को दिवालिया बता सकता है?...., जिसकी आज वित्तीय हालत यह है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा अन्य राज्यों की तुलना में जो प्रति व्यक्ति देनदारियां हैं, मान्यवर, प्रति व्यक्ति देनदारियों में भी राजस्थान के ऊपर हमारी प्रति व्यक्ति देनदारी है 3729.4। इसके ऊपर 14 प्रदेश हैं कि जिनकी 9 हजार, 12 हजार की देनदारियां हैं। जिसमें पंजाब शामिल है, उड़ीसा शामिल है, हरियाणा शामिल है, केरल शामिल है और 12 प्रदेश ऐसे हैं कि जो हमसे नीचे है, कि जहां पर हमसे कम प्रतिशत देनदारियां हैं। इस हालत में भी राजस्थान कोई बहुत पिछड़ा हुआ है....

श्री चन्दनमल बैद : कैसे केलकुलेट कर लिया आपने ? 23 हजार की देनदारियां हैं, आबादी आपकी पांच करोड़ से कम है, कैसे आपने केलकुलेट कर लिया ?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मान्यवर, राजस्व घाटे को पूंजी खाते में पूर्ति करने की बात यह बार-बार करते हैं कि आप राजस्व घाटे को पूंजी से कैसे पूरा करते हैं। स्वयं कांग्रेस के राज में सन् 1984-85 में पूंजी खाते से राजस्व घाटे की पूर्ति की गयी 61,59 लाख रुपयों से। इसी प्रकार से 1986-87 में 2.31 करोड़ और 1987 88 में 226.12 करोड़ की पूर्ति केपिटल अकाउंट से, पूंजी खाते से की गयी। और 1989-90 से 15.93 करोड़ से की गयी है। मान्यवर, इसलिए यह कोई हम नयी बात कर रहे हैं। केपिटल अकाउंट का पैसा, और फिर इसमें हालत यह है कि अभी केन्द्र सरकार की जो हमको सहायता मिल रही है, वह कम होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1995-96 में प्लान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो 1996-97 से नोन प्लान का प्लान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो हमको मिलनी चाहिये थी 406 करोड़, वह हमको नहीं मिली। वह घाटा अभी तक हमारे चल रहा है। हम उस घाटे को भी सहन कर रहे हैं और इस घाटे को सहन करके भी हम अपने वित्तीय प्रबंधन को बढ़ाना चाहते हैं।

मान्यवर, जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, हमने सारे कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग का पूरा वेतन भत्ता दे दिया है। उनका भुगतान हो रहा है। पेंशनरों के कल्याण के लिये भी हमने कई योजनाएं की हैं। उनकी पेंशन बढ़ायी है। दवाइयों के अधिक पैसे उनको दिये हैं। कैश देना भी शुरू किया है। और इस पांचवे वेतन आयोग का पेंशनरों को लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हम करेंगे। इसके लिये हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अब एक बात मैं और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और आप इसको ध्यान से सुनिये तो ज्यादा ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया धैर्य रखें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : ग्यारहवें वित्त आयोग के विचारणीय बिंदुओं में, मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि राजस्थान सरकार का शुरू से ही यह ध्यान रहा था, जिसके लिये माननीय विष्णु मोदी जी बार-बार कहते हैं कि रख-रखाव, रख-रखाव सम्पत्तियों का नहीं करोगे तो कैसे होगा? ठीक बात है। बिलकुल सही बात है। इसलिये हमने हमेशा फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग आयोग को बराबर यह रिक्वेस्ट की है कि कृपया फाइनेंस कमीशन आयोजना के साथ-साथ गैर- आयोजना के खर्चे को भी ले और प्लानिंग कमीशन प्लानिंग के साथ-साथ गैर-योजना को भी ले। ताकि दोनों, दोनों को देखेंगे तो पूरी पिक्चर हमारे सामने आएगी कि योजना में इतनी सम्पत्ति बनाएंगे। उसकी सुरक्षा के लिये, उसकी देख-रेख के लिये हमें पैसा चाहिये। यह खुशी की बात है कि हमारे इस प्रस्ताव को ग्यारहवें वित्त आयोग के विचारणीय बिंदुओं में शामिल कर लिया गया है।

मान्यवर, पिछली बार वित्त आयोगों की विषय सूची में योजनांतर्गत राजस्व घाटे की पूर्ति के लिये देय अनुदान के विषय

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

को सम्मिलित किया गया था; एवं दसवें वित्त आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की। जबकि योजना भिन्न एवं योजनागत, दोनों ही बातों में राजस्व घाटे की पूर्ति के लिये राज्य सरकारों की वित्तीय आवश्यकताओं को अब ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। गैर-आयोजना एवं योजना घाटे की पूर्ति के साथ-साथ पूंजीगत निवेश के लिये आधिक्य एवं राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे की कमी के लिये भी आयोग से सिफारिश करने की अपेक्षा की गयी है। पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के फलस्वरूप राज्य सरकारों के राजस्व व्यय पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिये ग्यारहवें वित्त आयोग से राज्य कर्मचारियों, अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को देय वेतन एव भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभों को एक निश्चित दिनांक एवं मापदंड को दृष्टिगत रखते हुए सिफारिश की अपेक्षा की गयी है। दसवें वित्त आयोग की भांति 31 मार्च तक पूरी होने वाली योजनाओं के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों एवं गैर विकासीय तथा सामाजिक सेवाओं, एवं सामान्य प्रशासन के उन्नयन के लिये राज्य सरकारों की वित्तीय आवश्यकताओं के आकलन, एवं 31 मार्च, 1999 को राज्य सरकारों के कर्ज की विद्यमान स्थिति के सुधार हेतु केन्द्र एवं राज्यों की ऋण वहन करने की क्षमताओं का ध्यान रखते हुए सुधारात्मक सुझाव देने की भी ग्यारहवें वित्त आयोग से अपेक्षा की गयी है। यह हमारी सबसे बड़ी सफलता की बात है।

श्री रामस्वरूप मीणा : सीमेंट फैक्ट्री का क्या हुआ? वह पांच हजार मजदूर +++ सीमेंट फैक्ट्री का क्या हुआ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, विश्नोई जी कई वर्षों से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि हमने तो हमारे राज में इंदिरा गांधी कैनाल बना दी, चम्बल बना दी, माही बना दी, बीसलपुर बना दी। आपने क्या किया? यह हमसे पूछ रहे हैं। मान्यवर, मैं आज इसका जवाब देना चाहता हूं ताकि भविष्य में वह इस प्रश्न को बार-बार नहीं करें। जहां तक चम्बल का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि चम्बल का काम आपकी सरकार के समय हुआ। कोटा बैराज का काम आपके समय में हुआ। उसमें हमारी सरकार का सिवाय अब रख-रखाव के, उस पीरियड में कोई योगदान नहीं था। वह आपका है मैं मानता हूं। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, वह कमांड एरिया कांग्रेस के शासन में हुआ था, वह भारतीय जनता पार्टी के शासन में डिकमाण्ड हुआ है। और आप इरिगेशन में, पावर में, एजुकेशन में, किसी डिपार्टमेंट में उठाकर देखें। 51 से लेकर 90 तक जो काम हुआ है, आपने तिगुना पैसा खर्च कर

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विष्णु मोदी)

किया, उसके बाद में आपने कुछ नहीं किया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सारा सिस्टम कोलेप्स होने वाला है ...

श्री हरिशंकर भामड़ा : मान्यवर, बाकी की सारी योजनाएं कांग्रेस ने पूरी नहीं की। न तो इंदिरा गांधी कैनाल कांग्रेस में पूरी हुई, न माही हुई, न बीसलपुर हुई, न जाखम हुई। मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएं नहीं हुई और जो माइनर सिंचाई की योजना है वह भी नहीं हुई। मैं आपको आंकड़ों से बताना चाहता हूं इंदिरा गांधी कैनाल पर 34 वर्ष में कांग्रेस के राज में....

श्री रामस्वरूप मीणा : जो 12 साल से आपके पास पड़ी हुई है उसको क्यों नहीं स्वीकृत करते ? (व्यवधान) वह जो लिफ्ट सिंचाई योजना है उसको (व्यवधान) आप क्यों नहीं स्वीकृत करते ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भामड़ा : केवल 730 करोड़ रुपये खर्च किये गये। 34 वर्ष में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी कैनाल पर 730 करोड़ रुपये खर्च किये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : तमाम डिग्गियां और नहरें बनीं। इसका सिस्टम बना और आपने जो पैसा खर्च किया उसका आप फिजिकल एचीवमेंट बताइये। पैसा तो खर्च किया आपने लेकिन उससे फिजिकल एचीवमेंट क्या हुआ है ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : हमारी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में 1 हजार 26 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। अब यह सेहरा किसको मिलेगा ? इंदिरा गांधी कैनाल किसने पूरी की, यह कौन बताएगा ? मान्यवर, इसी तरह से आपको बताता हूं। बीसलपुर, योजना बनाने का काम 1987 में शुरू किया कांग्रेस ने, मगर काम चालू नहीं किया। बीसलपुर में काम 1990 में हमने किया और उसके बाद आज हमने वहां पर....

श्री किशन मोटवानी : गलत बयानी नहीं करें आप....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : 1989 में बीसलपुर के बांध का काम शुरू हो गया।

श्री हरिशंकर भामड़ा : पोटेंशल लिया और 56 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की वहां पर गारंटी देते हैं। 16 हजार एम.सी.एफ.टी. पानी अजमेर को, ब्यावर को, नसीराबाद को और किशनगढ़ को दिया है। अब यह बीसलपुर का श्रेय श्रीमान् बिश्नोईजी, कैसे लेंगे जो शुरू हो 90 में हुआ है। शुरू ही 90 में हुआ है उसका वह श्रेय कैसे लेंगे ?

श्री किशन मोटवानी : किसने कहा

274

(श्री किशन मोटवानी)

दिया 90 में शुरू हुई है? कौन कह रहा है 90 में शुरू हुई है।

श्री विष्णु मोदी : सन् 1986 में मंजूर हुई और उस पर काम शुरू हुआ.... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : आज भी माही की योजना का जितना खर्च हमने नाइंथ प्लान में किया, नाइंथ प्लान में माही पर 2 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया जबकि यह टोटल योजना 949 करोड़ की थी। आज भी हम उस पर खर्च कर रहे हैं। और इसलिये इसका पूरा श्रेय वह लें और जालम की योजना इनके समय में बनी। आज तक इन्होंने पूरी नहीं की ...

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आई एम आन ए पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर, पाइंट आफ आर्डर.... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : इस प्रकार किसी पर भी खर्च नहीं हुआ है। मान्यवर, जिस सिद्धमुख नहर के बारे में तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य रोज कहते हैं, मेरी योजना है, मेरी योजना है। मान्यवर, इस योजना का काम 91—92 में शुरू हुआ और उसका कांट्रेक्ट 93 में हुआ है ... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप इनसे कह दें, वित्त मंत्रीजी से, कि फिजिकल एचीवमेंट हैं उसकी बात कर लें। आप आंकड़े दे रहे हैं। वह आंकड़े तो हमारे पास भी हैं, हमने भी बताया है। लेकिन कुल मिलाकर फिजीकल एचीवमेंट के ऊपर यह सरकार जीरो रही है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : और आज तक हमने इसका लगभग 78 परसेंट काम पूरा कर दिया। पंजाब और हरियाणा में जो एरियर चैनल बनाने थे, वहां वह ढील कर रहा है। राजस्थान सरकार ने अपना पूरा काम कर दिया है। मान्यवर, मीडियम योजना में सोम, कमला, अम्बा, बरोन लिफ्ट बारां, सावन भादो, कोटा, बिलास बारां, यह सारी योजनाएं हम पूरी कर रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह तो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह बात सही है कि कांग्रेस ने चालू की लेकिन पूरी हम कर रहे हैं। इसलिये यह जो बार-बार हमें सुनाते हैं कि आपने क्या किया। इतना ही नहीं, हमने जोधपुर पानी पहुंचाया, हमने बीकानेर पानी पहुचाया। यह सारा श्रेय हमारे को जाता है। हजारों करोड़ रुपया हमने खर्च किया है इन कार्यों में, और यदि इनका श्रेय वह लेना चाहें तो नहीं ले सकते।

श्री विष्णु मोदी : अमल में 49 लाख हैक्टेयर इरिगेटेड लैण्ड हुई और 1990 से 1998 तक सिर्फ 5 लाख हैक्टेयर इरिगेटेड लैण्ड हुई है। यह इनका एचीवमेंट है ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : मान्यवर, एक बात और कहूंगा कि पर-केपिटा डेट जो

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

यह बार-बार कहते हैं कि पर-केपिटा इंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 7972 है और उसकी तुलना में राजस्थान का 3792 है। (व्यवधान) अब इन आंकड़ों को कैसे ट्विस्ट कर करके, और राजस्थान का पर-केपिटा इंट ज्यादा है, यह जो कहा जा रहा है मैं समझता हूं, यह सारे आंकड़ों को तोड़ने की एक व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और हम कोई चोरी करते थे तो आप उसका जवाब देते थे और यह एक +++ तरीके से जिस तरीके का भाषण दिये जा रहे हैं और फेंक पर फेंक मारते जा रहे हैं, एक से +++ हैं। कहां तक बर्दाश्त करें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मान्यवर, अब इन्होंने कुछ राजनीतिक सवाल उठाये। राजनीतिक सवाल यह उठाया कि यह चुनावी बजट है, यह आगे आने वाली सरकार के लिए सिरदर्द पैदा करेगा। मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके यह सिरदर्द हमको ही ले लेने दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां से बोल रहे हैं ? किसी की सुनते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप यह सिरदर्द मत लीजिये, आप बिलकुल मत लीजिये। और हमने जो बजट बनाया है हमारे बलबूते पर बनाया है और इस आशा व विश्वास के साथ बनाया है कि हम जीतकर आयेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तो हार गये।

श्री हरिशंकर भामड़ा : +++

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह क्या है ?

श्रीमती कमला : आप तो +++ कर रहे हैं—(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : मान्यवर, इतने लोग बैठे हुए हैं... एक भी विधायक को विश्वास नहीं है कि वह अपने कार्य-कलापों से अपनी छवि के आधार पर चुनाव जीतकर आएं। (व्यवधान) इसलिए सारे के सारे श्रीमती सोनिया गांधी के चारों ओर घूम रहे हैं कि वह हमको जितायेगी।

श्रीमती कमला : यह कौनसा वित्तीय भाषण हुआ आपका ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह +++ नहीं सुनेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आपने 40 साल में क्या किया ? आप अपने बलबूते

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पर जीतकर के नहीं आ सकते....(व्यवधान) इसलिए आप उनकी+++में लगे हुए हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपका आर. एस.एस. परिवारवाद से ग्रसित है...(व्यवधान) पूरा आर.एस.एस. परिवारवाद से ग्रसित है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : +++ (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, इस परिवारवाद ने देश को गर्त में डुबोया है ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : +++ (व्यवधान)

श्रीमती कमला : जनता का शोषण किया है। किसानों को लूटा है..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह आपको शोभा देती है ....(व्यवधान) जान निकल रही है .. (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अपने+++ कर सकते हैं लेकिन जनता से वापस वोट नहीं ले सकते... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आज कांग्रेस में एक और परम्परा है अधिनायकवाद, जो +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने लोकसभा चुनाव के पहले भी कहा... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरे ख्याल से रात को नींद में भी सोनिया ध्यान रहती है आपको ....(व्यवधान) रात को जब सोते हो सोनिया ही दिखती है आपको।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ऐसा एक भी देशी मूल का व्यक्ति कांग्रेस में नहीं है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बन सके। वह कांग्रेस इस देश में राज करने के काबिल नहीं रही। मैंने 1942 का आंदोलन देखा है, मैंने उसमें भाग लिया है। +++(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : परिवारवाद की बात करते हो, उसी परिवार की मेनका गांधी को आपने मंत्री बना रखा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : +++ (व्यवधान)+++

श्रीमती कमला : आप अपने+++ धोने का... (व्यवधान) कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : हिन्दुस्तान की आजादी को ..(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ..और उनके सहारे से आप तिरना चाहते हैं... (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके* किसी ने कुरबानी दी है क्या ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने कभी आजादी का समर्थन नहीं किया । +++ की । आजादी .. (व्यवधान)

श्रीमती कमला : डीडवाना में आपने कोई....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह आपको शोभा नहीं देता है ...(व्यवधान) उप मुख्य मंत्री जी, +++ जिस प्रकार का आप भाषण दे रहे हो । इतना बिलो स्टैण्डर्ड भाषण । एक +++ दे रहे हो और अपने आपको विद्वान कहलाते हो । बहुत +++ ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नगरपालिका के चुंगी कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जायेगा (व्यवधान) इन सब का समायोजन किया जायेगा । (व्यवधान) आप सबको धन्यवाद ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इतना +++ और .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार पांच साल तक किये गये +++ (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 1998 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 21.55 बजे गुरुवार; 16 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

---

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 3 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	वर्ष	दर्ज अभियोग	अंतिम प्रतिवेदन (एफआर)	चालान	जेर तफतीश पेण्डिंग	कुल	चोरी गया माल मशरूका रुपयों में	बरामद किया गया माल मशरूका रु. में	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1996-97 (अप्रेल-96से मार्च-97 तक)	210	137	72	1	210	23,77,747	12,82,177	163	अभियोग सं. 675 दिनांक 15-12-96 धारा—380 भादसं.थाना-गढी जिला–बांसवाड़ा जेर तफतीश पेण्डिग हैं।
2.	1997-98 (अप्रेल-97 से मार्च-98 तक)	148	86	60	2	148	29,58,621	20,02,063	91	अभियोग सं. 132/98 धारा-447 379 भादसं. थाना-गढी एवं अभियोग सं. 75/98 धारा-379 भादसं. थाना अमेरा जिला बांसवाड़ा जेर तफतीश पेण्डिंग है।
3.	1996-98 (कुल)	358	223	132	3	358	53,36,368	32,84,240	254	——

(279)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 6 की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RELIEF DEPARTMENT

NO.F.I (2) (9) RC/SLC/96–97/18488-545

Jaipur, Dated : 25-11-97

CIRCULAR

Government of India promulgated C.R.F. scheme 1995 for providing relief in case of natural calamities. The letter of Dy.secretary to govt. of India No. 1–21/95–NDM dated–21/27-3-1997 (copy enclosed as Annexure-I) laid down the applicable norms with effect from 1-4-1997. It provided for revision of norms by the State Government within specified stipulations. Accordingly, the order was issued by the State Government No.F. 1 (2) (9) RC/SLC/96-97 16151-97 dated 29/30-9-1997 (copy enclosed as Annexure–II) It has been noted that the relief is being extended in various districts as per the old circulars and guidelines issued by this department. Some issues have also been raised regarding relief in case of loss to animal wealth, which has not been provided under the revised norms The matter has been considered by the State Government and on the recommondation of the State Level Committee empowered under the scheme to decide the norms within the specified stipulations of Govt. of India, the norms have been revised, as under:—

S.NO.	Items	Norms approved by GOR.
1	2	3
1.	Gratuitous Relief	
	(a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons.	Rs.20,000/-per deceased.

1	2	3
	(b) Ex-gratia payment to for loss of a limb or both the eyes.	Rs.10,000/-
	(c) Relief for the old and infirm and destitute, children.	Rs.6/-for per adult, Rs.3.50 for per child.
	(d) Clothing and utensils for families whose houses have been washed away.	Rs.625/-per household
2.	Supplementary Nutrition :	Rs.1.50 per head per day
3.	Assistance to Small Farmers/ Marginal Farmers for:	
	(a) Desilting etc.	
	(b) Removal of delebris in hill areas, and.	
	(c) Desilting/Restoration/ Repair of fish farms.	
	(d) Agricultural input subsidy (for agricultural crops, harticultural crops and plantation crops).	Rs.600/-per hectars, maximum Rs.1200/-
	(e) Loss of substantial pertion of land caused by landslides.	Rs.5,000/–per family,
4.	Employment Generation (only to meet additional requirements after taking into account funds available under plan schemes viz JRY,IJRY'EAS,etc.).	

283

1	2	3
		1. Within State Rs.30/-qtl. 2. Outside State Rs. 40/-qtl. 3. Sugarcane green fodder Rs/-25 qtl.
11.	Movement of useful cattle for other areas	-Existing norm to continue- -Big animal Rs.3/- per animal per day. -Small animal Rs 1.50 per animal per pay. -Bull Rs.8/-per day
12.	Provision of medicines, disinfedtants, insecticides, for prevention of out-break of opidemics.	— —
13.	Additional nutrient to animal feed to prevent mulnutrition.	-Existing norm Rs.1.25 per Kg.for 2 Kg.feed per animal
14.	Medical care for cattle and poultry against epidemics.	— —
15.	Evacuation of people affected/- likely to be affected.	— —

1	2	3
16.	Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical eare, etc. of people affected/evacuated.	Rs.200/- per person subject to Rs.1000/- maximum, for fire. FOR FLOOD For Adult: Rs.5/-day Foa Child: Rs.3/-day DROUGHT For Adult: Rs.135/- per month. For child Rs.75/- per month.
17.	Air dropping of food and medicine	— —
18.	Restoration to preclamity level of damaged public works viz roads, buildings, irrigation and flood control works, drinking water supply works, drainage works, school buildings, public health centres, hospital buildings, electricity installations, etc.	— —
19.	Replacement of damaged medical equipments and lost medicines of Govt. hospitals/health centres.	— —
20.	Operational cost of Ambulance Service, Mobile Medical Teams, Temporary dispensaries, field sanitary engineering devices, essential medicines and medical equipments.	— —

1	2	3	
21.	Cost of clearance of debris	—	—
22.	Cost of search and rescue measures.	—	—
23.	Disposal of dead bodies/care cases	—	—
24.	post disaster public education	—	—
25.	Cost of seed reserve built up by State Seed Corporation for contingency planning.	— SEED SUBSIDY Rs.400/-per hectare only during flood.	
26.	Improvement to the flood control aminities as a Preparatory measures.	—	—

These norms will come in to effect from the date of issue and will superoede all the orders and guidelines issued by this department from time to time.

The Collectors will ensure that the relief admissible under these norms is extended to the affected persons expeditiously and strictly as per the norms.

Sd/–

Secretary, Relief

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जिला नागौर में छात्रावासों का संचालन

8. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नागौर जिले में क्या-क्या योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में किस–किस कार्यक्रम में कितनी–कितनी राशि खर्च करके क्या–क्या कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं ?

(2) गत वर्ष उक्त कार्यक्रमों पर कितनी राशि खर्च की गई और क्या-क्या कार्य कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जिले में कहां-कहां पर छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं ? जिन पर कितनी-कितनी राशि खर्च हो रही है और छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है तथा छात्रावासों में कौन-कौन कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो जिले में कहां-कहां कौन–कौनसी संस्थाएं छात्रावास चला रही है जिसको सरकार अनुदान दे रही है ? प्रत्येक छात्रावास को दिया जा रहा अनुदान, छात्रों की संख्या, संस्था प्रधान व वार्डन के नामों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा नागौर जिले में संचालित योजनाओं एवं उन पर व्यय की जाने वाली राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

287

परिशिष्ट "अ"

आयोजना मद के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 में जिला नागौर में जुलाई, 98 तक आवंटित राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम योजना	जुलाई, 98 तक का आवंटन (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	अनुसूचित जाति अनुदानित छात्रावास	3.40
2.	पूर्व परीक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र (अम्बेडकर संस्थान)	0.76
3.	अनु. जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	1.57
4.	नागरिक अधिकारों की सुरक्षा (अनु. जाति)	0 05
5.	सम्बल ग्रामों का विकास	2 00
	योग	7.78
1.	अनु. जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	0.20
2.	गाड़िया लुहारों को कच्चे माल क्रय हेतु अनुदान	0.04
3.	गाड़िया लुहारों के लिये समेकित योजना	0.50
	(पिछड़ी जाति) योग	8.52

समाज कल्याण

1.	संयुक्त सहायता हेतु अनुदान	1.50
2.	विकलांग छात्रवृति	2.50

1	2		3
3.	विकलांगों का चिन्हीकरण		0.02
4.	निराश्रितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान		0.90
5.	विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान		0.75
6.	जनचेतना शोध एवं प्रकाशन		0.01
	(समाज कल्याण)	योग	5.68
		कुल योग	14.20

आयोजना मद/केन्द्र प्रवर्तित योजना मद के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में जिला नागौर में संचालित योजनाओं का व्यय विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम योजना	व्यय	
		आयोजना मद	केन्द्र प्रवर्तित योजना मद
	अनुसूचित जातियों का कल्याण		
1.	छात्रावासों का संधारण	0.89	—
2.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	9.06	0.40
3.	अनु. जाति अनुदानित छात्रावास	9.02	0.66
4.	अस्वच्छ कार्य में कार्यरत परिवारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति	0.06	0.66

289

1	2		3
5.	नागरिक अधिकारों की सुरक्षा (अनु. जाति)	0.10	—
6.	सम्बल ग्रामों का विकास	4.50	—
		23.63	1.66
	अनु. जनजातियों का कल्याण		
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	1.23	—
2.	पूर्व परीक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र	1.87	0.80
3.	नागरिक अधिकारों की सुरक्षा	0.05	—
		3.15	0.80
	अन्य पिछड़ी जाति कल्याण		
1.	विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों के लिये विशेष समेकित योजना	0.20	—
	(पिछड़ी जाति) योग	26.98	1.86
	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		
	विकलांग व्यक्तियों का कल्याण		
1.	संयुक्त सहायता हेतु अनुदान	0.50	—

(290)

1	2	3	4
2.	विकलांग छात्रवृति	5.55	—
3.	मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा विकलांगों को प्रशिक्षण	0.13	—
		6.18	—
	बाल कल्याण		
1.	निराश्रितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान	1.62	—
	महिला कल्याण		
1.	विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान	0 25	—
2.	सेमीनार कांफ्रेंस एवं पुस्तकों का क्रय	0.01	—
	(समाज कल्याण) योग	8 06	—
	वृहद योग	35.04	1.86
	राज अनु. जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित योजनाएं		
1.	व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं	—	67.33
2.	स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना	—	4.25
	वृहद योग	35.04	73.44

(परि. "ब")

नागौर जिले में संचालित राजकीय छात्रावासों का विवरण

क्र.सं.	नाम छात्रा. एवं स्थान	योजना	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र सं. 97–98	कर्म/अधीक्षक का नाम	अवधि जब से वह कार्य कर रहा है	छात्रावास वार भोजन वस्त्र पर वर्ष 97-98 का व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राज.बालक छात्रा.नागौर	अनु.जाति	60	55	श्री प्रेमसिंह	18-5-98 से लगातार	7,17,140/–
2.	राज.कन्या छात्रा.नागौर	-"-	25	25	अतिरिक्त चार्ज	10-2-97 से लगातार	95,689/–
3.	राज.स्वच्छकार छात्रा. नागौर	स्वच्छकार	25	25	श्री मो. माजिद	19-5-98 से लगातार	97,591/–
4.	राज.बालक छात्रा. मौलासर	अनु.जाति	25	25	श्री रामगोपाल व्यास	26-7-96 से लगातार	93,770/–

291

292

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	राज. बालक छात्रा. कुचामनसिटी	अनु. जाति	25	25	श्री भंवरलाल मेघवाल	31-3-98 से लगातार	91,545/—
6.	राज. बालक छात्रा. डेगाना	-"-	35	35	श्री मो. माजिद	अति. चार्ज 24-12-98 से लगातार	1,34,610/—
7.	राज. बालक छात्रा. मकराना	-"-	25	15	श्री हरिराम शर्मा	27-12-96 से लगातार	54,130/—
8.	राज. बालक छात्रावास रियावाड़ी	-"-	25	25	श्री मो. माजिद	25-12-97 से लगातार अतिरिक्त चार्ज	63,988/—
9.	राज. विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास लाडनूं	-"-	50	50	श्री जगदीश कुमार माथुर	31-3-98 से लगातार	1,74,179/—
10.	राज. विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास बडू	-"-	25	25	श्री रतनलाल शर्मा	12-7-97 से लगातार	66,558/—

(परि. "स")

नागोर जिले में संचालित अनुदानित छात्रावासों का विवरण

क.सं.	छात्रावास नाम व स्थान	योजना	स्वीकृत छात्र सं.	प्रवेशित छात्र सं.	संस्था का नाम	अध्यक्ष/प्रधान का नाम	वार्डन का नाम	स्वीकृत अनुदान 97-98
1.	महात्मा गांधी अनुदानित छात्रा. नागोर	अनु. जाति	45	45	महात्मा गांधी अनु. संस्था नागौर, मु. कुचामनसिटी	श्री प्रकाशचन्द आर्य	श्री मोहनसिंह	1,61,876/-
2.	"-" जायल	"-"	35	35		"-"	श्री अर्जुनराम	1,28,251/-
3.	"-" परबतसर	"-"	60	50	"-"	"-"	श्री मदनमोहन केराया	1,87,894/-
4.	"-" मेडतासिटी	"-"	65	50	"-"	12/97 से तहसीलदार मेडतासिटी का प्रशासक लगाया गया है।	श्री धर्माराम	2,09,683/-
5.	अम्बेडकर अनु.छात्रा. डीडवाना	"-"	35	25	अम्बेडकर अनु.-संस्था, डीडवाना	श्री मोतीराम भाटी	श्री मगनाराम	1,32,853/-
6.	राजस्थानी छात्रा. लाडनूं	"-"	50	50	राजस्थान बोहरा बावरी किसान सभा, लाडनूं।	श्री जीवणराम	श्री लूणाराम	1,85,622/-

(293)

जिला करौली के ग्रामीण क्षेत्र में थानों का सृजन

9. श्री हंसराम गुर्जर (करौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार जिला करौली के ग्रामीण क्षेत्र में थाने खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। पुनर्गठन योजना में यह प्रकरण विचाराधीन है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्राप्त राशि

10. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए तैयार किये गये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा जयपुर केन्द्र का चयन किया गया था? यदि हां, तो कब तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई व कितनी राशि वास्तव में अब तक प्राप्त हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार और सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज प्रशासन के बीच सामंजस्य के अभाव में उक्त राशि का उपयोग आज तक नहीं हो पाया है तथा केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम के लिए शेष राशि स्वीकृत करने से पूर्व गत वर्ष स्वीकृत राशि के व्यय का लेखा मांग रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम के लिए पहले चरण में प्राप्त हुई राशि के उपयोग के लिए शुरू किये गये उक्त कार्यक्रम के तहत मिलने वाली शेष राशि समय पर प्राप्त नहीं हो पाई है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय का चयन किया गया। उक्त चयन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं प.क. मंत्रालय के पत्र क्रमांक 15012/3/96-पी एच दिनांक 10-2-97 द्वारा किया गया था। उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु प्रायोगिक आधार पर सीकर जिले का चयन किया गया था।

इस प्रयोजनार्थ आज दिनांक तक 45,97,600 रु. प्राप्त हो गये हैं।

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में यह अंकित है कि कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रथम वर्ष 28.5 लाख रु0 देय हैं एवं कार्यक्रम के द्वितीय चरण में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में क्रमशः 21.5, 20.7, 21.00 एवं 24.00 लाख रुपये देय हैं। उक्त पत्र में यह भी अंकित है कि कार्यक्रम के प्रारम्भ में हुए विलम्ब

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

के कारण कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रथम वर्ष में देय 28.5 लाख रुपये की राशि में से भारत सरकार द्वारा स्वत: 6,02,400/- रुपये की कटौती कर ली गयी।

(2) यह सही नहीं है कि सरकार एवं सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज प्रशासन के बीच सामंजस्य के अभाव में उक्त राशि का उपयोग नहीं हो पाया।

केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके द्वारा दी गयी राशि की उपयोगिता के सम्बन्ध में पत्राचार किये जा रहे हैं लेकिन कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के पश्चात् आज दिनांक तक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के अलावा प्रतिवर्ष की स्वीकृत प्राप्तियों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई। यहां तक कि द्वितीय वर्ष की स्वीकृत प्राप्ति 21.5 लाख के विरुद्ध 23.5 लाख की वास्तविक राशि प्राप्त हुई।

जहां तक स्वीकृत राशि की उपयोगिता है का प्रश्न है, चूंकि भारत सरकार द्वारा राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय किया जाता है। अत: उस वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम योजना के अनुरूप स्वीकृत राशि का समुचित उपयोग सम्भव नहीं हुआ।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले चरण में प्राप्त हुई राशि कार्यक्रम के तहत स्वीकृत प्राप्तियों में अभी तक कोई कटौती नहीं की गई है। राशि की प्राप्ति भारत सरकार द्वारा राशि आवंटन करने पर निर्भर है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में राशन सामग्री का वितरण

11. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जनसंख्या के अनुपात में केरोसीन/शक्कर नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हां, तो वर्ष 1997 में कितनी-कितनी और कब-कब? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त वर्ष में वितरित की गई सामग्री का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील टोडाभीम एवं नादौती में राशन की शक्कर जनसंख्या जनगणना 1991 के अनुपात में व केरोसीन राशन कार्डों की संख्या के अनुपात में उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 1997 में वितरित कराई गई चीनी एवं केरोसीन की सूची संलग्न है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या (1) में संलग्न सूची के अनुसार सामग्री वितरित की गई।

296

क्र.सं.	नाम माह (वर्ष 1997)	तहसील नादौती		तहसील टोडाभीम	
		लेवी चीनी (क्विंटल में)	केरोसीन (के.एल.में)	लेवी चीनी (क्विंटल में)	केरोसीन (के.एल.में)
1.	जनवरी	335	72	683	96
2.	फरवरी	367	72	517	84
3.	मार्च	392	72	821	96
4.	अप्रैल	412	72	789	108
5.	मई	426	72	809	108
6.	जून	419	72	670	120
7.	जुलाई	308	84	777	132
8.	अगस्त	417	72	760	108
9.	सितम्बर	481	84	860	132
10.	अक्टूबर	445	72	982	132
11.	नवम्बर	455	96	845	132
12.	दिसम्बर	463	72	768	144

राजकीय आवासों की बकाया किराया राशि

12. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

दसवीं राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों की ओर 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के लिये उनके आवासगृहों/फ्लेट्स में लिये गये सामान के किराये की कितनी-कितनी राशि किस-किस विधायक के नाम फर्नीचर/विद्युत सामान की बकाया निकल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

दसवीं राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों की तरफ 31-3-98 तक की अवधि के लिए फर्नीचर तथा विद्युत सामान के किराए की बकाया राशि की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सम्बल ग्राम सावनिया (लूणकरणसर) का स्वीकृत ट्यूब वैल

13. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने राज्य में कुल कितने सम्बल गांव घोषित किये हैं तथा उन्हें क्या-क्या सुविधाएं देने हेतु नीति निर्धारित की है ?

(2) ग्राम सावनिया, तहसील लूणकरणसर के उक्त गांव को उक्त सुविधाओं से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सम्बल गांव में पेयजल समस्या गंभीर है ? क्या ग्रामीणजन परम्परागत कुओं से ऊंटों के द्वारा पानी निकालकर तकलीफ भुगत रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सम्बल गांव में वर्ष 1997-98 में स्वीकृत ट्यूब वैल का समय पर कार्य सम्पादन नहीं कराने के कारण उक्त बजट लैप्स हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये पुनः स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 एवं 1991 की जनगणना के आधार पर राज्य में कुल 2852 सम्बल ग्राम घोषित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा इन ग्रामों के विकास का अनु. जातियों के विकास को केन्द्रीय बिन्दु बनाकर उनका समग्र संपोषित विकास करने का प्रयास किया गया है। तद्नुसार इन ग्रामों में राज्य योजना मद से आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा विशेष केन्द्रीय सहायता से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

(2) ग्राम सावनिया को विकासीय

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

कार्यों से वंचित नहीं रखा गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन ग्रामों में विकासीय कार्य करवाये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। ग्राम सावनिया क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जेतपुर-मिठड़िया का अंतिम छोर का ग्राम है, जहां इन्टर मिडियट पम्पिंग स्टेशन मिठड़िया से जल आपूर्ति की जाती है। ग्रीष्म काल में पेयजल की कमी होने पर टैंकरों से जलापूर्ति की गई है।

(4) जी नहीं। वर्ष 97-98 में कोई भी नलकूप स्वीकृत नहीं किया गया एवं न ही धन उपलब्ध कराया गया। वर्ष 96-97 में 30 जिला 30 काम के अन्तर्गत ग्राम सावनिया मे नलकूप निर्माण हेतु 3.25 लाख रुपये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये, परन्तु निर्माण से पहले भूजल वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त गांव में पानी खारा एवं पीने योग्य नहीं होने के कारण नलकूप निर्माण का कार्य नहीं कराया गया।

काम्सटेबलों की नियुक्ति का प्रकरण

14. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 1997-98 में कांसटेबलों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो जिलावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने पद आरक्षित थे एवं उनमें से कितने-कितने पद भरे गये ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा गया है ? यदि हां, तो क्यों व कितने पद ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) राज्य के जिले जयपुर नगर, झुन्झुनू, हनुमानगढ़, करौली एवं सिरोही में अनुसूचित जनजाति के कुल 11 स्थानों एवं अनुसूचित जाति के एक स्थान पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है क्योंकि उक्त श्रेणियों के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुये थे। विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

परिशिष्ट—"क"

क.सं.	नाम जिला	कुल नियुक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद		नियुक्ति दी गई		एससी/एसटी के विरुद्ध में सामान्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई	
			अनु. जाति	जनजाति	अनु. जाति	जनजाति	अनु. जाति	जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	115	22	15	20	15	—	—
2.	भीलवाड़ा	129	21	16	21	16	—	—
3.	नागौर	133	22	16	27	19	—	—
4.	जयपुर शहर	142	23	17	22	17	1	—
5.	जयपुर ग्रामीण	142	23	17	23	17	—	—
6.	झुंझुनू	108	17	12	17	11	—	1
7.	सीकर	97	15	12	15	12	—	—

299

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	टोंक	115	18	15	18	15	—	—
9.	दौसा	129	21	16	21	16	—	—
10.	बीकानेर	86	15	10	15	10	—	—
11.	चुरू	103	16	13	16	14	—	—
12.	श्रीगंगानगर	157	25	19	28	19	—	—
13.	हनुमानगढ़	113	19	14	19	8		6
14.	भरतपुर	27	4	4	8	4	—	—
15.	अलवर	117	19	14	19	14	—	—
16.	सवाईमाधोपुर	90	16	11	16	12	—	—
17.	धौलपुर	109	17	13	17	13	—	—
18.	करौली	167	27	20	27	17	—	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	जोधपुर	127	21	15	21	15	—	—
20.	जालोर	92	14	11	14	11	—	—
21.	जैसलमेर	116	20	14	22	15	—	—
22.	बाड़मेर	98	16	14	16	14	—	—
23.	पाली	154	23	18	23	18	—	—
24.	सिरोही	94	14	13	14	12	—	1
25.	कोटा शहर	104	16	12	16	12	—	—
26.	कोटा ग्रामीण	122	31	23	31	23	—	—
27.	बून्दी	129	17	19	17	19	—	—
28.	झालावाड़	106	18	13	18	13	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	बारां	143	23	17	23	17	—	—
30.	उदयपुर	102	10	27	11	30	—	—
31.	बांसवाड़ा	60	5	41	5	41	—	—
32.	चित्तौड़गढ़	135	17	21	18	21	—	—
33.	डूंगरपुर	100	5	42	6	45	—	—
34.	राजसमन्द	165	27	22	30	25	—	—
35.	जी आरपी (अजमेर)	49	8	5	8	4	—	—

(303)

जोधपुर के चिकित्सालयों में सिटीस्केन सुविधा

15. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के मथुरादास माथुर अस्पताल में स्थित सिटीस्केन मशीन साधारणतया खराब रहती है ? क्या सरकार की वहां एक और सिटीस्केन मशीन लगवाने एवं उपलब्ध मशीन की बेहतर व्यवस्था करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अस्पताल में ब्रेकी थेरेपी प्रारम्भ करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) रेडियोलोजी विभाग में कार्य की अधिकता को देखते हुए क्या सरकार वहां एक और विशेषज्ञ प्रोफेसर को पदस्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि संस्था की सिटीस्केन की मशीन साधारणतया खराब रहती है। वर्तमान में एक और सिटीस्केन मशीन लगाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) मथुरादास माथुर अस्पताल में ब्रेकी थेरेपी सुविधा जुलाई, 1993 से ही उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में रेडियो डायग्नोसिस विभाग में शिक्षक चिकित्सकों के स्वीकृत/सृजित समस्त पद भरे हुए हैं। तथा वर्तमान में एक और प्रोफेसर के पदस्थापन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला भरतपुर के पैट्रोल पम्पों का निरीक्षण प्रकरण

16. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में भरतपुर जिले में पैट्रोल में मिलावट का पता लगाने हेतु पैट्रोल पम्पों का निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस पैट्रोल पम्प के निरीक्षण में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या अन्य वस्तुओं में मिलावट सम्बन्धी जांच हेतु भी भरतपुर जिले में गत वर्ष निरीक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये ? यदि हां, तो मिलावट में कौन-कौन से मामले सामने आये व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1996,1997 एवं 1998 में पैट्रोल पम्पों पर मिलावट का पता लगाने हेतु निरीक्षण किये गये। वर्ष 1997 में विशेष जाँच दल गठित करके भी निरीक्षण किये गये। निरीक्षणों

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

में पाई गई अनियमितताओं एवं की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(2) अन्य वस्तुओं में मिलावट संबंधी जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाई जाती है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार गत वर्ष 1997 में 56 मामलों में अपमिश्रण पाया गया। बनाये गये प्रकरणों एवं उन पर की गई कार्यवाही की सूचना संलग्न है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में चक्रवाती तूफान से क्षति

17. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 6 जून, 1998 को संभावित चक्रवात की सूचना से मा. मुख्यमंत्री ने राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों/प्रशासन को सचेत कर दिया था? यदि हां, तो किन-किन को?

(2) राज्य में चक्रवात से जिला जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं पाली में कितने लोग मारे गये और कितनी राजकीय/निजी सम्पत्ति का नुकसान हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्यमंत्री महोदय, द्वारा 7 जून को प्रात: 11 बजे राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली जाकर राज्य सरकार के स्तर से समस्त जिला कलेक्टर्स एवं संभागीय आयुक्तों व समस्त विभागाध्यक्षों को चक्रवाती तूफान से बचाव के हर संभव उपाय करने व सतर्कता बरतने हेतु निर्देश दे दिये गये थे।

(2) चक्रवात से राज्य के जिला जालोर में 3 व्यक्ति तथा जिला बाड़मेर में 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई अन्य जिलों में जन हानि होने की सूचना नहीं है। राजकीय/निजी सम्पत्ति को हुए नुकसान का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट—1)

परिशिष्ट-1

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

RELIEF DEPARTMENT

(DAMAGE REPORT DUE TO CYCLONE)

प.

(As on 13-07-1998)

	Barmer	Jalore	Jodhpur	Jaisalmar	Nagaur	Sirohi	Rajsamand	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Loss of Human Life	9	3						12
II Animal Lives Lost								
1 Sheep	19393	160	18239❋	953				38745

❋ Sheep and Goats

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ii Goat	20568	30		476	5		3	21082
iii Cow & Bullock	1038	17	826	33		2		1916
iv Buffalo	36	12	41					89
v Camel	54	2	41					97
vi Donkey	51	-	4					55
Total Animals Lost	41140	221	19151	1462	5	2	3	61984
vii Estimated Loss (Lac Rs.)	449.89	3.90	218.44	14.20	0.06	0.11	0.04	686.62

III Damage to Houses

i Completely Damaged

(307)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Pacca	2	33	3					38
b. Kachcha	97	1030	9					1136
ii Partially Damaged								
a. Pacca	52	392	95		1		1	541
b. bachcha	13819	35337	828			1		49985
iii Bstimated Loss (Lac Rs.)								870.00

DAMAGE TO PUBLIC PROPERTIES (Lac Rs.)

Departmental estimate loss	Barmer	Jalore	Jodhpur	Sirohi	Sikar	Pali	Jaisalmer	Nagaur	Total
RSEB	247.34	505.23	81.71	14.83	—	33.13	3.60	—	885.84
PWD (Roads)	1271.71	14.93	242.92	12.86	36.30	3.50		50.00	1632.22
PWD (Buildings)	14.00							21.50	35.50
IRRIGATION	1.30								1.30

(309)

जिला कोटा के निर्माण कार्य

18. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :--

(1) वर्ष 1994-95 से अब तक पंचायत समिति खैराबाद (रामगंज मण्डी) जिला कोटा में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन से गांवों में सड़कें स्वीकृत की गई ? उन पर कितना-कितना व्यय हुआ एवं कार्य की स्थिति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि खेड़ली (चेचट) पुलिया का जो ठेका दिया गया था, उसकी आवश्यक शर्तों में सीमेण्ट, गिट्टी, रेती को मिलाने वाली मिक्सर मशीन के उपयोग का उल्लेख था ? यदि हां, तो मिक्सर मशीन का उपयोग नहीं किये जाने के कारण और मशीन के अभाव में गुणवत्ता की क्या गारंटी रहेगी ?

(3) क्या यह सही है कि अरण्या कलां-सुरेडा, दरा-मटवाड़ा, मटवाड़ा-नया गांव एवं नया गांव से कंवरपुरा सड़क पर यातायात शुरू हो गया है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(4) ग्रेवल व डब्लू. बी. एम. रोड की क्या परिभाषा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पंचायत समिति खैराबाद (रामगंज मण्डी) जिला कोटा में वर्ष 1994-95 से1997-98 तक योजना मद में 148.50 लाख रुपये एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोटा की विभिन्न योजनाओं में 233.50 लाख रुपये सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे । उपरोक्त स्वीकृत कार्यों पर योजना मद में 98.96 लाख रुपये एवं जिला विकास अभिकरण की विभिन्न योजनाओं में 155.47 लाख रुपये व्यय किये गये । विभिन्न सड़कों पर स्वीकृत राशि व उन पर किया गया व्यय एवं वर्तमान भौतिक प्रगति का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "एक" में संलग्न है ।

(2) जी नहीं । खेड़ली पुलिया (चेचट) का निर्माण संवेदक द्वारा नहीं किया गया है । यह कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना में स्वीकृत होने से विभागीय स्तर पर करवाया जा रहा है । पुलिया के फाउण्डेशन एवं पाइप होल्डिंग कार्य 1:5:10 (1 सीमेन्ट: 5 सेन्ड: 10 गिट्टी) अनुपात में सीमेन्ट कंकरीट किया गया है । उक्त कार्य ग्रामीण कार्य निर्देशिका में दिये निर्देशानुसार दैनिक मजदूरों द्वारा करवाया गया है । किये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद है । वर्तमान में पुलिया निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

(3) जी नहीं । सम्पर्क सड़क अरनियाकलां-सुरेडा, दरा-मटवाडा, नया गांव-कंवरपुरा मेटल/ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य

(310)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सुनिश्चित रोजगार योजना में दो वर्ष पूर्व करवाया गया था। पर्याप्त स्वीकृति के अभाव में इन सम्पर्क सड़कों पर पुलियाओं का निर्माण न होने के कारण यातायात सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है। भटवाडा-भया गांव सड़क पर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। यह कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रेवल सड़क :–

(4) स्थानीय मिट्टी द्वारा बनाई गई सड़क पर स्थानीय रूप से उपलब्ध कंकर-पत्थर, क्वारी रविश, मुरंम को एक सतह के रूप में आवश्यकतानुसार मोटाई में बिछाकर व दबाकर जो सड़क बनाई जाती है उसे मोटे तौर पर ग्रेवल सड़क कहा जाता है।

डब्ल्यू. बी. एम. सड़क :–

स्थानीय मिट्टी से बैंक बनाकर पत्थर की गिट्टी को निश्चित मोटाई में सतह के रूप में बिछाकर, उस पर मोरंम व पानी डालकर उसकी कुटाई कर जो सड़क बनाई जाती है उसे डब्ल्यू. बी. एम. सड़क कहा जाता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बिजोलिया खनन क्षेत्र प्रकरण

19. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 से 1998-99 के मध्य बिजोलिया खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में खनिज नीति/निर्देश/नियम में संशोधन किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? विवरण मय नियमों की प्रतियों के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1993-94 में उक्त क्षेत्र में गेप फेट के कोई नियम/नीति/विभागीय आदेश किये हुये थे ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उसके बाद गेप फेट में कोई नियम/नीति संशोधन स्वीकृति में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि खनिज नीति में बार-बार परिवर्तन से सरकार को भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 5-5-97 के द्वारा बिजोलियां क्षेत्र में विज्ञापित खनन बाउंड्रीज के बाहर

(311)

(खनिज मंत्री)

स्ट्रिप ऑफ लेण्ड में क्वारी लाइसेन्स स्वीकृति हेतु निर्धारित नीति में संशोधन किया है। आदेश दिनांक 5-5-97 की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-1)

(2) जी, हां। वर्ष 93-94 में बिजोलिया क्षेत्र में गेप-फेट के आवंटन हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 7-7-92 के अनुसार नीति प्रभावशील थी। आदेश दिनांक 7-7-92 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) जी, हां। आदेश दिनांक 5-5-97 की प्रति संलग्न है।

(4) जी, नहीं। उक्त नीति से राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अतः इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता नहीं है।

312

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

प्रेषिति :

निदेशक,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
राजस्थान उदयपुर ।

क्रमांक : प.9 (1) खान/ग्रुप-2/90-8 जयपुर, दिनांक : 5 मई, 1997

विषय : बिजोलिया क्षेत्र में सैण्डस्टोन की बाउण्ड्रीज के बाहर उपलब्ध खनिज युक्त भूमि में लाईसेन्स क्षेत्रों में वृद्धि करने एवं खनन कार्य को नियमित करने हेतु नीति निर्धारण ।

महोदय,

बिजोलिया क्षेत्र में प्लाट साइज में भिन्नता होने तथा क्वारी लाईसेन्स होल्डर्स की व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए खनि अभियन्ता, बिजोलिया के कार्यक्षेत्र में सैण्डस्टोन की विज्ञापित बाउण्ड्रीज के बाहर उपलब्ध खनिज युक्त राजकीय भूमि के स्ट्रिप्स ऑफ लैण्ड में क्वारी लाईसेन्स स्वीकृत करने संबंधित निम्न अनुसार नीति का निर्धारण अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 65 के अन्तर्गत, प्रचलित प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए किया जाता है :—

313

1. जिन क्षेत्रों में 15 मी.×15 मी. साइज के प्लाट चालू है, उनमें इस साइज के एक प्लाटधारक को बाउण्ड्री के बाहर उपलब्ध भूमि की पट्टी इस सीमा तक आवंटित की जा सकती है कि उक्त स्वीकृति के पश्चात् प्लाट का कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गमीटर से अधिक न हो।

तथापि, यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में 15 मी.×15 मी. साइज के दो प्लाट्स स्वीकृत हैं तो उसे प्रत्येक प्लाट के लिये उपरोक्तानुसार 1800 वर्ग मी. क्षेत्र अर्थात कुल क्षेत्रफल 3600 वर्ग मी. तक स्वीकृत किया जा सकेगा।

2. जिन क्षेत्रों में 60 मी.×30 मी. साइज के प्लाट स्वीकृत है, उनमें इस साइज के एक प्लाटधारक को बाऊण्ड्री के बाहर उपलब्ध भूमि की पट्टी इस सीमा तक आवंटित की जा सकती है कि उक्त स्वीकृति के पश्चात् प्लाट का कुल क्षेत्रफल 2700 वर्ग मीटर से अधिक न हो। तथापि, यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में 60 मी.× 30 मी साइज के दो प्लाट्स स्वीकृत है तो, उसे प्रत्येक प्लाट के लिये उपरोक्तानुसार 2700 वर्ग मीटर तक का क्षेत्र अर्थात् कुल 5400 वर्गमीटर क्षेत्र स्वीकृत किया जा सकेगा।

3. जिन क्षेत्रों में 60 मी.×60 मी. साइज के प्लाट स्वीकृत है, उनमें बाउण्ड्री के बाहर उपलब्ध भूमि की पट्टी इस सीमा तक आवंटित की जा सकती है कि उक्त स्वीकृति के पश्चात् प्लाट का कुल क्षेत्रफल 5400 वर्ग मीटर से अधिक न हो। उक्तानुसार आवंटन केवल ऐसे लाईसेन्सधारी के पक्ष में किया जावेगा जिनके पक्ष में 60 मी.×60 मी. का एक ही प्लाट स्वीकृत है।

4. बिन्दु 1, 2 व 3 के अनुसार अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किये जाने वाली भूमि का किराया क्षेत्र के लिए प्रचलित दर का चार गुणा देय होगा। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों के लिए निम्नांकित दरों से एक मुश्त राशि स्वीकृति के पूर्व देय होगी :—

क्षेत्र का नाम	स्वीकृत किये जाने वाले नये क्षेत्र पर एक मुश्त वसूल की जाने वाली राशि
1	2
(क) जलेरी, आरोली एवं नयानगर	रुपये 100/–प्रति वर्ग मीटर
(ख) बनियों का तालाब, नला का माताजी, कास्याँ, आटखरला, सुखपुरा एवं गोविन्दपुरा	रुपये 80/–प्रति वर्ग मीटर
(ग) अन्य क्षेत्र	रुपये 50/–प्रति वर्ग मीटर

5. बिन्दु 1, 2 व 3 के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त करने हेतु लाईसेन्सधारी को आवेदन करना होगा। इस हेतु एक स्थानीय एवं एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराई जायेगी जिसमें आवेदन हेतु समय सीमा का उल्लेख होगा। सूचना में उल्लेखित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

6. अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किये जाने वाले क्षेत्र का सीमांकन कराया जाकर सीमा स्तम्भ लाईसेन्सधारी द्वारा स्थापित कराये जायेंगे। सीमांकन राजस्व एवं वन विभाग के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से किया जावेगा एवं विवादित क्षेत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा। ऐसे क्षेत्र जो वन भूमि, चारागाह भूमि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ अधिसूचित भूमि में हों, वह क्षेत्र स्वीकृत योग्य नहीं होंगे।

7. लाईसेन्सधारी द्वारा बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित राशि जमा कराई जाने

(315)

पर हो उस भूमि पर अनाधिकृत खनन के संबंध में पूर्व में बनाए गए सभी पंचनामे निरस्त किये जायेंगे एवं न्यायालय में दायर प्रकरण भी वापस लिये जावेंगे।

8. इस आदेश के अनुसार नियमितीकरण का लाभ केवल एक बार देय होगा।

भवदीय,
ह0/–
शासन उप सचिव

परिशिष्ट–2

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 7, 1992

संख्या प.9(1) खान/ग्रुप-2/90-8 :–राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 65 के अन्तर्गत प्रचलित प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए खनि अभियंता, बिजोलिया के कार्य क्षेत्र में खनिज सैण्ड-स्टोन की विज्ञापित बाउण्ड्री के बाहर उपलब्ध खनिज युक्त राजकीय भूमि के स्ट्रिप्स आफ लैण्ड में क्वारी लाईसेन्स स्वीकृत करने सम्बन्धी निम्न नीति निर्धारित की जाती है :–

316

(1) यदि किसी बाउण्ड्री के बाहर उपलब्ध भूमि की पट्टी का नाप उस बाउण्ड्री के लिए निर्धारित लाईसेन्स की नाप के 50% से अधिक हो तो वह क्षेत्र नीलामी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा परन्तु प्लाट की नाप वर्तमान नियमों में क्वारी लाईसेन्स हेतु निर्धारित साइज 60 × 30 मीटर क्षेत्र से अधिक नहीं मानी जावेगी।

(2) यदि बाउण्ड्री के बाहर उपलब्ध भूमि की पट्टी का नाप उस बाउण्ड्री के लिए निर्धारित क्वारी लाईसेन्स की नाप के 50% से कम हो तो ऐसा क्षेत्र पास के लाईसेन्सधारी को स्वीकृत किया जा सकेगा परन्तु प्लाट की नाप वर्तमान नियमों में क्वारी लाईसेन्स हेतु निर्धारित साईज 60 × 30 मीटर से अधिक नहीं मानी जावेगी। उक्त अतिरिक्त क्षेत्र का वार्षिक किराया भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार उस क्षेत्र में प्रचलित क्वारी रेन्ट की दर से 4 गुना होगा। यह क्षेत्र लाईसेन्सधारी के क्षेत्र में पूरक संविदा निष्पादित कर सम्मिलित किया जावेगा अतिरिक्त जोडे गये क्षेत्र की अवधि पूर्व में धारित क्वारी लाईसेन्स की अवधि के अनुसार होगी तथा उक्त क्षेत्र मूल रूप से स्वीकृत क्वारी लाईसेन्स का भाग ही माना जावेगा।

(3) उक्त प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के द्वारा स्वीकृत क्वारी लाईसेन्स के संबंध में कार्यवाही करने से पूर्व क्षेत्र का सर्वेक्षण कर उपलब्ध भूमि की जांच करने के पश्चात् प्लाट्स का डेलीनियेशन भूमि पर किया जावेगा तथा तदानुसार ही मानचित्र बनाये जायेंगे।

(4) जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की भूमि की पट्टियों में आवंटन नीलामी द्वारा किया जाना है तथा जहां प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पी.डब्ल्यू.डी., वन क्षेत्र आदि की सीमा आवंटन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों के नजदीक है, वहां क्षेत्र का भूमि पर डेलिनियेशन किया जायेगा। इस कार्य के लिए उस क्षेत्र के तहसीलदार व खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के दल द्वारा संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबन्धित क्षेत्रों में क्वारी लाईसेन्स स्वीकृत नहीं हों जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो।

(5) ऐसे क्षेत्र जहां पूर्ण प्लाट बनाकर आवंटन किया जा सकता है परन्तु उस

क्षेत्र में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है । उक्त क्षेत्रों में मद संख्या (4) में अंकित दल द्वारा क्षेत्र का डेलिनियेशन किया जावेगा तथा आवश्यक प्रस्ताव निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर को प्रेषित किये जावेंगे । इस श्रेणी के क्षेत्रों की पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्लोट्स के आवंटन के संबंध में अलग से नीति तय की जायेगी ।

आज्ञा से,

कृष्णा भटनागर,

शासन सचिव ।

जिला टौंक के चिकित्सालयों में उपलब्ध वाहन

20 श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला टौंक के चिकित्सा विभाग में कितने वाहन हैं व इनमें से कौन-कौन से वाहन कब-कब से खराब हैं ? क्या सरकार उन्हें ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) वर्तमान में कितने वाहन चालू हालत में हैं ?

उत्तर

(1) जिला टौंक के चिकित्सा विभाग में 41 गाडियां उपलब्ध है जिनमें से 8 गाडियां खराब हैं एवं 3 गाडियां मरम्मत योग्य नहीं है । खराब गाडियों का विवरण मय अवधि के संलग्न है । जो हां, खराब पड़ी गाडियों को शीघ्र ठीक करवाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) वर्तमान में जिले में 30 गाडियां सही अवस्था में कार्य कर रही हैं ।

318

क्रम संख्या	वाहन संख्या	कब से खराब है
1.	आर.जे. 14 ई-59	6/98
2.	आर.जे.एक्स 9434	2 वर्ष
3.	आर.जे.26 सी-446	5/88
4.	आर.एन.जी-77	1994 से
5.	आर.जे.एक्स 5111	4/98
6.	आर.जे.एक्स 3958	1/98
7.	आर.जे.26 सी 71	6/96
8.	आर.जे.एक्स 6390	1/98

नकारा (मरम्मत योग्य नहीं) गाड़ियों का विवरण

1.	आर.जे.एक्स 5112
2.	आर.जे.एक्स 3955
3.	आर.जे.एक्स 6391

जयपुर जिले के लम्बित गैस कनेक्शन प्रकरण

21. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) एंव श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1988 में जयपुर में नये गैस कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कितने-कितने आवेदन पत्र किस-किस जोन में प्राप्त हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त प्राप्त आवेदनों में से अन्तिम बार कब कितने आवेदकों को गैस कनेक्शन स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृत गैस कनेक्शनों में से कितने गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं द्वारा किस-किस गैस एजेन्सी से उठाये गये तथा कितने निरस्त हुए ? गैस एजेन्सीवार विवरण मय निरस्त करने के कारण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवेदन पत्र राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त स्वीकृत कनेक्शनों को आई.ओ.सी. द्वारा निरस्त किये गये ? यदि हां, तो किस आधार एवं अधिकारिता से और क्यों ? निरस्त करने के आदेश की प्रति कारण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि गैस कनेक्शन निरस्त करने के विरुद्ध कई प्रकरण जयपुर के दोनो जिला उपभोक्ता मंचों में भी गये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार आई.ओ.सी. द्वारा मनमाने तरीके से निरस्त किये गये प्रकरण को उचित मानती है ? यदि हां, तो किस आधार पर एवं नहीं, तो क्या सरकार निरस्त किये गये गैस कनेक्शनों को उपभोक्ताओं को जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष, 1988 में कुल 83,557 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से जांच के उपरान्त 82,709 आवेदन पत्र सही पाये गये जिनकी लाटरी निकालने पर जोन-वाईज स्थिति निम्न प्रकार है :–

जोन	प्राप्त आवेदन पत्र	सही पाये गये आवेदन पत्र
प्रथम	16091	15848
द्वितीय	29200	28947
तृतीय	18499	18435
चतुर्थ	19767	19479
योग:–	83557	82709

(2) उक्त आवेदन पत्रों में से शेष बचे आवेदन पत्रों के विरुद्ध अंतिम बार

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

वर्ष 1997 में 11-9-97 तक 20352 गैस कनेक्शन तीनों आयल कम्पनियों द्वारा जारी किये गये जिनका विवरण परिशिष्ट-"अ" पर है। शेष बचे लगभग 4000 आवेदकों के संबंध में राज्य स्तरीय समन्वयक, आई.ओ.सी. द्वारा अवगत करवाया गया है कि इन्हें गैस कनेक्शन देने के लिए तीनों तेल कम्पनियों द्वारा सूचना पत्र जारी किये गये तथा दिसम्बर, 97 तथा जनवरी, 98 में तीनों कम्पनियों द्वारा समाचारपत्रों में विज्ञप्ति भी जारी की गई परन्तु बावजूद सूचना के जिन आवेदकों द्वारा गैस कनेक्शन हेतु सम्पर्क नहीं किया गया उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये।

(3) जी हां, यह सही है कि आवेदन पत्र जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा आमंत्रित किये गये थे तथा जिन आवेदकों ने गैस कनेक्शन बावजूद सूचना प्राप्त नहीं किये हैं उन्हें आयल कम्पनियों द्वारा निरस्त किया गया है। आवेदकों को व्यक्तिशः एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना देने के बावजूद उनके द्वारा गैस कनेक्शन नहीं लेने की स्थिति में ही आयल कम्पनियों द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किये गये हैं। निरस्तीकरण के संबंध में कोई अलग से आदेश जारी नहीं किये गये हैं, किन्तु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में इसका उल्लेख किया गया था कि निर्धारित तिथि तक गैस कनेक्शन प्राप्त नहीं करने पर आवेदन निरस्त माने जायेंगे; यह भी सही है कि निरस्तीकरण की प्रक्रिया जिला प्रशासन की सहमति से की जानी चाहिये थी।

(4) कुल 82709 गैस कनेक्शन हेतु आवेदनकर्ताओं में से किसी भी आवेदक द्वारा अभी तक निरस्तीकरण के आधार पर जिला उपभोक्ता मंच में कोई प्रकरण दायर किये जाने की सूचना नहीं है और न ही इस संबंध में कोई नोटिस/सम्मन प्राप्त हुआ है।

(5) आई.ओ.सी. द्वारा आवेदन पत्र सूचना देने के पश्चात् अपने स्तर पर निरस्त किये गये हैं। निरस्तीकरण बिना जिला प्रशासन की सहमति से किया गया था। अतः इस संबंध में जिला स्तर व राज्य स्तर पर कार्यवाही की गई थी तथा वर्तमान में भी इस संबंध में न्यायोचित राहत दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। आवश्यकता होने पर भारत सरकार के स्तर पर भी अनुरोध किया जावेगा।

(321)

परिशिष्ट—"अ"

वितरक	आवंटित प्रतीक्षा सूची	जारी गैस कनेक्शन	बचे हुये गैस कनेक्शन
1	2	3	4
पंडित गैस सर्विस	153	136	17
नवीन गैस सर्विस	55	47	8
कविता एन्टरप्राईजेज	560	495	65
मणी एन्टरप्राईजेज	560	413	147
त्रिवेणी गैस सर्विस	1100	792	308
ओम गैस एजेन्सी	400	335	65
पूरण गैस सर्विस	400	345	55
सांगानेर गैस एजेन्सी	835	626	209
शांति गैस सर्विस	500	380	120
शास्त्री नगर गैस सर्विस	1000	878	122
असल दुर्ग एन्टरप्राईजेज	1100	621	479
बी. के. गैस	500	422	78
सुषमा गैस	300	235	65
राज. राज्य क्रय विक्रय संघ	200	145	55
निरंजन गैस	1100	1012	88
राजेन्द्र गैस	100	79	21
जयपुर गैस	300	245	55
तेज एन्टरप्राईजेज	200	140	60
खंडेलवाल गैस	800	711	89

322

1	2	3	4
अशोका गैस	800	635	165
शशि गैस	200	166	34
आनंद गैस	750	653	97
के. एस. एन्टरप्राईजेज	800	645	155
शर्मा गैस	860	592	268
आशीष गैस	650	527	123
महालक्ष्मी गैस	900	742	158
सरस्वती गैस सांगानेर	200	160	40
कांकरिया गैस	200	200	—
अंबिका गैस	702	702	—
पार्वती गैस	300	300	—
राजीव गैस	1854	1451	403
सन्नी गैस	1973	1522	451
	20352	16352	4000

(323)

तहसील बस्सी (जयपुर) में सड़क निर्माण प्रकरण

22. श्री बृजेन्द्र सिंह (बयाना) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत जयपुर जिले की बस्सी तहसील में दूधली से ऋर सम्पर्क सड़क का निर्माण करवाया गया था, जिस पर मोरम डलवाने के लिये कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से वाहन किराये पर लिए गये थे ? यदि हां, तो किस-किस नम्बर के कौन से वाहन किराये पर लिए गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि शिकायत होने पर परिवहन विभाग ने पंजीयन के आधार पर इन वाहनों में स्कूटर, मोटर साइकिल व सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाकारा वाहन जो वर्षों से वर्कशाप में पड़े हैं के नाम से भी भुगतान उठाना पाया गया ? यदि हां, तो पंजीयन के आधार पर कौन-कौन से वाहन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में पुलिस थाना बस्सी, कलक्टर एवं विभागीय स्तर पर जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। जो वाहन किराये पर लिये गये थे उनका विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–"अ")

(2) जी हां। दूधली से ऋर सड़क के कार्य पर जिन वाहनों को लगाया जाना बताया था उनमें से 6 वाहन स्कूटर, मोटर साइकिल व सार्वजनिक निर्माण विभाग के वाहन थे, विवरण निम्न है :–

क्र.सं.	वाहन संख्या	वाहन की किस्म
1.	आर. आर. बी. 681	स्कूटर
2.	आर. जे. 14- 608	स्कूटर
3.	आर.एन.एक्स.- 1066	स्कूटर
4.	आर-एन.एक्स.- 1817	स्कूटर
5.	आर.आर.एल - 1481	ट्रक-सा. नि. विभाग
6.	आर.आर.एम.- 8534	ट्रेक्टर-सा.नि. विभाग

(3) जी हां। पुलिस थाना बस्सी द्वारा जांच की जाकर प्रकरण में एफ. आर. लगाई गई जो न्यायालय द्वारा मंजूर की गई। जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जयपुर से जांच कराई गई। जिसमें स्कूटरों एवं सा- नि. विभाग के वर्कशाप में खड़े ट्रकों से मिट्टी डलवाना बताया गया है। सा. नि. विभाग द्वारा कराई गई जांच में भी इसी प्रकार का निष्कर्ष दिया गया है तथा विभाग के तीन अधिकारी सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं बेलदार के विरुद्ध 16 सी. सी. ए. की कार्यवाही प्रारंभ की गई/कराई गई है। सहायता विभाग से भी विशेष जांच दल गठित कर जांच

(राज्य मंत्री, सहायता)

कराई गई । जिसमें स्कूटर, विभागीय ट्रेक्टर आदि के नम्बरों से किये गये रु. 21,600/- के भुगतान को वसूली योग्य माना गया । वाहन उपलब्ध कराने वाली कम्पनी से 21,600/- रु. की राशि की वसूली सा. नि. विभाग द्वारा करली गई है । जांच रिपोर्टों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला श्री गंगानगर की क्षतिग्रस्त सड़कें

23. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर जिले की सड़के क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार इनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या हनुमानगढ़-सरदारशहर मुख्य राजमार्ग की स्थिति दयनीय है ? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार विभागीय उच्चाधिकारियों से सभी सड़कों की मरम्मत की योजना बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । श्री गंगानगर जिले में डामर की सड़कों की कुल लम्बाई 2473 कि. मी. है जिसमें कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित एवं स्थानान्तरित सड़कें सम्मिलित हैं इसमें से लगभग 1774 कि. मी. लम्बाई की सड़कों की स्थिति संतोषप्रद है एवं लगभग 421 कि. मी. की लम्बाई में साधारण मरम्मत का कार्य किया जा चुका है एवं शेष बचे कि. मी. में नवम्बर 98 तक मरम्मत कार्य करवा दिया जावेगा ।

(2) (अ) जी नहीं । हनुमानगढ़ से सरदार शहर सड़क की कुल लम्बाई 143 कि. मी. में से कुछ कि. मी. की स्थिति संतोषप्रद नहीं है ।

(ब) जी हां । सामान्य मरम्मत का कार्य माह नवम्बर 98 के अन्त तक कर दिया जावेगा ।

(3) जी हां । सड़कों का वर्ष 1998-99 का रिपेयर प्रोग्राम माह अप्रेल 98 में स्वीकृत किया जा चुका है ।

थाना राजनगर (राजसमन्द) में दर्ज प्रकरण 17/98

24. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

(1) क्या यह सही है कि राजनगर (राजसमन्द) थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति को भूमाफिया ग्रुप द्वारा अपहरण कर बन्धक बनाया गया था ? क्या इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 17/98 दर्ज कराई गई थी ? क्या उक्त व्यक्ति को अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से डरा–धमका कर विक्रयनामा भी लिखवा लिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घटना के छः महिने बाद भी पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण के मुलिजमों की गिरफ्तारी नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । राजनगर (राजसमन्द) थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति को किसी भी भू-माफिया ग्रुप द्वारा फरार कर बंधक नहीं बनाया गया था । इस सम्बन्ध में भंवरा राम पुत्र दल्लाजी मेघवाल, निवासी सोपाई लाखा, थाना केरला जिला पाली की लिखित रिपोर्ट पर थाना राजनगर पर दि. 13-1-98 को मुकद्मा सं0 17/98 अन्तर्गत धारा 420,365,342,384 भादसं व धारा 3(5) एससी/एसटी एक्ट दर्ज किया गया, जिसमें अनुसंधान से पाया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से डरा-धमका कर विक्रयनामा नहीं लिखाया गया बल्कि विक्रयनामा स्वयं की इच्छा से लिखा जाना पाया गया ।

(2) जी, हां । उक्त प्रकरण में अब तक के अनुसंधान से कथित अभियुक्तगण के खिलाफ जुर्म प्रमाणित नहीं होने से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया । चूंकि प्रार्थी एवं गवाहान पाली जिले के होने तथा कथित अभियुक्तगण एवं घटना स्थल राजनगर व नाथद्वारा क्षेत्र होने से अनुसंधान में समय लगा । वर्तमान में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द की निगरानी में अनुसंधान जारी है ।

देवली एवं उनियारा (टोंक) के स्वास्थ्य केन्द्र

25. श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) देवली एवं उनियारा तहसील (जिला टोंक) में 1 जनवरी, 1993 से अब तक कितने उपस्वास्थ्य केन्द्र, उच्चीकृत (एडपोस्ट) उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले गये ? उनमें कितने पद किस-किस संवर्ग के सृजित किये गये तथा फिलहाल उनमें से कितने रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त केन्द्रों में किस-किस इकाई को कितनी राशि दवाइयों के लिए आवंटित की गई ? क्या आवंटित राशि का उपयोग कर लिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला-टोंक की देवली एवं उनियारा तहसीलों में वर्ष 1993 से खोले गये

326

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

नवीन उपकेन्द्रों की वर्षवार सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है। वर्ष 1993 से अब तक कोई नवीन उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है। सृजित एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न सूची में परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(2) उक्त केन्द्रों को दवाईयां क्रय किये जाने हेतु वर्तमान में राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, अपितु औषधि इत्यादि के किट उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्ष 1997-98 में उक्त उपकेन्द्रों को वितरित किये गये किटों की सूची संलग्न है :-

तहसील देवली

वर्ष 1	स्वीकृत संस्थान 2	स्वीकृत पद 3	संख्या 4	रिक्त 5
1993-94	शून्य	—	—	—
1994-95	शून्य	—	—	—
1995-96	1. उपकेन्द्र, जूनिया	प्रसाविका	1	—
	2. उपकेन्द्र, हिसामपुरा	-यथा-	1	—
	3. ब्बासपुरा	-यथा-	1	—
1996-97	1. गावड़ी	-यथा-	1	—
	2. चांदसिंहपुरा	-यथा-	1	—
	3. गैरोटी	-यथा-	1	—
1997-98	1. सांवतसा	प्रसाविका	1	—
		बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)	1	1

तहसील-उनियारा

1	2	3	4	5
1993-94	शून्य	—	—	—
1994-95	-यथा-	—	—	—
1995-96	-यथा-	—	—	—
1996-97	1. उपकेन्द्र देवली	प्रसाविका	1	1
	2. पाटोली	"	1	1
	3. उपकेन्द्र, मण्डावरा	"	1	1
	4. उपकेन्द्र, बिलासपुर	"	1	
	5. मोहम्मदपुरा	"	1	1
1997-98	शून्य	—	—	—

देवली एवं उनियारा तहसील में वर्ष 1993 के बाद स्वीकृत उप केन्द्रों में 97-98 में सप्लाई की गई किटों का विवरण :—

तहसील देवली

वर्ष 1995-96 में स्वीकृत 1	1997-98 में दी गई किट 2
1. जूनिया	6
2. हिसामपुरा	5
3. ख्वासपुरा	4
वर्ष 1996-97 में स्वीकृत उपकेन्द्र	
1. गावडी	5
2. चाँदसिंहपुरा	5
3. मैरोटी	6

1	2
वर्ष 1997-98 में स्वीकृत उपकेन्द्र	
1. साण्डला	-
तहसील-उनियारा	
वर्ष 1996-97 में स्वीकृत उपकेन्द्र	
1. देवली	5
2. पाटोली	2
3. मण्डावरा	2
4. बिलासपुर	1 जुलाई, 98 को 3 किट
5. मोहम्मदपुरा	2

जिला सीकर का सड़क निर्माण प्रकरण

26. श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में अकाल राहत के अन्तर्गत ग्राम कोटड़ी से नालोत (पंचायत समिति श्री माधोपुर) जिला सीकर सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब और किस एजेन्सी के माध्यम से ?

(2) उक्त निर्माण कार्य पर कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ? कितनी राशि का भुगतान कब-कब कर दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य का मजदूरों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कितना, कब से एवं क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त शिकायतों की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कब की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त निर्माण कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र किस अधिकारी द्वारा कब दिया गया ? उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त कार्य एक से अधिक पंचायतों द्वारा करवाया गया ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत में कितने-कितने कार्य का विभाजन किस स्तर से हुआ ? क्या उक्त अलग-अलग कार्यों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी पृथक–पृथक जारी किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 17-6-96 को जिला कलक्टर, सीकर द्वारा ग्राम पंचायत कोटड़ी सिमारला एवं ग्राम पंचायत जोरावर नगर के द्वारा कार्य कराने की स्वीकृति जारी की गई।

(2) उक्त कार्य हेतु 3.98 लाख की स्वीकृति दी गई। विकास अधिकारी प. समिति श्री माधोपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पंचायत कोटड़ी छिमारला द्वारा कार्य का 1,34,253/– रुपये का भुगतान कर दिया गया है। जिसमें श्रम के पेटे 1,01,561 रुपये दिनांक 5-10-96 को एवं सामग्री के पेटे 32,692/– रुपये का दिनांक 16-1-97 को भुगतान किया गया तथा ग्राम पंचायत जोरावर नगर द्वारा किये गये कार्य के सामग्री मद हेतु 27-6-96 को 10,000/–रुपये की राशि बतौर अग्रिम दी गई है।

(3) जी हां। विकास अधिकारी पं. समिति श्री माधोपुर की सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत जोरावर नगर द्वारा किये

329

(राज्य मंत्री, सहायता)

गये कार्य के श्रमिकों का 16,617/– रुपये का भुगतान जून, 1996 से बकाया है ।

(4) जी हां । शिकायत दिनांक 24-6-96 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर में प्राप्त हुई थी । शिकायत की प्रति संलग्न है । (परिशिष्ट-I)

(5) जी हां । जांच अधिशाषी/अभियन्ता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर से कराई गई थी । जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है । (परिशिष्ट–II)

(6) उपयोगिता प्रमाण-पत्र कनिष्ठ अभियन्ता पं. समिति श्री माधोपुर द्वारा दिनांक 4-9-96 को दिया गया । जिस पर सहायक अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर के प्रति हस्ताक्षर है । उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है । (परिशिष्ट-III)

(7) जी हां । कार्य ग्राम पंचायत कोटड़ी सिमारला एवं ग्राम पंचायत जोरावर नगर द्वारा कराया गया । कार्य का विभाजन विकास अधिकारी द्वारा पंचायत की सीमानुसार किया गया । उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अलग-अलग कार्यनुसार जारी किये गये हैं । उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न है । (परिशिष्ट-IV)

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

— — — —

330

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न सं. 3 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

दंगा पीड़ितों को दी गई आर्थिक सहायता

जिला चित्तोड़गढ़

क्र.सं. 1	पीड़ित का नाम, पता 2	स्वीकृत योग्य राशि रुपया 3
1.	श्री मुस्तफा खां, पि. चांद खां नि. नोगांवा	500.00
2.	श्री महमद पि. चांद खां नि. नोगांवा	500.00
3.	श्री मुस्तफा पि. दिलावर खां, नोगांवा	500.00
4.	श्री गुल मोहम्मद पि. इसरतबुज खां नि. नोगांवा	500.00
5.	श्री ताज बेगम पत्नि गुलखां नि. नोगांवा	500.00
6.	श्री गुलखान पि. सरफराज खां, नि. नोगांवा	500.00
7.	श्री बाबू खां पि. गुलाम हैदर नि. नोगांवा	500.00
8.	श्री काना पि. ओखा मीणा नि. बेड़मा	500.00
9.	श्री बंशीलाल पि. परमानन्द मेनारिया नि. नोगांवा	100000.00
10.	श्री अब्दुल रहमान मोलाना, डिडोली, तह. सम्भल जिला मुरादाबाद यू. पी.	100000.00
11.	श्री शिवलाल पि. रामा मीणा निवासी बिरावली (वारिस श्रीमती केसरबाई पत्नी रामा माता)	100000.00
12.	श्री इसरतगुल खां पि. खवास नोगांवा	2000.00
13.	श्री शमशेर खां पि. बैरामखां, नोगांवा	2000.00
14.	श्री मीर अफजल खां पि. मवासखां, नि.नोगांवा	2000.00

(331)

1	2	3
15.	श्री गुल खां पि. सरफराज खां नोगांवा	2000.00
16.	श्री मोह. नूर खां पि. अजीमखां, नोगांवा	2000.00
17.	श्री अब्दुल मजीद खां पि. अजीमखां, नोगांवा	5000.00
18.	श्री अब्दुल मजीद खां पि. अजीमखां, नोगांवा	2000.00
19.	श्री शेरअली पि. सैलारखां देवलदी	7000.00
20.	श्री कन्नू उर्फ लियाकतखां पि. हमीदखां, नोगांवा	2000.00
21.	श्री शेर अफजल खां पि. गवासखां नि. नोगांवा	5000.00
22.	श्री असलमखां पि. अजीम खां नि. नोगांवा	2000.00

उपरोक्त में 16 व्यक्तियों को दिनांक 6-7-98 को भुगतान किया जा चुका है तथा शेष क्रम संख्या 4, 10, 13, 19, 21 व 22 पर अंकित व्यक्तियों के बाहर होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

जिला अजमेर

क्र सं.	पीड़ित का नाम, पता	स्वीकृत योग्य राशि रुपया
1	2	3
1.	श्री महेश कर्मचंदानी मैसर्स जैम पेलेस, 40/452, दरगाह बाजार, अजमेर(तस्वीर एवं चूड़ियों की दुकान)	5500.00
2.	श्री नेवन्दराम, मैसर्स काका खिलोने वाला,40/52 दरगाह बाजार, अजमेर (खिलोने की दुकान)	20000.00
3.	श्री कमलेश कर्मचंदानी, मैसर्स कमलेश कम्यूनिकेशन एवं ज्वेलर्स, 40/451, दरगाह बाजार, अजमेर।	20000.00

1	2	3
4.	श्री सुन्दर पुत्र श्री नन्दलाल, दरगाह बाजार अजमेर (क्लिनिक की दुकान)।	2000.00
5.	श्री हुसैन खान, मैसर्स इकबाल होट, 382/7 दरगाह बाजार, अजमेर।	13000.00
6.	श्री सैय्यद अब्दुल रहमान, मोतीकटला, अजमेर	2000.00
7.	श्री मुजफ्फर अली, चद्दरों की दुकान, डा. अनुप शर्मा के क्लिनिक के सामने, दरगाह बाजार, अजमेर।	20000.00
8.	श्री सैय्द मेहताबहुसैर, हैदराबाद गेस्ट हाऊस, दरगाह बाजार, अजमेर।	1000.00
9.	श्री सैय्द गौस मोहम्मद, मुकदस महल, दरगाह बाजार	2000.00
10.	श्री शफीकुद्दीन, सरकार एस.टी.डी./पी.सी.ओ. लाखन कोटड़ी, अजमेर।	10000.00
11.	श्री केसर सिंह, अजमेर	2000.00

उपरोक्त सभी को 27-3-98 को भुगतान किया जा चुका है।

जिला-झालावाड़।

1.	श्री बाबू खाँ पुत्र श्री नन्हे खां मुसलमान निवासी अकलेरा।	10000.00

भुगतान दिनांक 30-12-96 को किया गया।

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न स. 5 का विवरण)

Sheets

DISTRCIWISE SANCTIONED STRENGTH OF RAJASTHAN POLICE

S.No.	Name of District	S.P.	Addl.SP.	Dy.SP.	Insp.	S I.	ASI.	HC.	Const.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jaipur City	1	10	29	83	401	296	883	5646	7352
2.	Jaipur (Rural)	1	3	8	12	70	98	186	1164	1540
3.	Jhunjhunu	1	1	4	7	33	36	105	737	924
4.	Sikar	1	1	4	8	40	43	129	870	1097
5.	Tonk	1	1	5	9	40	47	129	926	1158

(333)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Dausa	1	1	3	8	55	41	106	655	848
7.	Bharatpur	1	3	6	16	64	110	184	1278	1662
8.	Alwar	1	2	9	13	70	111	212	1413	1831
9.	Sawai Madhopur	1	2	4	6	32	41	102	650	838
10.	Dholpur	1	1	2	8	37	55	109	687	900
11.	Karauli	1	1	4	5	25	45	96	664	841
12.	Ajmer	1	2	7	24	88	112	219	1768	2221
13.	Bhilwara	1	1	7	12	58	98	184	1283	1644
14.	Nagaur	1	2	6	8	54	50	150	1161	1432
15.	Bikaner	1	2	4	12	58	77	150	1280	1590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Churu	1	1	4	6	34	39	111	804	1000
17.	Ganga Nagar	1	2	6	17	67	114	191	1463	1864
18.	Hanumangar	1	1	3	8	38	61	111	771	992
19.	Udaipur	1	3	10	18	93	115	250	1963	2463
20.	Chittorgarh	1	2	6	10	60	94	102	1332	1697
21.	Banswara	1	1	3	12	38	68	118	659	900
22.	Dungarpur	1	1	2	6	26	36	91	533	696
23.	Raj Samand	1	1	3	6	33	48	109	784	985
24.	Jodhpur	1	4	10	22	86	125	210	1933	2421
25.	Barmer	1	1	3	12	41	48	188	929	1168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
26.	Jaisalmer	1	1	2	11	27	33	99	701	875
27.	Jalore	1	1	4	9	35	80	10	676	858
28.	Pali	1	2	6	12	50	54	16	1153	1442
29.	Sirohi	1	1	3	9	31	28	10	676	857
30.	Kota City	1	2	5	22	67	108	7	1279	1658
31.	Kota Rural	1	1	4	6	39	48	1	775	986
32.	Bundi	1	1	3	6	34	47	10	728	925
33.	Baran	1	1	3	7	41	50	128	883	1114
34.	Jhalawar	1	1	3	6	41	48	146	973	1218
	Total—	37	61	185	434	1986	2445	569	39197	49994

337

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची)

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 463 द्वारा श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या, राजस्थान विधान सभा के भाग (2) की सूची।

(1) डब्ल्यू/1952 मैसर्स वेश ट्रेडिंग कम्पनी, बी (9) मुख्य मण्डी, मण्डोर, जोधपुर।

(2) डब्ल्यू/1943 मैसर्स अन्नपूर्णा ट्रेडर्स, मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(3) डब्ल्यू/1849 मैसर्स अमृत पलसेस, मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(4) डब्ल्यू/1921 मैसर्स ए. आर. आर. क., मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(5) डब्ल्यू/1939 मैसर्स राजेन्द्रकुमार जैन एण्ड कम्पनी, मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(6) डब्ल्यू/1961 मैसर्स गणपति एजेन्सीज, मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(7) डब्ल्यू/1956 मैसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(8) डब्ल्यू/1965 मैसर्स गणपतराज निर्मलचन्द, भगत की कोठी मण्डी, जोधपुर।

(9) डब्ल्यू/381 मैसर्स सोहनलाल सुनिलकुमार, भगत की कोठी मण्डी, जोधपुर।

(10) डब्ल्यू/1942 मैसर्स पदम प्रभु ट्रेडिंग कम्पनी, मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(11) डब्ल्यू/1923 मैसर्स श्री किशन मेघराज, मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(12) डब्ल्यू/1926 मैसर्स जिन्दल ट्रेडिंग कम्पनी, मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(13) डब्ल्यू/1968 मैसर्स ओमप्रकाश चोपड़ा एण्ड कम्पनी, भगत की कोठी मण्डी, जोधपुर।

(14) डब्ल्यू/1970 मैसर्स अन्सुल ट्रेडिंग कम्पनी, मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(15) डब्ल्यू/1881 मैसर्स अमृतलाल अलकेश कुमार, भगत की कोठी मण्डी, जोधपुर।

(16) डब्ल्यू/1971 मैसर्स घनश्यामदास कासट एण्ड कम्पनी, मण्डोर मण्डी, जोधपुर।

(17) डब्ल्यू/1972 मैसर्स जैन मार्केटिंग, मण्डोर मण्डी, जोधपुर ।

(18) डब्ल्यू/1333 मैसर्स भगतराम सुदर्शनकुमार अग्रवाल सिवांची गेट के अन्दर, जोधपुर ।

(19) डब्ल्यू/1479 मैसर्स जंवरीमल सुमेरमल, मण्डोर मण्डी, जोधपुर ।

(20) डब्ल्यू/1976 मैसर्स जनता ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई सड़क, जोधपुर ।

(21) डब्ल्यू/1982 मैसर्स नेपच्युन प्रोडेक्ट्स एण्ड मार्केटिंग (प्रा.) लि., मण्डोर मण्डी, जोधपुर ।

तहसील भोपालगढ़ में जारी लाइसेंस की सूचना ।

(1) डब्ल्यू/1 मैसर्स नन्दकिशोर पुत्र श्री डूंगरमल कासट, गांव आसोप ।

———

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में विभिन्न स्थानों पर स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों की सूची ।

पंचायत समिति	ग्राम/कस्बा का नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम	स्वीकृत वर्ष
1	2	3	4
लाडनूं	लाडनूं	राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं	पूर्व का
	निम्बीजोधा	सामुदायिक स्वा.केन्द्र	95-96
	जसवन्तगढ़	ब्लाक प्राथमिक स्वा.केन्द्र	58-59
	बालसमंद	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	95-96
	लैडी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	87-88
	बल्दु	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	87-88

1	2	3	4
	मिठड़ी(लाडनूं)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	87-88
	मोडिट	उपकेन्द्र	86-87
	चन्द्राई	उपकेन्द्र	78–79
	मणु	उपकेन्द्र	88-89
	मंगलपुरा	उपकेन्द्र	95-96
	सुनारी	यथा	90-91
	बेड़	यथा	94-95
	बाकलिया	यथा	88-89
	खोखरी	यथा	98–99
	हुडास	यथा	88-89
	मरनांवा	यथा	78-79
	डींगसरी	यथा	82-83
	रोजा	यथा	89-90
	रेनाणा	यथा	89-90
	सीकराली	यथा	94-95
	मालगांव	उपकेन्द्र	83-84
	रताऊ	यथा	78-79
	सिमनबाद	यथा	88-89
	सींवा	यथा	78-79
	खामियाद	यथा	88-89
	छापरा	यथा	89-90
	सांवराद	यथा	94-95
	बिठुड़ा	यथा	98-99
	सारड़ी	यथा	82-83
	ल्यावा	यथा	78-79
	घोसिया	यथा	88-89
	डाबरी	यथा	86-87
	कुसुम्बी अलीपुर	यथा	86-87
	संकरा	यथा	89-90
	रींगण	यथा	86-87
	उदरासर	यथा	88-89

340

पंचायत समिति	ग्राम/कस्बा का नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम	स्वीकृत वर्ष
लाडनूं	रायधना	उपकेन्द्र	98-99
	रोटू	यथा	78-79
	लाच्छड़ी	यथा	88-89
	हुसैनपुरा	यथा	88-89
	फिरवासी	यथा	86-87
	डींवल	यथा	96-97
	थिरड़ोदा मिठा	यथा	78-79 से पूर्व
डीडवाना	दयालपुरा	प्राथमिक स्वा. केन्द्र	95-96
	ठाकरियावास	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	95-96
	बाणु	उपकेन्द्र	96-97
	भम्बाप	उपकेन्द्र	89-90
	सूपका	उपकेन्द्र	84-85
	सेवा	यथा	97-98
	लालासरी	यथा	78-79
	बेमोठ	यथा	94-95
	चोलूखां	यथा	95-96
	फोगड़ी	यथा	95-96
	पालोट	यथा	88-89
	मण्डावासनी	यथा	96-97
	दुदोली	यथा	88-89
	सिघाणा	यथा	78-79
	भाजबा	यथा	88-89
	कलवानी	यथा	94-95

(341)

निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं में संस्थावार रिक्त पदों की सूचना

राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं :--

क.सं.	नाम पद	रिक्त	कब से
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	11/97
2.	मैल नर्स–प्रथम	1	यथा
3.	सिस्टर	2	यथा
4.	मैल नर्स–2	1	यथा
5.	स्टाफ नर्स	1	यथा
6.	नेत्र सहायक	1	यथा
7.	दन्त तकनीशियन	1	यथा
8.	वाहन चालक	1	यथा
9.	वार्ड बॉय	4	यथा
10.	धोबी	1	यथा

ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तगढ़:–

1.	मैल नर्स–2	1	7/95

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बीजोधा:–

1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	6/96
2.	मैल नर्स–प्रथम	1	8/96
3.	मैल नर्स-2	1	5/98
4.	लैब टैकनिशियन	2	8/96
5.	रेडियोग्राफर	1	8/96

1	2	3	4
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; बयालपुरा :—		
1.	मैल नर्स-2	1	4/96
2.	लैब टैकनिशियन	1	यथा
3.	वार्ड बॉय	1	8/97
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; बालसमंद :—		
1.	मैल नर्स-2	1	6/97
2.	लैब टैकनिशियन	1	6/96
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठाकरियास :—		
1.	मैल नर्स-2	1	6/96
2.	लैब टैकनिशियन	1	6/96
3.	वार्ड बॉय	1	8/97
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; मीठड़ी (लाडनूं) :—		
1.	स्टाफ नर्स	1	4/98
2.	लैब टैकनिशियन	1	7/89

———

(343)

परिशिष्ट--8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई में कार्यरत विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	पदस्थापन की तिथि
1.	डॉ0लक्ष्मण दत्त शर्मा	क0वि0(स्त्री रोग)	2-7-95
2.	डॉ0रविन्द्र तामरा	क0वि0(शिशु रोग)	13-8-96
3.	डॉ0देवेन्द्र स्वर्णकार	क0वि0(सर्जरी)	27-3-96
4.	डॉ0राम गोपाल लड्ढा	क0वि0(मेडिसन)	5–8–95
5.	डॉ0गोपाल सिंह राजावत	व0चि0 अधिकारी	1-9-90
6.	डॉ0अभय नाहर	चिकित्सा अधिकारी	1-4-91
7.	डॉ0(श्रीमती) चन्द्र कान्ता चपलोत	चिकित्सा अधिकारी	1-4-91
8.	डॉ0(श्रीमती) इन्द्रा शांडिल्य	चिकित्सा अधिकारी	27-3-91

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 18 की प्रतियां)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(1) एम0ई0/ग्रुप–1/96 जयपुर, दिनांक 19-3-96

आज्ञा

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यार्थियों को व्याख्याता, पैथोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला 3000-100–3500–125-5000 में अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर नियुक्ति प्रदान करते हैं एवं इनका पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित मेडिकल कॉलेज में किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम व पता	जन्मतिथि	नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान (मेडिकल कालेज)	आयोग की सूची में मेरिट संख्या
1.	डा0शशि सुजनानी, 1180, सेक्टर 11, हिरणमगरी, उदयपुर (राज0)	24-4-1954	उदयपुर	आर-1
2.	डा0सत्यराज नेगी, द्वारा श्री एन0एस0नेगी, 143, सेन्ट्रल स्कूल स्कीम, जोधपुर।	19-12-1958	बीकानेर	आर-2

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान मेडिकल (कालेजब्रांच) सेवा नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान के अनुसार जारी की गयी है और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार की जा रही है।

उपरोक्त व्यक्तियों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी/हायर सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

यह नियुक्तियां पूर्व-वृत के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्ययधीन हैं। यदि वे पहले नहीं किये गये हों।

उन्हें आदेश जारी होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थित प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्तियां सेवा नियमों के अधिकथित निबन्धकों एवं शर्तों के या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्याधीन हैं।

आज्ञा से,

ह0

(संजय मल्होत्रा)

उप शासन सचिव

(346)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1 (1) एम.ई./ग्रुप-1/96 जयपुर, दिनांक 7-6-97

आज्ञा

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर राज्यपाल महोदय डा. (श्रीमती) मंजू बोहरा जिनकी जन्मतिथि दिनांक 13–9–59 है को व्याख्याता, पैथोलोजी के पद पर वेतन श्रृंखला 3000–100–3500-125-5000 में अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर नियुक्ति प्रदान करते हैं एवं इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में व्याख्याता, पैथोलोजी के पद पर किया जाता है।

उपरोक्त चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र से सत्यापित कर अंकित की गयी है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पद पर नियुक्ति मेडिकल (कॉलेज शाखा) सेवा नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान के अनुसार जारी की गयी है और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार की जा रही है।

यह नियुक्ति पूर्व-वृत के सत्यापन एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्याधीन हैं, यदि वे पहले नहीं किये गये हों।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधिकथित निबन्धकों एवं शर्तों के या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्याधीन हैं।

यह नियुक्ति याचिका संख्या 4289/96 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय से प्रभावित होगी।

आज्ञा से,
ह0
उप शासन सचिव।

347

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का विवरण)

श्री हरजीराम बुरड़क, विधायक के अतारांकित प्रश्न संख्या 419/चिकित्सा के भाग एक की सूची।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बीजोधा में स्वीकृत पदों का विवरण
पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.सं.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत
1.	चिकित्सा अधिकारी	1
2.	मैल नर्स-2	1
3.	एल.एच.वी.	1
4.	वरिष्ठ लिपिक	1
5.	कनिष्ठ लिपिक	1
6.	लेब टेकनीशियन	1
7.	ए.एन.एम.	1
8.	वार्ड बॉय	2
9.	स्वीपर	1

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत होने पर स्वीकृत पदों का विवरण:—

1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2
2.	चिकित्सा अधिकारी	2
3.	मैल नर्स-प्रथम	1
4.	मैल नर्स-2	2
5.	रेडियोग्राफर	1
6.	कनिष्ठ लिपिक	1
7.	वरिष्ठ लिपिक	1
8.	लेब टेकनीशियन	1

३४८

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का विवरण)

सामान्य चिकित्सालय, करौली में पदस्थापित वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ; विशेष वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सकों के कार्य ग्रहण करने का विवरण:–

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	चिकित्सक का नाम	कार्य ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	4	4	1. डा. के.एल. मेहरा (बाल रोग)	21-2-97
				2. डा. आर.एस. शर्मा (सर्जरी)	31-5-96
				3. डा. एन.के. छुंगाणी (मेडिसन)	14–8–71 चिकित्सक 14-4-88 क. वि. मेडि. 16-4-98 व.वि.
				4. डा. श्रीमती संतोष गुप्ता (गायनी) क.वि. (व.वि. गायनी के पद विरुद्ध)	27-5-98
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	10	6	1. डा. के.सी गुप्ता क.वि. (अस्थि)	7–7–92
				2. डा. पी.सी. व्यास क.वि. (मेडिसन)	7–2–83 चिकित्सा अधि. 2-10-96
				3. डा. सी.के. शर्मा के.वि. (सर्जरी)	25–1–97

1	2	3	4	5	6
				4. डा. गोपाल लाल क.वि. (टी बी.)	9-1-91
				5. डा. जे.पी. अग्रवाल क.वि. (शिशु)	21-7-95
				6. डा. उमेश शर्मा चि.प्र. (क.वि. पैथोलोजी के पद विरुद्ध)	20-5-98
				7. कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) रिक्त 16-4-98	—
				8. क.वि. रेडियोलोजी रिक्त (17-12-96)	—
				9. क.वि. एनेस्थिसिया रिक्त (11-12-95)	—
				10. क.वि. (ईएनटी) रिक्त (9-8-92)	—
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	5	4	1. डा. एन.एल. शर्मा	28-7-94
				2. डा. सी एल. मोथा	15-9-87
				3. डा. ओ.पी. मन्थाना	3-10-79 चिकित्सक फरवरी, 90 वरिष्ठ चिकि. अ.
				4. डा. पी.एन. शर्मा	6-2-90
				5. रिक्त (1-12-96)	
4.	चिकित्सा अधिकारी	15	15	1. डा. जे.पी. गुप्ता	5-9-80
				2. डा. आर.एस. गुप्ता	27-9-91
				3. डा. एस. सी. गुप्ता	8-11-86

1	2	3	4	5	6
				4. डा. डी.एल. शर्मा	21-6-85
				5. डा. टी.आर. गुप्ता	19-11-95
				6. डा. पी.सी. गुप्ता	20-6-96
				7. डा. एच.सी. गर्ग	2-12-86
				8. डा. के.एन. गुप्ता	11-5-96
				9. डा. अशोक कुमार जैन	26-10-83
				10. डा. दिनेश चन्द्र शर्मा	20-11-96
				11. डा. गोविन्द प्रसाद गुप्ता	5-5-97
				12. डा. अनिता गर्ग (गुप्ता)	5-5-97
				13. डा. दशरथ सिंह राजावत	3-4-93
				14. श्रीमती ममता डंगायच	25-3-98
				15. डा. राधागोपाल डंगायच	25-3-98

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का विवरण)

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	मरम्मत योग्य (कि.मी.)	मरम्मत के लिये स्वीकृत राशि साधारण मरम्मत (रु. लाखों में)	नवीनीकरण (रु. लाखों में)	विशेष विवरण
1.	लूणकरणसर-मुनाफरसर	25.00	18/500 से 25/0	—	12.00	कि. मी. 18/500 से 25/0 पूर्व में कृषि उपज मंडी के अधीन थी जो अब सा.नि.वि. को स्थानान्तरित की गई व रख-रखाव हेतु [illegible] लाख रुपये कृषि उपज मंडी समिति द्वारा जमा करवाये गये।
2.	छतरगढ़-महादेववाली	12.50	0/0 से 2/0 एवं 5/0 से 7/0	0.83	12.00	—
3.	लूणकरनसर-बडेरन	25.00	0/0 से 7/0, 12/0 से 15, 19/0 से 24/0	2.20	—	—
4.	मलकीसर-शेखसर-मुनाफरसर	21.00	0/0 से 7/0, 18/0 से 21/0	1.57	—	—

351

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 31 की सूची)

विधान सभा प्रश्न संख्या 462 द्वारा श्री हंसराज.गुर्जर, (184) का उत्तर:–

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र करौली के 1996 के मतदान केन्द्र वार

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र की क्रम संख्या	कुल मतदाता	मतदान केन्द्र की क्रम संख्या	कुल मतदाता
1	2	3	4	5	6
1.	682	65	685	130	1062
2.	858	66	882	131	598
3.	712	67	620	132	938
4.	645	68	605	133	460

1	2	3	4	5	6
5.	478	69	620	134	627
6.	674	70	646	135	1107
7.	382	71	786	136	657
8.	710	72	889	137	775
9.	837	73	974	138	924
10.	573	74	990	139	605
11.	630	75	780	140	870
12.	700	76	816	141	1001
13.	804	77	849	142	412
14.	841	78	970	143	299
15.	702	79	612	144	630
16.	964	80	1168	145	717
17.	974	81	886	146	863
18.	820	82	681	147	431
19.	691	83	646	148	820
20.	829	84	898	149	450

354

1	2	3	4	5	6
21.	1022	85	764	150	665
22.	1000	86	805	151	746
23.	609	87	938	152	343
24.	581	88	787	153	725
25.	683	89	1081	154	552
26.	671	90	929	155	537
27.	419	91	508	156	828
28.	777	92	544	157	886
29.	478	93	866	158	468
30.	594	94	947	159	973
31.	428	95	833	160	483
32.	1009	96	666	161	717
33.	536	97	708	162	626
34.	780	98	742	163	762
35.	884	99	840	164	770
36.	760	100	490	165	752

1	2	3	4	5	6
37.	651	101	828	166	554
38.	747	102	974	167	642
39.	595	103	801	167A	656
40.	681	104	1050	168	427
40. A	665	105	961	169	626
41.	921	106	837	170	491
42.	437	107	434	171	611
43.	883	108	840	172	771
44.	797	109	570	173	1001
45.	458	110	502	174	1191
46.	571	111	840	175	633
47.	857	112	684	176	529
48.	818	113	977	177	384
49.	643	114	840	178	673
50.	610	115	943	179	1061
51.	601	116	870	180	524

1	2	3	4	5	6
52.	652	117	499	181	580
53.	650	118	983	182	549
54.	813	119	1122	183	832
55.	624	120	403	184	1036
56.	1000	121	644		
57.	494	122	947		
58.	673	123	900		
59.	1091	124	986		
60.	825	125	485		
61.	455	126	538		
62.	599	127	507		
63.	731	128	1075		
64.	585	129	592		
					134494

परिशिष्ट—14

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना जो पढ़ी हुई मानी गयी)

उदयपुर के राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में व्याप्त समस्याएं

[श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर)]

महोदय, उदयपुर में राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय स्थापित है। यह महाविद्यालय अति प्राचीन है। मेवाड़ राज्य के पूर्व महाराणा स्व. श्री फतेह सिंह जी द्वारा आज से करीब 70 वर्ष पूर्व 10 किलोग्राम सोना संस्था को दान में दिया था, जिसकी बिक्री करने के बाद 71,500/-रु. आये थे, जिसके शेयर सर्टिफिकेट क्रय किये गये। इसके अलावा 53,500/-रु. के अति. स्त्रोतों से व्यवस्था की जाकर 1,25,000/-रुपये का एक ट्रस्ट बनाया गया था, जिससे संस्था में छात्रों के अध्ययन, भोजन, वस्त्र एवं आवास का व्यय उक्त राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज से वहन किये जाने का प्रावधान था। सितम्बर, 48 तक तत्कालीन महाराणा द्वारा यह व्यय होता रहा और सन् 1948 से इस संस्था की व्यवस्था राज. सरकार द्वारा लागू की जाती है। लेकिन एकलिंग ट्रस्ट ने उक्त 1,25,000 रुपये की राशि उक्त महाविद्यालय या राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को नहीं दी। दान में दी हुई वस्तु पर दाता का अधिकार समाप्त हो जाता है। आज यह राशि बढ़कर 7 करोड़ रुपये के आसपास हो गई। इस राशि को प्राप्त किया जाकर संस्था के हित में लिया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार इस ओर उदासीन है।

इसी तरह राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर की अचल सम्पदा कुशल बाग-फार्म पर लगभग 20 बीघा जमीन पर राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ-

(358)

13 (117) शिक्षा/सी-5/64 दिनांक 24-7-69 से रजिस्ट्रार उदयपुर विश्वविद्यालय को लीज राशि के संबंध में लिखा था। तत्पश्चात विशिष्ठ शासन सचिव, शिक्षा विभाग ने अपने पत्र क्रमांक-19 (2) शिक्षा-3/80 दिनांक 20-2-82 को विश्वविद्यालय, उदयपुर को लिखा कि यह निर्णय लिया गया है कि 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि विश्वविद्यालय को दे दी जाये और विश्वविद्यालय संस्कृत निदेशालय, जयपुर को भूमि की कीमत वर्तमान बाजार भाव से भुगतान करेगा। लेकिन आज तक इस भूमि की कीमत राज्य सरकार को नहीं दी गई और न किसी प्रकार की आगे कार्यवाही हुई। जिला कलक्टर, उदयपुर ने 6 मार्च, 97 को हुई बैठक में यह अवगत कराया है कि सन 1981 से कृषि महाविद्यालय से जमीन खाली कर संस्कृत महाविद्यालय को सौंपने के आदेश होने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस संबंध में भी शिक्षा विभाग को कार्यवाही कर संस्कृत महाविद्यालय को उसकी भूमि लौटानी चाहिए। इससे संस्कृत महाविद्यालय की स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। अतः माननीय शिक्षामंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(359)

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड जयपुर के कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्था

[श्री अमराराम (धोद)]

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं सहकारिता मंत्रीजी एवं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार के अधीन स्थापित राजस्थान राज्य सरकारी आवासन संघ लि.के अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में एक कार्यालय हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव है यद्यपि कि यह कार्यालय गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से एवं व्यक्तिगत रूप से भी गृह निर्माण/विस्तार/मरम्मत हेतु ऋण वितरण का महत्वपूर्ण कार्य संपादित करता है एवं कार्यालय में भूखण्डों/आवासगृहों के मूल दस्तावेजात यथा रजिस्ट्री, पट्टे आदि जमा किये जाते हैं। इन अति महत्वपूर्ण कागजातों के सुरक्षित रख-रखाव हेतु लाकर्स की कोई व्यवस्था नहीं है, आलमारियों में अव्यवस्थित रूप से फाइलों में उक्त दस्तावेजात पड़े रहते हैं, आग लगने एवं चोरी हो जाने की सूरत में ऋण लेने वालों का भगवान ही मालिक है। भयंकर बारिश आने की स्थिति में कार्यालय की छत से पानी रिसने की पूरी संभावना है एवं कार्यालय में रखी फाइलों का धनी-धोरी कौन होगा, यह राज्य सरकार एवं सहकारिता विभाग के सोचने का विषय है।

कार्यालय में आगन्तुकों/ऋण लेने आने वालों के बैठने के लिए ही नहीं, वरन स्टाफ के लिए भी पर्याप्त फर्नीचर नहीं है जबकि ऋण वास्ते होने वाली औपचारिकताएं पूरी करने में लोगों को दिन भर कार्यालय में बैठना पड़ता है एव एक सीट से दूसरी सीट पर चक्कर लगाने पड़ते है। इन सब के अतिरिक्त एक दुखद स्थिति यह भी है कि राज्य सरकार एवं विभिन्न बोर्डों, निगमों ने अपने कर्मचारियों को पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दे दिया है जबकि इस कार्यालय में कार्यरत स्टाफ को अभी तक 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवावधि पर मिलने वाले लाभ से भी वंचित रखा गया है जो कर्मचारियों के हितों पर भारी कुठाराघात है एवं भेदभावपूर्ण नीति का परिचायक है।

360

मेरे यह नहीं समझ में आता कि जब राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण देने के वास्ते एच.डी.एफ.सी. से रकम उधार ले रही है और एच.डी.एफ.सी. का कार्यालय एवं अन्य फाइनेंस कम्पनियों के कार्यालय भी आवासन संघ के कार्यालय के सामने एवं आस–पास में स्थित है एवं ये पूरी तरह सुसज्जित एवं कम्प्यूटराइज्ड है तो फिर आवासन संघ के जरिये ऋण देने के पीछे क्या औचित्य है। या तो इस आवासन संघ लिमिटेड के कार्यालय को समाप्त कर स्टाफ को अन्यत्र समायोजित कर दिया जाना चाहिए या फिर इस आफिस को पूर्णतया सुसज्जित एवं कम्प्यूटराइज्ड कर दिया जाय ताकि अन्य फाइनेंस कम्पनियों के मुकाबले यह संघ टिक सके।

मैं राज्य सरकार एवं सहकारिता मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये मांग करता हूं कि उपरोक्त सहकारी आवासन संघ की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर सुधार किया जाय एवं साथ ही, कार्यरत कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाय। धन्यवाद।

अमोरी-अजान सड़क के मिसिंग लिंक का निर्माण

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

महोदय, भरतपुर जिले की कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय अमोरी को पंचायत मुख्यालय अजान से जोड़ने को 4-5 वर्ष पूर्व सड़क निर्माण प्रारम्भ किया गया था किन्तु सड़क का निर्माण आधी दूरी तक किया गया और आधी दूरी कच्ची छोड़ दी गई। लम्बाई 6 किलोमीटर की है। तीन किलोमीटर बनना शेष है। जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय सड़क नीति के अनुसार Missing लिंक का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है किन्तु कई वर्ष से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। सड़क निर्माण नीति का भी उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर यह मांग करता हूं कि इस Missing लिंक का शीघ्र ही निर्माण किया जावे।

562

पीपल्दा के राजकीय चिकित्सालय ढीपरी चम्बल में चिकित्सक की नियुक्ति

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

महोदय, विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के राजकीय चिकित्सालय ढीपरी चम्बल ग्रामीण क्षेत्र व दूर अंचल क्षेत्र में होने अधिकांश जनसंख्या व आसपास का क्षेत्र अनु0 जाति, जनजाति का बाहुल्य है इस चिकित्सालय में वर्तमान में लम्बे अर्से से चिकित्सक का पद रिक्त चल रहा है व पूर्व में भी जिस चिकित्सक को लगाया गया अधिकांश समय अनुपस्थित रहने कम्पाउण्डर, ए. एन. एम. के नहीं रहने से समय पर उपचार के अभाव में अधिकांश लोगों की मौत हो जाती है या अपना उपचार करवाने के लिए 20 कि0मी0 की दूरी अन्य चिकित्सालय में जाना पड़ता है जिससे जनता का समय व धन की बर्बादी होती है।

अतः जनहित की भावनाओं को देखते हुए राजकीय चिकित्सालय ढीपरी चम्बल में स्थायी डॉक्टर व स्टाफ लगाने का श्रम करें।

बांसवाड़ा से प्रकाशित बताये गये समाचार पत्रों को भुगतान

[श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)]

महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय जयपुर (डी. पी. आर.) द्वारा बांसवाड़ा (राज.) से प्रकाशित ऐसे समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन मान्यता एवं अधिस्वीकरण किया गया है जो मूल रूप से न तो बांसवाड़ा में मुद्रित एवं प्रकाशित होते हैं और न ही मान्यता अनुसार उनकी प्रसार संख्या बांसवाड़ा में कहीं नजर आती है। नजर आती है भी तो उन राजकीय विभागों में जहां विज्ञापन बिल के साथ पेश की जाकर उनका भुगतान उठाया जाता है।

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय के कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारी मिलीभगत से फाईल पूर्ति के फर्जी अखबारों के मालिकों ने राज्य सरकार को अब तक करोड़ों रुपयों का चूना लगाया है और चूना लगाने का यह क्रम अभी भी यथावत जारी है इसलिये अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 1998 तक बांसवाड़ा से एवं बांसवाड़ा जयपुर से एक साथ प्रकाशित होने वाले तमाम समाचार पत्रों का राजकीय विज्ञापनों एवं उनके भुगतान का लेखा जोखा बांसवाड़ा जिले के तमाम राजकीय विभागों से अलग-अलग मंगवा कर प्रत्येक समाचार पत्र की सूची मय भुगतान सहित क्रमवार जारी की जाय साथ ही बांसवाड़ा से मूलतः नियमित मुद्रित एवं प्रकाशित समाचार पत्रों को सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा राजकीय विज्ञापन मान्यता एवं अधिस्वीकृत मान्यता देने में उपेक्षा कर अब तक वंचित रखा है।

बांसवाड़ा से मूलतः नियमित मुद्रित एवं प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र को मान्यता मिल जाने के बाद जानबूझ कर नियमों की आड़ से षड़यंत्र पूर्वक मान्यता समाप्त कर दी गई इसका भी स्पष्टीकरण सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय से मंगवाया जावे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि फाईलपूर्ति के फर्जी अखबारों के प्रति बहुत ही अधिक लगाव उदारता के पीछे राज्य सरकार के खजाने को लूटने का रहस्य क्या है।

(364)

बांसवाड़ा से मूलतः मुद्रित एवं प्रकाशित होने वाले नियमित समाचार पत्रों में धनुर्धर साप्ताहिक, वागड की कलम साप्ताहिक एवं जागो एक बार दैनिक है जो पिछले 10-15 वर्षों से नियमित मुद्रित होकर बांसवाड़ा जिले के जन–जन तक पहुंच चर्चित होते आ रहे हैं जबकि शेष बांसवाड़ा से प्रकाशित होने वाले ग्रेट राजस्थान, निर्भयस्वर, कौंच, मातृछाया, यंगलीडर आदि अनेक अखबार हैं जो मात्र फाईलपूर्ति, विज्ञापनपूर्ति, एवं राजकीय खजाने को खाली करने की पूर्ति मात्र के साधन बने हुए हैं जिन पर सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय का कोई नियम लागू नहीं होता है और अगर होता भी है तो निदेशालय के संबंधित कर्मचारी व अधिकारी, कथित फर्जी अखबार मालिकों से सांठ-गांठ कर कागजी खाना पूर्ति कर दी जाती है ।

इस तरह बांसवाड़ा के नाम से विगत 15–20 वर्षों से निरंतर व्यापक पैमाने पर राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी की जाकर प्रतिमाह लाखों रुपयों की खुली लूट की जा रही है जो अब तक करोड़ों रुपयों की खुली लूट किये जाने की आशा है ।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय बांसवाड़ा से एवं बांसवाड़ा जयपुर से एक साथ मुद्रित व प्रकाशित होने वाले ऐसे सभी साप्ताहिक एवं दैनिक समाचार पत्रों की सूची पटल पर मंगा उसका खुलासा करें साथ ही वर्ष 1980 से वर्ष 1998 तक बांसवाड़ा जिले के राजकीय विभागों से दिये गये विज्ञापनों व इनके बिलों तथा इनके भुगतानों का वर्ष वार एवं क्रमवार विवरण जारी किये जायें ताकि राज्य सरकार के साथ व्यापक पैमाने पर हुई धोखाधड़ी एवं करोड़ों रुपयों की लूट का रहस्य का पता चल सके एवं उस पर विधिवत कार्यवाही की जा सके ।

डूंगरपुर जिले में सड़कों की स्थिति

[श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)]

महोदय, डूंगरपुर जिले में सड़कों की हालत बहुत बड़ी दयनीय होती हुई जा रही है। पक्की सड़कों पर बडे बडे खड्डे पड गये हैं। यातायात के साधनों को चलने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती है जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना हमेशा ही बनी रहती है। इस संबंध को लेकर मैंने पूर्व में भी सरकार को निवेदन किया था। सड़कों के रख-रखाव हेतु जो राशि आती है उस राशि का उपयोग सरकारी कर्मचारी के वेतन चुकाने में खर्च किया जाता है। विभाग के पास अन्य कोई बजट न होने से सड़कों को मरम्मत नहीं हो पाती है। अतः निम्नांकित सड़कों की मरम्मत करवाने हेतु अधिक राशि जिले को आवंटन करने हेतु माननीय मंत्री महोदय को अनुरोध करता हूं:-

1. पीठ से पुनावाडा रोड
2. सरथूना रोड से गुजरात सीमा तक 3 कि0मी0
3. पीठ मुख्य रोड 2 कि0मी0
4. करावाडा से नीलकंठ रोड
5. गेंजी से बलवनियां वाया चारवाडा रोड़
6. एप्रोच रोड मदुडी सासरपुर
7. झोथरी से सुराना माल चोबी रोड
8. गेंजी से डाकणमारियां गुजरात सीमा तक
9. घाटा से रामसागडा वाया गलेन्धर रोड
10. थाना से मेवाड़ा रोड
11. एप्रोच रोड मालमाथा पंचायत हैडक्वाटर

12. बिछीवाड़ा से तलैया वाया कुण्डावाड़ा रोड

13. पुनाली से सागवाड़ा वाया पाल खाण्डव

14. डूंगरपुर से देव सोमनाथ

15. रामपुर से टाडी मोवरी

16. सिरावाड़ा से पाल पादर

17. दुवाई से भोजाना

18. डूंगरपुर से पीठ

19. वासरी से सुरावा

जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का खराब प्रबन्ध

[श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)]

महोदय, जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि. जयपुर कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत उद्योग है। यह एक काफी पुराना तथा प्रतिष्ठित उद्योग है। लेकिन शनै-शनै खराब प्रबन्धन के कारण बन्द होने के कगार पर आ पहुंचा है।

वर्तमान में इस संस्थान में राज्य सरकार तथा श्रमिकों की साझा हिस्सेदारी है। राज्य सरकार का बहुत सा धन ऋण के रूप में इसमें लगा हुआ है। कम्पनी ने वर्ष 1987-88 से वर्ष 1996-97 तक लाभ कमाया है। वर्ष 1994-95 तथा वर्ष

1995–96 में अच्छा लाभ कमाया है। कम्पनी 1995–96 तक लगातार डिविडेण्ड डिक्लेम पर कराती आई है। श्रमिकों के वेतन भत्ते आदि उत्पादकता के साथ लिन्क हैं। कम्पनी की बैलेन्स सीट में कम्पनी को अच्छा प्रतिष्ठान अंकित किया गया है।

पिछले दो साल से इस प्रतिष्ठान की हालत बहुत खराब हो गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों के हाथों में इसका प्रबन्ध है। इस अर्से में अकुशल प्रबन्ध अनावश्यक खर्चे जैसे अनुदान विज्ञापन कमीशन आदि मदों पर अनियमित भारी खर्चे सामान क्रय में भ्रष्टाचार तथा विभिन्न प्रकार के मदों में भुगतान की बढ़ा-चढ़ा कर राशि दिखला कर गबन करने आदि के कारण इस प्रतिष्ठान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है तथा बन्द होने की स्थिति में आ गया है।

यह कम्पनी आवश्यक सामान के उत्पादन में लगा हुआ है। राष्ट्रीय हित का कार्य कर रहा है हजारों श्रमिकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है उनके रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है। इन स्थितियों में आवश्यक है कि राज्य सरकार/उद्योग विभाग इस प्रतिष्ठान की तरफ ध्यान देवे। प्रशासन में सुधार लावें तथा आवश्यक धन ऋण आदि की व्यवस्था करा कर इसे बन्द होने से बचावें।

भवानी मण्डी से इन्दौर व पिड़ावा से जयपुर बस सेवा की आवश्यकता

[श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)]

महोदय, विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा मध्यप्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है यहां के व्यापारी किसान बीमार आदि लोगों को अपने-अपने कार्यों से इन्दौर आना जाना होता रहता है भवानीमण्डी से वर्तमान में एक बस वाया सुनेल, पिड़ावा सुबह के समय इन्दौर से चल रही है लेकिन इस क्षेत्र में केवल एक ही बस होने से इस बस पर भारी दबाव रहता है लोगों को छत पर बैठाकर भी सफर करना पड़ता है ऐसी अवस्था में इस क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिये भवानी मण्डी से इन्दौर (रात्रीकालीन) वाया सुनेल, पिड़ावा बस सेवा प्रारंभ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है मैं विभाग को और संबंधित मंत्री महोदय को भी कितनी ही बार पत्र लिख चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय इसी तरह से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा से जयपुर आने के लिये कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी तक पहुंचने के लिये दो तीन गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं जिसकी वजह से काफी असु-विधा होती है, इस बाबत भी मैं मंत्रीजी और निगम को कई बार पत्र लिख चुका हूं लेकिन यह बस अभी तक नहीं चलाई गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि भवानी मण्डी से इन्दौर वाया सुनेल, पिड़ावा (रात्रीकालीन) व पिड़ावा से जयपुर वाया सुनेल, भवानी मण्डी बस सेवा तुरंत प्रभाव से प्रारंभ कराई जाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

———